लोक-सभा वाद-विवाद

का

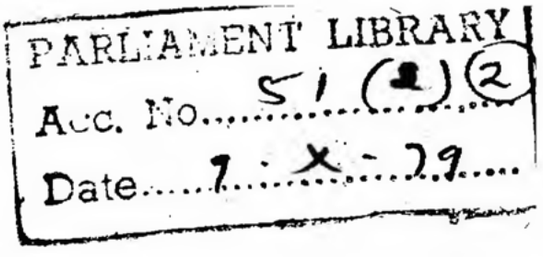
हिन्दी संस्करण



[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते



[खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 43, मंगलवार, 24 अप्रैल, 1979 / 4 वैशाख, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1—23
* तारांकित प्रश्न संख्या : 845, 846, 848 से 851, 853 और 854		
प्रश्नों के लेखित उत्तर	...	23—170
तारांकित प्रश्न संख्या : 847, 852, 855 से 857 और 859 से 865		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8201 से 8252, 8254 से 8362 और 8364 से 8400		
स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में	...	170—171
सभा पटल पर रखे गए पत्र		171—176
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश		176

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... 176-186

आचार्य विनोबा भावे द्वारा देश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की अपनी मांग के समर्थन में आमरण अनशन

डा० रामजी सिंह ... 176

श्री एच० एम० पटेल ... 176

श्री चित्त बसु ... 181

श्री कंवर लाल गुप्त ... 185

लोक सेवा समिति ... 186

130 वां, 131 वां और 140 वां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ... 186

44 वां और 45 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ... 187

चौथा प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले ... 187—193

(एक) मशीनों के आयात के लिए भावी अनावासी भारतीय निवेशकों के लम्बित आवेदन-पत्रों के निपटाये जाने के बारे में

डा० वसन्त कुमार पंडित ... 187

(दो) अनाज और दालों के लाने ले जाने के लिए मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सैक्शन पर बैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार

श्री हरि विष्णु कामत 188

(तीन) केरल में केन्द्रीय क्षेत्र के एककों की स्थापना के स्थानों का मामला

श्री के० ए० राजन 189

(चार) अस्पताल और शैक्षिक संस्थान (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा नियोजन विवादों का निपटारा) विधेयक, 1978 के वापिस लिये जाने के लिए अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

श्री सौगत राय ... 189

(पांच) गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का मामला

श्री ज्योतिर्मय बसु ... 190

(छः) पूर्वी और केन्द्रीय कोयलाखानों से ऊंचे ग्रेड के कोयले को उठाने के लिए रेलवे वैगनों की तुरन्त सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री विनोदभाई बी० शेठ ... 192

(सात) पंजाब में खेलकूद सामान निर्माण एककों के बारे में मामला

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों ... 192

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979 ... 193—214

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सतीश अग्रवाल ... 193

श्री जी० एम० बनातवाला ... 197

श्री दीनेन भट्टाचार्य ... 201

श्री हुकम देव नारायण यादव ... 202

श्री वयालार रवि 203

श्री ए० सी० जार्ज ... 205

प्रो० पी० जी० मावलंकर ... 208

चौधरी बलवीर सिंह 211

खण्ड 2 और 4 और 1 ... 214

पारित करने का प्रस्ताव

श्री सतीश अग्रवाल ... 214

वित्त विधेयक, 1979 ... 214—266

विचार करने का प्रस्ताव

श्री चरण सिंह ... 216

श्री पी० वेंकटासुब्बैया ... 225

श्री विनोदभाई बी० शेठ ... 226
श्री यादवेन्द्र दत्त ... 232
श्री टी० ए० पाई ... 236
श्री कंवर लाल गुप्त ... 244
श्री एन्थू साहू ... 247
श्री वी० अरुणाचलम ... 250
श्री एस० एस० सोमानी ... 254
श्री राघवजी ... 257
श्री के० एस० वीरभद्रप्पा ... 262
श्री हीरा भाई ... 265

लोक सभा

मंगलवार, 24 अप्रैल, 1979/4 बैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे वैगनों के लिए इस्पात की उपलब्धता

*845. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वैगनों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात के उपलब्ध न होने के कारण उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ है; और

(ग) वैगन निर्माण उद्योग के लिये आवश्यक इस्पात की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक (क) और (ख) वर्ष 1978-79 के दौरान रेल के डिब्बे बनाने के लिए इस्पात की माँग का अनुमान लगभग 67,000 टन लगाया गया था । सामान्यत: इसे पूरा कर दिया गया है । अत: इस्पात की आपूर्ति न होने के कारण रेल के डिब्बे बनाने वालों की क्षमता के उपयोग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । लेकिन पहियों के सेट सप्लाई करने की मूल पेशकश पूरी नहीं हुई है ।

(ग) मुख्य उत्पादक रेलवे के साथ सतत् सम्पर्क बनाए हुए हैं और उनकी मांग यथा-सम्भव अधिकाधिक मात्रा में पूरी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय ने बताया है कि पहियों के सेटों की मूल पेशकश की तुलना में इसकी सप्लाई कम हुई है । यदि पहियों के सेटों की सप्लाई मूल पेशकश से कम है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे वैगनों के कुल उत्पादन का पता नहीं चलता है क्योंकि पहियों के बिना कोई भी वैगन पूरा नहीं होता है । पहियों के सेटों के लिए इस्पात की सप्लाई में कमी होने के क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पटरियों के लिए भी इस्पात की सप्लाई में कमी आई है ।

श्री बीजू पटनायक : मैं पहले वाले प्रश्न का उत्तर दूंगा । पहियों के सेटों का उत्पादन पीछे रह जाने का कारण यह है कि पिछले भारी समुद्री तूफान आने के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाना वस्तुत: पानी से भर गया था और लगभग चार महीने उस इस्पात कारखाने में मुश्किल से ही कोई उत्पादन हुआ और इसलिए रेलवे विभाग ने शेष पहियों के सेटों को, जिन्हें दुर्गापुर इस्पात

कारखाना सप्लाई न कर सका था, आयात करने की योजना बनाई। आयातित पहियों के सेटों को प्राप्त करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पिछले सप्ताह आया था और रेल मंत्री ने उसका उत्तर दिया था।

श्री बीजू पटनायक : परन्तु हम तथ्य जानते हैं। वास्तव में, जब यह प्रश्न हमने उत्तर के लिए रेल मंत्रालय को भेजा था, तब उन्होंने हमें एक पत्र दिया जिसमें यह कहा गया था :

> "जहां तक यह मंत्रालय जानता है। यह सच नहीं है कि उद्योग इस्पात उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका है।"

अध्यक्ष महोदय : पटरियों के लिए इस्पात की सप्लाई न होने के बारे में क्या कहना है ?

श्री बीजू पटनायक : यह सच नहीं है। आमतौर पर आवश्यक पटरियां उपलब्ध हैं। पटरियों के लिए उनकी 1,60,000 टन इस्पात की मांग थी। हमने उन्हें 1,46,717 टन इस्पात सप्लाई किया। इसमें कुछ विलम्ब हुआ है परन्तु इससे उत्पादन नही रुका है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आँकड़े क्या हैं ?

श्री बीजू पटनायक : रेलवे विभाग पटरियों के लिए 1,60,000 टन इस्पात चाहता था।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या यह 2,32,000 टन नहीं है ?

श्री बीजू पटनायक : यह आंकड़े विभिन्न स्थानों से है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी से 4,000 टन, क्रासिंग स्लीपर-10,000 टन, स्लीपर-50,000 टन। यह सबका योग है। इन आवश्यकताओं को सामान्य रूप से पूरा किया गया है जैसा कि रेलवे मन्त्रालय ने स्वयं बताया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 में रेलवे मन्त्रालय ने पटरियों के लिए इस्पात की कुल आवश्यकता 232,000 टन की भेजी थी और आपके मन्त्रालय की पेशकश 207,000 टन की थी और सप्लाई 1,57,900 टन की गई थी।

श्री बीजू पटनायक : सभी आंकड़े गलत हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपका कहना है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों से सम्पर्क बना हुआ है। आप क्या कदम उठा रहे हैं ? आपने पहले ही घोषणा की है कि इस वर्ष इस्पात के उत्पादन में कमी होगी। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस वर्ष रेलवे विभाग को रेल वैगनों के लिए आवश्यक इस्पात और अन्य वस्तुएं सप्लाई कर सकेंगे। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि रेल वैगनों, पटरियों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात रेलवे विभाग को उपलब्ध किया जायेगा क्योंकि इससे अन्यथा अनेक समस्याएं पैदा होती हैं।

श्री बीजू पटनायक : जैसा मैंने कहा है कि गत वर्ष यथा 1978-79 में पटरियों की सप्लाई में कुछ कमी हुई थी। भिलाई से यह पेशकश 160,000 टन थी और वास्तव में 1,46,717 टन सप्लाई किया गया। इंडियन आयरन एंड कम्पनी से पेशकश 4,000 टन थी और सप्लाई 3,500 टन किया गया। क्रासिंग स्लीपर की पेशकश 10,000 टन थी, सप्लाई 10,503 टन किया गया, स्लीपरों की पेशकश 50,630 टन थी परन्तु सप्लाई 52,227 टन किया गया। रेलवे की

आवश्यकताओं को पूरा करने में सामान्य रूप से कोई कमी नहीं हुई है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने कहा था कि उत्पादन में कुछ कमी होगी। लेकिन मुझे आशा है कि यह कमी मानसून की अवधि तक रहेगी और उसके बाद कोयले का स्टाक बनाये रखा जायेगा और उत्पादन में निश्चय ही वृद्धि होगी मुझे संदेह नहीं है कि इस वर्ष के बाद हम रेलवे विभाग की सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

औषधियों के उत्पादन में लगी हुई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

*845. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के उत्पादन कार्य में लगी हुई बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) हाल ही में देश में औषधियों के उत्पादन में उनकी गतिविधि को कम करने के लिए क्या अग्रेतर कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 40 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक विदेशी साम्यपूंजी वाली संगठित क्षेत्र की कम्पनियों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ख) बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में सरकार की नीति, 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र में दर्शाई गई थी। जैसा कि उक्त विवरण पत्र के पैरा (ii) में दर्शाया गया है, सरकार का एक उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी कम्पनियों के कार्य-कलापों को निमंत्रित करने के विशेष संदर्भ में सम्पूर्ण औषधि उद्योग को नियंत्रित करने, नियमित करने और उसका नवीकरण के लिए पैरामिटर प्रदान करना है। संक्षेप में औषधों के निर्माण में विदेशी कम्पनियों की भूमिका को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं :—

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट—1 की मद संख्या 14 में उल्लिखित "औषध और भेषज" शब्दों की पुनः व्याख्या की गई है ताकि उनमें केवल मूल स्तर से उच्च प्रौद्योगिकी वाले बल्क औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशनों तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले बल्क औषधों के उत्पादन के लिए मूल स्तर से औषध मध्यवर्ती पदार्थों को ही शामिल किया जा सके।

(ii) शुद्ध रूप से फार्मूलेशनों का निर्माण करने वाली कम्पनियों की विदेशी साम्यपूंजी में 40 प्रतिशत तक कटौती करने के बारे में सरकार के निर्णय के अनुसरण में भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) औद्योगिक लाइसेंसिंग के मार्गदर्शन के लिए बल्क औषधों की सूची तैयार की गई है जिसमें कुछ बल्क औषधों को सरकारी क्षेत्र के लिए और कुछ अन्य बल्क औषधों

को सरकारी और भारतीय क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है । इन बल्क औषधों के लिए विदेशी कम्पनियों को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा ।

(iv) जो विदेशी कम्पनियां आयातित बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों का निर्माण कर रही हैं अथवा जो पैनेल्टीमेट स्तर से बल्क औषधों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको 2 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत मूल स्तर से बल्क औषधों का उत्पादन करना पड़ेगा ।

(v) विदेशी कम्पनियों को केवल उच्च प्रौद्योगिक बाले बल्क औषधों और उनसे सम्बद्ध फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए लाइसैंस दिए जा सकेंगे ।

(vi) विदेशी कम्पनियों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य करना निषेध है ।

(vii) विदेशी कम्पनियों को औषधों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नए ऋण लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और वर्तमान ऋण लाइसेंस के आधार पर विदेशी कम्पनियों के लाभ को परिशिष्ट-1 कार्य-कलाप नहीं माना जाएगा ।

(viii) जहां भारतीय कम्पनियों को अपने बल्क औषधों के उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत भाग ही गैर सम्बद्ध निर्माताओं को देना पड़ता है, वहां विदेशी कम्पनियों को अपने बल्क औषधों के उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग देना पड़ता है ।

(ix) विदेशी कम्पनियों केबल्क औषधों और फार्मूलेशनों में 1:5 का अनुपात प्राप्त करना पड़ता है जबकि भारतीय कम्पनियों को 1:10 अनुपात तक की अनुमति दी गई है ।

(x) अधिक उत्पादन को नियमित करने के लिए 31 मार्च, 1977 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में अधिकतम वास्तविक उत्पादन को आधार माना जाएगा । तथापि विदेशी कम्पनियों के बारे में यह भी शर्त लगाई गई है कि :—

(क) वे बल्क औषधों (नियमित औषधों सहित) के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-सम्बद्ध निर्माताओं को दें, और

(ख) वे अपने फार्मूलेशनों के मूल्य को बल्क औषधों के मूल्य के 5 गुना तक सीमित करें ।

इसके अलावा विदेशी क्षेत्र द्वारा निर्मित घरेलू दवाईयों के अधिक उत्पादन को नियमित नहीं किया जाएगा ।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम

1. बुरोज वैल्कम
2. मे एण्ड बेकर
3. रोश प्रोडक्ट्स
4. पार्क डेविस
5. ग्लैक्सो लैब्स
6. जोन्सन एण्ड जोन्सन
7. फाइज़र

8. वेयथा लैब्स
9. सीबा-गेगी
10. सिनामिड
11. अल्काली कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया
12. ई. मर्क
13. मर्क शाप एंड डोम
14. सैन्डोज
15. बूट्स
16. रिचर्डसन हिन्दुस्तान
17. बेयर
18. हैक्स्ट
19. वार्नर हिन्दुस्तान
20. व्हीफैन्स लैब्स
21. आर्गेनान
22. यूनी-सान्क्यो
23. ज्योफ्री मैनर्स
24. सुहरिद गेगी
25. एबोट लैब्स
26. स्मिथ क्लिन एंड फ्रैन्च
27. इन्डियन शेरिंग
28. एग्लो फ्रैन्च ड्रग कम्पनी ।

श्री दुर्गाचन्द : विवरण में दिए गए परिशिष्ट के अनुसार ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसकी 40 प्रतिशत से अधिक की प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी है । उनमें से 8 कंपनियों को यह निदेश दिए गए हैं कि उन्हें अपनी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत तक लानी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य 20 कम्पनियों को भी आवश्यक निदेश दिए हैं कि वे अपनी विदेशी साम्य पूंजी को 40 प्रतिशत तक रखें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न इन कम्पनियों द्वारा औषधियों के निर्माण हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिक के निर्धारण से सम्बन्धित है । समूचे प्रश्न की जांच एक समिति कर रही है जिसे सरकार ने हाथी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप नियुक्त किया था। यह हाथी प्रौद्योगिकी समिति कहलाती है । इसे प्रतिवेदन मिला है और यह मामलों की जांच कर रही है । हम आर्थिक कार्य विभाग को, जो इस विषय की निमंत्रण प्राधिकार है, साम्य पूंजी कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहेंगे जैसाकि उस विशेष निर्माण में निदेशों में अन्तर्निहित है ।

श्री दुर्गाचन्द : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का किन्हीं अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : कल इन सब समस्याओं पर चर्चा हुई थी । मैं इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । कल हमने इस पर चर्चा की थी ।

राज्यों की राजधानियों में समाचार यूनिट के लिए कर्मचारियों का तैनात किया जाना

*848. **श्री नाथूसिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार यूनिट हैं, ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रीनगर, चंडीगढ़, कलकत्ता और गौहाटी के ऐसे यूनिटों में सीनियर ग्रेड के सी० आई० एस० अधिकारी तैनात हैं जबकि पटना, भोपाल, लखनऊ और जयपुर के समाचार यूनिटों में जूनियर ग्रेड के अधिकारी तैनात हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के यूनिटों में जूनियर ग्रेड के अधिकारी तैनात करने के क्या कारण हैं हालांकि इन राज्यों का क्षत्र बड़ा और जनसंख्या अधिक है ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, हां, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम को छोड़कर।

(ख) जी, हां, प्रादेशिक समाचार यूनिट को नियन्त्रित करने के लिए समाचार सम्पादक और सहायक समाचार सम्पादक रखने का मानदंड कवर किए जाने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या, प्रसारित किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों की संख्या, भाषाओं की बहुलता जिनमें समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं और प्रादेशिक यूनिटों के स्थान के विशेष तत्वों से भी संबंधित हैं।

(ग) प्रादेशिक समाचार यूनिटों के स्तर के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। यह प्रत्येक यूनिट की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि राजस्थान वह प्रदेश है जिसका सबसे अधिक इन्टरनेशनल बोर्ड है और आज भी वहां यह स्थिति है कि बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाकिस्तानी टी वी आराम से देखा जाता है। जयपुर का रेडियो भी वहां से ईजिली नहीं पकड़ा जाता और पाकिस्तान का आराम से पकड़ा जाता है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल दूसरा है।

श्री नाथू सिंह : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

इतना बड़ा प्रदेश और इतनी बड़ी जनसंख्या इसकी है। इसके होते हुए भी यहां और जितने भी हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसा मैंने अपने प्रश्न में कहा है कि श्रीनगर, चंडीगढ़, कलकत्ता और गौहाटी में तो सीनियर ग्रेड सी आइ एस अधिकारी हैं और पटना, भोपाल, लखनऊ और जयपुर में जूनियर ग्रेड अधिकारी है, तो में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इसलिए नहीं है कि ये हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स हैं और वह इंगलिश स्पीकिंग स्टेट्स हैं ...**(व्यवधान)**

वहां अंग्रेजी बहुत अधिक बोली जाती है और राजस्थान में अंग्रेजी बहुत कम बोली जाती है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पापुलेशन वहां की है और रेडियो स्टेशन वहां पर कम हैं, आपने प्रोपोजल रखा है, एक और रेडियो स्टेशन वहां पर खोला जा रहा है, इसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय वहां सीनियर आफिसर नियुक्त करेंगे और पूरे देश में समानता लाएंगे इस मामले में ताकि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स और नान-हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में कोई अंतर न रहे ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रश्न में हिन्दी का सवाल लाया गया जबकि इसका इस से कोई संबंध नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। सारे मुल्क में 35 स्टेशन्स हैं, जहां पर रीजनल लैंगुऐज में बुलेटिन्स प्रसारित होते हैं। उन 35 में से केवल 7 ऐसे हैं, जिनमें न्यूज एडिटर के लेविल का आफिसर हैं और बाकी जो स्टेशन हैं उन में एसिसटेंट न्यूज एडिटर के लेविल का अफिसर रहता है। इसका आधार यह है कि वह स्टेशन कितने बुलेटिन्स प्रसारित करता है और क्या वह केवल एक स्टेट को सर्व करता है या कई स्टेट्स को सर्व करता है जैसे चंडीगढ़ है, उसकी पापूलेशन बहुत कम है लेकिन चंडीगढ़ का स्टेशन हरियाणा को सर्व करता है, चंडीगढ़ की यूनियन टेरीटरी, को सर्व करता है और पंजाब को भी सर्व करता है। इसलिए ऐसे स्टेशनों पर जहां पर अधिक भाषाएं हैं और जो कि कोई स्टेटों को सर्व करते हैं, न्यूज एडिटर लगाना जरूरी है लेकिन मैं इस बात से परिचित हूं और स्वयं इस बात को अनुभव करता हूं कि अनेक स्थानों पर और ऊंचे अधिकारी लगाने की जरूरत है और जैसे-जैसे वहां के लिए वे सैंक्शन होंगे, हम उनको ऐसे स्थानों पर लगाएंगे।

श्री नाथू सिंह : राजस्थान में 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उस समय जैसलमेर में एक रेडियो स्टेशन सैंक्शन हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।

श्री नाथू सिंह : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बाद आज तक वहां पर कोई कार्यवाही उसके लिए नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ? आप प्रश्न सीनयर और जूनियर अधिकारियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। आपने कहा है कि अधिक लैंगुऐज में जहां बुलेटिन प्रसारित होते हैं, वहां सीनियर आफिसर दिये जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर में राजस्थानी में भी न्यूज ब्रोडकास्ट की जाती हैं, हिन्दी में भी की जाती हैं और दूसरी कई भाषाएं हैं, जिनमें वे ब्रोडकास्ट की जाती हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कई तरह की भाषाएं वहां पर हैं, जिनमें ब्रोडकास्ट होता है और इस बात को देखते हुए क्या आप एक रेडियो स्टेशन और राजस्थान में खोलेंगे क्योंकि वह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान से वहां पर बार-बार लड़ाई होती रहती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि वह भाग बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या आप और अधिक स्टेशन वहां पर खोलेंगे। दूसरी

बात यह है कि वहां पर रेडियो स्टेशनों पर और अधिक कार्यक्रम चलाए जाएं और टी० वी० पर स्वतन्त्र न्यूज प्रसारित करने की वहां पर छूट दी जाए, क्या आप ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : मंत्री जी ने कहा कि जिन स्थानों पर एक से अधिक प्रान्तों को या अधिक पापूलेशन को सर्व करना पड़ता है, वहाँ सीनियर आफिसर दिए जाते हैं और जहां कम लोगों को सर्व करना पड़ता है, वहां जूनियर आफिसर को लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीनगर या चंडीगढ़ में, इन दोनों को मिला दिया जाये या दो, चार को और मिला दिया जाए, तो भी ये यू०पी० से कम होंगे, बिहार से कम होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जूनियर आफिसर क्यों भेजे गये और जूनियर और सीनियर आफिसर्स को पोस्ट करने का आपका क्या क्राइटीरिया है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जो है, यह तो केवल न्यूज यूनिट के बारे में है, रीजनल न्यूज के बारे में है और रीजनल बुलेटिन्स के बारे में है। जहां तक स्टेशन का सवाल है, उनमें अधिकारी बहुत ऊंचे लेविल के हैं जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, तो वहां पर रीजनल बुलेटिन्स दो ही प्रसारित होते हैं जबकि श्री नगर में 8 बुलेटिन्स प्रसारित होते हैं कश्मीरी में और उर्दू में इसलिए वहां पर जो इसके लिए अधिकारी है वह ऊंचे लेविल का है लेकिन मैं स्वयं चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर विशेषकर स्टेट्स की कैपिटल्स में जैसे लखनऊ में या जयपुर में, अप-ग्रेडेशन की जरूरत मैं अनुभव करता हूं। लेकिन कुछ कारण हैं जिन से अभी यह नहीं हो सकता और जब तक वे कारण हैं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता।

श्री राम कंवर बेरवा : यह प्रश्न सीनियर और जूनियर आफिसर्स का समाचार प्रसारण के मामले में पूछा गया है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां सीनियर आफिसर्स होते हैं और जहां जूनियर आफिसर्स होते हैं, जो समाचार प्रसारण का कार्य करते हैं, उनमें क्या अंतर है और सीनियर और जूनियर आफिसर्स को पोस्ट करने का मापदण्ड क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पहले ही प्रमुख प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि किसी स्थान पर न्यूज एडीटर और असिसटेंट एडीटर कितने हों, इसकी कसौटी यह है कि वहां से कितने बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं और वे कितने क्षेत्रों और राज्यों को सर्व करते हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि कोई स्ट्रेटिजिक फेक्टर तो नहीं है। मैंने ये सब बातें गिनायी हैं और उन्हीं के आधार पर निर्णय होता है।

श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' : मंत्री महोदय ने बताया है कि यू० पी० में दो भाषाओं में बुलेटिन प्रसारित होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जब मैथिली, भोजपुरी, मगही, उर्दू, हिन्दी सभी विभिन्न भाषाएं हैं तो वहां फिर जूनियर आफिसर रखने का क्या कारण है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पटना से हिन्दी और दो क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं।

मध्य प्रदेश में लोहे तथा इस्पात की मांग

*849. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान लोहे तथा इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी रही है और इन दो वर्षों में उसे वस्तुत: इनकी कितनी मात्रा प्रदान की गई तथा कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में एक स्टील स्टाकयार्ड खोलने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) लोहे और इस्पात की आवश्यकता के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, वर्ष 1977-78 और 1978-79 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भी शामिल है) को किए गए लोहे और इस्पात के प्रेषण नीचे दिए गए हैं :—

(हजार टन)

श्रेणी	1977-78	(1978-79 अस्थायी आँकड़े)
कच्चा लोहा	41	59
विक्रेय इस्पात	208	225

(ख) जी, हां।

डा० बसन्त कुमार पंडित : उत्तर की पहली पंक्ति "लोहे और इस्पात की आवश्यकता के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते" की पुनरावृत्ति है। इससे पता लगता है कि लोहे और इस्पात की सप्लाई में गोलमाल और गड़बड़ है। मैं जानना चाहता हूं ?...**(व्यवधान)**

श्री राघवजी : जब जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो प्रश्न को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

डा० बसन्त कुमार पंडित : वे किस प्रकार का तरीका अपनाते हैं ? इसका मानदण्ड क्या है ? इसके क्या मानदंड हैं ? यदि वे राज्यों की आवश्यकताओं के आंकड़े नहीं रखते तो राज्यों को आवंटन कैसे किया जाता है ? क्या यह तदर्थ आधार पर होता है ? क्या यह मनमाने आधार पर होता है ? ऐसा कहा गया है कि पागलपन में भी कुछ तरीका होता है। क्या लोहा और इस्पात विभाग में पागलपन के आधार पर होता है ? कोई तरीका तो होना चाहिए। आवंटन किस तरीके से किया जाता है जब आप राज्य की आवश्यकताओं का ब्यौरा नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश को 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक लोहा और इस्पात की आवश्यकता है ? मध्य प्रदेश ने हमेशा अपनी आवश्यकता सरकार को बताई है। वहां लगभग 5,000 औद्योगिक एकक पंजीकृत हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

डा० बसन्त कुमार पंडित : उनका कहना है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह जानना चाहते हैं कि पागलपन का क्या तरीका है।

श्री बीजू पटनायक : कोई भी राज्य सरकार स्टील अथोरिटी आफ इंडिया से एक बारगी मांग नहीं करती है। ऐसा कभी नहीं किया गया था। ऐसा आज तक नहीं किया गया। हम यह तथाकथित राज्यवार आंकड़े नहीं रखते हैं। मांगें उपभोक्ताओं द्वारा रखी जाती हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो, रक्षा विभाग हो, अन्य उपभोक्ता हों, वैगन निर्माता हों तथा अन्य लोग हों। वे अपनी मागें रखते हैं और उनकी मांगों को स्टील अथोरिटी आफ इंड़िया और टाटा आयरन एंड स्टील तथा लघु इस्पात कारखाने, री-रोलिंग मिलें जिनकी संख्या इस देश में लगभग 700 है, पूरा करते हैं। वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार सप्लाई करते हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने मध्य प्रदेश को जो सप्लाई किया है, उसके आंकड़े मैंने माननीय सदस्य को दिए हैं।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरे प्रश्न (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने केवल हाँ भी उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जबलपुर में, जो मध्य में स्थित है तथा जहां से विंध्याचल और महाकौशल के 17 जिलों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, स्टाकयार्ड की स्थापना की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पिछले महीने पूछा गया था।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरा प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है। क्या सरकार उस पर कोई निर्णय ले रही है ? बंसार जिले में, जहां बड़ी मात्रा में कच्चा माल अप्रयुक्त पड़ा है फर्रे बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से भेजा गया एक प्रस्ताव केन्द्र के पास लम्बित पड़ा है। अतएव मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जबलपुर में स्टाकयार्ड खोलने के बारे में क्या निर्णय लिए गए हैं और/अथवा उस स्थान पर फर्रे बनाने वाला कारखाना खोलने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री बीजू पटनायक : यह प्रश्न के भाग (ख) से कैसे उठता है ? **(व्यवधान)** माननीय सदस्य जानते हैं कि मध्यप्रदेश में भिलाई में पहिले ही इस्पात का एक बड़ा कारखाना है और मध्य प्रदेश में तीन स्टाकयार्ड हैं जो भिलाई, इन्दौर और ग्वालियर में स्थित हैं। एक और स्टाकयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर जो वह जबलपुर में चाहतें हैं, हम विचार कर रहे हैं।

चौ० हरी राम मक्कासर गोदारा : आज देश में लोहे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नीचे आने के बजाय ये ऊंची जा रही हैं, इसका क्या कारण है और इनको नीचे लाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है।

श्री राघवजी : क्या कभी आपने एसेसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कितने स्टील की आवश्यकता प्रतिमास रहती है और कितने स्टील की पूर्ति आप करते हैं ? मध्य प्रदेश सरकार बार-बार कह रही है कि इन यूनिट्स की आवश्यकतायें अधिक हैं और पूर्ति कम हो रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि ये जो इकाइयां हैं ये ठीक से नहीं चल पा रही हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जबलपुर में स्टाकयार्ड खोलने का प्रस्ताव आपको कब प्राप्त हुआ था और अभी तक उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने जबलपुर के बारे में इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दिया है। जब स्टील अथोरिटी आफ इंडिया आश्वस्त होती है कि स्टाकयार्ड से पर्याप्त बिक्री हो रही है···

अध्यक्ष महोदय : पिछले सप्ताह ही यह प्रश्न पूछा गया था।

श्री राघवजी : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों की मांग क्या है और वे क्या सप्लाई कर रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक : मैं मांग के बारे में नहीं जानता। मध्य प्रदेश से मांग वाली कोई बात नहीं है। परन्तु हमने लघु उद्योग निगम को वर्ष 1977-78 में केवल 1400 टन और 1978-79 में उन्हें 7000 टन सप्लाई किया है। लघु उद्योग निगम से इस्पात की कोई मांग नहीं आई है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : मूल प्रश्न में यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की आवश्यकता कितने स्टील की है। इसका उत्तर मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नहीं दिया है। इसको छिपाया गया है। इसके आंकड़े नहीं बताए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने जोर से बोलेंगे तो मेरे कान के पर्दे फट जायेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश को स्टील ने मिलने के कारण सवा तीन सौ लघु उद्योग वहां बन्द पड़े हैं। इन लघु उद्योगों को सरकारी आर्डर भी मिले हुए हैं लेकिन उनकी भी पूर्ति ये नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश का विकास रुका हुआ है मात्र स्टील न मिलने की वजह से।

अध्यक्ष महोदय : भाषण न दें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : भाषण कहां दे रहा हूं। मंत्री महोदय बहुत होशियार हैं। लोहे के घपले के जो मामले हैं उनकी वजह से ये खिन्न हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की लोहे की जो आवश्यकता है और जिस के न मिलने के कारण वहां का विकास रुका हुआ है और वहां के लघु उद्योग बन्द पड़े हैं वे फिर से चालू हो सकें, इस के वास्ते क्या उसकी लोहे की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी ?

श्री बीजू पटनायक : लघु उद्योग निगम के बारे में जो भी मांगें हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है।

श्री राघव जी : वह निगम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं अपितु मध्य प्रदेश लघु उद्योग के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक : शायद माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि किसी राज्य के सभी लघु उद्योग अपनी मांगें लघु उद्योग निगम को प्रस्तुत करते हैं। सरकार अथवा स्टील अथोरिटी आफ इंडिया अपनी सप्लाई केवल लघु उद्योग निगम को करती हैं जो फिर उसे लघु उद्योग को वितरित करती हैं। माननीय सदस्य श्री कछवाय ने बताया है कि 340 लघु उद्योग बन्द पड़े हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने वहां जाकर एक भी उद्योग बन्द नहीं देखा है वह यह मेरे ध्यान में लायें। **(व्यवधान)**

श्री वी० दण्डयुतपाणि : इस्पात का मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए सरकार ने गलन स्क्रैप का आयात करने की अनुमति दी हैं जिससे कच्चे माल की कमी को दूर किया जा सके। तदनुसार सरकार ने पहले ही गलन स्क्रैप का आयात करने की अनुमति दी है। अतएव मैं जानना चाहता हूं कि कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए कोई प्रमाण है तथा क्या स्क्रैप अन्य देशों से आयात किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बीजू पटनायक : यह प्रश्न नहीं उठता। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 850.

बिहार के पूर्णिया जिले के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

*850. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बिहार में पूर्णिया जिले के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की कौन-सी योजनाएं स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है तथा इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) अब तक विचारधीन पड़ी योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम को बिहार राज्य बोर्ड से 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान बिहार के पूर्णिया जिले को 7 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्राप्त हुई थीं। इनमें 2 ऐसी स्कीमें शामिल थीं जो मूलत: 1976-77 में प्राप्त हुई थीं परन्तु जो संशोधन करने के लिए बोर्ड को वापिस भेज दी गई थीं और जो संशोधन कर दिए जाने के पश्चात् उन्होंने दोबारा भेजी थीं।

(ख) प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की संख्या सहित स्कीमों के ब्यौरे उपबन्ध एक में दिए गए हैं।

(ग) निगम ने 4 स्कीमें मंजूर कर दी हैं। एक स्कीम बोर्ड ने वापिस ले ली थी। शेष दो स्कीमें निगम के पास जांच के लिए विचाराधीन हैं।

निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है और ये कार्यान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

(घ) निगम के पास जो दो स्कीमें विचाराधीन हैं वे दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर यदि ये स्कीमें तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम पाई गईं और यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो 1979-80 के दौरान ऋण सहायता की स्वीकृति प्रदान करने हेतु इन पर विचार किया जाएगा।

बिहार के पूर्णिया जिले के बारे में बिहार राज्य बिजली बोर्ड से वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान प्राप्त हुई स्कीमों के ब्यौरे

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्राप्त होने की तारीख	ऋण राशि	गांवों की संख्या	नए विद्युती-करण	जोड़	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रुपौली तथा भामनीपुर	जून, 76	51.674	82	7	89	1977-78 में स्वीकृत
2.	कोचादम तथा किशनगंज	जून, 76	58.552	145	11	156	1978-79 में स्वीकृत
3.	बहादुरगंज दीघाल बैंक	14-4-77	75.265	181	1	182	यह स्कीम राज्य बिजली बोर्ड ने नवम्बर, 1977 में वापस ले ली थी।
4.	पूर्णिया	22-3-78	30.451	प्रणाली सुधार इसमें ग्राम विद्युतीकरण शामिल नहीं है।			1978-79 में स्वीकृत
5.	पूर्णिया पूर्वी	1-11-78	59.923	134	12	146	1978-79 में स्वीकृत
6.	पूर्णिया उप-प्रभाग	दिसम्बर, 78	21.487	15	4	19	अप्रैल, 1979 में इसका मूल्यांकन किया जाना है।
7.	जोकीहाट तथा अमौर	जनवरी, 1979	17.996	196	—	196	मूल्यांकन करा लिया गया है मूल्यांकन संबंधी टिप्पणियाँ तैयार की जा रही हैं।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : मैंने वह विवरण देखा है जो मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। मैं मंत्री महोदय के विवरण से संतुष्ट नहीं हूं विशेषकर बिहार में पूर्णिया जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्य से।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्णिया जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी संख्या में खंड और ग्राम पंचायतों को नहीं लाया गया है। इस संबंध में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने —मेरे विचार में मंत्री महोदय इस बात को जानते होंगे—अपने पत्र संख्या 1458/सी० एम० दिनांक 31-7-78 के द्वारा मुझे सूचित किया था कि महाप्रबन्धक एवं मुख्य अभियन्ता, दरभंगा और बिजली अधीक्षक इन्जीनियर, पूर्णिया को यह हिदायतें दी गई थीं कि अन्य खंडों तथा पंचायतों का सर्वेक्षण कराया जाये और उन गांवों के लिए नई योजनाएं बनाई जायें जिन्हें अब तक इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : मैं जानना चाहता हूं कि पहला, उन खंडों तथा पंचायतों का ब्यौरा क्या है जहां सर्वेक्षण कराया गया है और उपरोक्त पत्र के अनुसरण में स्कीमें बनाई गई है तथा क्या पूर्णिया जिले के सभी खंडों और ग्राम पंचायतों को इसके अन्तर्गत लाया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरा, मैं पूर्णिया जिले में टेरागढ़ खंड का विशिष्ट उदाहरण देना चाहता हूं जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की हिदायतों के बाद भी काम आरम्भ नहीं किया गया है। यह बात अजीब है और मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ काम आरम्भ क्यों नहीं किया गया है।

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं पूरे प्रश्न को समझ नहीं सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे अनेक प्रश्न हैं। केवल एक नहीं है।

श्री पी० रामचन्द्रन : प्रश्न यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान पूर्णिया जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं प्राप्त हुई है और मैं समझता हूं कि हमने विवरण में सभी अपेक्षित वितरण दे दिए हैं। यदि वह किसी विशेष क्षेत्र के बारे में पूछना चाहते हैं तो बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तुत योजना पर निर्भर है। जब तक वह योजना नहीं भेजते हैं, मैं यह नहीं बता सकूंगा कि योजना आरम्भ की गई है या नहीं। गत कुछ वर्षों के दौरान, जबसे निगम की स्थापना हुई है, उस विशेष जिले के लिए 17 योजनाओं को स्वीकृति की गई है और 2 योजनाओं को अभी स्वीकृति दी जानी है, के लम्बित हैं, वे केवल दिसम्बर और जनवरी को प्राप्त हुई—1978 के दिसम्बर और 1979 के जनवरी में वे विचाराधीन हैं।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : यह मेरे प्रश्न का आधार नहीं है। बिजली बोर्ड, बिहार के चेयरमैन के पत्र के अनुसार शेष क्षेत्रों का, जिन्हें अब तक छोड़ा गया है सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा उनका कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पर कार्य आरम्भ किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि बिना नोटिस के वे स्वीकृति नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह बोर्ड की सिफारिशों पर निर्भर हैं।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : यह बिजली बोर्ड के चेयरमैन का निदेश है।

अध्यक्ष महोदय : और कोई अनुपूरक प्रश्न है।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को धन की सहायता देने हेतु पूर्णिया जिले को ऋण के रूप में कितनी सहायता दी गई तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने में कितना धन व्यय किया गया ।

श्री पी० रामचन्द्रन : अब तक पूर्णिया जिले में 17 योजनाओं के लिए लगभग 1,262 नए गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा 52 और गाँवों में विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु 6.64 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई । अतएव इस जिले में इस कार्यक्रम के लिए पहले ही 6.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जिसमें से हमने लगभग 3 करोड़ रुपये वितरित किये हैं ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि पूर्णिमा जिले के लिए 17 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो गया है, यदि नहीं, तो वह कब प्रारम्भ होगा और उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ।

श्री पी० रामचन्द्रन : योजनाओं को स्वीकृति देने के बाद उन्हें चार से पांच वर्षों में क्रियान्वित करना होता है और यह बिजली बोर्ड पर निर्भर रहता है कि पहली किश्त कब दी जायेगी । इस स्कीम की प्रगति के अनुसार बाद की किस्तें बिजली बोर्ड को दी जायेंगी । यह बिजली बोर्ड पर है कि वे स्कीम को क्रियान्वित करे और और ऋण सहायता ले ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मैंने पूछा है कि क्या उन योजनाओं का काम प्रारम्भ हो गया है और अगर नहीं हुआ है, तो वह कब तक प्रारम्भ होगा । मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है ।

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसी ही योजना स्वीकृत होती है, यह बिजली बोर्ड का काम है कि वह काम आरम्भ करे । उन्हें आदेश देने का कोई प्रश्न नहीं है । आखिर यह स्कीमें स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युत निगम को भेजी जाती हैं और यह यह बिजली बोर्ड पर है कि वह काम तत्काल शुरू करे ।

श्री लालजी भाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार छोटे किसानों से सिक्युरिटी के रूप में जो रुपया जमा कराती है, वह कितना है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह रकम बिहार राज्य और दूसरे राज्यों में भिन्न-भिन्न है, अगर हां, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : बिहार में बिजली का जितना उत्पादन होता है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम उसके आधार पर गांवों में बिजली देने का काम करता है । लेकिन बिहार में बिजली की जितनी आवश्यकता है, जब वहां पर उसका आठवां हिस्सा भी पैदा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मंत्री महोदय को वहां पर बिजली पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी । मगर उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न बिहार सरकार को पूरी मदद दी गई है । जब तक वहां पर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बिल्कुल धोखा है और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस दिशा में कोई कार्यवाही करना चाहती है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है । यह एक अच्छा सुझाव है ।

गुजरात में उच्च न्यायालय के न्ययाधीशों के रिक्त पद

*851. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद गुजरात में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) कुछ रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के विषय में की जाने वाली कार्यवाही काफी कुछ पूरी हो चुकी है और ऐसी आशा है कि ये नियुक्तियां अतिशीघ्र कर दी जाएंगी।

श्री छीतूभाई गामित : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कई पद रिक्त हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में बहुत से केसेज़ पेंडिंग हैं। जिन लोगों का मुकदमा उच्च न्यायालय में पेंडिंग हैं उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। गुजरात के दूर-दूर स्थानों से लोगों को आना पड़ता है। आने-जाने में उनको बहुत मुश्किलें आती हैं। ये मुश्किलें दूर करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात के उच्च न्यायालय में कितने स्थान कितने टाइम से रिक्त हैं ? इन स्थानों को अभी तक न भरने का क्या कारण है और ये स्थान कब तक भर दिये जाएंगे।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि कब से ये स्थान रिक्त हैं तो इस वक्त छ: स्थान रिक्त हैं और इन में एक तो 26 सितम्बर, 1975 से रिक्त है, एक 31 मई,1976 से रिक्त है एक 5 अक्तूबर, 1977 से रिक्त है, एक 28 दिसम्बर, 77 से रिक्त है, एक 22 मई, 78 से रिक्त है और एक स्थान 6 दिसम्बर सन् 78 को रिक्त हुआ है। पहले अप्रैल, 78 में मुख्य न्यायाधीश जो गुजरात उच्च न्यायालय के हैं उन्होंने लिखा था कि ये सब जो रिक्तियाँ है, इन सब स्थानों को भरना उचित नहीं होगा क्योंकि सब स्थान भर दिये जाएंगे तो इतने जजेज़ हो जाएंगे कि वकील वहां हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। लेकिन उनसे बातचीत हुई। उसके बाद 30 नवम्बर, 78 को कुछ प्रोपोज़ल हमारे पास स्टेट एथारिटीज के पास से आए जबकि वह स्थान रिक्त होने से कई महीने पहले आने चाहिए। लेकिन 30 नवम्बर, सन् 78 को वह आए और वह भी कम्पलीट नहीं थे। उनसे खतोकिताबत हुई और उनसे कहा गया कि फलां फलां जानकारी दें, और जनवरी के आखिर में जाकर वह जानकारी आई और प्रोपोजल्स कम्पलीट हुए क्योंकि काफी कुछ उसमें कार्यवाही करनी पड़ती है तब वह पूर्ति होती है और वह एप्वाइन्मेंट होते हैं। लेकिन अब मुझे आशा है कि दो हफ्ते के अन्दर हम पांच स्थानों पर पांच एप्पाइन्टमेंट्स कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि दो हफ्ते के अन्दर यह काम पूरा हो जायगा।

श्री सी० वेणु गोपाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई पेनल से ही नियुक्त किये गए थे अथवा उन व्यक्तियों को भी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिनके नाम पेनल में नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता कि माननीय विधि मंत्री द्वारा दिया गया पूरा उत्तर आपने सुना है या नहीं परन्तु परम्परा यह है, नियम यह है कि हम इस सदन में ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, जिससे न्यायपालिका पर न्यायाधीशों पर आक्षेप आता हो और इसलिए मैं अपने आपको प्रतिबन्धित महसूस कर रहा हूं, परन्तु फिर भी मैं उस परम्परा का स्वागत करता हूं और यह प्रश्न पूछता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि 1975 के शुरू से 6 रिक्त स्थान थे और नवम्बर, 1978 में जाकर गुजरात के मुख्य न्यायाधीश ने रिक्त स्थानों के लिए प्रस्ताव भेजा। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इतने रिक्त स्थान वहां हैं, तो क्या इस बारे में कोई मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजने में मुख्य मंत्री को कितना समय लगता है और दूसरे, इन रिक्त स्थानों को भरने में सामान्यत: सरकार को कितना समय लगता है। अन्यथा, जैसा कि श्री गामित ने उल्लेख किया, हजारों मामले अनिर्णीत पड़े रहते हैं। और यह कहना ठीक है कि वकील एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। हमारे यहां अधिक संख्या में वकील हो सकते हैं, परन्तु हम नहीं चाहते कि अधिक संख्या में लोग एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक न्याय प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते रहें और बिना न्याय प्राप्त किये मर जायें। यह मुख्य पहलू है।

श्री शांति भूषण : जैसा कि मैंने बताया, एक समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह विचार था कि सभी रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, मैंने उनसे और आगे बातचीत की और उन्हें यह बताया कि कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए जिससे वकील उपलब्ध हो सकें, क्योंकि वकीलों को जूनियर वकील तैनात करने चाहिए या मुवक्किलों को यह बता देना चाहिए कि वे अन्य वकीलों को तैनात कर लें, परन्तु वकीलों को अपना कार्य व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को केवल इसलिए कष्ट नहीं उठाने दिया जा सकता कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने काम पर एकाधिकार कर रखा है और इसलिए वे अनेक न्यायालयों में उपस्थित नहीं रह सकते। और अगर काम बकाया रह जाता है, तो उस मामले में सभी रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिए। और यही कारण है, जैसा कि मैंने बताया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इसके बाद प्रस्ताव किया और 30, नवम्बर, 1978 को राज्य के अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ, परन्तु यह सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं था, क्योंकि हमें अनेक बातों के बारे में काफी जानकारी चाहिए। वे निर्धारित की गई हैं। अगर बार के किसी सदस्य के नाम का सुझाव दिया जाता है, तो हम यह पूछते हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान उसकी कुल आय और शुद्ध आय कितनी रही है आदि आदि। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह पूरी तरह असंगत बात है। यह पूर्णत: असंगत है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : यह क्या है ? इस तरीके से लोगों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है ।

श्री शान्ति भूषण : जनवरी, 1979 में यह सभी जानकारी उपलब्ध हुई और प्रस्ताव निर्णय के लिए तैयार हो सके ।

(व्यवधान)

एक बार जब राज्य सरकारों से प्राप्त निर्णय जिए जाने के लिए पास हो जाते है अर्थात् ये सभी दृष्टियों से पूर्ण होते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है । जब तक प्रस्ताव सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं होता और वह सभी जानकारी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए आवश्यक होती है, उपलब्ध नहीं होती, तब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय प्राप्त नहीं की जा सकती । जनवरी के अन्त तक यह सभी जानकारी पूरी थी । इसके बाद सारांश आदि तैयार करने के लिए कुछ समय की कार्यालय में भी जरूरत पड़ती है । इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार प्राप्त किए गए हैं और जैसा कि मैंने बताया सभी औपचारिकताएं अब पूरी हो गई हैं और पांच नियुक्तियां करने का निर्णय किया जा चुका है और केवल ··

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहें हैं ।

श्री शान्ति भूषण : मैं उस पर आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी भी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शान्ति भूषण : एक मानक प्रक्रिया निर्धारित है कि रिक्त स्थान होने से तीन से छह महीने पहले ही प्रस्ताव तैयार करना होता है । कुछ ऐसी रिक्तियां होती हैं जिनके बारे में पता होता है कि वे अमुक-अमुक तारीख को होने जा रही हैं कभी-कभी रिक्तियां किसी न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति होने से हो जाती हैं या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से या त्यागपत्र दे देने के कारण होती हैं या अन्य किसी कारण से । उस मामले में रिक्त स्थान होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर मुख्य न्यायधीश को प्रस्ताव के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ करनी होती है । अन्यथा, जिन मामलों में रिक्त स्थान होने की सम्भावना होती है, तो रिक्त स्थान होने से तीन से छह महीने पहले उसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है । वस्तुतः हमने पहली बार एक नई परम्परा की शुरूआत की है । इस सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद, विधि मन्त्रालय अब पहल करता है और जहां कहीं भी मामला अनिर्णीत पड़ा होता है, उसकी जानकारी रखता है और स्मरण कराता रहता है विधि मन्त्रालय या तीन मुख्य न्यायाधीश या मुख्य मन्त्री आदि को स्मरण कराती रहती है कि मामले के बारे में द्रुत गति से कार्यवाही की जाए, जिससे नियुक्तियां की जा सकें ।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए समिति

*853. **श्री चतुर्भुज** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचक-नामावलियों का गहन पुनरीक्षण करने और संरचनात्मक गठन की सिफारिश करने के लिए भी एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों और निर्देश-निबन्धनों का ब्यौरा क्या है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, तालुका, तहसील, प्रखण्ड स्तरों पर निर्वाचन तंत्र के विद्यमान गठन का गहन अध्ययन करने और ऐसे प्रत्येक स्तर के लिए निर्वाचन तंत्र के आदर्श गठन की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित पदधारी हैं, अर्थात् :—

1. श्री आर० सम्पतकुमारन्, मुख्य निर्वाचन, आफिसर, कर्नाटक—अध्यक्ष
2. श्री आर० के० पांडेय, मुख्य निर्वाचन आफिसर, मध्य प्रदेश—सदस्य
3. श्री जे० एन० भट्टाचार्य, मुख्य निर्वाचन आफिसर, त्रिपुरा—सदस्य
4. श्री एच० एस० दुबे, मुख्य निर्वाचन आफिसर, हिमाचल प्रदेश—सदस्य
5. श्री एस० एन० सिन्हा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन आफिसर, उत्तरप्रदेश—सदस्य
6. श्री जी० सी० उप्रेती, संयुक्त मुख्य निर्वाचन आफिसर, उत्तरप्रदेश—सदस्य
7. श्री के० गणेशन्, अपर सचिव (विधि) भारत का निर्वाचन आयोग—सदस्य

यदि समिति के कार्य के हित की दृष्टि से समिति आवश्यक समझे तो वह किसी अन्य अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगी । समिति के निर्देशन-निबन्धन इस प्रकार हैं :—

1. विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर—

(क) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण;

(ख) निर्वाचनों का संचालन ; और

(ग) उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में विद्यमान निर्वाचन तंत्र के गठन का गहन अध्ययन करना ।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन तंत्र के आदर्श गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने सात सदस्यों की जो समिति गठित की है वह कब गठित की गई, यह नहीं बताया गया है तथा उसका कार्यकाल कब पूरा होगा, यह भी नहीं बताया गया है । समिति के कार्यक्षेत्र में, समिति के संचालन में कौन-कौन से क्षेत्र आएंगे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है ।

श्री शान्ति भूषण : एलेक्शन कमीशन ने इस समिति का गठन किया है और हाल में ही इसका गठन हुआ है । मैं नहीं समझता इस समिति को अपना कार्य करने में कोई बहुत लम्बा समय लगेगा लेकिन यह एलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा कि कितना समय दिया जाए और कितना समय न दिया जाए ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने यह समिति गठित की है । मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं कि जो जनरल इलेक्शन्स 1977 में हुए थे, वे 1971 की निर्वाचन

सूचियों के आधार पर हुए थे। छः सालों में कितने मर गए और कितने जिन्दा रहे, उन में से कुछ का नाम भी उन में नहीं था और यहां तक हुआ कि आपातकाल में जो हमारा समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, उन सब का नाम हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे, इसलिए इस समिति का भारी रूप में परिवर्तन होना चाहिए। यह जो कमेटी गठित की गई है, यह डाऊटफुल समिति है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस समिति में निर्वाचित व्यक्तियों के एक दो प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए लोक सभा के अन्दर से।

श्री शान्ति भूषण : चुनाव समिति का जो यह गठन किया गया है, यह इसलिए किया गया है कि शायद यह देखा गया है कि कुछ कमियां रह गई हैं चुनाव की प्रक्रिया में यानी इलेक्ट्रोरल रोल्स को तैयार करने के कार्य में और चुनाव पूरा कराने के कार्य में। इसलिए इन की इन-डेप्थ स्टडी की जाए कि हर स्टेट में क्या-क्या कमियां हैं क्योंकि हर जगह एकसी चुनाव मशीनरी नहीं है, हर स्टेट में अलग-अलग चुनाव मशीनरी हैं और उन में आपस में फर्क है। इस-लिए एक इन-डेप्थ स्टडी कर के चुनाव के बारे में एक मोडल सेटअप बनाया जाए, तो बहुत अच्छा होगा और मशीनरी अच्छी तरह से काम कर सकेगी। इस सब की स्टडी करने के बाद वे रिकमेंड करेंगे कि मोडल सेटअप क्या हो और फिर चुनाव आयोग उस में आवश्यक कार्य कर सकेगा।

श्री राम विलास पासवान : यह जो मंत्री महोदय ने कहा है, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इशू है, मतदाता सूची का सही होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण यह मुद्दा है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे में दो चीजें हैं। आप ने समिति सेटअप की है और उन लोगों का नाम आप ने दिया है जिनके जिम्मे यह काम सौंपा है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस पर पूरी जनतन्त्र की नींव खड़ी हो जाती है। तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो संगठनात्मक पहलू है, उस पर भी क्या ध्यान दिया है ? अभी तक यह देखा जा रहा है कि जो समाज का वीकर सैक्शन है, उस के प्रति धांधलियां होती हैं, कभी मतदाता सूची में उस का नाम नहीं जोड़ा जाता है और नाम जोड़ भी दिया जाता है, तो उस को वोट के अधिकार से वंचित किया जाता है। इन पहलुओं को क्या आप ने ध्यान में रखा है और यदि रखा है तो उन समुदायों के अधिक से अधिक प्रतिनिधि इस में रखे जाएं जिससे वे निष्पक्ष रूप से अपने वोट डाल सकें, क्या इस पर विचार किया है ?

श्री शान्ति भूषण : मान्यवर, इस चुनाव समिति का गठन सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इस का गठन चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग जो बात जरूरी समझता है, उस की इन-डेप्थ स्टडी वह कराएगा कि स्टेट्स में चुनाव मशीनरी क्या हो और किस तरह से वह अपना कार्य करे। इस के लिए एक मोडल सेट-अप यह चुनाव समिति बताएगी। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस का गठन किया है।

श्री पी०ए० संगमा : नई दिल्ली में आयोजित मुख्य चुनाव अधिकारियों के गत सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की मतदाता सूचियों में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम शामिल किए गए पाये गए थे। आगे यह रहस्य-

उद्घाटन किया गया कि एक राज्य में विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या 30 प्रतिशत तक थी। इसलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि इसमें पूरी जांच की जानी चाहिए और जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, पहिचान पत्र जारी करने की प्रणाली के बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक प्रत्येक मतदाता को पहिचान पत्र जारी करने का प्रश्न है, यह एक दुरुह मत है और इसका गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता हैं। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है कि कुछ क्षेत्रों में परीक्षण किया जाना चाहिए और फिर यह अध्ययन किया जाना चाहिए कि यह व्यवहार्य है भी या नहीं।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध

*854. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कुछ समय के लिए कमी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनके कोटे में भी कमी की गई है;

(घ) यदि हां तो सरकार ने राज्यों और केन्द्र में भी पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग कितना कम कर दिया है और वर्ष 1979-80 में पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी बचत होने की संभावना है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) की खपत को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखा है।

(ख) सभी राज्य सरकारों /केन्द्र शासित क्षेत्र के शासकों को प्रधान मंत्री और मेरे द्वारा भी लिखा गया गया है। क्योंकि ये पत्र उनको मार्च, 1979 के अन्त में ही लिखे गये थे अतः सभी राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में इतना शीघ्र उल्लेख करना कठिन होगा।

(ग) मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के बारे में कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। प्रत्याशित मांग के अनुसार उत्पादन सप्लाई की जाती है।

(घ) इस विषय में भेजे गये पत्रों में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों आदि द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान वर्ष 1978-79 की अपेक्षा पेट्रोल की खपत में 15 प्रतिशत का बचत लक्ष्य प्राप्त किया जाय।

श्री एस० आर० रेड्डी : श्रीमान्, सरकार के लिए यह सही है कि मोटर स्पिरिट और

अन्य आवश्यक मदों के बारे में 15 प्रतिशत बचत करने के लिए वह राज्य सरकारों को सलाह दे। मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार विभागीय कारों और मन्त्रियों की कारों पर पेट्रोल की बचत करने के लिए अपने विभागों को भी सलाह देगी और क्या पेट्रोल में बचत करने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जी, हां। प्रधान मन्त्री के निर्देश के अन्तर्गत 22 मार्च के आस-पास सभी साथी मन्त्रियों को मैंने पत्र लिखा है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी अपनी पेट्रोल की खपत, विभागीय कारों में पेट्रोल की खपत और उनके अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा पट्रोल की खपत कम की जाय। जहां तक स्टाफ कारों का सम्बन्ध है, पेट्रोल की खपत में 15 प्रतिशत के उसी अनुपात में कमी की जाय। एक मात्र व्यक्ति, जिसे मैं लिखने का साहस नहीं कर सका हूं, वह लोक सभा अध्यक्ष है।

अध्यक्ष महोदय : में इसे ही पत्र मानकर कार्यवाही करूंगा।

श्री एस० आर० रेड्डी : श्रीमान्, यह सर्वविदित है कि मोटर स्पिरिट के मामले में सरकार बल्क उपभोक्ता है। अगर सरकार पेट्रोल की खपत के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, तो मेरे विचार में, राज्यों को या मन्त्रियों को सलाह देना या राशनिंग करना आवश्यक नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं। दूसरे, डीजल और पेट्रोल का उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसलिए कृषि और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को इस आवश्यक वस्तु की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि मन्त्री महोदय ने कल कहा था, हमें काफी लम्बे समय तक कमी की स्थिति को सहन करना होगा। क्या सरकार इस आवश्यक मद को सुरक्षित रखने के लिए किसी स्थायी उपाय के बारे में विचार करेगी जिससे हमें कष्ट न उठाना पड़े।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमान्, मैंने कल सारी स्थिति की विस्तार से व्याख्या की थी और मैं पुनः उसे दुहरा रहा हूं कि हम राज्य सरकारों को हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल गत वर्ष की खपत से 5 प्रतिशत अधिक मात्रा में उपलब्ध करेंगे। यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि हाई स्पीड डीजल देने के लिए प्राथमिकता वाले कौन से क्षेत्र हैं और मैंने मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि हमारे अधिकारी प्रत्येक कलक्टर को इस बात की जानकारी देंगे कि कितना उत्पाद बाजार में उपलब्ध है और जिस प्रकार वे चाहें, इसको विनियमित कर सकते हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी की वजह से कर्नाटक के लोगों को दो महीने से कठिनाई और असुविधा महसूस हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि राज्यों को भविष्य में मिट्टी के तेल और डीजल के कोटे में कटौती की जाय और (ख) पेट्रोल की खपत में 15 प्रतिशत कमी करने के बारे में क्या प्रस्ताव है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रियों के लिए सामान्य कार पूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 15 प्रतिशत कटौती केवल मोटर स्पिरिट के लिए है, न कि मिट्टी के तेल के लिए। मैंने कल आंकड़े दिए थे और मैं दुहराना चाहूंगा कि कर्नाटक को वर्ष

1977-78 की तुलना में वर्ष 1978-79 में 7.9 प्रतिशत अधिक हाई स्पीड डीजल और 7.6 प्रतिशत अधिक मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार का यह काम है कि वह सुनिश्चित करे कि वितरण प्रणाली के माध्यम से यह सम्भव हो . . .

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : कमी होने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस बारे में मुझे कर्नाटक के मुख्य मंत्री से पूछताछ करनी होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैनिक अधिकारियों तथा असैनिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में असन्तुलन

*847. **श्री राज कृष्ण डाँन** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एक ही संगठन तथा एक ही समान पदों पर काम करने वाले सैनिक अधिकारियों तथा असैनिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में भारी असन्तुलन है;

(ख) क्या यह सच है कि सैनिक अधिकारियों को गैर-सैन्य रक्षा संगठन में 10 वर्ष से भी अधिक समय तक तैनात रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सैनिक अधिकारियों के लिए दो संवर्ग एक सामयिक कार्य तथा दूसरे प्रयोगशाला कार्य के लिए क्यों नहीं शुरू किए हैं ताकि सैनिक अधिकारियों को असैनिक अधिकारियों के बराबर रखा जा सके ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, निरीक्षण महानिदेशालय, आदि संगठनों से है। इन संगठनों के कार्यों के स्वरूप को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि इनके पारस्परिक कार्यों के लिए जो कार्मिक लिए जाएं वे सिविल में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र से और सशस्त्र सेनाओं से मिले-जुले आधार पर लिए जाएं। इसलिए एक सीमित संख्या में सेना के अधिकारियों को इन संगठनों में स्थाई आधार पर उप नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

रक्षा सेवाओं के अफसरों की विशिष्ट सेवा शर्तें होती है जो उनकी मूल सेवाओं पर निर्भर करती हैं। और ये सेवा शर्तें सिविलियन अफसरों की सेवा शर्तों से भिन्न होती हैं। इन दो श्रेणियों के कार्मिकों की सेवा शर्तों के बीच इस प्रकार की किसी बहुत बड़ी विषमता के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तों की अपनी कुछ विशिष्ट बातें होती हैं।

इन संगठनों के भीतर ही इन अफसरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन कभी-कभी 4-5 वर्षों के सामान्य सेवा काल से अधिक समय तक भी अफसरों को किसी विशेष स्टेशन पर रहने दिया जाता है।

वर्तमान व्यवस्था सन्तोषप्रद रूप से काम कर रही है और जिन दो संवर्गों का सुझाव दिया गया है उन्हें लागू करने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में "बाम्बे हाई गैस" पर आधारित परियोजनायें

*852. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बाम्बे हाई गैस" पर आधारित महाराष्ट्र में स्थित होने वाली प्रस्तावित कितनी परियोजनायें अब तक सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाओं को अब तक सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है;

(ग) कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जानी है और उन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में प्रत्येक परियोजना का प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह प्रस्ताव है कि महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में थाल वैसेट नामक स्थान पर गैस पर आधारित दो बड़े आकार के खाद कारखाने स्थापित किए जाएं । इसके अलावा मैसर्स दीपक निट्राइट लिमिटेड ने भी महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में तलोजा नामक स्थान पर गैस पर आधारित एक अमोनिया प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) और (ग) थाल वैसेट प्रायोजना पर निवेश के बारे में अग्रिम स्तर पर विचार किया जा रहा है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है । मैसर्स दीपक निट्राइट को एक अमोनिया प्लांट लगाने के लिए एक आशय-पत्र दिया गया है ।

(घ) थाल वैसेट स्थित दो कारखानों पर लगभग 512 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिनमें लगभग 230 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । तलोजा प्रायोजना पर लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसमें 13 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है ।

चार उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने तथा उन्हें निर्मित करने का कार्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव

*855. **श्री के० गोपाल**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर) : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्राकृतिक गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने तथा इन्हें निर्मित करने का कार्य कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने यह कार्य करना है और प्रत्येक उर्वरक संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित कार्य के लिए देशीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस कार्य को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) विदेशी परामर्शदाताओं को केवल प्रक्रिया जानकारी तथा मूल इंजीनियरिंग पैकेज की सप्लाई और अधिप्राप्ति, विस्तृत इन्जीनियरिंग, निर्माण तथा मुख्य प्लांट को चालू करने के लिए पर्यवेक्षी सेवाओं में लगाया जायेगा। प्लांट की विस्तृत इन्जीनियरिंग अधिप्राप्ति निर्माण, प्लांट लगाने और चालू करने और स्थान दूर की सुविधाएं और उपयोगिताएं, स्थापित करने में भारतीय इन्जीनियरिंग क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा । विदेशी कम्पनियों से प्राप्त कोटेशनों की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र की परियोजना पर लगभग 512 करोड़ रुपये की लागत लगने का अनुमान है जिसमें 230 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल होगी और गुजरात की परियोजना पर लगभग 569 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसमें 168 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ।

(ग) और (घ) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, विस्तृत इन्जीनियरिंग, उपकरणों की सप्लाई, प्लांट लगाने, उसे चालू करने आदि के लिए स्वदेशी क्षमता उपलब्ध है और उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा। तथा बाहरी सहायता को प्रक्रियाजानकारी की सप्लाई, मूल इन्जीनियरिंग पैकेज और पर्यवेक्षी सेवाओं तक ही सीमित रखा जाएगा।

आसाम में मिट्टी के तेल की कमी

*856. **श्री बीरेन एंगती** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे आसाम राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी है;

(ख) क्या आसाम सरकार ने राज्य को शीघ्र और अधिक मिट्टी के तेल का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान असम में मिट्टी के तेल की कमी से संबधित कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) राज्य को किए गये आबंटनों में से मिट्टी के तेल की पूरी सप्लाई प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

(ग) संभरण स्थानों पर उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहें हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर उत्पाद की ढुलाई के लिए टैंक वैगनों की उपलब्धता को सुधारने के लिए रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है ।

कोल्ड रोल्ड इस्पात की पट्टियों की मांग

*857. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोल्ड रोल्ड इस्पात की पट्टियों की मांग का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि चालू वर्ष में ठंडी बेलित चादरों/पत्तियों की मांग 700,000 टन के लगभग होगी ।

तेल उत्पादक देशों द्वारा पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि

*859. **श्री निहार लास्कर,**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा) : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मार्च, 1979 को जेनेवा में आयोजित किये गये सम्मेलन में तेल उत्पादन देशों ने अपनी कीमतों में और वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, बढ़ी हुई कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत में इससे कितनी मूल्य वृद्धि होगी;

(घ) अशोधित तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा; और

(ड़) क्या सम्मेलन ने वृद्धि के बारे में निर्णय करने का मामला प्रत्येक राष्ट्र पर छोड़ दिया है और यदि हां, तो कितने राष्ट्रों ने इस बारे में भारत को सूचित किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ड़) दिनांक 26 मार्च, 1979 को जेनेवा में ओपेक की मंत्रि स्तर की बैठक में दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से मार्कर अशोधित तेल का मूल्य प्रति बैरल 14.546 अमेरिकी डालर निर्धारित करने का निर्णय किया गया । इस वृद्धि के अतिरिक्त यह सभी सदस्य देशों पर छोड़ दिया कि वे जैसा न्यायसंगत समझें पुनः प्रीमियम लगायें ।

दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से लागू बढ़ाई गयी कीमतों को भारत द्वारा ईराक, यू० ए० ई०, रूस, सऊदी अरब तथा लीबिया से प्राप्त अशोधित तेल की सप्लाई में घोषित किया गया है ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य देशीय तथा आयातित अशोधित तेल दोनों के भार सहित औसत मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाता है । अभी हाल ही में आयातित तेल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप भारित औसत मूल्य बढ़ गया है । पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में फलस्वरूप संशोधन की आवश्यकता इस समय विचाराधीन है।

(घ) अनुमान है कि दिनांक 26 मार्च की जेनेवा की बैठक में ओपेक सदस्यों द्वारा घोषित मूल्य वृद्धि से वर्ष 1979-80 के दौरान 16.5 मिलियन मी० टन अशोधित तेल में आयात के लिए 150 मिलियन डालर का अतिरिक्त व्यय होगा ।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की कमी

*860. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को ज्ञात है कि भढ़कन सब डिविजन में चोर बाजार में मिट्टी का तेल 5 से 8 रुपये प्रति लिटर बिक रहा है जबकि उसका सामान्य फुटकर मूल्य 2 रुपए 10 पैसे प्रति लिटर है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान उड़ीसा में मिट्टी के तेल की कमी से संबंधित कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने भद्रक सब-डिवीजन में हो रही ऐसी चोर बाजारी से इंकार किया है ।

(ग) संभरण स्थानों पर पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर उत्पाद की ढुलाई के लिए टैंक वैगनों की उपलब्धता को सुधारने के लिए रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० कोचीन के बारे में केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

*861. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० कोचीन के कार्यों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) उसमें क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि एफ०ए० सी० टी० के कोचीन एकक के मामले की जांच करने के लिए किसी केन्द्रीय अध्ययन दल की नियुक्ति नहीं की गई थी, तथापि एफ० ए० सी० टी० के उद्योग मण्डल के कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए सभी संभव विकल्पों पर विचार करने और व्यावहारिक समाधान का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ।

(ख) विभिन्न विकल्पों की जांच करने के बाद समिति ने उद्योनमण्डल में केप्रोलैक्टम के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने की सिफारिश की थी । केप्रोलैक्टम प्लांट की स्थापना के लिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट की विस्तृत जांच की जा रही है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति

*862. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदूर्शन इन दोनों संगठनों के महानिदेशक 31 मार्च, 1979 को सेवा-निवृत हो गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार की वर्तमान विचारधारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी को जिसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्य के सम्बन्ध में कुछ पूर्व जानकारी हो, अन्तरिम व्यवस्था के रूप में वर्गीज समिति के प्रतिवेदन के प्रकाश में इस मीडिया का पुनर्गठन किये जाने तक दोनों आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रमुख अधिकारी नियुक्त करने की प्रतीत होती है; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक यूनिट में मिलाने के बारे में सरकार की नीति का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क)से(ग)और अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त होने पर आकाशवाणी के महानिदेशक श्री पी० सी० चटर्जी और दूरदर्शन के महानिदेशक श्री पी० बी० कृष्णमूर्ति 31 मार्च, 1979 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। महानिदेशक के पद को भरने के लिए किसी विशेष सेवा तक सीमित रहने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने वर्गीज ग्रुप की सिफारिशों पर अभी विचार करना है।

सिंथेटिक रस्सी आदि के छोटे पैमाने के एककों का बन्द होना

*863. **डा० पी० पेरियासामी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने के क्षेत्र में विदेशी तकनीकी वित्तीय तथा विदेशी ब्रांड नाम के सहयोग से सिंथेटिक रस्सी बनाने के लिए गरवारे, निर्लोन, नेशनल रेयन, तथा श्री राम रेयन को लाइसेंस प्रदान करने से लाइलोन रस्सी के निर्माण में लगे 50 छोटे पैमाने के एकक बन्द हो गए हैं;

(ख) क्या कैप्रोलैक्टम जैसा कच्चा माल रखने वाले बड़े कारखाने अपनी इच्छानुसार छोटे एककों को सप्लाई करना बन्द कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां तो छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों का निर्माण करने वाले बड़े एककों से छोटे उद्योगों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क)चार इंच से अधिक परिधि की रस्सी के उत्पादन के लिए मैं गरवारे वाल रोप्स लि० ही औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त एकमात्र कम्पनी है। ऐसी रस्सियों का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र से बाहर है अतः लघु उद्योग यूनिटों के बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों को कैप्रोलेक्टम जैसी कच्ची सामग्रियों की सप्लाई को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसी यूनिटों नाइलोन मोल्डिंग पाउडर से सिंथेटिक रस्सी

बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, कैप्रोलैक्टम का उत्पादन गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा किया जाता है, जो सिंथेटिक रस्सियों का उत्पादन नहीं करती।

लीनियर अल्वाइन बेंजीन, डोडेसिल बेंजीन और सोडा एश की कमी

*864. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीनियर अल्वाइन बेंजीन (एल० ए० ई०), डोडेसिल बेंजीन (डी० डी० बी०) और सोडा एश जैसा मूल कच्चे माल की कमी, विशेष रूप से लघु और लघुतर क्षेत्र में कमी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) नये स्थापित किये गये लघु और लघुतर क्षेत्र के निर्माता एककों को राज्य व्यापार निगम द्वारा और सरकार द्वारा कितने नये आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो लघु और लघुतर क्षेत्रों को नये आयात लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०, जिसने एल० बी० का उत्पादन दिसम्बर, 1978 में आरम्भ कर दिया था, किसी बड़े यूनिट को कोई मात्रा देने से पहले लघु और लघुतम क्षेत्र को हर संभव सामग्री उपलब्ध करेगा। साथ ही एल० ए० बी० तथा डी० डी० बी० को राज्य रसायन तथा भेषज निगम के माध्यम से लघु तथा लघुतम यूनिटों को उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पुनः सरणीबद्ध किया गया है।

जहां तक सोडा एश का सम्बन्ध है देशीय उत्पादन का वितरण निरन्तर बनाए रखा गया है और सामग्री का आयात ओ० जी० एल० के अन्तर्गत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य रसायन तथा भेषज निगम द्वारा दिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर लघु उद्योगों को आयात लाइसेन्स दिए गये थे। जारी किये गये आयात लाइसेंस के ब्यौरे इंडस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज तथा एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये गये हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को भी भेज दी गयी है। परन्तु नयी यूनिटों के सम्बन्ध में अलग सूचना नहीं तैयार की गयी है।

सलाल बांध का निर्माण

865. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल बांध के निर्माण में आई तकनीकी कठिनाइयों को अन्तिम रूप से हल कर लिया गया है; और

(ख) इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने की समय सारिणी क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचद्रन) : (क) सलाल में कंक्रीट बांध में आई मुख्य तकनीकी समस्या असंख्य शियर जनों तथा बांध की नींव में एक अंडर-कट के कारण है। कंक्रीट बांध की

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शियर जोनों तथा अंडर-कट का उपचार करने के बारे में डिजाइनरों तथा परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, ऊपर बताई गई तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की प्रथम यूनिट के फरवरी/मार्च, 1986 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

दूरदर्शन में कुछ पदों के लिए अर्हतायें

8201. **श्री सचीन्द्र लाल सिंधा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में कुछ पदों की अर्हताओं को निदेशालय अथवा मंत्रालय ने एकपक्षीय तौर पर पुनरीक्षित कर दिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या कैमरामैन के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता पांच वर्ष का अनुभव है लेकिन दूरदर्शन प्राधिकारियों ने कैमरामैन की अनुभव की अर्हता को समाप्त कर दिया है तथा उसके क्या कारण है;

(ग) क्या अर्हता में किये गये परिवर्तन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन और जांच की जायेगी और इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी अनियमितताएं कब दूर की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ध्वनि प्रसारण से दूरदर्शन के अलग होने और दूरदर्शन महानिदेशालय की अलग से स्थापना हो जाने पर, दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों और सिविल पदों के लिए भर्ती नियम निर्धारित करना आवश्यक हो गया। इन नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) फिल्म प्रभाग में कैमरामैन के पद के लिए, जिनके लिए 50 प्रतिशत तक सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, निर्धारित अर्हताएं निम्नवत् हैं :—

चलचित्र फोटोग्राफी में लगभग 5 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य

या

चलचित्र फोटोग्राफी के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से सिनेमा/चलचित्र फोटोग्राफी में डिग्री/डिप्लोमा।

दूरदर्शन में कैमरामैन के लिए भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सिविल पदों के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। तथापि, भर्ती नियम निर्धारित करते समय, निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं—

1. कार्य सम्बन्धी आवश्यकताएं ;

2. पदों का वर्गीकरण;

3. अन्य संगठनों में समान पद और उनके लिए निर्दिष्ट अर्हताएं;

4. निर्धारित भर्ती नियमों के आधार पर व्यक्तियों की उपलब्धि;

5. अन्य पदों में समान और समतुल्य वेतन मान और उनमें निर्धारित अर्हताएं; और

6. पदोन्नति के अवसर।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन से औषधियों का आयात

8202. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० सी० (राज्य व्यापार निगम की सहायक) के प्रबन्ध निदेशक ने दिसम्बर, 1978 में चीन का दौरा किया था;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने नेशनल ड्रग्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ चाइना को टैटरासाइक्लिन, हाइडरावलोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फा आदि जैसी जीवन रक्षक औषधियों के आयात के बारे में चर्चा की थी अथवा इसका ठेका किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि मण्डल ने चीन नेशनल केमिकल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के साथ अन्य मदों में से बल्क औषधों और भेषजों के आयात एवं निर्यात की सम्भावनाओं पर बातचीत की। तथापि प्रतिनिधि मण्डल के चीन के दौरों के दौरान औषधों के निर्यात तथा आयात के लिये कोई ठेका नहीं किया गया।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन से अभ्यावेदन

8203. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के महा-निदेशक को लिखे पत्र में और इस्पात और खान मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को भेजे गए तार में विशेषरूप से अनुरोध किया था कि 7 सितम्बर, 1978 को किए गए समझौते को कार्यान्वित किया जाए परन्तु सम्बद्ध अधिकारियों ने कोई कार्यवाई न करके स्थिति को बिगड़ने दिया और इस प्रकार संसदीय प्रश्नों के बारे में जानकारी उपलब्ध करने में रुकावट डाली; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात और खान राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कलकत्ता स्थित कार्यालयों से अराजपत्रित कर्मचारियों के तबादले के बारे में पहले एक अनौपचारिक सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। विभिन्न क्षेत्रीय और सर्किल कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या में असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से

1978 के मध्य में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर्मचारी ऐसोसिएशन ने तब इस्पात और खान मंत्रालय के सचिव को प्रतिवेदन दिया था कि ये तबादले अनौपचारिक सिद्धान्त के अनुसार ही किए जाएं। 7-9-1978 को हुई बैठक में सचिव महोदय ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि प्रशासन के ध्यान में लाए गए उलझनों वाले मामलों में कर्मचारियों के तबादलों को इस प्रकार समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। ऐसा कोई आम आश्वासन नहीं दिया गया था कि ऐसोसिएशन द्वारा कथित अनौपचारिक सिद्धान्त सभी भावी तबादलों के बारे में अपनाया जाएगा।

भुवनेश्वर सर्किल कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता से 4 अराजपत्रित कर्मचारियों को फरवरी, 1979 में वहां स्थानांतरित किया गया था। एसोसिएशन ने इसके विरुद्ध प्रतिवेदन दिया तथा 23-2-1979 से आन्दोलन शुरू कर दिया। यह आन्दोलन न्यायोचित नहीं था।

अराजपत्रित कर्मचारियों के असहयोग के कारण संसद प्रश्नों के लिए जानकारी प्राप्त करने में कुछ कठिनाई आई। लेकिन अधिकारियों की सहायता से सभी प्रश्नों के उत्तर संसद की सम्पूर्ण सन्तुष्टि के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(ख) खान विभाग के अपर सचिव ने 25-3-1979 को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसके तत्काल बाद कर्मचारियों ने आन्दोलन वापस ले लिया और सामान्य ढंग से कार्य होने लगा।

जे० सी० बी० लेटर-प्रैस और फोटो-लिथो-प्रेस के रीडिंग स्टाफ के विलय के बारे में निर्णय

8204. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मन्त्री 20 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3945 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जे० सी० बी० लेटर-प्रेस और फोटो-लिथो प्रेस के रीडिंग स्टाफ के विलय के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गये निर्णय का परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस मामले की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि इस बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इसके विभिन्न संगत पहलुओं, जैसे काम की अपेक्षाओं और जे० सी० बी० में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भावी पदोन्नति पर इसके सम्भावित प्रभाव आदि पर विचार करना होगा।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी निदेशक-बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधि

8205. **श्री रोबिन सेन** :क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई सदस्य है;

(ख) यदि हां, तो उस निदेशक का नाम क्या है और वह किस मजदूर संघ का सदस्य है; और

(ग) इस निदेशक ने यदि कोई पारिश्रमिक, कमीशन, यात्रा भत्ता अन्यथा पेट्रोल आदि लिया है तो उसकी राशि कितनी है और इस निदेशक पर आज तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) इन्टक के श्री गोपेश्वर ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पूगा, लद्दाख में बोरक्स की खोज

8206. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूगा, लद्दाख में पिछले तीन वर्षों से बोरक्स का पता लगाने के लिए किए जा रहे कार्यों को अब रोक दिया गया है ; और.

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कार्य को रोक दिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां ।

(ख) बहुउद्देशीय समन्वेषण परियोजना पर, जिसमें 1973-74 के दौरान पूगा क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भूतापीय ऊर्जा और बोरेक्स तथा सल्फर के लिए किया गया मूल्यांकन सम्मिलित है, खनिजों के खोजकार्य के पूरा होने तक कुल व्यय लगभग 6.35 लाख रुपये का हुआ । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पूगा क्षेत्र में बोरक्स भंडारों की पुष्टि की जा चुकी है, जहां लगभग 5400 टन क्रूड-बोरक्स के भंडार होने के अनुमान हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 1250 टन भंडारों की भरपाई होने का अनुमान है ।

'अशोक' के सम्बंध में एक फिल्म का निर्माण

8207. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि निकट भविष्य में पड़ोस के बुद्ध धर्म को मानने वाले देशों के सहयोग से महान सम्राट 'अशोक' के बारे में एक 'फीचर फिल्म' का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण में वास्तविक लागत कितनी आएगी और प्रत्येक देश का शेयर कितना होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए फिल्म उद्योग को सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं है कि "अशोक" पर एक किसी फिल्म निर्माता द्वारा फीचर फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, फिल्म व्यापार पत्रिकाओं में कुछ रिपोर्टें छपी हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि रल्हन प्रोडक्शन्स, बम्बई इस प्रकार की फिल्म बना रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव

8208. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उत्तर प्रदेश राज्य में नये प्रसारण केन्द्र खोलने के बारे में प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में आगरा में नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को आकाशवाणी की छठी योजना (1978-83) की योजनाओं में शामिल किया गया है। तथापि, इसका वास्तविक क्रियान्वयन धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, गुजरात में गैस-तकनीकी कर्मचारियों की संख्या

8209. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग के गुजरात राज्य में स्थित कर्यालयों में प्रत्येक वर्ग के कितने गैर-तकनीकी कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या नियुक्तियों के संबंध में गुजरात के निवासियों को कोई प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में गुजरात के रहने वालों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दर्शायी गयी है :—

वर्ग	गुजरात राज्य में कार्य कर रहे ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी—I	94	9	—
श्रेणी—II	110	9	—

श्रेणी—III	2686	195	14
श्रेणी—IV	2660	509	143

(ग) अधिकतम 800/-रु० प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले गैर तकनीकी स्टाफ के पदों के संबंध में भर्ती पूर्णतः स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से की जाती है।

अधिक वेतनमान वाले पदों के लिए जब कभी सीधी भर्ती आवश्यक होती है, ओ० एन० जी० सी० अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन जारी करता है और तदनुसार भर्ती की जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित संख्या में अपने घरों को गुजरात राज्य में बताने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

श्रेणी I	9
श्रेणी II	22
श्रेणी III	1531
श्रेणी IV	2255

खनन कार्यवाही के कारण ली गई भूमि अथवा क्षति हुई भमि के स्थान पर लोगों को नौकरियाँ

8210. **श्री ए० के० राय :** क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के खनन कार्य के कारण ली गई भूमि अथवा क्षति हुई भूमि के स्थान पर लोगों को नौकरियां देने की पेशकश का कोई सिद्धान्त है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) इस बारे में ई० सी० एल०, डब्ल्यू० सी० एल० और सी० सी० एल० ने किन सिद्धांतों का पालन किया ;

(ग) गत दो वर्षों में कितना क्षेत्र और भूमि ली गई और सी० आई० एल० की सब सहायकों में कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गईं ;

(घ) क्या आपात स्थिति में मूनीदीह (धनबाद) में भूमि अर्जित करने के लिए इसी सिद्धान्त का पालन किया गया था ; प्राप्त की गई भूमि और लोगों को दी गई नौकरियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों के साथ की गई त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ड·) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल-बेस के लिए किए गए टेंडर के विरुद्ध पेशकश

8211. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात करने वाली एजेंसी स्टेट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को एल-बेस के लिए दिए गए टेंडर के विरुद्ध केवल एक पेशकश प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उक्त केवल एक पेशकश विदेशों में निर्माताओं द्वारा बनाए संघ के परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि एक ही टेंडर प्राप्त होने का कारण निर्माताओं द्वारा विदेश में कोई निमांता संघ की स्थापना था।

(ग) सी० पी० सी० ने बताया है कि उनकी सामान्य पद्धति के अनुसार उन्होंने टेंडर को 32 विदेशी सप्लायरों और भारत में पूर्वी यूरोपीय देशों के व्यापार प्रतिनिधियों को भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के (विदेशी कार्यालयों के माध्यम से सीधे ही भेजकर उनके द्वारा भेजे गए) टैन्डरों विस्तृत रूप से प्रचार किया था और उन्होंने इस संबध में सप्लाई की अन्य संभावनाओं का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ।

औद्योगिक कम्पनियों द्वारा एल० पी गैस का उपयोग

8212. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० गैस की बढ़ती हुई घरेलू मांग तथा उसके कम उत्पादन को देखते हुए सरकार ने भावी उद्योगों को यह सलाह दी है कि यदि उन्होंने तकनीकी अथवा अन्य किसी दृष्टि से ईन्धन अथवा उत्पादन के लिए आवश्यक मद के रूप में एल० पी० गैस का उपयोग करना है तो वे तकनीकी विकास के महानिदेशक उद्योग मंत्रालय अथवा राज्यों के उद्योग निदेशकों से पूर्व स्वीकृति लिए बिना उपकरणों की खरीद तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई प्रभावी कदम न उठाये; और

(ख) क्या यह सच है कि किसी उद्योग को एल० पी० गैस का उपयोग करने का प्रमाण पत्र अथवा औपचारिक स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित अधिकारी एल० पी० गैस के उपयोग की प्रौद्योगिकी संबंधी अनिवार्यताओं की जांच करेंगे तथा मंत्री महोदय से उसके लिए एल०पी० गैस की उपलब्धता संबंधी स्थिति का पता करेंगे ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । इस बारे में 9-2- 1979 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है ।

(ख) जी हां । ऊपर भाग (क) में वर्णित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्वीकृति देने से पहले पेट्रोलियम गैस के उपयोग की तकनीकी अनिवार्यता तथा उत्पाद की उपलब्धता की जांच की जानी है ।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली मैसर्स फाइजर को सी० ओ० बी० लाइसेंस

8213. **श्री किशोर लाल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर, जिसके पास 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी है, को समेकित क्षमताओं सहित सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सी० ओ० बी० लाइसेंस का क्षमताओं सहित ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किस आधार पर उत्पादन किया गया; और

(ग) क्या मैसर्स फाइजर ने विविधिकरण की अधिसूचना की सभी शर्तों का उस समय पालन किया गया था जब उसे सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया था और आवेदन पत्र का ब्यौरा क्या है तथा यदि इस फर्म को कोई रियायतें दी गई हैं तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स फाइजर लिमिटेड (विदेशी साम्यपूंजी 75 प्रतिशत) को कुछ औषध फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के साथ केवल एक ही सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया है कि उनके द्वारा ऐसे मदों का उत्पादन उनको विभिन्न फार्मूलेशनों के लिए पहले से ही दी गई क्षमता के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(ख) मैसर्स फाइजर को दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस के ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं। आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए सी० ओ० बी लाइसेंस, उसमें दी गई मदों के उत्पादन का आधार है ।

(ग) तकनीकी विकास महा निदेशालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से प्राप्त टिप्पणी और लाइसेंसिंग समिति की मंजूरी के आधार पर मैसर्स फाइजर को उन उत्पादों के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया था जिनके उत्पादन के बारे में उन्होंने अपने सी० ओ० बी० लाइसेंस के आवेदन-पत्र में उल्लेख किया था ।

विवरण

क्रम संख्या	लाइसेंस की संख्या और तिथि	निर्माण की मद	अनुबन्ध वार्षिक क्षमता
1.	एल/22/418/71-रसायन-111 दिनांक 6.7.1971	1. प्रेबेक्स कैप्सूल 2. विस्टारिल सिरप 3. मारेक्स कैप्सूल 4. हैप्चूना कैप्सूल 5. डियाडिन तरल 6. एनोरैक्सोन गोलियां	इन मदों का निर्माण पहले से ही लाइसेंसीकृत विभिन्न प्रकार के फार्मूलेशनों की समस्त क्षमता के अन्तर्गत किया जाएगा ।

7. डिस्टोडिना (हैक्सा-क्लोरोफेन)
8. रोमेटोन गोलियां
9. विटेरा कैप्सूल

पेंच पन बिजली परियोजना से उपलब्ध बिजली को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बांटना

8214. **श्री हुक्म चन्द कछवाय)**

श्री छवि राम अर्गल) : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त अन्तर्राज्यीय योजना, पेंच पन बिजली परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और उत्पादित बिजली में मध्य प्रदेश का कितना भाग है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की लक्षित तारीख कौन सी है और बिजली कब से उपलब्ध होना प्रारम्भ होगी;

(ग) क्या दोनों राज्यों में पारेषण लाईन बिछा दी गई हैं;

(घ) मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र पेंच बांध में डूब जायेगा और क्या भूमि एवं सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी और विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार पेंच पन बिजली योजना से उपलब्ध होने वाले जल का उपयोग सिंचाई के लिये करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और क्या सहमति के अनुसार जल का समुचित भाग मध्य प्रदेश को भी भविष्य में सिंचाई के लिए दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पेंच जल विद्युत परियोजना में 80-80 मेगावाट की दो यूनिटें शामिल हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का भाग 107 मेगावाट है।

(ख) पहले उत्पादन यूनिट को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च, 1982 है तथा वर्षा ऋतु के प्रश्चात् अर्थात् सितम्बर, 1982 तक विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध होने की संभावना है। दूसरी उत्पादन यूनिट के 1983 में चालू होने की संभावना है।

(ग) पेंच जल विद्युत परियोजना से विद्युत के पारेषण के लिए जिन दो पारेषण लाइनों की योजना बनाई गई है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) मध्य प्रदेश में पेंच-सिवनी—132 के० वी० डबल सर्किट लाइन (लम्बाई 45 किलोमीटर)

(2) महाराष्ट्र में पेंच-अम्बाजारी—132 के० वी० डबल सर्किट लाइन (लम्बाई 75 किलोमीटर)

प्रथम यूनिट के चालू होने से पहले ही अर्थात् मार्च, 1982 से पहले ही ये लाइनें तैयार हो जाने की संभावना हैं।

(घ) मध्य प्रदेश में 5351 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होने की संभावना है। भूमि तथा

सम्पत्ति का मुआवजा देने और विस्थापितों को पुनः बसाने से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) 40.69 करोड़ रुपए की लागत के लिए योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1977 में स्वीकृति की गई सिंचाई परियोजना में पेंच जल विद्युत परियोजना के टेल रेस जल का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की योजना अन्तर्राज्जीय समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक प्रति प्रवाह जल संचयन को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयले की सप्लाई

8215. **श्री युवराज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के वितरण का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या वितरण प्रणाली में घोटला होने से कोयले की कृत्रिम कमी पैदा हो गई है और कोयले को तीन सौ से चार सौ प्रतिशत अधिक मूल्य पर चोर बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ग) क्या कोयले की कीमत राज्य सरकारों की स्वेच्छा से निर्धारित की जाती है और यदि हां, तो लक्ष्य से कितने टन कोयला कम होने की सम्भावना है और कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यह कार्यवाही कब तक की जाएगी और अगर कोई कार्यवाही न करने का प्रस्ताव है, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):(क) जी नहीं।

(ख) उपभोक्ताओं को और खासतौर से ऐसे उपभोक्ताओं को जो कोलियरियों से दूर हैं। कोयले की कमी मुख्य रूप से अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं की वजह से हुई। उपभोक्ताओं से रिपोर्ट मिली है कि उन्हें कुछ डीलरों से अनुचित ऊंची कीमतों पर कोयला खरीदना पड़ा क्योंकि डीलरों ने परिवहन की कठिनाईयों का लाभ उठाया।

(ग) कोयले की खान मुहाना कीमतें (कोयला उत्पादकों का बिक्री केन्द्र) केन्द्र सरकार सांविधिक रूप से निश्चित करती है। कुछ राज्य सरकारों ने गन्तव्य स्थान पर कोयले के लिए फुटकर बिक्री की कीमतें निश्चित की हैं।

खान मुहानों पर कोयले की कोई कमी नहीं है।

कोयले का उत्पादन बढ़ चुका है तथा मांग को पूरा करने के लिए इसे और भी बढ़ाने का विचार है। वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे उपाय कर रही है। रेलवे के ढुलाई कोटा की कमी को सड़क द्वारा कोयला भेजकर पूरा किया जा रहा है।

रालकोट रेडियो स्टेशन से वार्ता देने वाले व्यक्ति

8216. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राजकोट रेडियो स्टेशन से 1-4-77 से 31-3-78 तक तथा 1-4-78 से

31-3-79 तक रेडियो कलाकारों के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की वार्ता प्रसारित की गई उनके बारे क्या हैं तथा ये व्यक्ति किन नगरों/शहरों के हैं तथा इनकी वार्ता के विषय और तारीखें क्या-क्या हैं ?

(ख) ऐसी वार्ता के लिए चयन कर्ता कौन हैं और इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ग) ऐसी वार्ता के लिए एक बार में कितना मानदेय, यात्रा व्यय दिया जाता है तथा क्या आवास सुविधाएं दी जाती हैं;

(घ) इन दो वर्षों के दौरान एक वर्ष में जिन व्यक्तियों की एक से अधिक वार्ता प्रसारित की गई उनके नाम, पूरे पते, गांव तथा जिला सहित, योग्यतायें क्या हैं; और

(ङ.) इन दो वर्षों में राजकोट रेडियो स्टेशन से किन संसद सदस्यों तथा गुजरात विधान सभा सदस्यों की वार्ता प्रसारित की गई तथा इन वार्ताओं के विषय और तारीखें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ग), (घ) और (ङ.) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) वार्ताकार का चयन केन्द्र के प्रमुख के समूचे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत केन्द्र के प्रोग्राम अधिकारी द्वारा विषय विशेष में विशेषज्ञता और ज्ञान, ध्वनि की योग्यता से सम्बन्धित वार्ताकार की उपयुक्तता, प्रस्तुत करने की योग्यता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता, आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पेट्रोल के व्यापारियों द्वारा हड़ताल

8217. **श्री सुखेन्द्र सिंह**
श्री माधवराय सिंधिया
श्री ज्योतिर्मय
श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के विशेष रूप से दिल्ली के पेट्रोल व्यापारियों ने दो और तीन अप्रैल, 1979 को हड़ताल का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या हड़ताल निर्धारित अवधि के अनुसार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसकी सफलता अथवा असफलता के बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इनकी बिना शर्त वापसी को देखते हुए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० द्वारा स्पिरिट की खरीद

8218. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० ने पश्चिम बंगाल स्पिरिट वेयर हाउस से 3.53 रु० शुद्ध प्रति बल्क लीटर की दर से लगभग 10,000 बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट की खरीद की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1.11 रु० प्रति बल्क लीटर की दर से 36,000 बल्क लीटर स्पिरिट की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सराया डिस्टिलरी का प्रस्ताव उक्त कम्पनी ने स्वीकार कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अधिक दर पर खरीद करने के क्या कारण हैं, जबकि कम दर पर उसकी सप्लाई के आदेश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बंगाल केमीकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० ने अयोध्या डिस्टिलरी से परिशोधित स्पिरिट कारखाने के बाहर रुपये 0.75 प्रति लिटर की दर से (मानिकतला में रु० 1.03 प्रति लिटर की दर से वितरित किया) प्राप्त किया। हमने सराया डिस्टिलरी से कारखाने के बाहर के मूल्य तथा वितरित मूल्य कम बताये थे।

(ग) खरीदी गई स्पिरिट तथा उपरोक्त (क) में बताई गई स्पिरिट औषधों के निर्माण में प्रयोग में लाने के लिए नहीं है और चुंगी की अदायगी से मुक्त नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदी जाती है जबकि उपरोक्त (ख) में उल्लिखित स्पिरिट औषध के निर्माण के लिए है और चुंगी की अदायगी से मुक्त है और प्रतियोगी टेंडर के आधार पर खरीदी जाती है ।

'कोला' पेयों का विज्ञापन

8219. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि अनेक 'कोला' पेयों का विज्ञापन दिया जा रहा है तो यह निश्चित करने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है कि किस 'कोला' पेय से वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) किन 'कोला' पेयों के विज्ञापनों को देने की स्वीकृति दी गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) किन 'कोला' पेयों के विज्ञापनों को दिए जाने पर आपत्ति की गई है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत 12 महीनों में किन्हीं अन्य उत्पादों के किन अन्य विज्ञापनों पर आपति की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) रेडियो और दूरदर्शन पर पेयों के कुछ ब्रांड, जिनके साथ 'कोला' शब्द जुड़ा था, विज्ञापित किए गए। क्या ऐसा विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए संहिता उल्लंघन करता है। इस बात को निर्धारित करने के लिए यह मापदंड अपनाया गया कि क्या वे विज्ञापन जनता को गुमराह तो नहीं करते।

(ख) रेडियो और दूरदर्शन पर निम्नलिखित कोला पेय विज्ञापित किए गए —

रेडियो

1. बेजल कोला
2. कैम्पा कोला
3. नोवा कोला
4. टोप कोला
5. विभूज कोला
6. थम्स अप

दूरदर्शन

1. कैम्पा कोला
2. थम्स अप

(ग) पहले "थम्स अप" पेय अपने ब्रांड के आगे "रिफ्रैसिंग कोला" व्याख्यात्मक शब्दों के साथ विज्ञापित किया जा रहा था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए संहिता के उपबन्धों के सन्दर्भ में इसका पुनर्विलोकन किया गया तथा यह अनुभव किया गया कि विज्ञापन में जिस प्रकार के शब्द हैं, वह संहिता के अनुसार नहीं है। तथापि, इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले पर फिर से विचार हो रहा है।

(घ) गत 12 महीनों में किसी अन्य 'कोला' पेय के विज्ञापन पर आपत्ति नहीं की गई।

रत्नगिरि तथा कोल्हापुर जिलों में बोक्साइट के निक्षेप

8220. **श्री बापूसाहिब पुरुलेकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि तथा कोल्हापुर जिलों में कितनी मात्रा से बोक्साइट प्राप्त हुआ है और उक्त बोक्साइट की किस्म तथा ग्रेड क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बोक्साइट का उपयोग करने का है, और यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) कोल्हापुर और रत्नगिरि जिलों में बोक्साइट के भंडार क्रमश. 59.02 मिलियन टन और 1.43 मिलियन टन है। इनमें से कोल्हापुर

जिले में 46.57 मिलियन टन भंडार आकलित वर्ग के हैं। भंडारों का ग्रेड बार-ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टनों में)

जिला	ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-III	जोड़
कोल्हापुर	54.45	4.42	0.15	59.02
रत्नगिरि	1.43	—	—	1.43

ग्रेड-I में 51 प्रतिशत और अधिक एल्यूमिना तथा 3.5 प्रतिशत (अधिकतम) सिलिका, ग्रेड-II में 48-51 प्रतिशत एल्यूमिना और 5 प्रतिशत (अधिकतम सिलिका) है तथा ग्रेड-III में 44 से 48 प्रतिशत एल्यूमिना और 5 प्रतिशत (अधिकतम) सिलिका है।

(ख) कोल्हापुर जिले के धंगरवाडी और ऊदगिरी क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों पर आधारित रत्नगिरि में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित संयंत्र हेतु निवेश सम्बन्धी निर्णय के बारे में कुछ अन्य एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजनाओं के साथ विचार किया जाएगा, जिनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

बोंगाईगाँव रिफाइनरीज एंड पेट्रो-कैमिकल्स लि०, नई दिल्ली के कार्यालय के आवास के किराए पर खर्च की गई राशि

8221. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोंगाईगाँव रिफाइनरीज एंड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यालय के आवास पर किराए के रूप में मासिक कितनी राशि खर्च की जा रही है और कर्मचारियों को विशेष रूप से दिल्ली में नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त भत्तों के रूप में मासिक कितनी राशि खर्च की जा रही है ; और

(ख) कार्यालय को परियोजना स्थल पर (दिल्ली में एक कार्यालय रख कर) किस तारीख तक स्थानान्तरित किया जाएगा और अनेक आश्वासनों के बावजूद भी स्थानान्तरण के कार्य में असाधारण विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बोंगाईगाँव रिफाइनरी और पेट्रो-कैमिकल्स लि० अपने कार्यालय के लिए 30, 567.40 रुपये प्रतिमाह दे रहा है। दिल्ली में नियुक्त किए गए कर्मचारी कम से कम हैं जो सरकार और उपक्रम के बीच विचार विमर्श एवं सम्पर्क कार्य के लिए हैं। अतः ऐसे कर्मचारियों को विशेष रूप से उनको दिल्ली में नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रबन्ध निदेशक सहित कम्पनी का कार्यालय जून, 1978 में ही बोंगाईगांव में स्थानान्तरित हो गया है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी

8222. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सांगली जिले से संबंधित, विशेष परियोजना ऋण के अधीन भेजी गई उन योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं जो मंजूरी के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचारधीन हैं ;

(ख) उक्त योजनाएं कब से निगम के विचारधीन पड़ी हैं ;

(ग) उस मामले में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें शीघ्र ही मंजूर करने तथा अपेक्षित निधियां प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के साँगली जिले से सम्बन्धित एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम, विशेष परियोजना कृषि (एस० पी० ए०)' कार्यक्रम के अन्तर्गत, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से 13 फरवरी, 1979 को ग्राम विद्युतीकरण निगम में प्राप्त हुई थी। यह स्कीम 22.481 लाख रुपये की ऋण सहायता के लिए है तथा इसमें 467 कृषि पम्पसेटों के ऊर्जन की संकल्पना है।

(ग) और (घ) निगम द्वारा स्कीमों पर विचार उनकी प्राप्ति के क्रम से, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता हैं। साँगली जिला की एस० पी० ए० स्कीम को जून/जुलाई, 1979 में क्षेत्रीय मूल्यांकन के लिए हाथ में लेने का प्रस्ताव है और जांच करने के बाद अगर इसे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य तथा वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम पाया गया और अगर अपेक्षित निधियां उपलब्ध हुईं तो स्वीकृति के लिए इस पर 1979-80 के दौरान विचार किया जाएगा।

8823. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1979 के 'सन्डे स्टैन्डर्ड' में "सैटबैक टू आटोनामी इन ड्राफ्ट बिल आन ए० आई० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें विभिन्न-गम्भीर प्रकार के विचारों के प्रति सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है तथा मामले के तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्य दल की सिफारिशों पर अपने विचारों को अन्तिम रूप दे रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के भावी ढांचे पर एक विधेयक चालू बजट सत्र में पेश करने की सम्भावना है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय पेंशन में असमानता

8224. **श्री ओ० पी० त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बार से नियुक्त किए गए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को

सेवानिवृत्ति पर उन न्यायाधीशों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है जो न्यायिक सेवाओं से प्रोन्नत करके न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं ;

(ख) ऐसी असमानता बनाए रखने के क्या कारण हैं जिससे उन न्यायाधीशों का अहित होता है जो सेवा से प्रोन्नत किए गए हैं ;

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वो अब तक एक समान ढंग से पेशन देना आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग), और (घ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशनों का विनियमन उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 द्वारा होता है। बार से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की पेंशन उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I द्वारा शासित होती है। न्यायिक सेवा से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की पेंशन उसके भाग III द्वारा शासित होती है। अलग से यह उपबन्ध (भाग III) इस दृष्टि से किया गया है कि न्यायिक सेवा से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों को मूल न्यायिक काडर में अपनी सेवा लाभ मिल सके। भाग III के अधीन यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश उस सेवा के नियमों के अनुसार एक न्यायिक अधिकारी के रूप में पेंशन अर्जित करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए उसे अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। किन्तु न्यायिक सेवा के लिए गए न्यायाधीश को उक्त अधिनियम की धारा 15 के आधार पर ऊपर उल्लिखित प्रथम अनुसूची के भाग I के अधीन पेंशन लेने का विकल्प प्राप्त है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बार से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की तुलना में उन न्यायाधीशों का असमानता के कारण अहित होता है, जो सेवा से नियुक्त किए गए हैं।

त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस्पात के मूल्य

8225. **श्री किरित बिक्रम देव वर्मन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा और पूर्वोत्तर में अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्य देश के अन्य भागों में मूल्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन आदिवासी सीमवर्ती राज्यों की उनके शीघ्र विकास के काम में सहायता करने के लिए सरकार का विचार उपरोक्त सीमावर्ती क्षेत्रों सहित समूचे देश में समान इस्पात मूल्य ढाँचा सुनिश्चित करने के लिए, जैसाकि पैट्रोल के मामले में किया गया है, व्यवस्था करने का है और इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात के संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य तथा स्टाकयार्ड मूल्य सारे देश में पहले ही एक समान हैं। लेकिन खुले बाजार में इसका मूल्य स्थान तथा

समयानुसार अलग-अलग है। यह बात स्थान विशेष की मांग और आपूर्ति तथा समय और कुछ अन्य बातों पर निर्भर है।

"योजना" पत्रिका का विविध भाषाओं में प्रकाशन

8226. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 'योजना' मासिक पत्रिका विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती है ;

(ख) योजना पत्रिका को सब क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का उक्त पत्रिका को उड़िया भाषा में भी प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वित्तीय कमी के कारण 'योजना' को सभी प्रादेशिक भाषाओं में नहीं छापा जा रहा है। तथापि 'योजना' को उड़िया सहित चार अन्य प्रादेशिक भाषाओं में चालू योजना अवधि (1978-83) के दौरान प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स के अधिकारियों द्वारा धन की फिजलखर्ची किया जाना

8227. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प बर्क्स लि० के निदेशक और उच्च अधिकारी कम्पनी के धन की फिजूलखर्ची कर रहे हैं जबकि श्रमिकों को सामान्य सुविधाएं और काम की पर्याप्त शर्तें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी निदेशक ने संस्था के अन्तर्नियमों और कम्पनी के ज्ञापन का पूरा उल्लंघन करके राज्य व्यापार निगम से अनेक आयातित कारें खरीदी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जाँच की है और कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ग) तथा (घ) कम्पनी के कार्य कलापों के विरुद्ध कुछ शिकायतों की प्राप्ति पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत इसकी लेखा-बहियों का निरीक्षण किया गया था। शिकायतें साथ-साथ इनसे संदर्भित थीं :—

(1) कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा हिस्सेधारियों के धन तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण को बर्बाद करना;

(2) निदेशक तथा उसके सम्बन्धियों का कम्पनी के खर्चे पर जीवन का आनन्द उठाना ।

(3) श्रमिकों का बलीकरण तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध निदेशक की मर्जी से बर्खास्त किया जाना ।

निरीक्षण रिपोर्ट, जो फरवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी, से कम्पनी के विरुद्ध लगाए गए आरोप संख्या (1) व(2) की अभिपुष्टि करने वाली किसी वस्तु का पता नहीं चला था । शिकायत संख्या (3) की बाबत, यह अवलोकित किया गया था कि कम्पनी के कलकत्ता कारखाने में गैस पूर्ति में ह्रास, तथा नवम्बर, 1973 में गैस की पूर्ति के बन्द होने के परिणामस्वरूप, कम्पनी को लगभग 560 कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देनी पड़ी थी तथा 5-12-73 से 10-6-74 तक कारखाने में तालाबन्दी रही थी । यद्यपि, तालाबन्दी समाप्त हो गई थी, परन्तु मजदूर कठिनाइयाँ यथापूर्व रहीं, एवं कम्पनी को कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी थी । रिपोर्ट से ऐसा कोई दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं होता, जहां कम्पनी प्रभावी कर्मचारियों को मुआवजा न दे रही हो ।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि उसने भारत में प्राइवेट पार्टियों से 31-3-77 की वर्ष समाप्ति में एक पुरानी मर्सीडिज बेंजकार एवं 31-3-78 की वर्ष समाप्ति में एक पुरानी वाल्कस बैगन (1961 का माडल) खरीदी थी । ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि इन खरीददारियों से कम्पनी के पार्षद नियमों तथा ज्ञापन के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ था ।

हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों के वेतनों की अदायगी न किया जाना

8228. **श्री एस०एस सोमानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं कि हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से और हिन्दुस्तान समाचार सहकारी लिमिटेड को इसकी स्थापना से अब तक दिये गए आवर्ती एवं अनावर्ती सहायता अनुदानों की राशि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को यह मालूम है कि दिसम्बर, 1978 और जनवरी तथा फरवरी, 1979 के महीनों के लिए "हिन्दुस्तान समाचार" के कुछ कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ था । मार्च, 1979 मास के वेतन का भुगतान 2 अप्रैल, 1979 को किया गया था । "हिन्दुस्तान समाचार" को दिए गए सहायक अनुदान के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की राशि
1. **आवर्ती**		
"समाचार" के गठन पर दर्जा बढ़ाने के परिणाम-	(1)	3.34 लाख रु०
स्वरूप कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि होने के	(2)	3.06 लाख रु०

कारण, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि सहित वेतन और भत्तों के अन्तर के छः मास के अग्रिम भुगतान की दो किस्तें ।

2. अनावर्ती

(क) कार्य को पुनः चालू करने के लिए पुनर्वास-अनुदान	4.50 लाख रुपए
(ख) समाचार सेवा के विकास के लिए तदर्थ अनुदान ।	3.50 लाख रुपए
	14.40 लाख रुपए

शस्त्रास्त्र व्यापारियों को 22 और 12 बोर की गोलियां सप्लाई करना

8229. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **उप प्रधान मंत्री रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शस्त्रास्त्र बनाने वाले रक्षा कारखाने स्थानीय शस्त्रास्त्र व्यापारियों को 22 और 12 बोर की गोलियों की नियमित सप्लाई नहीं कर रहे जैसा कि आपातकाल से पूर्व किया जा रहा था ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय दुकानदारों को शस्त्रास्त्र की तत्काल सप्लाई की जाये ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ग) इन दो किस्मों के गोला-बारूद के बारे में तथ्य इस प्रकार हैं :

(1) .22 कारतूस—कारतूसों का रक्षा और सिविल दोनों क्षेत्रों में प्रयोग होता है । रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसे सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाती है, हथियारों के व्यापारियों को इन कारतूसों की सप्लाई कभी-कभी कम कर देनी होती है ।

(2) .12 बोर कारतूस केवल सिविल उपयोग के लिए है । हथियारों के व्यापारियों को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर रजिस्टर किए गए आर्डरों के अनुसार इनकी सप्लाई की जाती है । रजिस्टर किए गए आर्डरों की पूर्ति के लिए व्यापारियों को अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े इस बारे में सरकार ने आवश्यक उपाय कर दिए हैं ।

"बल्क" औषधियों के घोषित मूल्य का स्वीकार किया जाना

8230. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एरीथोमाइसिन स्टीरेट के घोषित मूल्य को जोकि आवश्यक औषधि है, स्वीकार नहीं किया है जबकि मैट्रानिडाजोल, फेनोबार्बिलटन, सोडियम थलाइल, सलफेथियाजोल आदि जैसी अन्य आवश्यक औषधियों के मूल्यों को स्वीकार कर लिया गया है, यदि हां, तो एरीथोमाइसिन स्टीरेट तथा अन्य औषधियों के मूल्यों की घोषणा किस तारीख को की गई थी ; और

(ख) घोषित मूल्यों को स्वीकार कर के मामले में भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 4 के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह जैसा भी उचित समझे आवश्यक जांच करने के पश्चात् आवश्यक बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित करे। अत: एरिथ्रामाइसीन स्टीरेट, मैट्रोनिडाजोल, फेनोबारबिटोन सोडियम और फेथेलाइल सल्फाथियाजोल जेसे आवश्यक बल्क औषधों के लिए घोषित मूल्यों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। फारमूलशनों क मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मंजूर किए गए इस औषधों के मूल्य निम्न प्रकार हैं :

	रुपए/किलोग्राम
1. एरीथोमाइसीन स्टीरेट	1006
2. मैट्रोनिडाजोल	428.77 (आई. डी. पी. एल. का वितरण मूल्य)
3. फैथालिल सल्फाथियाजोल	129.40 (पूल मूल्य)
4. फैनोबारबिटोन सोडियम	320.56

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भेद भाव रखने का प्रश्न नहीं उठता।

मैरीन डीजल ईंजन प्लांट, रांची में संकट

8231. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व के मैरीन डीजल ईंजन प्लांट रांची को, जो गार्डन रीच शिपबिलडर्स एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता का एक एकक है, गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, उर्जा अन्तरिक्ष व इलेक्ट्रानिकी विभागों राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) पोत-निर्माण उद्योग में सामान्य मंदी का रांची स्थित मैरीन डीजल इंजन मेंदिए जाने वाले आर्डरों की स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा है फिर भी सरकार और साथ ही गार्डन रीच शिप बिलडर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रबंध इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि संबंधित एजेंसियों से आर्डर प्राप्त किए जाएं। कम्पनी बाजार की मांग और अन्य

संगत पहलुओं के आधार पर इस संयंत्र की स्थापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के विभिन्न उपायों पर विचार भी कर रही है।

सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध जांच

8232. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस समय सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि० तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध कितने मामलों में जाँच कर रहा है।

(ख) ऐसी जांच के लिये क्या आरोप है और यह जांच कितने समय से चल रही है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी जांच कब तक पूरी किये जाने और सरकार को अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) (क) से(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्मारिकाओं में, विज्ञापन प्रभारों के लिए चन्दे के कूट वेश में कम्पनियों से धन संग्रह की जांच, जिसमें सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड भी गुस्त है, के सिवाय इस कम्पनी के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की जा रही है। यही जांच अब अंतिम प्रक्रम पर है।

स्टेनलैस स्टील का आयात

8233 **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से 1978 के दौरान उद्योग के औजारों के लिए आवश्यक स्टेनलैस स्टील चादरों का वर्ष-वार कुल कितना आयात किया गया;

(ख) क्या लघु क्षेत्र के बन्दप्राय हुए पुनर्बेलन एकक स्टेनलैस स्टील के औजारों के छोटे निर्माताओं की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं;

(ग) क्या देश की पूरी मांग को पूरा करने हेतु इस छोटे पुनर्बेलन एककों की नीमित क्षमता के कारण स्टेनलैस स्टील चादरों के आयात में कमी हुई; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन एककों को संकट से उबरने में सहायता देने हेतु स्टेनलैस स्टील चादरों का आयात बन्द करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1975-76 तक आयात नीति के अधीन बर्तन बनाने के लिए बेदाग इस्पात की चादरों/प्लेटों/पत्तियों के आयात पर प्रतिबन्ध था। लेकिन बर्तन बनाने के लिए अक्तूबर, 1975 में भारतीय खनिज धातु तथा व्यापार निगम लि०को तदर्थ आधार पर कुछ आयात करने की अनुमति दे दी गई थी। 22 से 28 गेज की बेदाग इस्पात की चादरों का उपयोग मुख्यतः बर्तन बनाने के लिए किया जाता है परन्तु इनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। वर्ष 1974 से 1978 की अवधि में माध्यम अभिकरण अर्थात् एम०एम०टी०सी० द्वारा इन गेजों की चादरों के कुल आयात की मात्रा पृ. 51 पर दी

गयी है :—

वर्ष	मात्रा टनों में
1974-75	7478
1975-76	4425
1976-77	6001
1977-78	9181
1978-79	14730

(ख) से (घ) क्वालिटी, साइज और मात्रा की दृष्टि से लघु उद्योग पुनर्बेलक बर्तन निर्माताओं की सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। अत: सरकार का विचार है कि इस्पात की चादरों का इस समय आयात बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आयात नीति सभी सम्बन्धितों के लिए ठीक तथा न्यायसंगत है।

पाकिस्तान द्वारा वायु सेना को सुदृढ़ बनाया जाना

8234. **चौधरी बलवीर सिंह**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय) : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अभी हाल में अपनी वायु सेना को सुदृढ़ बनाया है और फ्रांस से अत्यधिक आधुनिक प्रेक्षपणास्त्रों से सज्जित बमवारी करने वाले मिराज विमान खरीदे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पड़ोसी देशों से मिलने वाली किसी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय वायु सेना को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) हमारे पड़ोसी देशों में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, सैनिक तैयारी के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है और अपनी रक्षा तैयारियों के लिए योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इंस्पेक्टर ग्रेड-1 की भर्ती हेतु लिए गये इन्टरव्यू के परिणाम का रद्द किया जाना

8235. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इंस्पेक्टर ग्रेड-1 की भर्ती हेतु दिसम्बर, 1978 में लिए गए इन्टरव्यू के परिणाम को रद्द कर दिया था और इन पदों के लिए 18 फरवरी, 1979 को नया विज्ञापन दिया था; और

(ख) पूर्व परिणामों को रद्द किये जाने और नये विज्ञापन जारी करने के क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से पता चला है कि इंस्पेक्टर के पद संबंधी भर्ती और पदोन्नति नियम का जो प्रारूप उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को उसकी सहमति के लिए भेजा था उसके उपबन्धों के अनुसार उन्होंने अगस्त, 1978 में समाचार-पत्रों में दिए गए विज्ञापन के जरिए इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

किए थे। इस विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के आधार पर 16 दिसम्बर, 1978 से 23 दिसम्बर, 1978 तक साक्षात्कार भी किए गए थे किन्तु सरकारी गजट में 14-12-1978 को प्रकाशित हुए इंसपेक्टर के पदों सम्बन्धी भर्ती और पदोन्नति नियम इस चयन का परिणाम घोषित किए जा सकने से पहले उपलब्ध हो गए थे। नियमों के जिस प्रारूप के अन्तर्गत ये साक्षात्कार किए गए थे, उसकी तुलना में यथा राजपत्रित भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के उपबन्धों के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, पिछले परिणामों को रद्द करना पड़ा था और इन्सपेक्टरों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन देना पड़ा था।

मुख्तारी अधिकार

8236. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित मुख्तारी अधिकारों को सम्पत्ति के अन्तरण के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है जबकि भारतीय पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित मुख्तारी अधिकारों को मान्यता प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 में सम्पत्ति के अन्तरण के लिए मुख्तारी अधिकारों को प्रमाणित करने हेतु भारतीय पब्लिक नोटरी को अधिकार देने हेतु उपयुक्त संशोधन करने का है ?

गृह मंत्रालय (वार्षिक) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) विधि आयोग ने भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 पर अपनी चौतीसवीं रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 33 में इस दृष्टि से संशोधन किया जाए कि सम्पत्ति अन्तरण के लिए भारतीय नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित मुख्तारनामे को मान्यता दी जा सके। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

प्रचलित क्षमताओं का निर्धारण

8237. **डा० लक्ष्मी नारायण पाँडेय** क्या : **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रचलित क्षमताओं के निर्धारण के बारे में नीति क्या है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं और 1975, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान यह नीति कितने मामलों में लागू की गई थी; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंसों में कितने संशोधन जारी किए गए थे, इन संशोधनों के जरिये सी० ओ० बी० लाइसेंसों में शामिल किए गए विभिन्न मदों का उत्पादन तब कितना था और इस समय उत्पादन कितना है और प्रत्येक मामले में औषध नियंत्रक की अनुमति किस तारीख को ली गई थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सी० ओ० बी० लाइसेंस में वार्षिक क्षमता निर्धारित करने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों कम्पनियों के लिए एक समान मानदण्ड निम्न प्रकार है :—

1. जहां उत्पादन आरम्भ कर दिया गया हो और किसी विशेष तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक तक उत्पादन किया जा रहा हो वहां क्षमता अधिकतम वार्षिक उत्पादन स्तर पर निर्धारित की जाती है बशर्ते कि कम-से-कम क्षमता को सम्बन्धित उद्योगों/उत्पादों के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया हो अथवा जो भी अधिक हो। तथापि जहां कम-से-कम क्षमता निर्धारित करना व्यवहार्य न हो वहां क्षमता को पिछले किसी वर्ष के अधिकतम उत्पादन के आधार पर अस्थाई रूप से निर्धारित किया जाता है।

2. जहाँ उत्पादन किसी विशेष तिथि से पहले एक वर्ष से कम अवधि से आरम्भ किया हो अथवा उपक्रम ने उत्पादन आरम्भ न किया हो वहां क्षमता को कम-से-कम आर्थिक क्षमता के आधार पर अस्थाई रूप में निर्धारित किया जाता है। लेकिन जिन मामलों में कम-से-कम आर्थिक क्षमता निर्धारित करना व्यावहारिक न हो उन मामलों में क्षमता को मांगी गई क्षमता के आधार पर अथवा प्लांट और उपकरणों की गणना के आधार पर अस्थाई रूप से निर्धारित किया जाता है।

3. जहां कम-से-कम आर्थिक क्षमता अथवा अस्थाई क्षमता निर्धारित की गई है वहां उसे अन्तिम रूप में एकक द्वारा तीन वर्ष तक उत्पादन करने के पश्चात् अधिकतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वार्षिक क्षमता निर्धारित करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान जारी किये गए सभी सी०ओ०बी० लाइसेंसों पर लागू थे।

(ख) औषध फर्मों को वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान दिये गये सी०ओ०बी० लाइसेंसों में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे :—

1. **मैसर्स रूसल फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स तमिलनाडु दाधा फर्मास्यूटिकल्स लि० को दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस**

उनके सी० ओ० बी० लाइसेंसों में संशोधन किया गया था ताकि उनमें कुछ ऐसे मदों को शामिल किया जा सके जो पहले भूल से छूट गये थे।

2. **मैसर्स काडिला लेबोरेटरीज को दिया गया सी० ओ० बी० लाइसेंस**

मैसर्स काडिला लेबोरेटरीज को प्रारम्भ में कुछ औषध फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया था जिसमें विभिन्न प्रकार के फार्मूलेशनों के लिए श्रेणी-वार वार्षिक क्षमता दर्शाई गई थी और यह क्षमता उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस के आवेदन पत्र की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक पद के लिए उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम उत्पादन पर आधारित थी। सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् इस पार्टी ने सी० ओ० बी० लाइसेंस में निर्धारित वार्षिक क्षमता के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन दिया था कि, चूंकि वे अतिरिक्त मशीनरी स्थापित करने के कारण लघु उद्योगों एकक नहीं रहे और डी० जी० टी० डी० एकक बन गये, अतः उनकी वार्षिक क्षमता को अस्थाई तौर पर, उनको दिए गये

सी० ओ० बी० लाइसेंस में पहले से दर्शाई गई क्षमता के अलावा अतिरिक्त स्थापित क्षमता के स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिये । लाइसेंसिंग समिति की मंजूरी से पार्टी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और उनके सी० ओ० बी० लाइसेंस में तदनुसार 28.11.77 को संशोधन किया गया ।

उपरोक्त संशोधन के माध्यम से सी० ओ० बी० लाइसेंस में बाद में शामिल किये गये विभिन्न मदों के उत्पादन के सम्बन्ध में उपलब्ध अपेक्षित ब्यौरे अनुबन्ध में दर्शाये गये प्रत्येक पद के निर्माण के लिये औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य औषध नियंत्रक की अनुमति प्राप्त करने की तारीख से सम्बन्धित सूचना एकत्र करके सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

विवरण					
क्रम संख्या	पार्टी का नाम	सी०ओ०बी० लाइसेंस की संख्या और तिथि	बाद में शामिल किए गये मदों के नाम	उत्पादन	
				सी०ओ०बी० लाइसेंस में मदों को सम्मिलित करने से पहले (विगत किसी भी वर्ष में अधिकतम)	सी०ओ०बी० लाइसेंस में सम्मिलित करने के बाद। (1977-78)
1	2	3	4	5	6
			गोलियां		
1.	मैसर्स तमिलनाडु, दधा	आई०एल० 53/76, दिनांक 8-4-1976	1. इथओनामिड 125 मि०ग्रा०	3:45 लाख संख्या	8-8 लाख संख्या
			2. —वही— 25 मि०ग्रा०	10.98 ,, ,,	6.9 ,, ,,
			3. ई०पी०ए० गोलियां	6.05 ,, ,,	1.0 ,, ,,
			इन्जेक्टेबल		
			1. ऐनेयूरिन इन्जेक्शन आई०पी० 25 मि० ग्राम/मि०	389.19 लिटर	—
			2. थिआपाईन एच० सी०एल० यूएसपी 100 मि०ग्रा०/मि०	214.92 लिटर	—
			3. बी०काम्पलेक्स एन०एफ०आई०	1512.57 लिटर	4870 लिटर
			तरल		
			1. ऐरोमेटिक सिप्रिट अमोनिया के लिये	2768,85 लिटर	10958 लिटर
			2. तरल पेराफिन आई०पी०	6744.50 लिटर	15089 लिटर

1	2	3	4	5	6
			गोलियां		
2.	मैसर्स रोसल फार्म	आई०एल० : 551/75 दिनांक 25-12-1975	1. प्रेडिनीसोलोन	3010 संख्या	उपलब्ध नहीं
			2. कारबूटाइल	2408 संख्या	उपलब्ध नहीं
			3. प्रेविसन	1901 संख्या	उपलब्ध नहीं
			मरहम		
			1. हाईड्रोकोरटिसोल आंख मरहम	17 किलो ग्राम	उपलब्ध नहीं
			2. हाइडोकोरटिसोल खाल मरहम	14 किलो ग्राम	उपलब्ध नहीं
			3. प्रेडिनीसोलोन खाल मरहम	4 किलो ग्राम	उपलब्ध नहीं
			4. प्रोक्टोसेडिल एम०मरहम	3 किलो ग्राम	उपलब्ध नहीं
			5. सोफ्राकोर्ट कान/आंख मरहम	4 किलो ग्राम	उपलब्ध नहीं
			तरल ओरल		
			एम्ब्रोसियान कम्पाउण्ड	52 लिटर	उपलब्ध नहीं
			इस्टेलाइड उत्पाद		
			हाईड्रोकोरटिसोल कूलीरियम	41572 शिशियां	उपलब्ध नहीं

लीबिया द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाया जाना

8238. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबिया ने तेल के मूल्य बढ़ाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ; और

(ग) क्या इसका हमारे देश में तेल के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मार्केट पत्रिकाओं में उपलब्ध जानकारी से देखा गया है कि लीबिया ने 1979 के दौरान कच्चे तेल के मूल्य बढ़ाये थे।

(ख) 1979 के दौरान लीबिया द्वारा कच्चे तेलों में घोषित वृद्धि निम्न प्रकार थी :

अशोधित तेल	1978	1979			
	दिसम्बर	1 जनवरी	21 फरवरी	3 मार्च	1 अप्रैल
ज्यूटीना (40.5°)	13.90	14.74	15.42	16.12	18.30
ब्रेगा (40°)	13.85	14.69	15.37	16.07	18.25
सरटीका (41°)	13.58	14.52	15.20	15.90	18.08
एस साइडर (37°)	13.68	14.52	15.20	15.90	18.08
सरीर (38.5°)	13.29	14.13	14.81	15.51	17.70
ब्यु एट्टीफेल (40°)	13.21	14.05	14.05	14.73	15.43
अम्मा (36°)	13.89	14.03	14.71	15.41	17.60

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण स्वदेशी तथा आयातित कच्चे तेलों के मिले जुले औसत पर किया जाता है। सभी आयातित कच्चे तेलों के मूल्यों में हाल ही में की गई तीव्र वृद्धि के कारण मिला जुला औसत मूल्य बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में संशोधन की आवश्यकता इस समय विचाराधीन है।

प्रेस की स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध

8239. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रेस की स्वाधीनता पर भी कुछ प्रतिबन्ध हैं और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है देश में प्रेस की स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। तथापि, समाचारपत्रों पर देश के आम कानून लागू होते हैं। फिर भी, द्वितीय प्रेस आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रेस की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में वर्तमान संवैधानिक गारण्टी की भी जांच करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम के उत्तरी क्षेत्र में विभागीय पदोन्नति समिति और चयन बोर्ड

8240. **श्री राम चरण** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन) के उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली में फरवरी और मार्च, 1979 के दौरान पदोन्नति और सीधे भर्ती संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति और चयन बोर्डों की बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त विभागीय पदोन्नति समिति और चयन बोर्डों की बैठकों में अनुसूचित जाति अनुसूचित/जनजाति के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भर्ती/पदोन्नति समितियों में वरिष्ठ प्रबंधक शामिल हैं और क्योंकि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है अतः उसके शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता । सरकारी नीति निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली छूट को समिति के ध्यान में लाया जाता है जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों के अधिकारों/विशेषाधिकारों की सुरक्षा हो ।

जामनगर में नगर निगम सीमा वायुसेना का स्टेशन तक बढ़ाया जाना

8241. **श्री दुर्गा चंद** : क्या **उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री** 20 फरवरी, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर के वायु सेना प्राधिकारियों को गुजरात सरकार से 900 मीटर के अन्दर नगर निगम सीमा को वायु सेना स्टेशन तक बढ़ाने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि वह सड़क, जिस पर सीमा बढ़ाई गई है, वायु सेना स्टेशन की है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस विस्तार के परिणामस्वरूप, नगर-पालिका, जामनगर के चुनाव प्रयोजनार्थ, वायु सेना स्टेशन के अन्दर आने वाले क्षेत्र को नगर-निगम वार्ड में बदला जाएगा ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण हैं जिसके लिए इन क्षेत्रों के अनुरूप इस क्षेत्र को छावनी क्षेत्र में नहीं बदला गया है ; और

(च) बढ़ाये गए नगर निगम क्षेत्र में नागरिक निर्माण कार्य को रोकने के लिए क्या कानूनी सावधानियां बरती गई हैं ;

उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जामनगर के कलक्टर ने वायु सेना स्टेशन, जामनगर के कमान अफसर को सूचित किया है कि गुजरात सरकार ने जामनगर नगरपालिका की सीमाओं का विस्तार किए जाने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अलग से भेजे गए एक पत्र में जामनगर नगरपालिका के प्रशासक ने इस बात की पुष्टि की है कि नगर पालिका की सीमा यदि बढ़ाई भी जाती है तो भी भविष्य में वायु सेना कैम्प के 900 मीटर के क्षेत्र के भीतर किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु को इस्पात की सप्लाई

8242. **श्री के० टी० कोसलराय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु की इस्पात की लगभग 4 लाख टन की कुल मांग के बदले उसे केवल 12000 टन ही सप्लाई किया जा रहा है जो उसकी आवश्यकता का दो-तीन प्रतिशत बनता है ;

(ख) क्या मद्रास में हिन्दुस्तान स्टील स्टाकयार्ड से उठाये जाने वाले इस्पात की मात्रा ही तमिलनाडु के लिये इस्पात के नियतन का मानदंड है ; और

(ग) चूंकि तमिलनाडु में सबसे अधिक 73,000 इन्जीनियरिंग लघु एकक हैं इसलिए तमिलनाडु में कमी वाले लोहे और इस्पात की वस्तुओं की कुल आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) लोहे और इस्पात की सामग्री की मांग के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वर्ष 1978-79 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों से तमिलनाडु को लगभग 2,70,000 टन इस्पात सामग्री प्रेषित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तमिलनाडु को इस्पात सामग्री की आपूर्ति देशीय उत्पादन तथा आयात से उपलब्ध कुल इस्पात सामग्री को ध्यान में रखकर की जाती है। सप्लाई करते समय देश की कुल मांग तथा उसके मुकाबले तकिलनाडु सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की गई मांग को ध्यान में रखा जाता है।

मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में भारत एल्यूमिनियम, कम्पनी खुरखुरा में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

8243. **श्री श्यामलाल धुर्वे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में मध्य प्रदेश के मांडला तथा शाहडोल जिलों में बाल्को खुसखर्रा (अयरकंटक) खानों में किन विभिन्न पदों पर मांडला जिले के शिक्षित बेरोजगार नियुक्त किये गए ;

(ख) हजारी दादर जो मांडला जिले में खानों का भंडार है और जहां कार्य आरंभ होने वाला है, उसके लिए मांडला जिले के कितने शिक्षित बेरोजगार किस-किस पद पर नियुक्त किए गए ; और

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान हजारी दादर खानों में विभिन्न पदों पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से, पदवार कितने-कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० यथासंभव अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को, इस विषय में सरकारी निर्देशों के अनुसार सरकारी उपक्रमों पर लागू भर्ती नीति के अन्तर्गत, रोजगार पर लगा रही है। कर्मचारियों के मूल स्थान के बारे में जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ऐसे आंकड़े रखने की कंपनी से आशा ही की जाती है ।

(ग) 1978-79 में अनुसूचित जातियों के 2 और अनुसूचित जनजातियों के 21 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों की मार्फत हजारी दादर खानों में रोजगार दिया गया । ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ब्लास्टर	1	—
सहायक वार्ड कीपर	—	2
अर्द्ध-कुशल कामगार	—	4
खनिक	—	5
मजदूर	1	10

ओ. पी. ई. सी. द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत द्वारा तेल के आयात पर प्रभाव

8244. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री ए० एस० सोमानी)
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ओ. पी. ई. सी. द्वारा घोषित अशोधित तेल के मूल्यों में 9 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि का आगामी वित्तीय वर्ष में भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार देश में तेल शोधक कारखानों का क्षतिपूर्ति करने के संबंध में किन्हीं योजनाओं पर विचार करेगी चूंकि आयातित अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि का सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की लाभप्रदता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जेनेवा में हुई 26 मार्च की बैठक के पश्चात ओपेक सदस्यों के द्वारा मूल्य वृद्धि की घोषणा से लगभग 16.5 मि० मी० टन के कच्चे तेल के आयात करने हेतु 1979-80 में 150 मिलियन डालर के अतिरिक्त खर्चे का अनुमान है।

(ख) और (ग) इस वृद्धि का असर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं की लाभप्रदता पर पड़ेगा। स्थिति का सामना करने के लिए उपायों की खोज हेतु इस प्रश्न के हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है।

विभिन्न एककों के साथ कुछ अध्यापकों का संबद्ध किया जाना

8245. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सैन्य एककों के साथ सम्बद्ध अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनकी सेवा शर्तों और वेतमानों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने अध्यापकों को स्थायी कर दिया गया है;

(घ) अन्य अध्यापकों को अभी तक स्थायी न बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ड.) यदि हां, तो उनको कब तक स्थायी बनाए जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आपात स्थिति का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन को मार्गदर्शी निर्देश जारी किया जाना

8246. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को इस आशय के कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं कि सरकार द्वारा, आपात स्थिति के समर्थक समझे जाने वाले व्यक्तियों को इन दोनों माध्यमों से अलग रखा जाए ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनैतिक विरोधियों को इस माध्यम से बाहर रखने की नीति को लागू करने से इस माध्यम की विश्वसनीयता को काफी क्षति पहुंच रही है; और

(ग) इस नीति को वापस लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) माध्यम की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों को यह सलाह दी गई थी कि जो व्यक्ति आपातस्थिति के औचित्य या भूत-पूर्व प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रमों तथा संजय गांधी के 5-सूत्री कार्यक्रमों के

समर्थन में कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में सक्रिय रहे थे, उन्हें बार-बार बुक नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी रूप में उन्हें राजनीतिक परिचर्चा और कमेंट्रियों के लिए बुक न किया जाए। उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों के लिए बुक किया जा सकता है जो सांस्कृतिक स्वरूप के हों। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने से राजनीतिक विपक्षियों को अलग रखने का इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं है। तथापि, मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

बायतरों में उपयोग में लाया गया धुला हुआ कोयला

8247. **श्री राम दास सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी के बावजूद कर्मचारियों द्वारा बायतर में कोयला धोवनशालाओं (वाशरीज) द्वारा धोये गए कोककर का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा स्कूलों के लड़कों को खाना देना बन्द किया जाना

8248. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्कूलों के छात्रों को खाना देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में फिर से खाना देना आरम्भ कर दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के स्कूलों में छात्रों को खाना देने की व्यवस्था काफी समय पहले अर्थात जून, 1976 में समाप्त कर दी गई थी। भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों द्वारा इस बारे में की गई कार्रवाई तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अन्य कारखानों में चल रही व्यवस्था के अनुरूप ऐसा किया गया था।

(ग) कारखाना इस प्रकार बची धन राशि का उपयोग अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था पर कर रहा है। छात्रों को खाना देने की योजना फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव सेल के विचाराधीन नहीं है।

कम्पनियों की जांच में चूक पाया जाना

8249. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री बड़े व्यापार गृहों की कंपनियों की जांच के बारे में 20 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तरों में कितने मामलों में (गंभीर चूक) जांच के समय पाई गई और उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट 'कठोर कार्यवाही' की गई;

(ख) किन दो कंपनियों के मामले में प्रबंध निदेशकों की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है और क्या यह जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया ; और

(ग) उपरोक्त दो प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति को किन त्रुटियों के आधार पर अस्वीकृत किया गया है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) मैं० टिन प्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा मैं० स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, नामक दो कम्पनियों के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों से प्रकाश में आई अनियमितताओं के आधार पर, प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्तियों के अनुमोदन का निषेध कर दिया गया था।

(ग) सूचना में आई चूकें/अनियमितताएं बताते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण-पत्र

मैं० टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में चूकें/अनियमितताएं।

1—स्क्रेप की बिक्री के रुपयों का वसूल न करना ।

2—ब्लैकप्लेट की बिक्री के रुपयों का वसूल न करना ।

3—परियोजना विस्तार के लिए खरीदे गये स्टील के सामान की बिक्री का रुपया वसूल न करना।

4—कारखाने के भवन के नागरिक निर्माण कार्य के निर्णय तथा टेंडरों के मूल्याँकन में अनियमिततायें ।

5—क्रेनों के खरीद के संव्यवहार में वित्तीय अनौचित्य ।

6—प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुक्तहस्त तथा अप्राधिकृत परिलब्धियां ।

7—प्रबन्ध निदेशक पुनर्नियुक्त के अनुमोदन के लिए, धारा 269 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत आवेदन-पत्र में पूर्ण तथ्यों का प्रगट न करना।

8—अदायगियों के कुछ मामले अप्रामाणिक प्रकृति के होना ।

9—प्रबन्ध निदेशक के व्यक्तिगत व्यय कम्पनी से वसूल करना।

10—जनता से जमाधन आमंत्रित करने के विज्ञापन में असत्य वर्णन, जिसका परिणाम, कम्पनी अधिनियम की धारा 63 के साथ पठित, धारा 58-ख का उल्लंघन होना।

11—कार्यकारियों को वेतन वृद्धि आदि देने के मामलों में पक्षपात करना।

———

मैं० स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में चूकें/अनियमितताएं।

1—गत कुछ वर्षों के मध्य कम्पनी द्वारा भारी हानियां उठाना।

2—धारा 314 की अपेक्षाओं के पालन किये बिना, प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्धियों को गारन्टी कमीशन देना ।

3—प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक तथा परिलब्धियां देने में अनियमितताएं ।

4—प्रबन्ध निदेशक के दो कालेज में पढ़ने वाले पुत्रों को कम्पनी के लिए कोई लाभदायक सेवा किए बिना ही, कम्पनी में उच्च पारिश्रमिक पर नौकरी देना ।

5—जो व्यक्ति वैध रूप से निदेशक नियुक्त नहीं किए गए हैं, निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

6—कम्पनी द्वारा धारित कुछ नियोजनों की बिक्री में अनियमितताएं ।

7—उचित लम्बी अवधि की जमा व्यवस्था के बिना कैपिटल इक्यूपमैंट में भारी धन का नियोजन तथा बिक्री का उपयोग न करना, जिससे कम्पनी के श्रोतों का बन्द हो जाना ।

8—बहुत अधिक सीमा तक वेतन, पी० एफ० ई० एस० आई० के० बिजली प्रभार आदि को न देना ।

9—बाजार संगठन को पर्याप्त रूप से संचालित करने में असफलता, जिसके कारण कपड़े के स्टाक का अलाभदायक संचय हो जाना ।

10—जमाकर्ताओं को देय धन को न देना, जिसके परिणाम स्वरूप, कम्पनी डाइयां तथा रसायन उधार प्राप्त नहीं कर सकती एवं इससे कभी-कभी डाई हाउस का बन्द रहना ।

11—कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पिता को नियमित रूप से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आने की अनुमति तथा उसके कम्पनी के निदेशक न रहने तथा उससे किसी प्रकार का संबंध न होने पर भी उसे एक कमरा देना ।

निदेशक तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून कर्मचारी संघ के बीच समझौता

8250. **श्री भगतराम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, कर्मचारी संघ तथा ए० एस० डब्लू० आई० भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की शाखा के बीच 1978 में दो समझौते हुए हैं ;

(ख) इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या प्रबन्धकों द्वारा दिये गए आश्वासनों के पूरा न होने से कर्मचारियों में अविश्वास और असंतोष फैल गया है जिसके कारण वे आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ड.) स्थिति तथा संबंधों को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला धोवनशाला पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

8251. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 के तीसरे सप्ताह में कोयला धोवनशाला के बारे में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी की इस सिफारिश पर कि केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संस्थान द्वारा विकसित तेल संचालन प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गोष्ठी की सिफारिशों के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए कोयला विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इस्पात विभाग, सी० एफ० आर० आई०, एम० ई० ए०, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा योजना आयोग के सदस्यों से गठित एक उच्चस्तरीय सरकारी समिति बनाई गई है; और

(ग) तापीय विद्युत प्रजनन पर विश्व में प्रमुख पश्चिम जर्मनी के संगठन, बी० जी० वी० द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) दिनांक 18 से 20 दिसम्बर, 1978 तक "भारत में कोयले की धुलाई" की संभावनाओं, तकनीकों और आर्थिक पहलू पर जा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश भी की है कि एक ऐसी समिति नियुक्त की जाए जिसमें सरकारी उद्यम कार्यालय, इस्पात विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग, कोल इण्डिया लि० आदि के प्रतिनिधि रहें। इस समिति को सेमिनार की अनुशंसाओं की जांच और कार्यान्वयन का काम सौंपा जाए। इन सिफारिशों में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित वह प्रक्रिया भी शामिल हैं जिसके द्वारा गोलाकार पिंड बनाए जाते हैं। सरकार ऐसी समिति के गठन पर विचार कर रही है।

(ग) इस संबंध में विशेष विवरण के लिए कृपया सेमिनार की कार्यवाही देख ली जाए। इस कार्यवाही का ब्यौरा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

हजीरा, भडौंच, वडोदरा में गैस की सप्लाई के लिए तट पर पाइपलाइन

8252. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने हजीरा, भडौंच, वडोदरा आदि में गैस की सप्लाई के लिए तट पर पाइपलाइन बिछाने के लिए इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह कार्य प्रारम्भ करने के लिए कहेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल अन्य बातों के साथ-साथ अशोधित तेल/संबद्ध गैस तथा स्वतंत्र गैस के उत्पादन कार्यक्रम को देखते हुए अपतटीय गैस की बहुत किफायत तथा उनका अधिकतम

उपयोग करने की सिफारिश करने के लिए दिनांक 19 मार्च, 1979 को गठित किया गया था। यह कार्यकारी दल गैस की सबसे अधिक अनुकूलतम ढुलाई और अपतटीय गैस को भूमि पर लाने के लिए स्थान आदि की जांच भी करेगी। इस कार्यकारी दल से 2 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपतटीय गैस के उपयोग पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

थाल वैसेट उर्वरक संयंत्र के लिए मूल इंजीनियरिंग सुविधाओं के लिए ठेका

8254. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) ने महाराष्ट्र में थाल वैसेट उर्वरक संयंत्र के लिए कार्यस्थल से दूर मूल इन्जीनियरी सुविधाओं का ठेका एक गैर सरकारी कम्पनी को दिया था।

(ख) क्या फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डैवलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड ने भी इस कार्य के लिए टेंडर भरे थे;

(ग) यदि हां, तो डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड (डी० सी० पी० एल०) तथा एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा क्या-क्या दरें उद्धृत की गई थीं; और

(घ) उक्त ठेका डी० सी० पी० एल० को देने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) स्थल से सुविधाओं अर्थात् स्टीम जेनरेशन प्लांट जेनरेटर सेट और स्टीम तथा पावर वितरण के लिए परामर्श संबंधी ठेके कलकत्ते के मैसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 71.43 लाख रुपये का एक मुश्त मूल्य बताया है जबकि फर्टिलाइजर (योजना एवं विकास) इण्डिया लिमिटेड द्वारा 51.75 लाख रुपये सहित प्रति व्यक्ति प्रति मास 280 रुपये से अधिक प्रति व्यक्ति प्रति मास के लिए 12,000 रुपये तथा मुफ्त सचिवालय सहायता और मुफ्त आवास स्थान की कोटेशन दी गई थी। विस्तृत बातचीत के पश्चात् मैसर्स डेबलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रस्ताव 62.93 लाख रुपयों तक कम किया।

(घ) मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मुख्यतः इसलिए दिया था कि उन्हें बड़े आकार वाले इन्टिग्रेटिड स्टीम और पावर स्टीम के लगाने और डिजाइनिंग में अनुभवता एवं ख्याति प्राप्त है।

उच्च और अल्प प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों के बारे में निर्णय

8255. **श्री राघव जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में घोषणा करने से पहले उच्च और अल्प प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि नीति की घोषणा एक वर्ष पहले ही कर दी गई थी परन्तु उच्च और अल्प प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों के बारे में सरकार के औपचारिक निर्णय की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, और इस प्रकार का विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा 14-4-78 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसमें रसायन और उर्वरक विभाग के सचिव (अध्यक्ष) औद्योगिक विकास के सचिव, तकनीकी विकास के सचिव तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचिव सहित इसी क्षेत्र के 4 विशेषज्ञ शामिल थे और इस विभाग के सलाहकार (औषध) समिति के सचिव थे।

प्रौद्योगिक अंश का मूल्यांकन करने के लिए समिति में एक विस्तृत प्रश्नावली बनाई थी। यह प्रश्नावली उस समय अपेक्षित आँकड़े मंगाने के लिए विदेशी कम्पनियों को जारी कर दी गई थी। कम्पनियों ने समस्त ब्यौरों को भेजने में काफी समय लगाया तथा नवीनतम जानकारी फरवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी।

(ग) विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादित विभिन्न बल्क औषधें तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में सम्मिलित बल्क औषधों के प्रौद्योगिक जाँच करने के लिए अभी तक समिति की बैठक 5 बार हुई है। चूंकि ऐसी जांच में प्रत्येक दृष्टि से विस्तृत छान-बीन अपेक्षित है, समिति को दो बैठकें और बुलानी पड़ेंगी। यह आशा की जाती है कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप शीघ्र ही दे दिया जाएगा।

बिहार में पेट्रोल डीलरों द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य बढ़ाने के लिए ज्ञापन

8256. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पेट्रोल डीलर्स ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाने का नोटिस दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गई है तथा पेट्रोल उड़ जाने से डीलरों को होने वाली हानि पर ध्यान नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब पेट्रोल का मूल्य 3 रुपए प्रति लीटर था तब पेट्रोल उड़ने के घाटे की दर 3 पैसे प्रति लीटर थी और वर्तमान मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर पर घाटे का अनुमान 4 पैसे प्रति लीटर है जबकि डीलरों का कमीशन 5 पैसे प्रति लीटर है; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या माँग की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं । इससे 1 प्रतिशत की वाष्पण हानि प्रकट होती है। वास्तव में सरकार ने ओ. पी. सी. की सिफारिशों में निहित बड़े पेट्रोल पम्पों के लिए 0.5 प्रतिशत कम थ्रुपुट पम्पों के लिए वाष्पण तथा हैण्डलिंग हानि 0.75 प्रतिशत मान ली है। डीलरों का कमीशन स्लैब पद्धति पर निश्चित किया जाता है ।

(घ) वाष्पण हानि के लिए उनकी मांग 1 प्रतिशत है, जिसे सरकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को देखते हुए स्वीकर नहीं करती ।

आयातित पेट्रोल और डीजल का औसत लागत मूल्य

8257. **श्री कंवर लाल गुप्ता** : क्या **पेट्रोलियम और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पेट्रोल और डीजल का औसत लागत-मूल्य क्या है जिसे सरकार विदेशों से आयात करती है और जिसका बाद में शोधन करती है;

(ख) विभिन्न प्रकार के पेट्रोल और डीजल का वह मूल्य क्या है जो सरकार उपभोक्ताओं से वसूल करती है;

(ग) गत तीन वर्षों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री से सरकार ने कितना लाभ अर्जित किया है ।

(घ) प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और अन्य सरकारी करों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान हाई स्पीड डीजल तेले के आयात की औसत लागत 976.58 रुपये प्रति किलो लीटर होने का अनुमान है । पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) का कोई आयात नहीं किया गया था । 1978-79 के अनुसार आयातित कच्चा तेल औसतन 722.71 रु० प्रति किलो लीटर की दर से होने का अनुमान है।

(ख) और (घ) संलग्न विवरण पत्र में मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तेल, लाइट डीजल तेल के 1-3-79 को कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बम्बई से विक्रय मूल्य, उत्पाद शुल्क एवं अन्य कर दिखाए गए हैं ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादकों का विक्रय तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है और सरकार द्वारा नहीं। तेल शोधन कम्पनियों को ब्याज और कराधान से पूर्व निवेश की गई पूंजी पर 15 प्रतिशत का कुल लाभ दिया जाता है। तेल विपणन कम्पनियों को भी इसी आधार पर प्रतिप्राप्ति की स्वीकृति दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान विपणन कम्पनियों के लिए इन उत्पादों के मूल्यों में लाभ दर का अंश निम्न प्रकार था :

(रु./प्रति कि. ली.)

	14-7-75 से	16-12-77 से
मोटर स्पिरिट	27.41	30.33
हाई स्पीड डीजल	10.38	12.55
लाइट डीजल तेल	7.68	9.88

एक्स स्टोरेज मूल्यों पर की प्रतिशतता निम्न प्रकार बैठती है :—

	16-12-78 से एक्स स्टोरेज मूल्यों का प्रतिशत
मोटर स्पिरिट	0.86
हाई स्पीड डीजल	1.04
एल. डी. ओ.	1.11

(ङ) और (च) इस समय पेट्रोल तथा डीजल तेल के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कच्चे तेल का एक बड़ा भाग अभी भी आयात किया जाता है जिसके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

विवरण

1.3.1979 की यथास्थिति के अनुसार प्रति लीटर फुटकर विक्रय मूल्य रुपयों में

	एम० एस०-83	एच० एस० डी०	एल० डी० ओ०	एम० एस०-83	एच० एस० डी०	एल० डी० ओ०
		कलकत्ता			दिल्ली	
(क) फुटकर विक्रय मूल्य	4.03	1.49	1.00	4.02	1.46	1.03
(ख) उपर्युक्त में सम्मिलित है						
I. उत्पादन शुल्क	0.70325	0.49395	0.15395	2.70325	0.49395	0.07415
II. कलकत्ता प्रवेश कर	0.02	0.02	0.02	—	—	—
III. विक्रय कर	0.35841	0.16822	0.20917	0.25944	0.09408	0.07062
IV. बम्बई चुंगी सरचार्ज	—	—	—	—	—	—
V. दिल्ली टर्मिनल टैक्स	—	—	—	—	0.00468	0.00482
		मद्रास			बम्बई	
(क) फुटकर विक्रय मूल्य	3.90	1.49	कोई फुटकर बिक्री नहीं	4.04	1.39	कोई फुटकर बिक्री नहीं
(ख) उपर्युक्त में सम्मिलित है						
I. उत्पादन शुल्क	2.70325	0.49395	—	2.70325	0.49395	—
II. कलकत्ता में प्रवेश कर	—	—	—	—	—	—
III. विक्रय कर	0.24150	0.17850	—	0.39522	0.11290	—
IV. बम्बई चुंगी सरचार्ज	—	—	—	0.02850	0.01850	—
V. दिल्ली टर्मिनल टैक्स	—	—	—	—	—	—

सरकारी उपक्रमों पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का लागू होना।

8258. **श्री राम विलास पासवान)**

श्री कंवर लाल हेमराज जैन): क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्कम व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सच्चर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का नहीं है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जब तक केन्द्रीय सरकार, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, यह अधिनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :—

(1) किसी सरकारी कम्पनी के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कोई उपक्रम;

(2) सरकार के स्वामित्व अथवा उसके नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम;

(3) किसी केन्द्रीय प्रान्तीय अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित, किसी निगम (जो एक कम्पनी न हो) के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम;

(4) कामगरों अथवा कर्मचारियों द्वारा, उनके अपने कार्यों सम्बन्धी हितों को समुचित सुरक्षा के लिए बनाई गई ट्रेड यूनियन अथवा अन्य एसोसिएशन;

(5) कोई उपक्रम, जो किसी ऐसे उद्योग में संलग्न हो, जिसका प्रबन्ध, उस समय पर लागू किसी कानून के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्राधिकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकायों द्वारा हाथ में लिया गया हो।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपर वर्णित निकायों पर उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए अभी तक कोई अधिसूचना प्रेषित नहीं की गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में सच्चर समिति की सिफारिशें वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं, तथा उन शिफारिशों, जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली जायेंगी, को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी संशोधन समेत समुचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

गुड़गांव में भर्ती कार्यालय

8259. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन हरियाणा में गुड़गांव में एक भर्ती कार्यालय होता था;

(ख) क्या यह भर्ती कार्यालय आपात-काल के दौरान समाप्त कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुड़गांव में अब भर्ती कार्यालय स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) गुड़गांव शाखा भर्ती कार्यालय बन्द नहीं किया गया था बल्कि 1976 में इसे हिसार ले जाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उत्तर पश्चिमी इलाकों जहां कोई भर्ती कार्यालय नहीं था, में भर्ती-योग्य पुरुष जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना था।

(ग) जी, नहीं। हरियाणा के कुल 11 जिलों के लिए चार भर्ती कार्यालय हैं जबकि अन्य राज्यों में एक भर्ती कार्यालय के अन्तर्गत इससे अधिक जिले आते हैं और कभी-कभी तो 15 जिले तक एक भर्ती कार्यालय के अन्तर्गत आते हैं; इसलिए केवल एक जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वहां एक भर्ती कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है। गुड़गांव जिले को दिल्ली भर्ती कार्यालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया है और यह कार्यालय गुड़गांव जिले से बहुत नजदीक पड़ता है और इस जिले के उम्मीदवार यहां आसानी से आ जा सकते हैं। इसके अलावा इस जिले में समय-समय पर भर्ती दौरों की भी व्यवस्था की जाती है।

हरियाणा में नारनौल में एक प्रसारण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

8260. **श्री मनोहर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में नारनौल में एक प्रसारण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यह केन्द्र कब से चालू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं। इस समय रोहतक तथा दिल्ली स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सारे नारनौल जिले में अच्छी तरह सुने जा सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं के स्वामित्व वाले बड़े औद्योगिक गृह

8261. **श्री बाखे साहिब बिले पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक समाचार पत्रों अथवा साप्ताहिक पत्रिकाओं अथवा सावधिक पत्रिकाओं के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध वाले बड़े औद्योगिक गृहों के नाक क्या हैं तथा इन पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक बड़े औद्योगिक गृह ने अपने अथवा अपने प्रबन्ध वाले पत्र-पत्रिकाओं में अपने उत्पादों के विज्ञापन पर कितना धन व्यय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) ये औद्योगिक गृह और संबन्धित समाचारपत्र निजी क्षेत्र में हैं और इस मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है ।

विवरण

बड़े औद्योगिक गृहों के नाम	औद्योगिक गृहों द्वारा प्रकाशित दैनिक/ नियतकालिक पत्र
1. आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड	1. आंध्र प्रभा, तेलुगु दैनिक, विजयवाड़ा ।
	2. कन्नड़ प्रभा, कन्नड़ दैनिक, बंगलौर ।
	3. आंध्र प्रभा, तेलुगु दैनिक, बंगलौर ।
2. क्रिलोस्कर ब्रदर्स, पूना	1. मनोहर, मराठी साप्ताहिक पुणे ।
	2. क्रिलोस्कर, मराठी मासिक, पुणे ।
	3. स्त्री, मराठी मासिक, पुणे ।
	4. बालवाड़ी, मराठी वार्षिक पुणे ।
3. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड	1. लोक सत्ता, मराठी दैनिक, बम्बई ।
	2. संडे लोक सत्ता, मराठी साप्ताहिक, बम्बई ।
	3. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बम्बई ।
	4. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, बम्बई ।
	5. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, अहमदाबाद ।
	6. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, अहमदाबाद ।
	7. फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बम्बई ।
	8. फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली ।
	9. लोक प्रभा, मराठी साप्ताहिक, बम्बई ।
	10. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, बम्बई ।
	11. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, मद्रास ।
	12. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, दिल्ली ।
	13. आस पास, हिन्दी साप्ताहिक, दिल्ली ।
	14. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली ।
	15. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, नई दिल्ली ।
	16. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, चंडीगढ़ ।
	17. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, चंडीगढ़ ।
4. इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्राइवेट लि०	1. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बंगलौर ।
	2. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, बंगलौर ।
	3. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, कोचीन ।
	4. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, कोचीन ।

	5. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, मद्रास ।
	6. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, मदुरै ।
	7. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, मदुरै ।
	8. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, मदुरै ।
	9. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, विजयवाड़ा ।
	10. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, विजयवाड़ा ।
	11. दिनमणि, तमिल दैनिक, मदुरै ।
	12. दिनमणि, तमिल दैनिक, मद्रास ।
	13. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, हैदराबाद ।
	14. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, हैदराबाद ।
	15. दिनमणि, कादिर, तमिल साप्ताहिक, मद्रास ।
5. ट्रेडर्स प्राइवेट लि०	1. जनसत्ता, गुजराती, दैनिक, अहमदाबाद ।
	2. लोकसत्ता, गुजराती, दैनिक, बड़ौदा ।
	3. नूतन गुजराती, गुजराती साप्ताहिक, अहमदाबाद ।
	4. जनसत्ता, गुजराती दैनिक, राजकोट ।
	5. रंग तरंग, गुजराती मासिक, अहमदाबाद ।
	6. चन्दानी, गुजराती मासिक, अहमदाबाद ।
	7. रंग तरंग, गुजराती साप्ताहिक, बड़ौदा ।
6. एसोसियेटेड पब्लिसर्स (मद्रास) लि०	1. मेल, अंग्रेजी दैनिक, मद्रास ।
7. न्यूजपेपर लि०	1. भारत, हिंदी दैनिक, इलाहाबाद ।
8. कैपिटल लि०	1. कैपिटल, अंग्रेजी साप्ताहिक, दिल्ली ।
9. ईस्टर्न इकानामिस्ट लि०	1. ईस्टर्न इकानामिस्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक, दिल्ली ।
10. तमिलनाडु	1. तमिलनाडु, तमिल साप्ताहिक, मद्रास ।
11. नवहिंद पेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि० गोवा	1. नवहिंद टाइम्स, अंग्रेजी दैनिक, पणजी ।
	2. नव प्रभा, मराठी दैनिक, पणजी ।
12. चोगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	1. गोमांतक, मराठी दैनिक, पणजी ।

मैसर्स फार्मेड द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी के लिए अदा की गई कीमत

8262. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स इंडिया शेरिंग द्वारा मैसर्स फार्मेड की फैक्टरी कब खरीदी गई और क्या उनकी सारी मशीनरी खरीदी गई थी और यदि हाँ, तो मैसर्स इन्डिया शेरिंग द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी के लिए कितनी कीमत अदा की गई, विभिन्न वल्क औषधियों तथा फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए बाद में अधिष्ठापित किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मैसर्स इंडिया शेरिंग संगठित क्षेत्र का एकक कब बना अर्थात् इसनेत् संयंत्र एवं मशीनरी में 10 लाख के निवेश की सीमा कब पार की, क्या कम्पनी ने उस समय सी० ओ० बी०

लाइसेंस के लिए सरकार को आवेदन, पत्र दिया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको फार्मेड की मशीनरी के साथ, जो उनके द्वारा खरीदी गई थी, अपने स्वयं के फार्मूलेशन बनाने की अनुमति किस प्रकार से दी गई और मैसर्स फार्मेड द्वारा उस मशीनरी के साथ बनाए जाने वाले उत्पादों का क्या हुआ ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स इंडियन शेरिंग ने मैसर्स फार्मेड की पूरी फैक्टरी अक्तूबर 1970 में 60 लाख रुपयों जिसमें प्लांट और मशीनरी के लिए 21 लाख रुपये तथा उपकरणों के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं पर खरीदी थी। औषध और भेषजों के निर्माण के लिए मैसर्स इंडिया शेरिंग द्वारा बाद में स्थापित उपकरणों सम्बन्धी ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) अक्तूबर 1970 में मैसर्स फार्मेड की फैक्टरी के अधिग्रहण करने के पश्चात् मैसर्स इंडियन शेरिंग डी० जी० डी० की इकाई बन गई है। चूंकि इससे पहले वे किसी भी औषध मद का निर्माण नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस की आवश्यकता न थी।

(ग) मैसर्स इंडियन शेरिंग को कोई ऐसा अनुमोदन नहीं दिया गया है। वास्तव में, जब इस मंत्रालय के ध्यान में यह आया कि (आई० डी० एण्ड आर) एक्ट के अधीन शंकाजनक वैधता के प्राधिकरण के अन्तर्गत वे कई औषध मदों का निर्माण कर रहे हैं, सम्बन्धित प्राधिकारियों जिसमें विधि मंत्रालय भी है की परामर्श के पश्चात् 1977 में उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी कि उन्हें कैनलाइज्ड कच्चा माल न दिया जाए तथा उनके द्वारा आवश्यक अन्य नान-कैनलाइज्ड कच्चे माल का आयात करने न दिया जाए।

मैसर्स इंडियन शेरिंग ने बताया है कि उन्होंने ऐसे उत्पादों का निर्माण करना बंद कर दिया है जिसके लिए मैसर्स फार्मेड पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत प्राधिकृत किये गए थे।

सोवियत संघ को कोकिंग कोयला खानों की खुदाई के लिए प्रस्ताव

8623. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**)

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने सोवियत संघ की कोकिंग कोयला खानों की खुदाई के लिए कोई ठोस प्रस्ताव सोवियत संघ को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात मंत्रालय की वित्तीय भागीदारी प्रबन्ध को अन्तिम रूप देने में रूचि है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, नहीं; परन्तु अक्तूबर, 1978 में इस्पात तथा खान मंत्री ने सोवियत रूस के अपने दौरे के दौरान सोवियत रूस के प्राधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की थी। हाल में प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन के भारत के दौरे के दौरान आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में सोवियत रूस के साथ हुए दीर्घकालीन करार में भी यह मामला शामिल है।

(ख) से (घ) : इस्पात कारखानों को कम राख वाले बढ़िया किस्म के कोकर कोयले की नियमित तथा निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर

रही है जिसमें विदेशों में कोककर कोयले की खानें प्राप्त करना और/अथवा सोवियत संघ सहित कुछ देशों से दीर्घावधि आधार पर सप्लाई प्राप्त करने के लिए करार करना शामिल है यह प्रस्ताव अभी तक आरम्भिक चरण में है और इस बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है।

आई० टी० सी० और बी० एस०टी में विदेशी शेयर पूंजी

8264. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि आई०टी०सी० और वी०एस०टी० के पास जो अब भारतीय कम्पनियां बनाई हैं, ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कम्पनी बी० एण्ड टी० के सबसे अधिक शेयर हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि आई० टी० सी० और बी० एस०टी० के पास भद्राचलम पेपर बोर्ड्स नामक आंध्र प्रदेश स्थित एक पेपर कम्पनी के सबसे अधिक शेयर हैं ;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि आई०टी०सी०और बी०एस०टी० के अन्य हित भी एक समान हैं जिनमें प्रबन्धकों के पारस्परिक तबादला भी सम्मिलित हैं ;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि इन सब बातों के बावजूद विधि विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ से आई०टी०सी०और बी०एस०टी० को परस्पर असम्बद्ध कम्पनियां घोषित किया गया है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) आई० टी० सी० लिमिटेड और बजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड (प्रश्न में बी. एस० टी० के रूप संदर्पित)) दोनों ही कम्पनियां भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित कम्पनियां हैं। 30 नवम्बर, 1978 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आई.टी.सी. लिमिटेड के 37.9 प्रतिशत ईक्वटी शेयर अभी भी तम्बाकू मैनफैक्चरज (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ही थे जो कि ब्रिटिश अमेरिकन तम्बाकू कम्पनी (जिसका प्रश्न में बी०ए०टी० के नाम से उल्लेख किया गया है) की दी एक सहायक कम्पनी है। 26-9-77 की जानकारी के अनुसार बी०ए०टी० की दो कम्पनियों के पास वजीर सुलतान तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड के 31.73 प्रतिशत ईक्वटी शेयर थे। इन दो कम्पनियों के पास ही सबसे अधिक शेयर थे।

(ख) हां, श्रीमान जी, जो जानकारी प्राप्त करवाई गई है, उसके अनुसार, भद्राचलम पेपर बोर्डस द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार आन्ध्र-प्रदेश की जो वार्षिक विवणिका भेजी गई, उसके अनुसार कम्पनी के प्रमुख इक्वटी शेयर होल्डरों के शेयर इस प्रकार थे :

(एक) आई०टी०सी० लिमिटेड = 32.4 प्रतिशत

(दो) वजीर सुलतानतम्बाकू कम्पनी लिमिटेड = 14.2 प्रतिशत

(तीन) ए० पी० इन्डस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन = 13.8 प्रतिशत

(चार) आई०डी०बी०आई = 13.9 प्रतिशत

(पांच) आई० एफ० सी० = 5.7 ,,

(छः) आई०सी०आई०सी आई = 5.7 ,,

(ग) आरम्भ से ही बी०ए०टी० की सहायक कम्पनियों में आई०टी०सी० तथा बी०एस० टी० के काफी अधिक इक्वटी शेयर रहे हैं। अतः इन दोनों कम्पनियों के बीच काफी अच्छे

व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं। आई०टी०सी० कम्पनी के अनेक भूतपूर्व कर्मचारियों ने गत कुछ वर्षों में अत: 1955 से लेकर, वी०एस०टी० कम्पनी में एक्जीक्यूटिव पदों पर नौकरी कर ली है। यह जानकारी जुलाई 1978 के इस विवरण में उपलब्ध करवाई की गई है जो कि आई० टी० सी० कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा जारी की गई है। यह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की की धारा 217 (2 क) (ख) दो के अन्तर्गत दिया जाना होता है तथा इस विवरण के अनुसार केवल तीन ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वी०एस०टी० में नौकरी कर ली हैं और इन्होंने भी 1960 से पहले ही यहां नौकरी शुरू कर ली थी।

(घ) जून 1975 से पूर्व, कम्पनी कार्य विभाग ने दो कम्पनियों आई०टी०सी और बी०एस० टी० को सहायकों द्वारा धारित इक्यूटी शेयर पूंजी के विचारों पर अन्त: सम्बन्धित उपक्रम होना घोषित किया था। 6-6-1975 से, तथापि, बी०एस०टी० के शेयर धारण ढांचे में भारी परिवर्तन हुआ था और यह पाया गया था कि बी०एस०टी० की सहायकों के धारण 31.73 ./· तक केवल रहे। इसलिए बी०एस०टी० एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2 (छ) में उल्लिखित सांविधिक उपबन्धों के अनुसरण में आई०टी०सी० का अन्त सम्बन्धित उपक्रम अधिक समय तक नहीं सोचा गया था ।

(ङ) उपक्रमों के मध्य अन्त: सम्बन्धित के सम्बन्ध में निर्णय, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में यथा उल्लिखित विद्यमान सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में सावधानीपूर्वक लिया जाता है। एकाधिकार एवं आवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित उच्च-धिकार विशेषज्ञ समिति द्वारा हाल ही में संभीक्षा की गई है। समिति के सुझाव अभी सरकार के परीक्षान्तर्गत हैं।

कुकिंग गैस की कीमत

8265. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में की तुलना अधिकतर अन्य देशों में कुकिंग गैस की कीमत कम है; और

(ख) भारत में इसे उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विश्व के कुछ देशों में खाना पकाने की गैस के मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कच्चे तेल का काफी मात्रा में आयात होता है, जिसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है, हमारे खाना पकाने की गैस का मूल्य अनुचित नहीं समझा जाता।

विभिन्न देशों में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के मूल्य

देश का नाम	15 किलोग्राम के बराबर मूल्य
एशिया और दूर पूर्व	**(रुपये)**
1. थाइलैण्ड (बैंकाक)	34.25
2. जापान (टोक्यो)	102.87
3. ईरान (तेहरान)	22.80

1	2
4. भारत (नई दिल्ली)	34.98
5. इंडोनेशिया (जकार्ता)	50.65
6. श्री लंका (कोलम्बो)	20.83
अफ्रीका	
7. मिस्र (काहिरा)	13.00
8. मारिशस (पोर्ट लुइस)	83.56
9. नाइजीरिया (लागोस)	101.50
यूरोप	
10. पश्चिमी जर्मनी (बोन)	113.50
11. नीदरलैण्ड (हेग)	96.93
12. इटली (रोम)	—
13. बेल्जियम (ब्रुसेल्स)	70.50
14. यूगोस्लाविया (बेलग्रेड)	42.98
आस्ट्रेलेशिया	
15. आस्ट्रेलिया (कैरिबीयन)	69.66
16. न्यूजीलैण्ड (वैलिंगटन)	101.77

नोट : यह सूचना 1978-79 से संबंध रखती है। भारत के बारे में वर्तमान मूल्य दर्शाया गया है ।

कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्यों भागों म बिजली की भारी कमी

8266. **प्रो० समर गुह** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में और उसके आस-पास तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में बिजली की कमी ने गम्भीर संकट का रूप धारण कर लिया है ;

(ख) क्या औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा अन्य इंजीनियरी एकक प्रतिदिन 15 प्रतिशत तक उत्पादन करने में भी असमर्थ हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली की भारी कमी के परिणामस्वरूप सरकार दुकानें और बाजार शाम के 7 बज तक बन्द कर देने का नियम लागू करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या बिजली की कमी के कारण शिक्षा, वाणिज्यिक, व्यापार, उद्योग, सामाजिक तथा जीवन के अन्य पहलुओं के संबंध में पश्चिम बंगाल की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो बिजली के संकट को दूर करने और बिजली की कमी के बारे में तुरन्त राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता करने हेतु क्या कार्य वाही की है;

(च) क्या कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की जा सकती है कि बिजली के संकट पर कब तक काबू पा लिया जायेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी०रामचन्द्रन) : (क) पश्चिम बंगाल में विभिन्न विद्युत प्रणालियों की बहुत सी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के साथ बन्द हो जाने के कारण राज्य को अभी हाल में पिछले कुछ दिनों के लिए बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ा।

(ख) पश्चिम बंगाल ने व्यस्ततम घार प्रतिबन्ध लागू कर दिए हैं और उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं को केवल सायं 6 बजे रात्रि के 10 बजे तक के व्यस्ततम भार के समय के दौरान बिजली लेने की अनुमति नहीं हैं। बिजली सप्लाई पर लगे उपर्युक्त प्रतिबन्धों के कारण औद्योगिक उत्पादन में आई हानियों का हिसाब लगाना मुश्किल है।

(ग) राज्य सरकार ने दुकानों के लिए आदेश दिए हैं कि वे 7 बजे सायं के बाद बिजली इस्तेमाल न करें।

(घ) उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं, जिन पर 6 बजे सायं से 10 बजे रात्रि तक के लिए प्रतिबन्ध लगा है, को छोड़कर, अन्य उपभोक्ताओं को अब कुल मिलाकर दिन-रात बिजली मिल रही है।

(ङ) हाल के विद्युत संकट के दौरान पश्चिम बंगाल की विद्युत प्रणालियों को उत्तर-क्षेत्रीय ग्रिड से और उड़ीसा से सहायता की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल उपाय किए गए थे। संकट का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश लगभग 30 मेगावाट से 40 मेगावाट तथा उड़ीसा भी करीबन 40-50 मेगावाट बिजली पश्चिम बंगाल को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा, दामोदर घाटी निगम ने भी कलकत्ता को अपनी सहायता में बढ़ोत्तरी कर दी है। राशनिंग की एक स्कीम भी लागू कर दी गई है जिसके द्वारा व्यस्ततम भार समय को छोड़-कर, उद्योगों को अब नियमित रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही है।

विद्युत संकट कम करने के उपाय सुझाने के लिए पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों के साथ मामले पर विचार-विमर्श करने के निमित्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (प्रचालन) को भी कलकत्ता भेजा गया था।

(च) और (छ) पश्चिम बंगाल में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में बिजली के उत्पादन में अब सुधार आ गया है और भार-शेडिंग कम कर दी गई है। बिजली का संकट अति शीघ्रता से हल करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक उपाय कर रही है। इस मामले में सभी प्रकार की सहायता राज्य सरकार को देने का आश्वासन केन्द्र सरकार ने भी दिया है। तथापि, किस समय तक विद्युत की स्थिति सुविधाजनक हो जाएगी, ऐसी समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती परन्तु परियोजनाओं के प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए विभिन्न विद्युत उत्पादन अधिकरणों और राज्य सरकार सहित सभी सम्बन्धितों को सभी प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू किया जा सके और वर्तमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन अधिकतम किया जा सके।

डेसू को 1978-79 के दौरान हुई हानि

8267. **श्री कचरूमल हेमराज जैन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को 1978-79 के दौरान कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या पावर और बिजली की दरें बढ़ाने के बाद भी दिल्ली प्रदाय उपक्रम को हानि हो रही है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हानि का मुख्य कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार है; और

(घ) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अत: वर्ष 1978-79 के दौरान यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी मात्रा बता सकना सम्भव नहीं है।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि वर्ष 1978-79 के दौरान यद्यपि अपने प्रचालन खर्चों को पूरा कर लेना उनके लिए सम्भव होगा, तथापि सांविधिक आरक्षण निधियों की व्यवस्था करने, सरकारी ऋण को अदा करने या उसके ऊपर देय ब्याज प्रभार देने के लिए राजस्व आय पर्याप्त नहीं होगी। ईंधन तथा प्रचालनात्मक स्टोर्स की कीमतें बढ़ जाने, स्थापना व्यय में तथा ताप विद्युत की खरीद में बढ़ोतरी होने आदि के परिणामस्वरूप प्रचालन व्यय में हुई असामान्य वृद्धि के कारण राजस्व आय तथा राजस्व व्यय के बीच अधिक अन्तर हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी के कार्य के लिये पद

8268. **श्री शंकर महाले** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से चले आ रहे हिन्दी पदों को गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई० 11034/17/72-ओ० एल० दिनांक 9 मार्च, 1972 के अधीन स्थाई घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हिन्दी से सम्बन्धित पदों को स्थायी बनाने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) और (घ) हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे कुछ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है और अन्य कर्मचारियों को उनके पद स्थायी बना दिए जाने पर तथा स्थायी बनाने के लिए नियमों के अन्तर्गत उन्हें योग्य पाए जाने पर स्थायी बनाया जायेगा।

उर्वरक उद्योग की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय

8269. **श्री सरत कार** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है, और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ख) देश में उर्वरक उद्योग में इस समय लगी विदेशी पूंजी का ब्यौरा क्या है और आगामी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी पूंजी लगायी जाएगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) गैस पर आधारित बड़े आकार की चार उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने का मुख्य रूप से निर्णय किया गया है जिनमें से महाराष्ट्र के थाल में और गुजरात के हाजिरा में दो-दो तथा गैस पर आधारित आसाम के नामरूप में एक संयंत्र होगा। इसके अलावा मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, कानपुर के अपने चालू एकक का विस्तार कर रही है। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव अपने कांडला संयंत्र के विस्तार के लिए प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। ये परियोजनाएं नाइट्रोजन का 15.2 लाख मी० टन और पी 2 ओ 5 का 1.33 लाख मी० टन की एक अतिरिक्त क्षमता का अंशदान करेंगी।

(ख) उर्वरक उद्योग से विदेशी पूंजी विनियोग के कम्पनी वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कम्पनी का नाम	**विदेशी पूंजी विनियोग (करोड़ रुपये)**
सरकारी क्षेत्र	
1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6.69
गैर-सरकारी क्षेत्र	
2. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	7.21
3. जुआरी एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड	8.00
4. ई. आई. डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड	0.63
5. इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	17.19
6. रेलिस इंडिया लिमिटेड	सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, कानपुर की विस्तार परियोजना, जिसमें प्रमुख अंश भाग आई. सी. आई., यू. के. का है, का वित्तीय प्रबन्ध परिवर्तनशील ऋण-पत्र जारी करने के अधिकारों के द्वारा किया जाएगा। तथापि इस विस्तार के परिणामस्वरूप कम्पनी के विदेश अंश स्वामित्व की प्रतिशतता में वृद्धि नहीं होगी।

राजस्थान में घरेलू गैस की मांग

8270. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य में घरेलू उपयोग की गैस की मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यकता को कहां तक पूरा किये जाने की आशा है तथा कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने स्वयं इस आवश्यकता के बारे में कोई नोट भेजा है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विभिन्न अन्य वैकल्पिक ईंधनों का घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयोग किए जाने के कारण राजस्थान सहित देश की तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की मांग का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि देश के विभिन्न भागों की तरल पेट्रोलियम गैस की मांग की क्षमता का पता लगाने के लिए थाम्पसन इंडेक्स नामक एक इंडेक्स का प्रयोग किया गया है जो कि कुछ आर्थिक सूचकों पर आधारित है। उपरोक्त इंडेक्स पर आधारित मूल्यांकन के अनुसार एल. पी. जी. की घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों में उपभोग की जाने वाली कुल मांग की क्षमता का वर्ष 1980-81 तक लगभग 22,000 मी. टन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) निम्नलिखित के चालू होने से वर्ष 1980-81 तक एल. पी. जी. की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की सम्भावना है :—

1. बम्बई हाई की सम्बद्ध गैस से एल. पी. जी. को पृथक करने के लिए सुविधाएं;
2. मथुरा शोधनशाला;
3. कोयाली शोधनशाला में गौण प्रक्रिया सुविधाएं; और
4. बोगाईगांव शोधनशाला का कोकर एकक।

जब इस प्रकार की पर्याप्त बढ़ी हुई उपलब्धता पूरी हो जाएगी तब सम्भावित मांग को पूरा करने की आशा की जा सकेगी।

(ग) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों को बल्क ड्रग्स के उत्पादन का कार्य किया जाना

8271. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लागू किए जाने के

बाद केवल सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों को कितने बल्क ड्रग्स के उत्पादन का कार्य दिया गया;

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों को औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने, उनकी क्षमता और उत्पादन निर्धारित करने का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष-प्रतिवर्ष एक ही मद के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थित अन्य एककों के आवेदन पत्र रद्द किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन मदों के मामले में सरकारी क्षेत्र में स्थित एकक न तो मांग को पूरा करने में और न ही प्रौद्योगिकी का विकास करने में समर्थ हुए हैं जिससे देश में अच्छे उत्पादन का मुकाबला कर सकें, आयात मूल्यों की तुलना में सरकारी क्षेत्र में स्थित एककों की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में अनेक वर्षों से कार्य करने के बावजूद सरकारी क्षेत्र को "लैंडिड कास्ट" पर आधारित मूल्य न देने के क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के लागू किए जाने के बाद पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र की एककों में निर्माण के लिए 14 बल्क औषधों को लाइसेंसीकृत किया गया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के एककों को इन बल्क औषधों के निर्माण के लिए दिए गए औद्योगिक लाइसेंस तथा वर्ष 1978-79 के दौरान इनके उत्पादन के ब्यौरे देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। वह तिथियां जिस पर सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा इन बल्क औषधों की स्थापित की गई क्षमताओं की तारीखें एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक विगत में इन बल्क औषधों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की एककों के आवेदन-पत्र को रद्द किए जाने के ब्यौरों का संबंध है, इस सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणाम लाभप्रद नहीं होंगे।

(ग) उन बल्क औषधों, जिनके लिए लाइसेंस केवल सरकारी क्षेत्र के एककों को दिए गए हैं, के उत्पादन आंकड़े (वर्ष 1978-79 के लिए) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में दिए गए विवरण-पत्र में दर्शाए गए हैं। औषधों और भेषजों पर कार्यकारी दल द्वारा इन बल्क औषधों के लिए अनुमानित मांग निम्न प्रकार है :—

(टनों में)

क्रम सं०	औषध का नाम	अनुमानित मांग	
		1979-80	1982-83
1	2	3	4
1.	सल्फानिलामाइड	अनुमान नही लगाया गया	
2.	सल्फागुनिडाइन	200	200
3.	एसिटेजोलामाइड	अनुमान नहीं लगाया गया	
4.	एमिडोपाइरिन	65	75
5.	विटामिन बी 1	118	180
6.	विटामिन बी 2	33	50

1	2	3	4
7.	फोलिक एसिड	6	9
8.	सल्फामेथिजोल	अनुमान नहीं लगाया गया	
9.	सल्फामेथोक्साइन	—वही—	
10.	डायेलिल बार्बीटोन	—वही—	
11.	सल्फामेथोक्सी पाइरिडाजाइन	17	20
12.	ग्रिसोफुलविन	14.5	·25
13.	हेमाइसिन	अनुमान नहीं लगाया गया	
14.	एयूरियोफंगिन	अनुमान नहीं लगाया गया	

सरकारी क्षेत्र की एककों द्वारा इन बल्क औषधों के उत्पादन की लागत के ब्यौरे गैर सरकारी क्षेत्र की एककों की उत्पादन लागत की भांति हैं, यह सूचना गोपनीय है अतः इसे बताना जनहित में नहीं है।

(घ) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की एककों सहित समस्त एककों द्वारा देश में ही उत्पादित बल्क औषधों के मूल्य या तो बी. आई. सी. पी. द्वारा किए गए लागत व तकनीकी अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं अथवा उन्हें निर्माताओं द्वारा अधिसूचित मूल्यों पर ही स्वीकार कर लिया जाता है। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979, जिसने हाल ही में डी. पी. सी. ओ. 1970 का स्थान लिया है, के अन्तर्गत मूल्य नियन्त्रित फार्मूलेशनों पर आधारित बल्क औषधों के मूल्यों पर मूल्य नियंत्रण लागू होगा।

क्रम सं०	बल्क औषध का नाम	औद्योगिक लाइसेंस की तिथि और संख्या	वार्षिक लाइसेंसीकृत क्षमता (टनों में)	1978-79 के दौरान उत्पादन (टनों में)
1	2	3	4	5
(क)	**आई. डी. पी. एल.**			
1.	सल्फानिलामाइड	एल/22/471/73-कैम-111 दिनांक 9-5-1973	150	18.14
2.	सल्फागुनिडाइन	—वही—	250	90.40
3.	एसिटाजोलामाइड	एल/22/112/62-कैम-111 दिनाँक 9-3-1962	25	1.47
4.	एमिडोपाइरिन	—वही—	40	10.79
5.	विटामिन बी 1	सी. आई. एल. 124 (76) दिनांक 22-3-1976	120	29.28
6.	विटामिन बी 2	—वही—	24	6.45
7.	फोलिक एसिड	—वही—	7.5	3.23

1	2	3	4	5
8.	सल्फामेथिजोल	—वही—	12	4.85
9.	सल्फाडीमेथोक्सजाइन	सी. आई. एल. 276 (76) दिनांक 27-7-1976	30	उत्पादन नहीं कर रहे हैं।
10.	डाएलिल बार्बीटोन	सी. आई. एल. 239 (76) दिनांक 24-6-1975	10	—वही—
11.	सल्फामेथोक्सी पाइरिडेजाइन	सी. आई. एल. 425 (75) दिनांक 20-11-1970	20	—वही—
12.	ग्रिसोफुलविन	एल/22/399/70-कैम-3 दिनांक 24-7-1970	6	560.75 कि० ग्रा०
(ख)	**एच. ए. एल.**			
1.	हेमाइसिल	एल/22/24/65-ए एण्ड आई दिनांक 2-2-1965	250 किलोग्राम	उत्पादन नहीं कर रहे हैं।
2.	एयूरोफंनिज	एल/19/11/38/66-ए. एण्ड आई. दिनांक 15-9-1966	5	—वही—

कोटा के निकट प्राप्त की गई भूमि

8272. **श्री लालजी भाई** : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व कोटा (राजस्थान) स्टेशन के निकट कोटा के महाराज की निजी भूमि को एक प्राइवेट फर्म ने खरीदा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी समिति के अन्तर्गत भूमि पर एक नगर का विकास करने की योजना थी ?

(ग) क्या इस भूमि को बाद में मंत्रालय को सैनिक क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क)से (ग) जैसा कि 20 दिसम्बर, 1978 को लोक सभा में पूछे गए आतरांकित प्रश्न सं. 4319 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, कोटा में थलसेना की अतिरिक्त भूमि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोटा शहर में उमेद भवन पैलेस से संबद्ध भूमि चुनी गई थी। यह भूमि थल सेना के पास पहले से ही मौजूद दो क्षेत्रों के बीच में पड़ती है। राजस्थान सरकार ने अन्य स्थानों पर भी भूमि की पेश-कश की थी परन्तु सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जिनमें सुरक्षा पहलू भी शामिल है, इसी भूमि को चुना गया। भारत सरकार के अनुरोध पर राजस्थान सरकार ने सितम्बर, 1976 में इस भूमि को अधिग्रहित कर लिया था और इसे रक्षा मंत्रालय को अंतरित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भूमि को अधिग्रहण करते समय इस बात को कलक्टर, कोटा ने देख लिया था कि क्या

उसका कोई हिस्सा किसी आवास समिति के पास तो नहीं है और उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि मालगुजारी पंजीकरण रिकार्ड में इस भूमि का कोई हिस्सा इस सहकारी समिति के नाम में नहीं है। अधिग्रहित की गई सारी भूमि भूतपूर्व कोटा शासक ने औपचारिक रूप से 20 सितम्बर 1976 को सौंप दी थी। केन्द्रीय सरकार इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस भूमि के एक प्राइवेट फर्म ने खरीद हुआ था।

फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी के नाम को बदलने के लिए आवेदन-पत्र

8273. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी ने अपना नाम बदलने के लिए आवेदन पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का बिचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी द्वारा अपने आवेदन पत्र में नाम परिवर्तन के लिए दिये गये कारण निम्न प्रकार हैं :

"कम्पनी का नाम" फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया था क्योंकि फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ अक्रोन, ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका कम्पनी का 100 प्रतिशत शेयर धारण करती थी। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसरण में, कम्पनी गैर आवासीय हित 74 प्रतिशत तक कम किये जाना अपेक्षित है। नया नाम अब कम्पनी के मामले में अधिक उचित होगा।

(ग) मैसर्स फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स बम्बई टायर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम परिवर्तन के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, बम्बई द्वारा 3-2-79 को दे दिया गया था और नाम परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विनिगमन का स्वच्छ प्रमाण-पत्र कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, बम्बई द्वारा 1-3-79 को जारी किया गया था।

विदेशियों को मतदान करने से रोकने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना

8274. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक संख्या में विदेशियों के भारत-प्रवेश को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का विचार है जिससे कि विदेशी व्यक्ति भारत में अपने नाम रजिस्टर न करा सकें; और

(ख) निर्वाचक-नामावलियों में नामों की जाँच करने तथा भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों में भेद करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) निर्वाचन आयोग का सिक्किम विधानसभा के आगामी निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो लगे पहचान-पत्र जारी करने की पद्धति को परीक्षण के तौर पर आजमाने का विचार है। सिक्किम में जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर इस पद्धति को पूर्वोत्तर-क्षेत्रों के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने पर विचार किया जाएगा।

(ख) निर्वाचक नामावलियों में अपने नाम रजिस्टर करवाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अवधारण करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन के प्रश्न पर विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और संदेह वाले मामलों में नागरिकता के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि

8275. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं में गत दो वर्षों के दौरान उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें हुई हानि के बारे में मोटे तौर पर किए गए मानकवर्गीकरण संबंधी महत्वपूर्ण बातें क्या है;

(ग) इन दो वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं का यह रुख इससे पूर्व के दो वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के रुख की तुलना में कैसा है; और

(घ) इस मामले में क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान दुर्घटना दर वस्तुतः उससे पिछले दो वर्षों की तुलना में कम थी।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तारकोल के उत्पादन में कमी

8276. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तारकोल के उत्पादन में भारी कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की अन्तर-कम्पनी स्पर्धा के कारण देश के कुछ भागों में तारकोल की यह कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) 1977-78 में 9.9 लाख मी० टन के उत्पादन की तुलना में 1978-79 में लगभग 9.6 लाख मी० टन बिटुमन के उत्पादन का अनुमान है। यह मामूली कमी बम्बई हाई तथा अन्य बिटुमन रहित कच्चे तेलों के अधिक शोधन, वर्ष के आरम्भ में ड्रमशीटों की उपलब्धता की समस्याओं तथा कुछ परिवहन में बाधाओं के कारणों से हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) में दिए गए उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाना

8277. **डा० रामजी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भागलपुर में शीघ्र ही एक स्वतंत्र और पूर्ण विकसित रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उक्त रेडियो स्टेशन के पास अगले वर्ष कितने मकान बनाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान भागलपुर में स्थायी स्टुडियो स्थापित करके वहां के सहायक केन्द्र को पूर्णरुपेण कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव हैं।

(ग) आवास यूनिट में 12 मकानों का निर्माण का प्रस्ताव भी छठी योजना में किया गया है। किन्तु इसका क्रियान्वयन धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

अखिल भारतीय आधार पर जारी किए गए विज्ञापन

8278. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर जारी किए जाने वाले और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों को भी दिए जाते हैं;

(ख) क्या हिन्दी समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों का पाठ केवल अंग्रेजी में दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो राजभाषा अधिनियम के इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दी के पत्रों को यथासंभव अधिक-से-अधिक विज्ञापन हिन्दी में रिलीज करने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, समयाभाव और कर्मचारियों की कमी के कारण, हिन्दी पत्रों को बहुत-से वर्गीकृत विज्ञापन अंग्रेजी में ही रिलीज किए जाते हैं। जहां पर ऐसा किया जाता है, वहाँ संबंधित समाचारपत्र द्वारा अनुवाद की व्यवस्था की जाती है। इन कमियों के होते हुए, भी नियम के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि (1) सभी सजावटी विज्ञापनों और (2) संघ लोक सेवा आयोग के वर्गीकृत-सजावटी विज्ञापनों आदि के सम्बन्ध में हिन्दी रुपांतर तैयार किया जाए।

रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के सिंचाई हेडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपना

8279. **डा० विजय मंडल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री को रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के तीनों सिंचाई हैडवर्क्स के नियन्त्रण को भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड को सौंपने के लिए लिखा है ;

(ख) क्या यह निर्णय पंजाब सरकार को स्वीकार्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी और अन्य पड़ौसी राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स को भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने संबंधी केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध पंजाब के मुख्य मंत्री ने अभ्यावेदन किया था।

(ग) मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया है कि हैडवर्क्स का हस्तान्तरण पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है। पंजाब के मुख्य मंत्री को भेजे गए अन्तिम पत्र में यह स्थिति दोहरा दी गई थी परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंटों के भट्टों के लिए कोयले का अलग कोटा

8280. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ईटों के भट्ठों के लिए कोयले का अलग कोटा आबंटित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठों के लिए कोयले का कोई अलग कोटा आबंटित नहीं करती है। ईट भट्ठों को (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्ठों को भी) कोयले का आबंटन राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें ईट भट्ठों की मांग का निर्धारण करती हैं और फिर रेलवे द्वारा राज्य के लिए समय-समय पर कुल राज्यवार कोटा नियत किया जाता है उसमें से ईट भट्ठों के लिए कोयले की रेल द्वारा ढुलाई प्रायोजित करती हैं। रेल कोटा में कोयले की ढुलाई में जो कमी आ जाती है उसको और साथ ही राज्य के कुल रेल कोटा से ढुलाई में कमी के कारण जहां कोयला नहीं पहुंच रहा है वहां इस समय सड़क द्वारा कोयला पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।सड़क द्वारा कोयला राज्य के प्रायोजन प्राधिकारियों की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर भेजा जाता है। सभी कोयला कंपनियों के पास ऐसे कोयले का पर्याप्त स्टाक है जिसे ईटें पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में ईट भट्ठों को स्लैक कोयले की सप्लाई

8281. **श्री कैलाश प्रकाशन** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1978 से फरवरी 1979 की अविधि के दौरान उत्तर प्रदेश को ईट भट्ठों में लाए जाने वाले स्लैक कोयले के प्रतिमास कितने रैक दिए गए तथा राज्य द्वारा स्लैक कोयले के कितने रैक मांगे गए थे ?

(ख) उनमें से मेरठ को कितने रैक दिए गए ; और

(ग) जिला मेरठ को गाड़ियों के अतिरिक्त ट्रकों द्वारा कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश में फरवरी, 1979 तक ईंट पकाने के लिए आवंटित कोयले की रेकों की माहवर संख्या निम्नलिखित है :—

महीना	उत्तर प्रदेश को आबंटित रैकें	उ० प्र० सरकार की कोयला रैकों की मांग
फरवरी, 1978	31	150
मार्च,1978	46	150
अप्रैल, 1978	44	150
मई, 1978	41	120
जून, 1978	9	70
जुलाई, 1978	18	100
अगस्त, 1978	31	94
सितम्बर, 1978	28	110
अक्तूबर, 1978	21	125
नबम्बर, 1979	8	150
दिसम्बर, 1978	20	150
जनवरी, 1979	9	150
फरवरी, 1979	0	150

रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए ईंटें पकाने के कोयले की ढुलाई हेतु निश्चित कार्यक्रम के अनुसार महावार औसत 122 रैकें है जिसमें से राज्य सरकार विभिन्न जिलों के लिए कोयले की सप्लाई प्रत्योजित करती है ईटें पकाने के कोयले की मांग उसके लिए आबंत्रित वैगनों से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की सिफारिश जरूरत के अनुसार सड़क द्वारा कोयला ले जाने की भी अनुमति दी जाती है ।

(ख) मेरठ को फरवरी, 1978 से फरवरी, 1979 के बीच सप्लाई की गई रैकों की संख्या 16 है।

(ग) किसी विशेष जिले अथवा राज्यों को ट्रकों द्वारा जो कोयला भेजा जाता है उसका अलग हिसाब न तो कोयला कम्पनियां रखती हैं और न केन्द्र सरकार रखती है । कोयला कम्पनियां केवल प्रत्येक मास सड़क द्वारा ले जाने के लिए बेचे गए कोयले की कुल मात्रा का हिसाब रखती हैं ।

अमोलिया उर्वरक संयंत्र के लिए भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदायी सेवा का उपलब्ध किया जाना

8282. **श्री डी०डी० देसाई:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी भारतीय फर्म 1350 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले अमोनिया संयंत्र के लिए परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध करने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उर्वरक परामर्शदायी फर्में उर्वरक उद्योग को किसी सीमा तक पूर्ण इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कर सकती हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित पश्चिम तटीय उर्वरक संयंत्रों में उनकी सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यद्यपि भारतीय फर्मों ने एक उर्वरक संयंत्र के चालू करने और खड़ा करने के लिए विस्तृत इन्जीनियरिंग, प्रबंध, निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित कर ली है, फिर भी अमोनिया संयंत्र के रिफार्मिंग ऐक्सन कार्बन डाइआक्साइड का हटाना अमोनिया सिथेसिज के कुछ नाजुक खंडों को चालू करने और खड़ा करने, विस्तृत इंजीनियरिंग तथा प्रबंध के लिए सीमित पर्यवेक्षीय सेवाओं के साथ प्रक्रिया जानकारी तथा मूलभूत इन्जीनियरिंग का आयात करना पड़ता है ।

(ग) विस्तृत इन्जीनियरिंग, प्रबंध संयंत्र के चालू करने और खड़ा करने, निर्माण तथा स्थल से दूर सुविधाएं और उपयोगिताएं स्थापित करने में भारतीय फर्मों की योग्यताओं का पूर्ण लाभ उठाया जाएगा ।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि

8283 **श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष1977-78 के दौरान राजस्थान राज्य की ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और अब तक वस्तुतः कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान राजस्थान में कितनी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी और इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्र) :(क) राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1977-78 की वार्षिक योजना में 12.25 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । उसका ब्यौरा निम्नानुसार है—

	करोड़ रुपयों में
ग्राम विद्युतीकरण निगम का सामान्य कार्यक्रम	5.50
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	4.00
राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम	2.75
	12.25

वर्ष के दौरान 18.09 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ ।

(ख) 1977-78 के दौरान 1648 गांवों को विद्युतीकृत किया गया तथा 20,881 सिंचाई पम्पसेटों/नलकूपों को अर्जित किया गया था ।

(ग) 1978-79 के दौरान निगम ने राजस्थान की 14.40 करोड़ की ऋण सहायता की 45 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें अनुमोदित कीं।

सेटों की उपलब्धता

8284. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)विश्व के प्रमुख विकासशील और विकसित देशों में जनसंख्या और रेडियो तथा टी० वी० सेटों का अनुपात क्या है तथा इस संबंध में भारत में क्या स्थिति है; और

(ख) भारत की स्थिति में सुधार करने के लिए जनता शासन के दो वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत सहित विश्व के कुछ देशों में जनसंख्या और रेडियो तक टी. वी. सेटों का अनुपात संलग्न नोट में दिया गया है ।

(ख) यह एक सामान्य प्रश्न है जो देश के अत्यधिक विकास और रेडियो तथा दूरदर्शन की सुविधाओं के विस्तार से भी सम्बन्धित है। तथापि, वर्ष 1976 और 1977 के लिए रेडियो और टेलीविजन लाइसेंसों की संख्या नीची दी गई है—

	रेडियो	टेलीविजन
(1) 1976	1,73,59,710	4,79,226
(2) 1977	2,00,96,453	6,76,615

विवरण

विभिन्न देशों में जनसंख्या की तुलना में रेडियो और टी. वी. सेटों का अनुपात

देश	प्रति 1000 जनसंख्यापर रेडियो सेट (1975)	प्रति 1000 जनसंख्या पर टी. वी. सेट (1975)
यूरोप		
पश्चिमी यूरोप	460	255
सोवियत रूस और यूरोपीयन साम्यवादी समूह	258	242
मध्यपूर्व		
उत्तरी अफ्रीका सहित	171	35
अफ्रीका		
दक्षिण अफ्रीका	209	22
अन्य अफ्रीकी देश	69	2
एशिया		
भारत	41*	1
चीन जनवादी गणराज्य	75	1

जापान	791	382
अन्य देश	89	16
आस्ट्रेलिया	565	217
पेसिफीक और ओसेनिया		
संयुक्त राज्य अमरीका	1767	512
कनाडा	217	413

देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ दल का दौरा

8285. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने और दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने तथा आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए हाल ही में आस्ट्रेलिया के किसी विशेषज्ञ दल ने भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लागू करना

8286. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल सेवा नियमों को दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों (ठेके पर रखा स्टाफ) पर लागू किया जाता है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन लाभ दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तें उनके साथ किए गए अनुबन्ध की शर्तों तथा सिविल कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान जो शर्तें इन पर भी लागू की गई हो, के आधार पर विनियमित की जाती है ।

(ख) सिविल कर्मचारियों पर लागू, सेवा नियमों के अन्तर्गत उनको उपलब्ध निम्नलिखित सुविधाएं पहले ही दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू की जा चुकी है :—

1. नियमित शुल्कमान ।
2. समान दरों पर सभी भत्ते जो सिविल कर्मचारियों पर लागू हैं।
3. यात्रा भत्ता नियम ।
4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या मेडिकल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधाएं ।
5. समान दर पर और समान शर्तों पर सभी सामान्य अग्रिम (एडवान्स) जैसे कि सिविल कर्मचारियों पर लागू हैं :

(क) त्यौहार अग्रिम (ख) सवारी का क्रय (ग) गृह निर्माण अग्रिम (घ) यात्रा भत्ता अग्रिम (ङ) अग्रिम वेतन ।

6. केन्द्रीय भविष्य निधि की सुविधाएं ।

7. ग्रेच्युटी ।

8. अवकाश नियम; वे सभी प्रकार की स्वीकार्य छुट्टी के लिए पात्र है, जैसे (क) आकस्मिक अवकाश (ख) वर्जित अवकाश (ग) डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर अवकाश या (घ) असाधारण अवकाश जो अनुबन्ध पर लगे सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं ।

9. पदोन्नति के अवसर ।

10. हितकारी निधि की सुविधाएं ।

11. केन्द्रीय सरकार बीमा योजना ।

12. डिपोजिट लिंकड बीमा योजना ।

(ग) और (घ) स्टाफ आर्टिस्ट अंशदायी निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि की सुविधाओं, जो गैर-पेंशन वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, के भी हकदार हैं। इसके अलावा, सिविल कर्मचारियों की तरह वे ग्रेच्युटी के भी हकदार हैं ।

भीलवाड़ा जिले के अगुटा गांव के निकट बड़ी मात्रा में श्रेष्ठ किस्म के जस्ते और सीसे के भण्डार

8287. **श्री दौलतराम सारण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान खान और भूवैज्ञानिक विभाग ने भीलवाड़ा जिले में अगुटा गांव के निकट बड़ी मात्रा में श्रेष्ठ किस्म के जस्ते और सीसे के भंडारों का पता लगाया है और क्या उक्त क्षेत्र में 13 प्रतिशत से अधिक जस्ते और तीन प्रतिशत से अधिक सीसा विद्यमान है;

(ख) क्या वहां निकल और कोबाल्ट का भी पता लग रहा है;

(ग) राजस्थान के किन अन्य स्थानों पर खनिजों का पता लगा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन खनिजों का पता लगाने और राजस्थान सरकार के माध्यम से इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुन्डा) (क) राजस्थान सरकार के खनन और भूतत्व निदेशालय द्वारा भीलवाड़ा जिले के अगुटा ग्राम के निकट गोसान क्षेत्र में जस्ता-सीसा खनिजिकरण होने के सतही संकेतों का पता लगाने की सूचना मिली है । एकत्र किए गए कुछ नमूनों में औसतन लगभग 2.5 प्रतिशत सीसा और लगभग 3 प्रतिशत जस्ता के संकेत हैं ।

(ख) नमूनों में गौण मूल्य (प्रति मिलियन 5 से 110 अंश) और कोबाल्ट (प्रति मिलियन 5 से 90 अंश) के निकिल का संकेत मिला है ।

(ग) सीसा-जस्ता अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार उदयपुर जिले के जावर और राजपुरा दरीबा में स्थित हैं। राजस्थान में सीसा-जस्ता अस्यक के अन्य प्राप्तिस्थल देदवास और देवपुरा जिला भीलवाड़ा; सावर जिला अजमेर और डेरी जिला सिरोही में हैं। झुंझुनु जिले की खेतड़ी पट्टी में तांबा खनिजीकरण के साथ को वाल्ट और निकिल का भी पता चला है। पाली जिले के रणकपुर में भी गौण मूल्य के निकिल का पता चला है।

(घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) द्वारा पहले ही जावर में सीसा-जस्ता भंडारों की खुदाई की जा रही है और उदयपुर के पास देवारी में उनका एक जस्ता प्रद्रावक है। वे राजपुरा-दरीबा में भी सीसा-जस्ता भंडार का विकास कर रहे हैं।

भीलवाड़ा जिले के अगुटा ग्राम में सीसा-जस्ता भंडार के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी वहां खोज कार्य चल रहा है। अन्य प्राप्ति स्थलों के बारे में भी विभिन्न स्तरों पर समन्वेषण का कार्य चल रहा है।

प्रचुर खनिज निक्षेपों वाले राज्य

8288. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां खनिजों के प्रचुर निक्षेप हैं ;

(ख) इन खनिजों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ; और

(ए) क्या अपने हित में, तथा इन खनिजों को सर्वोत्तम उपयोग के लिए कानून बनाने का राज्यों को अधिकार है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आँध्रप्रदेश, कर्नाटक, पं० बगाल, आसाम, गुजरात और गोवा।

(ख) केन्द्रीय सरकार खानों के विनियमन; खनिजों के विकास, संरक्षण और उपयोग; खनन कार्यों की लागत में कटौती; और खानों में सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में सलाह देकर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देती है। केन्द्रीय सरकार खनिजों के समन्वेषण और खोज तथा भूवैज्ञानिक मानचित्रण का काम भी करती है।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के अंतर्गत खानों के विनियमन और खनिज विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जब किसी सीमा तक इन अधिकारों का उपयोग करना समीचीन नहीं समझा जाता, तो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 23 के अंतर्गत राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। राज्य सरकारें इस समय गौण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों के अनुदान के विनियमन हेतु नियम बनाने के अधिकारों का उपयोग कर रही हैं।

टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव

8289. **प्रो० पी० जी० मावलंकर**
श्री छोटूभाई गामित) : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात में प्रस्तावित नये टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए राजधानी-गांधी नगर में, न कि अहमदाबाद में, किसी स्थल का प्रस्ताव किया है और उसे पास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो क्यों ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए अहमदाबाद में और उसके आस-पास स्थलों की खोज की है और यदि हां, तो उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क), (ख), (ग) और (घ) गुजरात सरकार ने गांधीनगर में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र को स्थापित करने के लिए मुफ्त में एक स्थान देने की पेशकश की है। अहमदाबाद अथवा उसके इर्द-गिर्द के अन्य स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्थान के लिए अन्तिम निर्णय अभी किए जा रहे सर्वेक्षणों के परिणामों के जानने के बाद लिया जाएगा।

रूपड़ तापीय विद्युत परियोजना

8290. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो)**
चौधरी बलबीर सिंह) : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1000 मेगावाट रूपड़ वृहत तापीय विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के पास अनिर्णीत पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से अनिर्णीत पड़ी हुई है और इसको स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रोपड़ में 5×200 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना करने संबंधी प्रारंभिक रिपोर्ट नवम्बर. 1977 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त आंकड़े इस रिपोर्ट में नहीं थे। विभिन्न मसलों को स्पष्ट करने के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कई बैठकें हुई थीं। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से नवम्बर, 1978 में एक संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में रोपड़ में चरण-एक में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने और चरण-दो में 210-210 मेगावाट की तीन यूनिटों की और वृद्धि करने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना को जिस समयावधि में पूरा करने की परिकल्पना रिपोर्ट में की गई थी उस समयावधि में इस केन्द्र के लिए कोयले की ढुलाई करने संबंधी अपनी क्षमता के बारे में रेल मंत्रालय ने कोई पुष्टि नहीं की थी। कोयला विभाग ने बताया है कि इस विद्युत केन्द्र के लिए 1985-86 से तथा उसके बाद कोयला उपलब्ध कराया जा सकता है। तथापि, इससे पहले अर्थात् 1984-85 से कोयले की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इन मामलों पर विचार करने के लिए एक बैठक हाल ही में योजना आयोग में

हुई थी। इस परियोजना के लिए अपेक्षित समयावधि में कोयले की उपलब्धता की समस्या पर तथा उसकी ढुलाई के बारे में अध्ययन करने के लिए कोयला विभाग और रेल मंत्रालय ने कुछ और समय मांगा है।

जब कोयला विभाग 1984-85 से कोयले का लिंकेज स्थापित कर दिए जाने की पुष्टि कर देगा तथा रेल मंत्रालय भी कोयले की ढुलाई उसी वर्ष से प्रस्तावित विद्युत केन्द्र के स्थल तक करने संबंधी अपनी क्षमता की पुष्टि कर देगा तो यह परियोजना तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

बंगलौर में एक पृथक फिल्म सेंसर बोर्ड की मांग

8291. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक पृथक फिल्म सेंसर बोर्ड गठित किए जाने की मांग है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक में बड़ी संख्या में निर्मित कन्नड़ और अन्य फिल्मों की जानकारी है, जिनमें से कुछ को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मांग के हक में विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिल्म सेंसर बोर्ड के एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के खोलने की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है।

मिलावटी पेट्रोल का बेचा जाना

8292. **डा० महा दीपक सिंह शाक्य** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के व्यापारी मिट्टी का तेल मिला पेट्रोल बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फुटकर बिक्री केन्द्रों पर बिक्रय किए जाने वाले पेट्रोल में मिलावट के सम्बन्ध में कुछ एक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ख) क्वालिटी नियंत्रण उपायों के रूप में तेल कम्पनियां निम्न उपाय कर रही हैं :—

I. पेट्रोल सप्लाई करने वाले स्टाक केन्द्रों पर क्वालिटी नियंत्रण उपाय लागू किए जा जा रहे हैं;

II. सप्लाई करने वाले स्टाक केन्द्रों पर पेट्रोल ले जाने वाले टैंक ट्रकों को सील किया जाता है ;

III. उत्पाद की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए टैंक ट्रक चालकों को सावधान किया जाना है;

IV. तेल कम्पनियों के फील्ड स्टाफ द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच की जाती है;

V. पेट्रोल देने वाले पम्पों में दिखाई गयी कुल मात्रा के साथ डीलर के स्टाक का वास्तविक सत्यापन किया जाता है;

VI. पेट्रोल की मिलावट पकड़ने के लिए फिल्टर पेपर परीक्षण अपनाया गया है ; और

VII. प्रयोगशाला में जांच के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों से सैम्पल लिए जाते हैं।

राज्य सरकारों /केन्द्र शासित प्रदेरों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करें और पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने वालों के साथ कड़ी कार्यवाही करें। उन्हें यह भी सलाह दी गयी है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों से समय-समय पर पेट्रोल के सैम्पल जांच सुनिश्चित करें और अपराधियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करें।

एल. पी. गैस का अन्तरण

8293. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल. पी. गैस का उपभोक्ता किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को कनैक्शन का अन्तरण नहीं कर सकता है; यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और ऐसी रोक के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अन्तरण सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में गैस कनैक्शन रिकार्डों में पंजीकृत वास्तविक उपभोक्ताओं की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों द्वारा रखे जा रहे हैं और उपयोग में लाये जा रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गैस कनैक्शनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दृष्टि से कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमति के साथ एल०पी० गैस कनैक्शन के अन्तरण के लिये नीति बनाने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) वर्तमान रीति के अनुसार साधारणतया गैस कनैक्शन अहस्तान्तरणीय होते हैं। एक नाम से दूसरे को गैस कनैक्शन स्थानान्तरण करने की कोई पद्धति नहीं है तथापि मृत्यु आदि की विशेष परिस्थितियों में जब कभी भी नजदीकी सम्बन्धी की प्रार्थना पर गैस कनैक्शन का स्थानान्तरण करना पड़ता है, तेल कंपनी के वितरक पहले मूल उपभोगकर्ता के नाम एक टर्मिनेशन वाउचर बनाते हैं और तब कहे गए टर्मिनेशन वाउचर के बदले में नया गैस कनैक्शन (बदले हुए नाम पर) जारी करते हैं। ऐसे मामलों में गैस सिलेण्डर तथा प्रेशर रेग्यूलेटर के लिए प्रतिभूति जमा धनराशि प्रचलित दर पर ली जाती है।

(ख) वास्तविक पंजीकृत उपभोक्ता की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ गैस कनैक्शनों के रखने तथा प्रयोग में लाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सैनिक अस्पतालों में सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों के भोजन सम्बन्धी शुल्क

8294. **श्री आर० एस० माने :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या सैनिक अस्पतालों में सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को भी उन्हीं दरों पर भोजन प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान करने का है जो सेवारत अधिकारियों पर लागू होती है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी, नहीं ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विरुद्ध आरोप

8295. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1979 के बंगला साप्ताहिक "कोल फील्ड टाइम्स" में प्रकाशित भारत सरकार के उपक्रम ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के विरुद्ध कथित आरोपों की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) संगठन के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के कुछ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों की जांच की है और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं । इन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार समुचित कार्यवाई की जा रही है ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी

8296. **श्री मही लाल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं और प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं,

(ख) क्या वहां सभी श्रेणियों में आरक्षित कोटा पूरा है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में कितनी भरती की गई और कितना आरक्षित कोटा भरा गया, क्या कमी पूरी कर दी गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में गैर कानूनी रूप से की गई भरती के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

पंजीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना

8297. **श्री श्याम सुन्दर दास** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय ने 1972 में इस आशय के अनुदेश जारी किए थे कि औषध फर्मों द्वारा अपने प्रपत्र "क" और "ख" में बताया जाने वाला उत्पादों का ब्यौरा

और क्षमताएं ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए क्षमताएं होंगी;

(ख) यदि हां, तो प्रपत्र "क" और "ख" में निवेदित क्षमताओं की तुलना में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-पत्र के बारे में उनके मंत्रालय के पास ब्यौरा उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे ब्यौरे के अभाव में कम्पनियां पंजीकरण प्रमाणपत्रों, नए उत्पादों का उत्पादन आरम्भ कर सकती हैं, यदि नहीं, तो ऐसे नए उत्पादनों के उत्पादन की अनुमति किस आधार पर दी गई अथवा उसे किस आधार पर रोका गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) औषध फर्मों द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय फार्म (क) और (ख) में दिए गए ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध हैं।

(ग) पंजीकरण प्रमाण-पत्र, औषध कम्पनियों को केवल ऐसे मदों के निर्माण की अनुमति देते हैं जो उनके द्वारा आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के लागू होने से पहले निर्मित किए जा रहे थे अथवा जिनके उत्पादन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे। इस मंत्रालय में गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्राधिकार के अन्तर्गत किसी नए उत्पाद का निर्माण आरम्भ करने के लिए किसी औषध कम्पनी को कोई अनुमति नहीं दी है।

फिल्म समारोह के आरम्भ के दिन कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में समाचार

8298. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1979 की "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर गया है कि फिल्म समारोह के प्रारम्भ के दिन विज्ञान भवन के संवाददाता प्रकोष्ठ में कुछ बच्चे और गैर-पत्रकार उपस्थित थे;

(ख) यदि हां, तो क्या स्पेशल एक्रेडिटेटेड कमेटी ने उन्हें निमन्त्रण पत्र जारी किए थे; और

(ग) यदि हां, तो ये निमन्त्रण किन व्यक्तियों को जारी किए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 4 जनवरी, 1979 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली में इस प्रकार का कोई समाचार छपा प्रतीत नहीं होता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बड़े औद्योगिक गृहों की कम्पनियां

8299. **डा० बापू कालदाते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े गृहों (औद्योगिक) की परिभाषा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 तक बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों के श्रेणीवार/औद्योगिक गृहवार नाम क्या हैं; और

(ग) मार्च, 1977 के बाद प्रत्येक औद्योगिक गृह से कितनी नई कम्पनियां बनीं और उनके नाम क्या हैं ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के प्रसंग में, ऐसा प्रत्येक उपक्रम, जिसकी स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रु० या इससे अधिक की परिसम्पत्तियां हों, एवं इससे वह उक्त अधिनियम की धारा 20 (क) (1) तथा 20 (क) (2) के उपबन्धों के सीमान्तर्गत आता हो, बृहद औद्योगिक घराना समझा जाता है ।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत 31-12-1978 तक पंजीकृत ऐसे सभी उपक्रमों की पूर्ण सूची, जो समूह/श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित की गई है, संलग्न है ।

(ग) उन उपक्रमों के नाम, जो मार्च 1977 के परवर्ती एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये थे, पर संलग्न सूची में *लगाया गया है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4359179)

आयुध बोर्ड

8300. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्नत योरुरोपीय देशों की पद्धति पर एक नया आयुध बोर्ड बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को गहराई से अध्ययन किया गया है कि क्या अन्य देशों की ऐसी पद्धति इसकी क्षमता, कार्यकुशलता और जलवायु सम्बन्धी स्थिति पर विचार करते हुए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी; और

(ग) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि इसके पुनर्गठन का कार्य क्रमिक रूप से किया जाना चाहिए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एक आयुध कारखाना बोर्ड (न कि आयुध बोर्ड) हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। यह बोर्ड विकसित योरोपीय देशों की प्रणालियों के आधार पर नहीं बनाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

'इनसाइड एच०ए०एल० टुडे' शीर्षक से समाचार

8301. **श्री सौगत राय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10, 11 और 12 मार्च 1979 के अंग्रेजी दैनिक 'डेकन हेरल्ड' के तीन भागों में "इनसाइड एच०ए०एल० टुडे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार समझती हैं कि इन लेखों में प्रकाशित इन गंभीर चूकों/कार्यवाहियों को शीघ्र ठीक किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो देश में डिजाइन के विकास को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी डिजाइन विकास में हुई चूकों के लिए दायित्व निर्धारित करने और उच्च पदों को कम करने के लिए सरकार उत्पादन, औद्योगिक सम्बन्धों, विशेषकर आफिसर एसोसिएशन तथा उच्च प्रबंधकों के बीच, सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, उर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन लेखों के बारे में पता चला कि उनमें हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बारे में गलत सूचना दी गई है और उसकी तस्वीर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की गई है । इसलिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने इस लेख का प्रत्युत्तर भेजा जो 'डेकिन हेराल्ड' में 17 मार्च, 1979 को प्रकाशित कर दिया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उनको मुआवजे का भुगतान

8302. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम स्टील प्लांट परियोजना के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी उनके मामलों को मुआवजे के भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) कुल कितने मामलों में से कितने व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है और कितनी अवधि में शेष मामलों का निपटान कर दिया जायेगा और मुआवजे की धनराशि कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) भूमि अर्जन का कार्य तमिलनाडु सरकार कर रही है और भू-स्वामियों को मुआवजे की अदायगी भी तमिलनाडु सरकार द्वारा ही की जानी है । राज्य सरकार ने सेलम इस्पात परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि के 275 क्षतिपूर्ति-पंचाटों के अन्तर्गत 202.06 लाख रुपये की अदायगी की है । परन्तु बहुत से मामलों में विभिन्न न्यायालयों में अपीलें और प्रति अपीलें चल रही हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को राज्यों में कूकिंग गैस एजेन्सियों का आबंटन

8303. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुकिंग गैस एजेन्सियों के आबंटन के मामले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व और पर्याप्त प्रतिशतता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उपर्युक्त श्रेणियों के उनके नाम और पते क्या व्यक्तियों जिन्हें विभिन्न राज्यों में कुकिंग गैस की एजेन्सियां दी गई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकारी नीति निर्देशों के अनुसार इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों में खाना पकाने की गैस की वितरक एजेन्सी सहित सभी तरह के डीलर एजेन्सी की 25 एजेन्सियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को दी जाती हैं। ये मार्गदर्शी नियम दिनांक 23-9-1977 को जारी किए गए थे। परन्तु इन्डियन आयल कापोरेशन (आई०ओ०सी०) इस नीति का दिनांक 1 जनवरी, 1974 से ही अनुसरण कर रहा है। पिछड़े वर्गों के लिए ऐसा कोई आरक्षित कोटा नहीं है।

(ख) दिनांक 1-1-1974 से दिनांक 28-2-1979 के बीच अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों, जिनको खाना पकाने की गैस की वितरक एजेन्सियां दी गई हैं, उनके नाम और पते दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

क्रम सं० वितरक एजेसियों के नाम और पते

1. श्री माखन लाल, 3382, क्रिश्चियन कालोनी, करोल बाग, नई दिल्ली।
2. श्री चन्द्र गुप्ता, 104, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
3. श्री एम० श्री धरन, श्रीधर गैस सर्विस, 354, एम०के०एन० रोड, अलन्दूर, मद्रास (तमिलनाडु)
4. श्री के० वेलनगिर, 26, सी०आई०टी० नगर, क्रास स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास (तमिलनाडु)
5. श्री टी०एस० साहा, मै० कुकिंग गैस एपलिएसेस, शाप नं० 65, साल्ट लेक सीटी, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
6. श्री एल० पदमनाभन, अमुला गैस सर्विस, टी०सी० नं० 2/1771, एल०आई०सी० के सामने, पट्टोन, त्रिवेन्द्रम, केरल।
7. श्री एम०के० देव वर्मन, मै० गैस-ओ-फ्लैम, प्लेस नार्थ, घाटे, अगरतल्ला-799001 (त्रिपुरा)
8. श्री सैजा, मैनीपुर गैस सर्विस, थांगल बाजार, पी०ओ० इम्फाल, मनीपुर।
9. श्री सगैमा, मै० सुग्रकछुंगा, 16 जुरकोट स्ट्रीट, ऐजल, मिजोरम।
10. श्री केरिस्टोटो जोपिअंगा, मै० डोमेस्ट गैस, आफिसर्स हिल, कोहिमा (नागालैंड)

क्रम सं०	वितरक एजेंसियों के नाम और पते
11.	श्री एच०एस० चौहान और श्री आर०एन० सोलन्की, उदय गैस सर्विस, पुलिस चौकी के पास, सैजापुरभुगहा नरोदा रोड, अहमदाबाद (गुजरात)
12.	श्री यशवंत कुमार कुर्रे और श्री पुरशोतामैल कुर्रे, बसंत गैस एजेंसीज, बेली कालेज के पीछे, मुसाखेरी रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
13.	श्री एन०के० सोलन्की, अतुल एजेंसीज, सरदार नगर, मेन रोड, एस्ट्रान सिनेमा के सामने, राजकोट (गुजरात)
14.	श्री कुमार नायक, मै० क्लीन गैस, कमरा नं० 5, नरुला आईस फैक्टरी, यूनिट-3, जनपथ, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
15.	एम०एस० नाग, तुशार एजेंसीज, बस स्टैंड के सामने, हजारी बाग (बिहार)
16.	मिस पाली दास, दमदम गैस सर्विस, 213/3, दमदम कोसीपुर रोड, कलकत्ता-74 (पश्चिम बंगाल)
17.	श्री सुनीत वरन डे, श्रीमा इण्डेन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 87-बी, राजा एस०सी० मलिक रोड, कलकत्ता-47 (पश्चिम बंगाल)
18.	श्री एस० मण्डल, बड़ानगर गैस सर्विस, 44/51, बारकपुर ट्रंक रोड, कलकत्ता-50 (पश्चिम बंगाल)
19.	श्री अनूप चन्द्र कालिटा, मै० सिवन्द गैस सर्विस, गोहाटी (असम)
20.	श्री विपल के०आर० दास, मै० माया गैस सर्विस, गोहाटी (असम)
21.	श्री मुरलीधर नायक, स्टेशन कालेज होस्टल नं० 3, बड़ागढ़ रोड, भुवनेश्वर-14 (उड़ीसा)
22.	श्री जे० एन० खरीम, गांव-रूपा, जिला कनेंग, अरुणाचल प्रदेश ।
23.	कपाड़िया एंटरप्राइजिज, महरानन्द कोओपरेटिव सोसाइटी लिमि०, 152/ए/6, शंकर मठ, पुणे-411013 (महाराष्ट्र)

मैसर्स ड्यूमेक्स का मैसर्स फाइजर के रूप में पुनर्निगमन

8304. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री ड्यूमेक्स का नाम बदलकर फाइजर रखने के बारे में 29 अगस्त, 1978 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड का भारत में अलग कम्पनी के रूप में अस्तित्व कब समाप्त हुआ और यह मैसर्स फाइजर के रूप में कब पुनर्निगमित हुई;

(ख) क्या जब मैसर्स ड्यूमैक्स अस्तित्व में थी तो उससे पहले या उस समय मैसर्स फाइजर भारत में निगमित थी;

(ग) मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर बाद में मैसर्स ड्यूमेक्स के औद्योगिक लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में मैसर्स फाइजर का नाम कैसे बदला गया और मैसर्स ड्यूमैक्स के कितने औद्योगिक लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों में यह परिवर्तन किया गया; और

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किन उपबन्धों, नियमों और विनियमनों के अन्तर्गत नाम में यह परिवर्तन किया गया, मैसर्स फाइजर द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों के अन्तरण के लिए दिए गए आवेदनपत्र का ब्यौरा क्या है और इस समय मैसर्स ड्यूमैक्स के प्रमाण-पत्र पर मैसर्स फाइजर के नाम का पृष्ठांकन किसने किया ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पटिल) : (क) तथा (ख) 20-2-1961 को मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड से तारीख 1-6-1961 से मैसर्स फाइजर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के नाम का परिवर्तन करते हुए विशेष संकल्प पारित किया। मैसर्स फाइजर प्रा० लि० नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप विनिगमन का स्वच्छ प्रमाणपत्र, कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा 1-6-1961 को जारी किया गया। इस प्रकार से मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड समाप्त नहीं हुआ, इस तरह, केवल 1-6-1961 से उसका नाम मैसर्स फाइजर प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित हुआ। मैसर्स फाइजर प्राइवेट लिमिटेड बाद में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन गई।

(ग) तथा (घ) औद्योगिक उपक्रमों के पंजीकरण और लाइसेंस नियम, 1952 के नियम 19 (क)(2) के अनुसार, अगर पंजीकृत औद्योगिक उपक्रम या उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में लाइसेंस या अनुमति अधिनियम के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई थी, के स्वामित्व में कोई परिवर्तन हुआ हो तो नये स्वामित्व के लिए उस समय के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को तथ्य को लिखते हुए नोटिस देना तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र या लाइसेंस जैसा भी मामला हो, उस मंत्रालय को औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व के परिवर्तन को पृष्ठांकित करते हुए, अग्रेसित करना अपेक्षित था।

चूंकि मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नाम 1-6-1961 को मैसर्स फाइजर प्राइवेट लिमिटेड से परिवर्तित किया है जो उत्तर के उपरोक्त भाग (क) और (ख) में स्पष्ट किया गया है इसलिए औद्योगिक लाइसेंसों तथा पंजीकरण प्रपाण-पत्र जो मैसर्स ड्यूमैक्स के नाम से धारित थे, वे जुलाई, 1961 में मैसर्स फाइजर के नाम में कथित नियम औद्योगिक उपक्रमों के पंजीकरण लाइसेंस नियम, 1952 के अनुसार उस समय के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पृष्ठांकित कर दिए गए। मैसर्स ड्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड के औद्योगिक लाइसेंसों तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या की सूचना, जिसमें मैसर्स फाइजर लिमिटेड में नाम परिवर्तित हुआ था, वह पैट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

संगठित क्षेत्र को कीटनाशक फार्मूलेशन लाइसेंसों का जारी किया जाना

8305. **श्री नटवर लाल वी० परमार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) संगठित क्षेत्र के औषध निर्माता एककों को जारी किए गए कीटनाशक फार्मूलेशन लाइसेंसों में क्या-क्या मदें शामिल हैं, जिन फर्मों को लाइसेंस जारी किए गए उनके नामों, गत तीन वर्षों के दौरान, उनके द्वारा उत्पादित मदों, उनकी क्षमताओं और उनके विक्रय-मूल्यों तथा उन्हें प्रत्येक मद का कितना निर्यात करने की अनुमति दी गई इन सब का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय क्षेत्र के एककों को उन्हीं/उसी प्रकार की फार्मूलेशनों के लिए कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए और उनके अस्वीकार किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हमारे देश में बेचे जाने वाले कीटनाशक पेटेन्ट उत्पादों की स्थित क्या है, उन्हें यहां कब से बेचा जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होने इनके प्रतिवर्ष कितना मुनाफा कमाया गया।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में लगने वाला समय और प्रयास प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

फोटो डिविजन में कुछ कर्मचारियों का कार्यकरण

8306. **श्री पीयूष टिर्की** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के फोटो डिवीजन में ब्रोमाइड प्रिन्टस फिनिश तथा ड्राइमाउन्टिग असिस-टैन्टों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) अपने उसी पद पर ये लोग कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या उन्हें आगे और पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। ड्राई माउंटिंग सहायक, फिनिसर्स और ब्रोमाइड प्रिंटर्ज की पदोन्नति के लिए प्रोडक्शन सहायक के उच्च पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	यथास्थिति में पदधारी की संख्या	पदधारी कब और किस वर्ष से उसी रूप में काम कर रहे है
1.	ड्राईमाउंटिंग असिस्टेंट	3	(1) एक पदधारी 1976 से (2) दो पदधारी 1978 से
2.	फिनिशर	12	(1) एक पदधारी 1958 से (2) तीन पदधारी 1961 से (3) एक पदधारी 1962 से (4) तीन पदधारी 1970 से (5) दो पदधारी 1971 से (6) एक पदधारी 1974 से

1	2	3	4
			(7) एक पदधारी 1976 से
4.	ब्रोमाइड प्रिंटर	25	(1) दो पदधारी 1956 से
			(2) तीन पदधारी 1957 से
			(3) एक पदधारी 1958 से
			(4) तीन पदधारी 1961 से
			(5) दो पदधारी 1962 से
			(6) एक पदधारी 1963 से
			(7) एक पदधारी 1964 से
			(8) एक पदधारी 1965 से
			(9) एक पदधारी 1967 से
			(10) एक पदधारी 1970 से
			(11) एक पदधारी 1973 से
			(12) चार पदधारी 1974 से
			(13) एक पदधारी 1975 से
			(14) दो पदधारी 1978 से
			(15) एक पदधारी 1979 से

आसाम आयल कम्पनी का खरीदा जाना

8307. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आसाम आयल कम्पनी के खरीदने के लिए बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि अधिग्रहण को अन्तिम रूप दिया गया है तो सरकार को कितने मूल्य की अस्तियां प्राप्त होंगी और उनका भारत में बाजार मूल्य क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो कम्पनी के हितों को शीघ्र अधिगृहीत करने में क्या रुकावटें हैं; और

(ङ) दिगबोई तेल क्षेत्रों के तेल के कुंओं से अशोधित तेल कब तक मिलता रहेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी हां। ये बातचीत भारत में इस कम्पनी की केवल परिसंपत्तियों तथा दायित्वों से सम्बन्धित हैं।

(ख) जनहित में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जनहित में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ङ.) वर्तमान संकेतों के अनुसार रिकवरी की अनुमानित आर्थिक-अवधि 10 से 15 वर्षों के भीतर है।

वर्गीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

8308. **श्री राम सागर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त वर्गीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है. और यदि हां, तो सरकार इसे कब तक लागू करेगी;

(ख) इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और गैर-औद्योगिक श्रमिकों की स्थितियों और सेवा शर्तों में विषमता को पूरा करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने औद्योगिक कार्यों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी है। गैर औद्योगिक कामों से सम्बन्धित रिपोर्ट, आशा है, समिति मई, 1979 में प्रस्तुत कर देगी। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और यथा शीघ्र समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(ग) इन बातों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक कर्मचारियों की बर्तमान छुट्टी की हकदारियों में कोई परिवर्तन करना सरकार व्यवहार्य नहीं समझती—उत्पादन के व्यापक हित, उच्च वित्तीय प्रतिबद्धिता, अन्य क्षेत्रों पर इसके प्रत्याशित प्रभाव और औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में पूरी तरह से अन्तर।

(घ) यह मामला जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की ओर से उठाया गया था। मामले को पंच फैसले के लिए भेजने का प्रश्न विचाराधीन है।

गैस सिलेण्डरों में कम गैस की सप्लाई

8309. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस तथ्य का पता लगाने का है कि गैस सिलेण्डर (एल० पी० जी० गैस सिलेण्डर) सप्लाई करने वाली एजेंसियां गैस सिलेण्डरों में पूरी मात्रा में गैस नहीं भरते और सामान्यत: सिलेण्डरों का भार निर्धारित भार से कम होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार दोषी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है अर्थात् उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ऐसी अनियमितताएं की गयीं हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गैस सिलेंडर

तेल कम्पनियों के सुविधाग्राहियों के बाटलिंग संयंत्रों पर स्वचालित तथा गैर स्वचालित मशीनों द्वारा भरे जाते हैं। सिविल आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय का तौल और माप निदेशालय नियमित अवधि में इन मशीनों का निरीक्षण करता है और मोहर लगाता है। परिवहनकर्ताओं को सिलेंडरों को देने से पहले कभी-कभी अचानक निरीक्षण किया जाता है। कम भरे हुए सिलेंडर, यदि कोई हो, अलग रख लिए जाते हैं और बाटलिंग संयंत्र से केवल सही तौल वाले सिलेंडरों को ही वाहकों को दिया जाता है। डीलरों द्वारा डिलवरी के समय, उनके शो रूम तथा गोदामों की भी सहसा जांच की जाती है। तेल कम्पनियों को पुनः सलाह दी गई है कि डीलर के गोदामों, शोरूम तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते समय वह अपनी एल० पी० जी० सिलेंडरों की जांच को तेज कर दें और उन डीलरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें जो कि कम गैस भरे सिलेंडरों की सप्लाई करते हुए पाये जायें।

(ख) उपरोक्त सावधानियों के बावजूद भी यदि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई को तुरन्त गौर किया जाता है।

(ग) वर्ष 1979 के प्रथम तीन महीनों के दौरान मेरे मंत्रालय के शिकायत कक्ष में डीलरों द्वारा कम तौल के सिलेंडरों की डिलीवरी के संबंध में पांच शिकायतें प्राप्त हुई। यह शिकायतें दिल्ली (4) और पटियाला (1) शहरों से संबंधित थीं। तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त इन और अन्य शिकायतों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जांच की गई।

उद्योगों के लिए जानकारी का आयात

8310. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहना कहां तक सच है कि सरकार ने हाल ही में कार्बनिक रसायनों, कृत्रिम रेशों, प्लास्टिक के कच्चे माल या रबड़ संश्लिष्टों जैसे उद्योगों के मामले में जानकारी के आयात को उदार बना दिया है ; और

(ख) क्या सरकार ने देश में ही उपलब्ध वर्तमान जानकारी तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभा का उपयोग करने की संभावना का अनुमान लगा लिया है !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जैसा कि दिनांक 28-12-1978 के प्रैस नोट में रूपरेखा प्रस्तुत की गई, सरकार ने देश में उपलब्ध जानकारी के मूल्यांकन के पश्चात कुछ तर्कसंगत मामलों के उपलब्ध प्रमाणित देशीय जानकारी वाले क्षेत्रों में भी जानकारी के बाहर से आयात किए जाने की संशोधित नीति की घोषणा की। यह नीति न केवल कार्बनिक रसायनों, कृत्रिम रेशों, प्लास्टिक के कच्चे माल तथा रबड़ संश्लिष्टों जैसे उद्योगों पर लागू है अपितु अन्य उद्योगों पर भी लागू है।

प्रसारण के लिये प्रयोग की जा रही भाषाएं

8311. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की 14 राष्ट्रीय भाषाओं के अतिरिक्त प्रसारण के लिये अन्य कौन सी भाषाओं (बोलियों) का प्रयोग किया जाता है और किन केन्द्रों से ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के अतिरिक्त, आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 48 केन्द्रों से 136 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

सेना अधिकारियों के माता-पिता तथा आश्रितों को निःशुल्क सवारी सुविधा

8312. **श्री वी०जी०हाँडे** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 में बनाये गए नियमों के अधीन सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के माता-पिता और अन्य आश्रितों जिनकी व्यक्तिगत आय 250/- रुपये प्रति मास नहीं थी और जो संबंधित अधिकारियों के साथ रहते थे, घर जाने तथा वापिस आने के लिए निःशुल्क सवारी के हकदार थे;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यक्तिगत आय की इस अधिकतम सीमा को 1971 से जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ा दिया गया है ; यदि हां, तो पुनरीक्षित अधिकतम सीमा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारियों सहित रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति चार वर्ष में एक बार अपने परिवारों के साथ छुट्टी यात्रा सुविधा का लाभ पाने की अनुमति नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जिन सशस्त्र सेना अफसरों के माता-पिता और अन्य आश्रितों की व्यक्तिगत आय 250/- रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होती और जो संबंधित अफसर के साथ रहते हैं वे पहली जनवरी 1976 से अपने निवास स्थान और वहां से वापस मुफ्त यात्रा करने के हकदार हैं। इस बारे में 1971 में कोई नियम नहीं बनाए गए थे। 1976 में निर्धारित 250/—रु० प्रति माह की व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा बढ़ाई नहीं गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के लिए अलग नियम बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत वे निम्नलिखित छुट्टी यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं:—

(i) जब अफसर छुट्टी पर जाते हैं तब वे अपनी सेवा के दूसरे वर्ष से दो वर्ष में एक

बार अपने निवास स्थान और वहाँ से वापस मुफ्त यात्रा करने के हकदार हैं। अफसर के परिवार के सदस्य भी यह रियायत पाने के हकदार हैं।

(ii) कमीशन प्राप्त अफसर और उनकी पत्नी एक वर्ष में उस स्थान तक मुफ्त यात्रा करने के हकदार हैं जहां वे अपनी वार्षिक छुट्टी बिताना चाहते हों, बशर्ते एक ओर की यात्रा 965 किलोमीटर से अधिक न हो।

(iii) जो अफसर यूनिट/विरचना में काम करते हैं और जिनके कार्मिक फील्ड सेवा रियायत पाते हैं उन्हें अन्य छुट्टी यात्रा रियायत लेने की छूट है।

इसके अतिरिक्त, सेना अफसर अपने और अपने परिवार के प्रयोग के लिए 'डी' फार्म की 3 प्रतियां पाने के हकदार हैं।

सेशन न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

8313. **श्री केशव राव घोंडगे** : क्या न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सेशन न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं;

(ख) ऐसे रिक्त पदों की, राज्यवार, क्या संख्या है;

(ग) इन पदों को अब तक न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार पदों को भरने के लिए क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों के न भरे जाने का मुख्य कारण राज्य प्राधिकारियों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना या देर से प्राप्त होना है। वर्तमान सरकार इस विषय पर अविलम्ब रूप से ध्यान देती रही है और उसने राज्य प्राधिकारियों के बारे में पूछने और उन्हें भेजने के लिए जोर देने में पहल की है। विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप, स्थिति बहुत हद तक सुधर गई है। 1-4-77 से 23-4-1979 तक कुल मिलाकर 125 नई नियुक्तियां की गईं (जिनमें से 52 नियुक्तियां 1977-78 के दौरान और 23 नियुक्तियां उसके बाद की गईं) जबकि 1976-77 में केवल 23 नियुक्तियां ही हुई थीं।

सेशन न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों का है, केन्द्रीय सरकार का नहीं।

विवरण

(I) उच्च न्यायालय

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	23-4-1979 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या	
		स्थायी	अपर
1.	इलाहाबाद	1	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	कुछ नहीं
3.	बम्बई	1	3
4.	कलकत्ता	2	2
5.	दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	गोहाटी	2	कुछ नहीं
7.	गुजरात	3	3
8.	हिमाचल प्रदेश	2	कुछ नहीं
9.	जम्मू-कश्मीर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	कर्नाटक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	केरल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	मध्य प्रदेश	1	कुछ नहीं
13.	मद्रास	कुछ नहीं	2
14.	उड़ीसा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
15.	पटना	कुछ नहीं	कुछ नही
16.	पंजाब और हरियाणा	कुछ नहीं	3
17.	राजस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
18.	सिक्किम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		13	14
		जोड़	27

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए मंजूर किए गए उन 13 पदों को भी भरा जाना है, जो उनके भरे जाने की तारीखों से सृजित किए गए हैं ।

(II) सेशन न्यायालय (राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों में यथाप्राप्त जानकारी)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सेशन न्यायाधीशों के रिक्त पदों कीसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुछ नहीं
2.	असम	कुछ नहीं
3.	बिहार	8
4.	गुजरात	कुछ नहीं

1 2	3
5. हरियाणा	कुछ नहीं
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू-काश्मीर	कुछ नहीं
8. कर्नाटक	कुछ नहीं
9. केरल	1
10. मध्य प्रदेश	कुछ नहीं
11. महाराष्ट्र	जानकारी उपलब्ध नहीं है
12. मणिपुर	कुछ नहीं
13. मैघालय	1
14. नागालैण्ड	नागालैण्ड में कोई सेशन न्यायालय नहीं है :
15. उड़ीसा	कुछ नहीं
16. पंजाब	3
17. राजस्थान	कुछ नहीं
18. सिक्किम	1
19. तमिलनाडु	कुछ नहीं
20. त्रिपुरा	कुछ नहीं
21. उत्तर प्रदेश	15
22. पश्चिमी बंगाल	1
	31
संघ राज्यक्षेत्र	
1. अन्डमान और निकोबर द्वीपसमूह	कुछ नहीं
2. अरुणाचल प्रदेश	सेशन न्यायाधीश का कोई पद नहीं है ।
3. दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं
4. गोवा, दमण और दीव	कुछ नहीं
5. दिल्ली	1
6. चण्डीगढ़	कुछ नहीं
7. लक्ष्यद्वीप	कुछ नहीं
8. मिजोरम	कुछ नहीं
9. पाण्डिचैरी	कुछ नहीं
	1
	जोड़: 32

उड़ीसा के एक दैनिक समाचार पत्र के लिए सरकारी विज्ञापन

8314. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में "दि न्यूज आफ दि वर्ल्ड' नाम का केवल एक ही अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसने सरकारी विज्ञापनों और अन्य सुविधाओं के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन ने कब आवेदन किया था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने समाचारपत्रों ने विज्ञापनों और राज सहायता के लिए आवेदन किया है और प्रत्येक समाचार पत्र के लिए राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) समाचारपत्रों को समाचार पत्रवार विज्ञापनों के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और जिन समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये गये हैं, उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कटक, उड़ीसा से केवल "दि न्यूज आफ दि वर्ल्ड" नाम का अंग्रेजी एक ही दैनिक पत्र प्रकाशित होता है। दैनिक नें वर्ष 1976 में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए पहला आवेदन-पत्र दिया था और तब से प्रचार आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन लगातार उसे मिलते रहे। तथापि, उस दैनिक ने 1978-79 के लिए अखबारी कागज के कोटे के लिए आवेदन नहीं किया था, यद्यपि इसको नवम्बर, 1978 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के बफर स्टाक से 50 मीट्रिक टन का अखबारी कागज अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया गया था।

(ग) समाचारपत्रों को इस प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। राज्य-वार समाचारपत्रों की संख्या, जिन्होंने 1978-79 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए आवेदन-पत्र दिए थे, एकत्रित की जा रही है और यह सूचना यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) समाचारपत्रों/नियतकालिकों को दी गई राशि जनहित में गोपनीय समझी जाती है। तथापि, किसी समाचार पत्र को विज्ञापन देने की मनाही नहीं की जाती है। बशर्ते कि वह पत्र सरकारी नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

फिल्म डिवीजन को स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल

8315. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म डिवीजन को स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डाकुमेंट्रीयों और समाचार चित्रों के निर्माण और वितरण के क्षेत्र में फिल्म प्रभाग के ढांचे और

कार्यकरण के अध्ययन और कार्यकरण, वित्त और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म प्रभाग को स्वायत्त संगठन में बदलने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए कार्य दल नियुक्ति करने का निर्णय ले लिया गया है। कार्य दल के प्रधान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री ऋषिकेश मुखर्जी होंगे और उसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1. कुमारी मेहरा मसानी
2. डा० धर्मवीर
3. श्री पी० राम रेड्डी
4. श्री फली बिलीमोरिया
5. श्री एम० वी० कृष्ण स्वामी
6. श्री चिदानन्द दास गुप्त
7. श्री एल० कुमार
8. श्री एस० एम० पासंकर
9. श्री एन० वी० के० मूर्ति
10. श्री राजकुमार शास्त्री, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय+सदस्य-सचिव

(ख) कार्य दल को प्रथम बैठक के होने से छः मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

रक्षा वस्तुओं का आयात

8316. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1978 तक देशवार और कम्पनीवार कितनी कीमत की रक्षा वस्तुओं का आयात किया गया; और

(ख) उन कम्पनियों अथवा व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनके नाम इस बीच काली सूची से निकाले गये हैं और क्या उनकी बकाया राशि का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो उक्त राशि कितनी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 3-4-1979 के प्रश्न संख्या 5821 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

जीवन रक्षक औषधियां

8317. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी जीवन रक्षक औषधियां सस्ती की गई हैं और उनके क्या उपयोग हैं;

(ख) उनके पिछले मूल्य क्या थे और मूल्यों में कमी के बाद उसके मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार कुछ और अधिक महत्वपूर्ण औषधियों को सस्ता करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फार्मूलेशनों के 679 पैकों (36 पैंकों सहित जिनके मूल्यों में दो बार कटौती हुई है) के मूल्यों में फरवरी 1978 के बाद कटौती की गई थी। कुछ आवश्यक और जीवन रक्षक फार्मूलेशन निम्नलिखित बल्क औषधयों पर आधारित हैं जिसके मूल्यों में कटौती की गई है।

क्रम सं०	बल्क औषध का नाम	सम्बन्धित ग्रुप
1.	आक्सीटेक्ट्रासाइक्लीन उसके लवण और डिराइवेटिव्स	एन्टीबायोटिक्स
2.	जेन्टामाइसीन	—वही—
3.	डाक्सीसाइक्लीन	—वही—
4.	क्लोरमफैनिकल	—वही—
5.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल	एन्टीइनइफैक्टिव
6.	इथाम्बुटोल	टी.बी. निरोधी
7.	रिफामिसीन	—वही—

(ख) कुछ फार्मूलेशनों और उनके अन्तिम उत्पादों के संशोधन पूर्व और संशोधन के बाद के मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में दर्शाई गई मूल्यों में कटौती और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979, जिसने 31-3-79 से डी.पी.सी.ओ. 1970 का स्थान ले लिया है, के पैरा के अनुसार लीडर मूल्यों की अधिसूचना जारी होने के परिणाम स्वरूप मूल्य कटौती भी शामिल है। बी. आई. सी. पी. द्वारा की जा रही लागत जांच अथवा किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप यदि कटौती अपेक्षित हुई तो सरकार अन्य फार्मूलेशनों के मूल्यों में कटौती करने में नहीं हिचकेगी।

विवरण

क्रम संख्या	फार्मूलेशन का नाम	पैक का आकार	संशोधन पूर्व मूल्य	संशोधन के बाद के	प्रतिशत कटौती	फार्मूलेशन का प्रयोग
1.	टैरामाइसीन कैप्सूल 250 मि.ग्रा.	25x4 का	63.00	51.02	19	एन्टीमाइक्रोबियल
2.	डाक्स्ट कैप्सूल (प्रत्येक कैप्सूल में 100 मि.ग्रा. डाक्सीसाइक्लीन)	4 का	10.17	8.06	21	—वही—
3.	जेन्टीसिन इन्जैक्शन (प्रत्येक मि. ग्रा. में 40 मि. ग्रा. जेन्टामाइसीन)	1.5 मि. ग्रा. एम्प	21.30	7.70	64	ब्रोड स्पैक्ट्रम एन्टी-माइक्रोबियल
		2 मिलि. एम्प	28.85	11.37	61	

1	2	3	4	5	6	7
4.	क्लोरोस्ट्रेप कैप्सूल (प्रत्येक कैप्सूल में 125 मि. ग्रा. क्लोरोफेनिकोल और 125 मिग्रा स्ट्रेप्टोमाइसीन)	100 का	37.79	35.49	6	एन्टी डाएरेहल
5.	स्पेक्ट्रल एडल्ट गोलियां	10x10 का	107.59	96.00	11	
	(प्रत्येक गोली में टाइमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल 400 मि.ग्रा.)	5x4 का	23.91	19.63	18	एन्टीइन्फैक्टिव
6.	बैन्टनेसन गोलियां (प्रत्येक गोली में बेटा= मेथासीन)	10 का	2.83	2.08	27	एन्टी एर्लजिक और एन्टी इन्फलामेटरी
7.	जाइलोरिक गोलियां (100 मि. ग्रा. आलोपुरिनोल सहित)	10x10 का	111.87	57.88	48	एन्टी गोट
8.	लेवो डोपा (प्रत्येक गोली में 500 मि. ग्रा. एल. डोपा)	50 का	53.67	44.03	18	एन्टी पार्केन सोडियम
9.	माईएम्बटोल गोलियां (प्रत्येक में 200 मि. ग्राः इथोम्बूटोल)	10 का	8.31	3.30	60	टी.बी. निरोधी

नमक और समुद्र जल विदोहन के लिए अध्ययन दल की सिफारिशें

8318. **श्री अनन्त दवे :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रसायनों का उत्पादन करने के लिए नमक और समुद्र जल के विदोहन तथा "विदर्भ" के उपयोग के प्रश्न की जांच करने सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें हैं, और

(ग) अध्ययन दल की प्रस्तावित सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

पैट्रोलियन, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ;

(ख) अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं ;

(i) सरकार को लवण के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए अथवा अतिरिक्त स्रोतों को स्थापित करके, उपलब्ध क्षेत्र के उपयोग में वृद्धि, अधिक और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के प्रौद्योगिकी में सुधार तथा लवण उत्पादकों को उचित प्रोत्साहन देकर समुचित उपाय करने चाहिएं ।

(ii) पूर्वी भारत में लवण पर आधारित औद्योगिक एककों को मूल्यों में देश के अन्य

भागों में स्थित एककों की तुलना में प्रतियोगिता बनाने की दृष्टि से औद्योगिक लवण के परिवहन को रेल मार्ग द्वारा ऐसे एककों तक मुफ्त में भेजा जाना चाहिए ।

(iii) कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करते समय यह आवश्यक है कि अग्रिम तौर पर क्लोरीन के अधिकतम उपयोग के लिए एक पद्धति की योजना तैयार की जाए । क्लोरीन के उपयोग की योजना को कास्टिक सोडा संयंत्रों के निकट स्थापित करना होगा ।

(iv) सोडा ऐश संयंत्रों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए प्रतिवर्ष एक एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए और उसका कार्यान्वयन उद्योग तथा रेलवे के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ।

(v) अधिशेष अमोनिया को खाद कारखानों में खपाया जाना चाहिए ताकि सोडा ऐश के संयंत्र अलग-अलग स्थानों पर लगाए जा सकें जिनमें परिवर्धित साल्वे प्रक्रिया अपनाई जा सके और उसे खाद कारखानों के निकट स्थापित किया जा सके ।

(vi) समुद्री जल से जिप्सम को अलग करने का कार्य गम्भीरतापूर्वक आरम्भ किया जाना चाहिए और समुद्री जिप्सम को आधुनिक ढंग से साफ किया जाना चाहिए ।

(vii) वर्ष 1982-83 तक प्रतिवर्ष 1500 टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जानी चाहिए ।

(viii) प्रतिवर्ष 30,000 टन की क्षमता वाले बड़े आकार के दो रिफ्रेक्टरी ग्रेट मेननेशिया के संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिएं ।

(ix) लवण युक्त सोडियम सल्फेट के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

(x) समुद्री रसायनों की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पित मार्ग की सम्भावना की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में प्राथमिकता के तौर पर हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहयोग से और सक्षम इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं की लवण शुल्क निधि सहायता से प्रदर्शन अथवा पायलेट प्लांट स्थापित किए जाने चाहिएं ।

(xi) सरकार को समुद्री रसायनों का अधिक उत्पादन करने के लिए सरकारी क्षेत्र में बड़े आकार के प्लाँट स्थापित करने चाहिएं ।

(xii) हिन्दुस्तान सालट्स लिमिटेड को कच्छ क्षेत्र में समुद्री रसायन के बड़े समूह स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को हिन्दुस्तान सालट्स लिमिटेड के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में वेदरयाम में इसी प्रकार के समूह स्थापित करने चाहिएं ।

(xiii) इन दोनों क्षेत्रों में विस्तृत सम्भाव्यता का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके खर्च को लवण शुल्क विधि के अनुदान से पूरा किया जाना चाहिए ।

(xiv) समुद्री रसायन उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को लवण शुल्क विधि से अनुदान और ऋण के रूप में उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिए ।

(ग) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) उत्पादन और परिवहन पहलुओं सहित लवण उद्योग की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक लवण जांच समिति स्थापित की गई है।

(ii) रसायन और उर्वरक विभाग लवण और बिट्रन पर आधारित रसायन उद्योग समूह के बारे में गुजरात और तमिलनाडु सरकार के निकट सम्पर्क में रहा है। राज्यों में राज्य उपक्रम और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड परियोजनाओं की स्थापना करने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं।

(iii) रसायन और उर्वरक विभाग ने परिवर्धित साल्बे प्रक्रिया पर आधारित सोडा ऐश प्लाटों की स्थापना करने की सम्भावना की जांच करने के लिए उर्वरक एककों से सम्पर्क स्थापित किया है।

(iv) लवण शुल्क विधि से सहायता के बारे में की गई सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया।

दहेज की मांग करने तथा बाल विवाह के लिए चालान

8319. **श्री कुंवर लोल गुप्त:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष, देश भर में विवाहों में दहेज की मांग करने पर कितने व्यक्तियों के चालान किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए दहेज अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जाए, सरकार क्या विशेष उपाय करने का विचार रखती है;

(घ) क्या यह सच है कि अब भी लड़कियों और लड़कों के विवाह छोटी आयु में कर दिए जाते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो देश में गत एक वर्ष में इसके कितने मामले दर्ज किये गये?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को लागू करने का भार राज्य सरकारों पर है। जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे समाज कल्याण संबंधी विधान की सफलता जनमत और जनसहयोग पर निर्भर करती है। यद्यपि यह कहना, कि वस्तुत: कोई कार्यवाही नहीं की गई, ठीक नहीं है, किन्तु यह स्वीकार करना ही होगा कि अधिनियम बहुत प्रभावी नहीं रहा है। अधिनियम के उपबंधों का स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सम्यक प्रचार किया जा रहा है। यद्यपि सरकार के पास पूर्ण जानकारी नहीं है, फिर भी उक्त अधिनियम के अधीन अनेक अभियोजन चलाए गए हैं। सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बनाकर इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का विचार भी कर रही है।

(घ) और (ङ) सरकार को इस आशय की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लड़कियों और लड़कों का विवाह छोटी आयु में किया जा रहा है किन्तु उसके पास इस बात की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि कितनी संख्या में बाल-विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को लागू करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर है। आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

तमिलनाडु में मैग्नेशियम धातु के निर्माण के लिए संयंत्र

8320. **श्री आर० वी०स्वामीनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु का विचार मैग्नेशियम धातु का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक वाणिज्यक संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) संयंत्र कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) उस पर कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का मैग्नेशियम धातु के उत्पादन हेतु एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है, जो सेन्ट्रल-इलैक्ट्रो-कैमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कराइकुडी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित उद्योगों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट दी जाती है ।

बल्ब-किस्म के पन-बिजली पैदा करने वाले एककों के निर्माण के लिए फ्रांस की प्रौद्योगिकी का आयात

8321. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बल्ब किस्म के पन-बिजली पैदा करने वाले एककों का निर्माण करने के लिए फ्रांस की प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में भारत और फ्रांस के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेंट और बिजली उत्पादन उद्योगों की स्थापना के लिए इण्डोनेशिया के साथ सहयोग

8322. **श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया सरकार ने कई क्षेत्रों में विशेषकर सीमेंट और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में भारत के साथ औद्योगिक सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जकारता में बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इन्डोनेशिया की सरकार के साथ हाल में हुई बातचीत से इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधन काफी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं । फलस्वरूप दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग और विकास की कई परियोजनाएं कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं । इस प्रकार के सहयोग की संभावना के क्षेत्र के अन्तर्गत इन्डोनेशिया ने भारत से एक बांध तथा रिवर्सेवित टरबाइनों वाले एक पन-बिजलीघर के निर्माण के बारे में समूचे आधार पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है । भारत तथा इन्डोनेशिया ऊर्जा उत्पादन के लिए गैस के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने/विकास करने में सहयोग देने के लिए भी सहमत हो गए हैं ।

भारत ने इन्डोनेशिया में सीमेंट के कारखानों के विकास में भागीदारी करने की भी पेशकश की है । इसके अनुसार, प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा नियुक्त एक टीम जकार्ता रवाना हो गई है ।

आवश्यक औषधियों की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव

8323. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक औषधियों की कीमतों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । आवश्यक औषधों के मूल्यों को बढ़ाने सम्बन्धी कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिन्दरी संयंत्र के बायलर का बन्द होना

8324. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1979 के दौरान सिन्दरी संयंत्र के एक बायलर को बन्द करना पड़ा था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । सिन्दरी आधुनिककरण परियोजना के तीन वायलरों में से एक को जनवरी, 1979 में बन्द करना पड़ा था ।

(ख) आयातित स्टीम सुपर हीटर को पहली बार चालू करने के दौरान सोप बेल्ड की खराबी के कारण वायलर बन्द करना पड़ा ।

नए लघु उद्योगों को विटामिन बी$_1$ तथा बी$_2$ दिया जाना

8325. **श्री बीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेकरी अथवा गैर-औषध प्रयोगकर्ता लघु उद्योगों को सिफारिश के अनुसार बिटामिन बी 1 तथा बी 2 की प्रति वर्ष दोनों में से प्रत्येक की 2.5 किलोग्राम मात्रा दी जाती है चाहे व्यापार तथा विकास महा निदेशक को इन की कितनी ही मात्रा प्राप्त हो; और

(ख) यदि हां, तो केवल लघु उद्योगों के लिए ही ऐसी अधिकतम सीमा क्यों रखी गई है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के संदर्भ में यह कार्यवाही कहाँ तक आयोजित है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । विटामिन बी 1 और बी 2 के वितरण के लिए इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 जून, 1978 को जारी किए गए मार्गदर्शकों के अनुसार बेकरीज, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ तथा जानवरों के लिए चारा निर्माण करने वाले यूनिट आदि जैसे गैर औषध एककों को सप्लाई सम्बन्धित नामित करने वाले प्राधिकारियों अर्थात् डी० डी० जी० टी० डी० (संगठित क्षेत्र में यूनिटों के मामले में राज्य उद्योग निदेशालय तथा लघु पैमाने यूनिटों के मामले में उद्योगों के राज्य निदेशालयों) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जानी थी । किसी भी मामले में, गत किन्हीं दो वर्षों में इन मदों का अधिकतम उपयोग सीमा थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए झरिया कोयला क्षेत्रों का पुनर्निर्माण

8326. **श्री पवित्र मोहन प्रधान**
श्री चित्त बसु) : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण झरिया कोयला क्षेत्रों में इस समय कोयले का उत्पादन कितनी मात्रा में होता है;

(ख) क्या हाल में सरकार आगामी 15 वर्षों में कोयले का वर्तमान उत्पादन 1 करोड़ 50 लाख टन बढ़ाने के लिए कोयला क्षेत्रों का पुनर्निमाण करने हेतु एक बृहत योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो विकास और पुनर्निर्माण के कितने ब्लाक होंगे; और

(घ) इन ब्लाकों में से कितने भूमिगत ब्लाक होंगे और कितने खुले ब्लाक होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले का वर्तमान उत्पादन लगभग 20 मिलियन टन वार्षिक है ।

(ख) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान ने पोलेण्ड के सहयोग से एक साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्र की खानों का पुनर्गठन करने की बृहत् योजना है ताकि 1991 तक उत्पादन बढ़ाकर लगभग 50 मिलियन टन वार्षिक और सन् 2000 तक उत्पादन बढ़ाकर 56 मिलियन टन वार्षिक किया जा सके।

(ग) और (घ) उसमें 30 ब्लाक होंगे जिनमें से 21 भूमिगत ब्लाक और 9 ओपेनकास्ट ब्लाक होंगे।

कच्चे लोहे का निर्यात

8327. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान कच्चे लोहे के निर्यात के लिए किए गए सौदे और वास्तविक निर्यात सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 1 जनवरी, 1979 को निर्यात के लिए कितने क्रयादेश बाकी थे; और

(ख) आगामी दो वर्षों के लिए कच्चे लोहे के निर्यात सम्बन्धी नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान कच्चे लोहे के निर्यात के लिए किए गए वायदे तथा इसका वास्तविक निर्यात नीचे दिया गया है :—

	निर्यात वायदे	हजार टन वास्तविक निर्यात
1977	1,208	845
1978	433	272

1 जनवरी, 1979 को 1,53,000 टन कच्चे लोहे के निर्यात वायदे बकाया थे।

(ख) कच्चे लोहे तथा इस्पात के निर्यात की नीति प्रतिवर्ष सभी सम्बन्धित बातों जैसे देशीय उत्पादन, घरेलू बाजार की माँग तथा फालतू माल की उपलब्धि इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। वर्ष 1979-80 के दौरान निर्यात का विनियमन आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा और उसके बाद के वर्ष की नीति उपयुक्त समय पर बनाई जाएगी।

कोरबा उर्वरक कारखाना

8328. **श्री हुकम चन्द कछवाय**
श्री दयाराम शाक्य : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा उर्वरक कारखाने पर अब तक 20 करोड़ रुपये की परिव्यय के बावजूद भी उसकी प्रगति संतोषप्रद नहीं है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाने को द्रुत गति से चालू करने के लिए केन्द्र से बार-बार अनुरोध किया है और क्या केन्द्र ने यह संकेत दिया है कि तालचेर तथा रामागुण्डम परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तालचर और रामागुण्डम परियोजनाओं को कब पूरा किया जाएगा और उर्वरक कारखानों द्वारा उत्पादन क्षमता को और आगे न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। संसाधनों की अत्यन्त कमी के कारण वर्ष 1974 के मध्य में कोरवा उर्वरक संयंत्र का कार्यान्वियन धीमा कर दिया गया था। बाद में, यह निर्णय किया गया था कि कोरबा उर्वरक परियोजना का कच्चे माल के रूप में कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए आगामी कार्यान्वियन पर तभी विचार किया जाएगा जब रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों जोकि इस समय परिचालन के अग्रिम स्तर में है, के कार्यनिष्पादन का अनुभव प्राप्त हो जाएगा।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दी गई स्थिति से मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है।

(ग) तालचर और रामागुण्डम उर्वरक परियोजनाओं से जुलाई/अगस्त, 79 तक परीक्षण उत्पादन प्राप्त होने की आशा है। जैसा कि भाग (क) में पहले ही उत्तर दिया गया है, कोयले पर आधारित उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा जब देश में पहली बार स्थापित की जा रही कोयले पर आधारित इन दो परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन को देख लिया जाएगा।

मैसर्स इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी को एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया जाना

8229. **श्री हुकम चन्द कछवाय**
श्री दयाराम शाक्य) : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मैसर्स इण्डो-बर्मा पेट्रोयियम कम्पनी को पांच हजार टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एकक स्थापित करने के लिए कितने आशय-पत्र जारी किए और उक्त एकक कितनी किन राज्य में तथा कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह इण्डो-बर्मा के बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी को ग्राम पथरिया के भूखण्ड पर विचार करने के संबंध में सलाह दें क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कम्पनी को भी सलाह दी है और कम्पनी द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : मैसर्स इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमि० को मध्य प्रदेश में प्रत्येक 5,000 मी० टन० प्रति वर्ष की क्षमता वाले चार औद्योगिक विस्फोटक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। उनमें से कोरबा में स्थापित एक संयंत्र ने मार्च, 1978 से उत्पादन आरंभ कर दिया है। कोरबा में दूसरे संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में ले लिया गया है। शेष दो संयंत्रों के स्थान के संबंध में अंतिम रूप से अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से इस संबंध में कोई इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं

हुआ है। तथापि शेष दो संयंत्रों के लिए स्थान के चयन के संबंध में कम्पनीउ क्त राज्य सरकार से विचार विमर्श कर रही है।

मथुरा रिफाइनरी पर आधारित मथुरा उद्योग समूह की स्थापना

8330. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार राज्य के उत्तरी भाग मथुरा में रिफाइनरी पर आधारित मथुरा उद्योग समूह की स्थापना के लिए लगातार केन्द्र सरकार से मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में एक उद्योग समूह की स्थापना करने में केन्द्र सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मथुरा शोधनशाला के उत्पादों पर आधारित एक उर्वरक तथा पेट्रोरसायन काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ समय पूर्व लिखा है।

(ख) अभी इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

योल में भूमि का अधिग्रहण

8331. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** 22 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योल में और अधिक आवास बनाने के लिए वहां 484 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योल में नए आवास बनाने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, कितने मकान बनाये जाएंगे और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सैन्य संपदा अधिकारी ने योल में 484 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण/अंतरित करने की मांग भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कांगड़ा/धर्मशाला को 27.10.1978 को की थी। उप-आयुक्त कांगड़ा ने अधिग्रहण/अंतरण की जाने वाली भूमि के मालगुजारी ब्यौरे को मंगा लिया है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। कलेक्टर ने सूचित किया है कि रसोन गांव में कुछ सरकारी भूमि को जिसे अधिग्रहण/अन्तरण की जाने वाली भूमि में शामिल किया गया था उसे राज्य सरकार ने पट्टे पर दे दिया है। अतः इस भूमि को अधिग्रहण/अंतरण की जाने वाली भूमि में शामिल नहीं करना होगा। इस भूमि को छोड़ने से बाकी क्षेत्र के प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यदि प्रभाव पड़ेगा तो क्या इसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण आवश्यक होगा—यह प्रश्न सिविल प्राधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए सैन्य प्राधिकारियों के सक्रिय विचाराधीन है।

(ख) भूमि को लेते ही क्षेत्रीय योजना/मास्टर योजना तैयार की जाएगी। आवास की योजना

बनाई जाएगी और उसे धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए कामिक रूप से निष्पादित किया जाएगा और परियोजना के पूरा होते ही नए आवास पर यूनिटों को भेज दिया जाएगा।

कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को रोजगार

8332. **श्री सचीन्द्र लाल सिंगा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्ति (जो कैमरामैन, एडिटर रिकार्डस्ट जैसे अपने कार्यों में विशेषज्ञ है) 35 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा में आये थे, उनका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 35 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके बाद ऐसे जो व्यक्ति दूरदर्शन में सेवा में आये उनके मामले में पदोन्नति के मामले में प्राथमिकता और छूट देने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वाधीनता सेनानियों के बच्चे या परिवार के सदस्य भी दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, यदि हां, तो क्या पदोन्नतियों के मामलों में उन्हें कुछ रियायतें देने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन का विचार इन लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु नियम बनाने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; क्या इन व्यक्तियों को उन्हीं स्थानों पर नियुक्त किया जाना है जिनका ये विकल्प करते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दूरदर्शन प्राप्त किए गए अनुभव को कोई विशेष महत्व देता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। ऐसे 16 व्यक्ति हैं जिन्होंने दूरदर्शन में उस समय ज्वाइन किया जब वे 35 वर्ष से अधिक की आयु के थे। ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

श्रेणी	वेतनमान	35 वर्ष की आयु हो जाने के बाद दूरदर्शन में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों की संख्या
कैमरामैन ग्रेड-2	550-900 रु०	11
साउण्ड रिकार्डिस्ट	425-750 रु०	1
फिल्म सम्पादक	425-750 रु०	4
		16

(ख) दूरदर्शन में प्रवेश करने के लिए वर्तमान भर्ती नियमों में अधिकतम आयु का प्रावधान 40 वर्ष से कम आयु है। तथापि, यह सीमा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संचार माध्यम में पहले से काम कर रहे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। पदोन्नतियों के लिए उच्चतर आयु को वेटेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन सामान्यतया संगठन में काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के

परिवारों के सदस्यों या बच्चों का रिकार्ड नहीं रखता है। पदोन्नतियां भर्ती नियमों के आधार पर की जाती हैं। दूरदर्शन में स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों तथा बच्चों को पदोन्नतियों और तैनातियों के मामलों में रियायतें देने का न कोई प्रावधान है और न ही कोई प्रस्ताव है।

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति के मामले में भर्ती नियमों में न्यूनतम अनुभव का प्रावधान है जिसका स्टाफ आर्टिस्ट के लिए पदोन्नति के लिए पात्र होने से पहले होना आवश्यक है। यह सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है।

राज्यों के मंत्रियों के महानगरों के दौरों के बारे में दूरदर्शन प्रसारण

8333. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों और अन्य यात्रियों के दिल्ली सहित महानगरों के दौरों सम्बन्धी प्रसारण दूरदर्शन द्वारा नियमित रूप से नहीं किए जाते;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा गत 2 वर्षों में तिथि वार, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के दौरों के प्रसारण सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इन महानगरों में दूरदर्शन के द्वारा राज्यों की समस्याओं को उजागर करने के संबध में अब तक की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जब कभी राज्य के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री किसी ऐसे महानगर, जहां पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है, कि यात्रा करते हैं, उनकी यात्राओं और अपनी यात्राओं के दौरान उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों का उनके सामाचारिक महत्व के अनुसार उस दूरदर्शन केन्द्र के समाचार बुलेटिनों में उल्लेख किया जाता है।

(ख) और (ग) इस सूचना को एकत्रित करने में सम्बन्धित राज्य सरकारों से उनके मंत्रियों की यात्राओं के ब्यौरे प्राप्त करना, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास दूरदर्शन केन्द्रों से गत दो वर्षों के सभी समाचार बुलेटिन तथा कार्यक्रम सम्बन्धी लोग बुक्स की समीक्षा करना निहित है। इस कार्य पर लगाया गया समय और प्रयास प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

कलकत्ता स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में कर्मचारी

8334. **श्री एम०ए० हनान अलहाज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित प्रेस ब्यूरो कर्मचारियों के अभाव में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई दिल्ली स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कर्मचारियों की तुलना में कलकत्ता स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कलकत्ता, हैदराबाद तथा शिलाँग स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यकरण के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पत्र सूचना कार्यालय के कलकत्ता कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी हैं। 55 पदों की स्वीकृति संख्या के स्थान पर वहां 50 व्यक्ति हैं। शेष 5 रिक्तियों को भरने का काम चल रहा है।

(ग) पीने के पानी की सुविधाएं, गर्मियों तथा ठण्डे मौसम के लिए व्यवस्था, खेलें इत्यादि जैसी आम सुविधाएं कलकत्ता और दिल्ली के पत्र सूचना कार्यालयों के कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के यथासंभव प्रदान की जाती हैं।

(घ) ये कार्यालय कुशलता से कार्य कर रहे हैं। तथापि, जब कभी आवश्यक होता है, सुधार लाने के लिए समूचे संगठन के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन किया जाता है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी द्वारा प्रशिक्षुओं का खपाया जाना

8335. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** 19 दिसम्बर के अतारांकित प्रश्न संख्या 4012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-12-1978 से लेकर कितने प्रशिक्षुओं ने प्रबन्धकों से अनुरोध किया है कि उनको हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी (पुणे-महाराष्ट्र) में रोजगार दिया जाए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उपक्रम में रोजगार देने की पेशकश की गई है;

(ग) क्या उपक्रम में उपरोक्त प्रशिक्षुओं के अलावा अन्य लोगों को भर्ती किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आठ भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों ने हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लि० (एच०ए०एल०) में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ये किसी विशिष्ट पदों के लिए विज्ञापनों के विरुद्ध नहीं थे।

(ख) सात भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी जिन्होंने पिछली राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा पास की थी, को उनके नियमित रूप से नियुक्त किये जाने तक वजीफे के साथ उत्पादन प्रशिक्षण सम्बन्धी पेशकश की गई थी। इनमें से दो प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण आरम्भ करने के शीघ्र पश्चात् इसे छोड़ दिया था और शेष पांच व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी को सुपरवाईजर ग्रेड-II (विद्युत) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया था परन्तु वह काम पर नहीं आया था और एक अन्य भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी को टेकनिशियन (शीतलन एवं वातानुकूलन) के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ग) कार्मिकों की भर्ती केवल कुछेक क्षेत्रों में की गई थी जोकि उन क्षेत्रों से भिन्न हैं जिनमें प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

(घ) उत्पादन प्रशिक्षण के लिए केवल रसायन व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र धारियों पर विचार किया गया था। नियमित रोजगार के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों

पर विचार किया जाता है जिनके पास विशिष्ट योग्यताएं हैं और जो विज्ञापित रिक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र देते हैं।

सांगली में पूर्ण स्तर के आकाशवाणी केन्द्र के लिए अभ्यावेदन

8336. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांगली (महाराष्ट्र) में पूर्ण स्तर के आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बारे में सांगली, मानुफुल कोनल के नक्शों, चार्टों के साथ जनवरी, 1979 के अन्तिम सप्ताह में सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उक्त केन्द्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने राज्य सरकार से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), से (ग) प्रश्न का ठीक-ठीक अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सांगली के सहायक केन्द्र को आकाशवाणी के पूर्णरूपेण कार्यक्रम निर्माण केन्द्र में बदलने की योजना को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। सांगली में स्टूडियो स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों ने आकाशवाणी को इस स्थान को आबंटित करने की सिफारिश करते हुए राज्य सरकार को लिखा है। स्थान उपलब्ध हो जाने के बाद आकाशवाणी द्वारा आगे कार्रवाई की जायेगी।

इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमीनि एसोसियेशन बम्बई द्वारा ज्ञापन

8337. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इन्डियन इन्स्टीटयूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमीनि एसोसियेशन, बम्बई से निर्यात के बारे में दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें की गई मांगों का स्वरूप क्या है;

(घ) उनमें से कितनी मांगें स्वीकार की गईं और कैसे तथा कब;

(ड.) अब तक स्वीकार न की गई मांगों का स्वरूप क्या है और इनके क्या कारण हैं; और

(च) अब तक विचार न की गई मांगों पर कब और कैसे विचार किया जायेगा तथा उन्हें पूरा किया जायेगा ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (च) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेडएल्यूमिनि एसोसियेशन, बम्बई के अध्यक्ष ने 19 दिसम्बर, 1977 (प्रश्न के भाग (क) में यथा उल्लिखित 20 दिसम्बर, 1977 नहीं।) को जांच निदेशक, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को "निर्यात गृहों" जो

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहे गये हैं तथा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत बड़े घरानों से सम्बन्धित हैं, के कार्यों की जांच की प्रार्थना करते हुए पत्र भेजा था। जाँच निदेशक ने इस पत्र को एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित कर दिया। आयोग ने, परीक्षा करने के पश्चात इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमिनि एसोसियेशन के अध्यक्ष को अपने जनवरी, 1978 के पत्र द्वारा एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (1) के अन्तर्गत तथ्यों के जो कि निर्यात गृहों द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होने को नियत करते हैं, विशेषत: बड़े घरानों के सम्बन्ध में व्यापारिक संघ का गठन करते हैं तथा उनके द्वारा निर्धारित नियम, जिसमें संगठन के नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध थोपे गये हैं, को लिखते हुए आयोग के पास शिकायत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उनका ध्यान एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 15 (ग), जो कतिपय मामलों में आदेशों के आवेदन पत्र पर प्रतिबन्ध निर्धारित करती है, पर दिलाया गया था। इस पत्र का आयोग द्वारा अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है।

आकाशवाणी, भोपाल के कर्मचारियों की अनियमितताओं की शिकायतें

8338. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, भोपाल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं करने के बारे में जनवरी और फरवरी, 1979 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो क्या शिकायतें की गई थीं तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, भोपाल के कर्मचारियों को वहाँ के कुछ अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है तथा कर्मचारी लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार से शिकायतें कर रहे हैं और यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह शिकायतें भी मिली हैं कि वहां के अधिकारियों की भूतपूर्व सत्तारूढ़ दल के साथ साँठ-गांठ है तथा वे बार-बार वर्तमान सरकार के विरुद्ध उनके वक्तव्यों और नीतियों का प्रसारण करते हैं तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इस केन्द्रीय में पांच वर्षों से अधिक समय से काय कर रहे हैं तथा वे अपनी निजी व्यापार भी कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) (ग) आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक के विरुद्ध दिनांक 27 जनवरी, 1979 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उनकी निष्ठा और केन्द्र के कुछ कर्मचारियों के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में विभिन्न आरोप लगाये गए हैं। इसी प्रकार की एक शिकायत पहले अक्तूबर, 1978 में "युग धर्म" के सम्पादक से प्राप्त हुई थी। आकाशवाणी महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अक्तूबर, 1978 में प्राप्त आरोपों की जांच की थी और उन्हें तथ्यहीन पाया था। दिनाँक 27 जनवरी, 1979 की शिकायत में दिए गए आरोपों की हाल ही में आकाशवाणी महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की गई है। जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

नाम में परिवर्तन, मूल्य स्वीकृति और लाइसेंस देने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव

8339. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) नाम में परिवर्तन, मूल्य स्वीकृति और औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन पर गत दो वर्षों से विचार किया जा रहा है, और औषध के नाम, संघटक, निर्माता का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले के तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ कम्पनियों को "कारण बताओ" नोटिस जारी किए गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा तथाकथित अनुमति पत्रों के अधीन बेची जाने वाले उत्पादों और वर्तमान फार्मूलेशन्स में परिवर्तन तत्काल रोक दिया जाए चूंकि अब मंत्रालय को विधि मंत्रालय की राय प्राप्त हो गई है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध निर्माण कम्पनियों से प्राप्त नाम में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी बकाया नहीं हैं। परन्तु, इस किस्म के कई मामले हैं जो विचाराधीन हैं।

मूल्य अनुमोदन के प्रस्तावों के बारे में चूंकि 28 मार्च, 1978 के पश्चात् औषधों के मूल्यों में स्थिरता रखी गई थी, बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि सरकार द्वारा नहीं करने दी गई है।

औद्योगिक लाइसेंस/आवेदन-पत्र जो अभी बकाया रखे गए हैं, संलग्न विवरण पत्र में प्रस्तुत किये गए हैं ।

(ख) उपरोक्त उक्त प्रस्तावों पर इस मंत्रालय द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया है।

(ग) सरकार ने निश्चय किया है कि अनुज्ञा पत्रों के अन्तर्गत उत्पादन एक प्राधिकृत उत्पादन है जब तक अनुज्ञा पत्रों की शर्तें पूरी की जाती हैं। विद्यमान (प्रचलित) फार्मूलेशनों में परिशोधन नई वस्तुएं मानी जाती हैं जब ऐसा परिशोधन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मामलों की तदनुसार जांच की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	उत्पाद की मद	विलम्ब के कारण वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स हैक्सट	9.10.1975	इथाकरीडाइन लेक्टेट	
2.	मैसर्स हैक्सट	9.2.1976	पेन्टोक्सीफाइलीन	
3.	मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च	12.2.1976	1. फोनोथिआजाइन 2. डिफेनाइल पाइरालाइन एच० सी० एल० 3. फेनाइल पोपानोलामाइन एच० सी० एल 4. ट्राइमटेरेन्स 5. निफूरोक्सोइमे 6. हाईड्राक्लोरोथियाजाइड 7. क्लोरफेनी रामाइनमेलिएट 8. डिली सी रही जी नाइजिट लिक्यओराइस 9. ओक्सो फेनबूटाजोन 10. औक्सी बडा जोल 11. जोआलेन	29.3.1978 अथवा उससे पहले प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को पहले सरकार की नई औषध निति की घोषणा तक लम्बित रखा गया था अब नई औषध नीति के अनुसार विदेशी औषध कम्पनियों को केवल उन्हीं औषधों के लिए लाइसेंस दिया
4.	मैसर्स फाइजर	.29.4.1976	1. जिक-बेसी टासी न (फार्मास्यूटिकल्स के प्रयोग के लिए) 2. जिक-बेसीट्रासीन (वेटरी-नरी प्रयोग के लिए) 3. ओलेण्डोमासीन 4. ओली मिक्सीन	जाएगा जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी निहित है। बल्क औषधों की उच्च प्रौद्योगिकी के मानदण्ड इस उद्देश्य से गठित की गई समिति के विचराधीन है।
5.	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान	मई, 76	थाईमाल	
6.	मैसर्स बूरोज वेलकम	11.6.76	ट्राईमेथोग्रिम (एस० ई०)	
7.	मैसर्स एस०के०एफ०	30.6.76	सेफ्राडाइन	
8.	मैसर्स बेयर	7.4.77	क्लोटरी माजोल	
9.	मैसर्स रोश	27.5.77	विटामिन (एस० ई०)	

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स सीबा गेगी लि.	15.6.77	ट्राईमेथाप्रिम	
11.	मैसर्स जोफ्रि मैनर्स	20 8.77	एक्सेन्थोटोक्सी न	
12.	मैसर्स हेक्सट	24.8.77	डाइगनोजिज के लिये रिऐजेटस	
13.	मैसर्स ई. मर्क	21.9.77	विटामिन के	
14.	मैसर्स ग्लेक्सो	30.9.77	1. ओक्सीफेनोटाजोन 2. नोरथिस्टेरोन 3. सोटालोल एच०सी०एल० 4. परफेनाजाइन 5. एमीपेंटाइलीन एच०सी०एल० 6. नद्रालोन इस्टर्स 7. क्लोरफनिरामाइन 8. मेलिएट 9. नोर्थेड्रोलोन 10. आईसोप्रोपेमाइड आयोडाइड 11. बूफेनाइन एच०सी०गल०	अतः ये सभी मामले फिलहाल सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं।
15.	मैसर्स एस०के०एफ०	24.9.77	पोल्ट्री बेसीन और ऐनीमल बेसीन	
16.	मैसर्स फाइजर	17.1.78	टिनिडाजोल	
17.	मैसर्स वैयथ इंटर-नेशनल	1.6.78	1. प्रेडनी सोलोन/हईडोाकोरटी सोल और इस्टर्स 2. डेक्सामेथासोल और इसके लवण/इस्टर्स 3. नोरगेटिरोल आइसोमर्स 4. नोरथिस्टेरोल एसीटेट 5. मेफेन्टरमाइन सल्फेट 6. आक्सी थिआजाइन 7. ओक्साजेपाम 8. लोराजेपाम	
18.	मैसर्स सेन्डोज	10.8.78	क्लोरोक्वीन फास्फेट	
19.	,, ग्लेक्सो	7.9.78	बेटामेथासोल (एसई)	
20.	,, ई. मर्क	17.1.79	पापिन (रिफाइंड)	
21.	मैसर्स ए०सी०सीआई०	15.2.79	1. प्रिमाकवी न फास्फेट 2. क्लोरोक्वीन फास्फेट	

1	2	3	4	5
22.	मैसर्स रोश	21.2.79	सल्फामेथेक्साजोल (एस०ई०)	
23.	मैसर्स सीबा गेगी	28.3.79	एक्लेटोल	
23.	मैसर्स ई० मर्क		डोलोन्यूरोडिग्रोन गोलियां	
			कम्पोजिसन	
			बी 1 — 15 मि. ग्राम	इस मामले में कुछ
			बी 6 —100 मि. ग्राम	कानूनी पहलुओं की
			बी 12—100 कि. ग्राम	जाँच करने के लिए
			एनलजिन 250 मि. ग्राम	लम्बित रखा।

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की नौसैनिक गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रबन्ध

8340. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर तथा अरब सागर में बड़ी शक्तियों की नौसैनिक गतिविधियों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये हैं; और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में बढ़ते हुए तनाव तथा बदलती जा रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए अपनी नौसैनिक तैयारियों का मूल्यांकन किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। लेकिन इस बारे में अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) भारतीय नौ सेना का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसमें उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसमें हिन्द महासागर और अरब सागर में नौ सैनिक जमाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यह आधुनिकीकरण, बदलती हुई परिस्थितियों और हमारी अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

विधि कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के दाखिले के बारे में भारतीय विधि परिषद के मार्गदर्शी सिद्धांत

8341. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में भारतीय विधि परिषद ने अपने संकल्प में संशोधन कर लिया है जिससे विधि कालेजों में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दाखिले के लिए निर्धारित निम्नतम अंकों में दी गई पांच प्रतिशत अंकों की छूट दी जा सके बशर्ते उनके लिए आरक्षित सीटें खाली हों; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय का (कार्मिक) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत की विधिज्ञ परिषद ने 6 मई और 7 मई, 1978 को आयोजित अपनी बैठक में यह विनिश्चय किया था कि वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए और अधिक छूट देने के पक्ष में नहीं है ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

8342. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सदई
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री पी०के० कोड़ियन) : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की उच्चस्तरीय व्यय वित्त समिति ने पहली बार सरकारी क्षेत्र के एक बहुत बड़े उपक्रम भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० के राडार संचार उपकरणों नौपरिवहन सामग्री तथा रक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित आधुनिक मदों के निर्माण हेतु दो नई परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) क्या इसका एक मात्र कारण यह था कि इलैक्ट्रानिक आयोग के चेयरमैन द्वारा इस कार्यवाही का विरोध करने में दृढ़ रुख अपनाया गया था;

(घ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० ने अन्य क्या प्रस्ताव रखे थे; और

(ङ) उनको अस्वीकार किए जाने का आधार क्या था ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परामणु, उर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रीनिकी विभागों में (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) भारत इलेक्ट्रानिकी संबंधी उपस्करों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दो नई फैक्टरियां लगाने का प्रस्ताव पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) और (ङ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अन्य कोई प्रस्ताव नहीं भेजे ।

नोटरीज को देय शुल्क

8343. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोटरीज मैन्युअल, 1956 के नियम 10 के अन्तर्गत नोटरीज को देय शुल्क 1956 में निर्धारित किया गया था तथा तब से मूल्य सूचकांकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन के शुल्क और यात्रा भत्ते में मूल्य सूचकांक के अनुपात में वृद्धि करने का है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) नोटरी संबंधी कोई भी कार्य करने के लिए किसी नोटरी को संदेय फीस 1956 में, नोटरी नियम, 1956 के नियम 10 के अधीन विहित की गई थी। उन फीसों का सम्बन्ध मूल्य सूचकांक से नहीं है। नोटरी नियम, 1956 के अधीन विहित विद्यमान फीस और यात्रा भत्ते का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नेशनल केडेट कोर का संगठनात्मक स्वरूप

8344. **श्री नाथू सिंह** : क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कैडेट कोर पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण के कारण इस संगठन की कार्यकुशलता तथा कारगरता पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ख) इस संगठन का वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की जा रही है; और

(ग) नेशनल कैडेट कोर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ढांचे में सुधार तथा परिवर्तन हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडिट कोर केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है, हालांकि उससे संबंधित मामलों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाता है। कुल मिलाकर यह व्यवस्था संतोषप्रद रही है और इससे कोर की कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रधान महानिदेशक होता है और उनके अधीन 16 राज्य निदेशालय होते हैं जिनमें सभी राज्य और संघ शासित राज्य आ जाते हैं और ये राज्य निदेशालय अपने अधीन युनिटों का प्रशासन चलाते हैं। 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर पर व्यय करने के लिए केन्द्रीय बजट में 3.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उपायों पर विचार करने और इस बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्रीय और राज्य सलाहकार समितियों के रूप में संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर से संबंधित मामलों पर राज्य के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय कैडट कोर निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में चर्चा की जाती है। एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा की और उसने 1974 में अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने इन सिफारिशों पर निर्णय ले लिए हैं और इनमें से बहुत सी सिफारिशें पहल ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में सुपरिन्टेंडेंट, भवन तथा सड़क और विद्युत यांत्रिक में गतिरोध

8345. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के सुपरिन्टेंडेंट भवन तथा सड़क और विद्युत तथा यांत्रिक और सर्वेयर असिटेंटों में गम्भीर गतिरोध के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना गतिरोध है; और

(ग) मिलिटरीं इंजीनियरी सेवा में इस संवर्ग में गतिरोध को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। एम.ई.एस. के बिल्डिग और रोड़, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सुप्रिंटेंडेंटों में और सर्वेक्षण सहायकों ग्रेड I में कुछ स्थिरता है ।

(ख) स्थिरता की सीमा प्रत्येक मामले में अलग-अलग है ।

(ग) सुप्रिंटेंडेंट ग्रेड I के वर्तमान 550-750 रु० के वेतनमान को 550-900 रु० करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । चार्ज होल्डरों को सहायक अभियंता श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए 352 नामों का जो पेनल बनाया गया है उस पर अमल हो रहा है। सहायक अभियंता की सीधी भरती 75% से घटकर $33\frac{1}{3}\%$ कर दी गई है और विभागीय पदोन्नति का कोटा 25% से बढ़ाकर $66\frac{2}{3}\%$ कर दिया गया है ताकि तदर्थ सहायक कार्यपालक इंजीनियरों को खपाया जा सके ।

मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में सहायक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

8346. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री 22 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में सिविल इंजीनियरों को चौंका देने वाला गतिरोध है और सहायक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों में ऐसा नहीं है;

(ख) क्या सरकार को मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में सिविल सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-I में व्याप्त चौंका देने वाले गतिरोध की जानकारी है; यदि हां, तो इस समय इस में कितना गतिरोध है और सिविल सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-I ने प्रत्येक मामले में कितनी सेवा की है;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित गतिरोध को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1978 की संस्था की पत्रिका (भारत) खंड 27 में प्रकाशित इंजीनियरी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष द्वारा मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के अधीनस्थ वरिष्ठ इंजीनियरों में व्याप्त गतिरोध के स्तर के बारे में टिप्पणी की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सिविल इंजीनियरों के अफसर ग्रेडों में कोई चिंताजनक स्थिरता नहीं आई है ।

(ख) जी हां। अधीक्षक ग्रेड-I में कुछ हद तक स्थिरता आ गई है। अधिकांश अधीक्षकों की 10 से 15 साल की सेवा हो चुकी है।

(ग) अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक निर्माणकार्य सर्वेयर और वरिष्ठ वस्तुकारों के लिए प्रवरण ग्रेड बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। जहां तक अधीक्षक ग्रेड-I और सर्वेयर सहायक ग्रेड-I का प्रश्न है इनके वर्तमान वेतनमान 550-750 रुपए से बढ़ाकर 550-900 रुपए करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान चार्ज होल्डरों (700-900 रुपए) के स्थान पर 1-2-1977 से सहायक अभियंता का पद शुरु किया गया है जिसका वेतनमान 650-1200 रुपए है। चार्ज होल्डरों की सहायक अभियंता श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए 352 नामों का जो पेनल बनाया गया है उस पर अमल हो रहा है। सहायक अभियंता की सीधी भर्ती 75% से घटाकर $33\frac{1}{3}\%$ कर दी गई है और विभागीय पदोन्नति का कोटा 25% से बढ़ाकर $66\frac{2}{3}\%$ कर दिया गया है ताकि तदर्थ सहायक कार्य पालक इंजीनियरों को खपाया जा सके।

(घ) अध्यक्ष की टिप्पणी सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है। फिर भी स्थिरता के बारे में सरकार को जानकारी है।

डी० जी० आई० संगठन में सेवा अधिकारी

8347. **श्री राज कृष्ण डान :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी. जी. आई. संगठन में प्रतिष्ठानों और निरीक्षणालयों के प्रमुख अधिकारी पद पर 99 प्रतिशत सैन्य अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और क्या वैज्ञानिकों और इंजीनियरों सहित अर्हताप्राप्त विभागीय असैनिक अधिकारियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण ऐसा है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न रक्षा विंगों के अनुसंधान, विकास उत्पादन और कारखाना निरीक्षण का अधिकांश कार्य असैनिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया जाता है और प्रधान अधिकारी के पद पर भी वे ही व्यक्ति तैनात हैं; और

(घ) यदि हां, तो डी. जी. आई. के कार्यकरण में असैनिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैनात न करने और प्रमुख अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में प्रभारी मंत्री, (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) इस समय 101 स्थापनाओं में से 81 स्थापनाओं के प्रधान तीन सेवाओं के सेवा अधिकारी (करीब 80 प्रतिशत) हैं और बाकी 20 स्थापनाओं के प्रधान सिविलियन अधिकारी हैं। इन पदों को विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं के आधार पर भरा जाता है और विशिष्ट तकनीकी पृष्टभूमि और वरीयता वाले सेवा अथवा सिविलियन अफसरों को नियुक्ति के लिये चुना जाता है।

रक्षा सेवाओं की ओर से उपस्करों की स्वीकृति जांच करने के लिए उपभोक्ताओं के रूप में उनके उपयोग का ज्ञान रखना इसका एक आधारभूत पहलू है जिसे सेवा अफसर ही पूरा रूप

सकते हैं। इसके अलावा, अनुसंधान तथा विकास और निरीक्षण संवर्गों के पिछले एक ही काडर को (अगस्त 1976 में) इन दो काडरों में विभाजित किए जाने के कारण बहुत से सिविलियनों ने अनुसंधान और विकास स्थापनाओं में खपाए जाने का विकल्प दिया और अपने उपभोक्ता अनुभव के कारण सेवा अफसर ने निरीक्षण स्थापना को चुना।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा ऊपर (क) और (ख) में दिया गया है।

न्यायालयों में लम्बित मामलों को निपटाने के लिए कार्यवाही

8348. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने लम्बित मामलों की संख्या के आधार पर न्यायालयों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड रखे हैं ;

(ख) क्या सरकार सिविल स्वरूप के ऐसे लम्बित विवादों को निपटाने के लिए, जिनका संबंध 5,000 रुपए तक की रकम से है, सुलह बोर्डों की स्थापना पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार विवाह संबंधी, बेदखली, मोटर दुर्घटना और उत्तराधिकार संबंधी लम्बित मामलों और ऐसे अन्य मामलों को, जो तात्कालिक स्वरूप के हैं, प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) उपर्युक्त बातों पर किए गए निर्णय क्या हैं और इन्हें लागू करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) साधारणतया, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की संख्या को बढ़ाने के प्रस्तावों की समीक्षा इस आधार पर की जाती है कि कितने मुख्य मामले संस्थित किए गए, कितने निपटाए गए और कितने लम्बित हैं। न्यायाधीशों की संख्या के अवधारण का मुख्य मानदण्ड प्रतिवर्ष प्रत्येक न्यायाधीशों के लिए 650 मुख्य मामले अथवा प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए मामलों की वास्तविक संख्या, इनमें से जो अधिक हो, है।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रश्न है, यह काम राज्यों का है कि वे इस बात का अवधारण करने के लिए कि कितने न्यायालय हों, उच्च न्यायालयों से परामर्श करके और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण तैयार करें।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि विवाह संबंधी मामलों, बेदखली के मामलों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष संस्थित मामलों, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन चलाए गए मामलों और इसी प्रकार के मामलों पर तत्परता

से ध्यान दिया जाना चाहिए । रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों / उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं ।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि विधि का इस दृष्टि से संशोधन किया जाए कि सेशन न्यायाधीश अपने पूर्वाधिकारी द्वारा पूर्णतः या भागतः अभिलिखित साक्ष्य पर आगे कार्यवाही कर सके । इस आशय का एक उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतःस्थापित किया जा चुका है ।

(ड) : (ख) और (ग) में उल्लिखित विषयों के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है ।

"शोले" फिल्म की सेंसरशिप

8349. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शोले" फिल्म की सेसंरशिप के बारे में विभाग ने जांच आरम्भ कर दी है ;

(ख) उपरोक्त फिल्म को "ए" प्रमाणपत्र देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बारे में जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) सेंसरशिप के लिए की गई जांच पेनल का क्या दृष्टिकोण था और बिना काटी गई फिल्म विभिन्न स्थानों पर कैसे दिखाई गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री **(श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है ।

सच्चर समिति के प्रतिवेदन का मुद्रण

8350. **श्री हलीमूद्दीन अहमद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या श्री सच्चर की अध्यक्षता में गठित कम्पनी और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सर्वप्रथम एक प्राइवेट मुद्रण प्रेस द्वारा मुद्रित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिऐ मुद्रणालय को कितनी राशि दी गई और इसे प्राईवेट मुद्रणालय को देने के क्या कारण हैं ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) प्रति कापी 400पृष्ठ वाली रिपोर्ट की 3000 प्रतियों के मुद्रण के लिये प्राइवेट मुद्रण प्रेस को 45,098.06 रु० की शुद्ध रकम दी गई थी । मुद्रण निदेशालय से परामर्श करने तथा उनसे "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के पश्चात, यह कार्य प्राइवेट प्रेस को सोंपा गया था, क्योंकि सरकारी प्रेस से मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम समय, आठ सप्ताह का था, जबकि प्राइवेट प्रेस आदेश प्रस्तुत करने के एक मास के अन्दर मुद्रित प्रतियां

देने की स्थिति में था। समिति की रिपोर्ट के प्रमाणीकृत तथा पूर्व संस्करण को बाजार में लाना भी अत्याधिक आवश्यक समझा गया था क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी ने "रिपोर्ट के अध्ययन के परिशिष्ट" के नाम से रिपोर्ट का मुद्रण पहले ही करा लिया था तथा इसे समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के लगभग दस दिन के अन्दर प्रकाशित कर दिया था।

गैस के आवंटन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें

8351. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रदेशों में उर्वरकों-पेट्रो-रसायन, तरल पेट्रोलियम गैस के रुप में रसोई गैस और विद्युत प्रजनन आदि हेतु ईधंन के लिए पोषक भण्डार जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए एसोसियेटिड और नान एसोसियेटिड गैस के आंवटन के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त समिति से सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस संबध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है अथवा लेने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य दिनांक 19 मार्च, 1979 को गठित कार्यकारी दल स्थापित करने के बारे में पूछ रहे हैं जो निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करेगा :

I. अशोधित तेल-संबद्ध गैस तथा स्वतंत्र गैस के उत्पादन कार्यक्रम को देखते हुए अपतटीय गैस की बहुत किफायती तथा अनुकूलतम उपयोग ;

II. गैस की सबसे अधकि अनुकूलतम ढुलाई औम अपतटीय गैस को भूमि पर उतारने के लिए स्थान आदि ; और

III. विद्युत उत्पादन के अन्य साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश के किसी भाग में विद्युत उत्पादन के लिए गैस के प्रयोग की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करना।

इस कार्यकारी दल से 2 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेने को कहा गया है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपतटीय गैस के उपयोग पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) : उपयुक्त (क) के दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जे० सी० बी० में रीडर ग्रेड-I तथा कापी होल्डरों के पुनरीक्षित वेतनमान

8352. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री 20 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3948 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० सी० बी० लैटर-प्रेस के रीडिंग स्टाफ की ड्यूटी दायित्व और कार्य जे० सी० बी० के फोटो-लिथो प्रेस के स्टाफ से भिन्न है ;

(ख) यदि नहीं, तो जे० सी० बी० लैटर-प्रेस के रीडिंग स्टाफ को 9 दिसम्बर, 1974 से, जब से भारत सरकार ने जे० सी० बी० के समान श्रेणी के कर्मचारियों को समान वेतन देने

के बारे में पत्र जारी किया है, पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं, जब कि रीडिंग स्टाफ की ड्यूटी केवल मात्र लिखित अथवा टाइप अथवा फोटो-टाइप पांडुलिपि के प्रूफ को पढ़ने की है ; और

(ग) क्या रीडिंग का कार्य किसी मंत्रालय के किसी विभाग में टैक्निकल ट्रेड के रूप में लिफ्टमैन, कार ड्राइवर, इलैक्ट्रिसियन, बुक-वाइन्डर, कैमरा मैन के समान हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) संयुक्त बीजांक ब्यूरो के लेटर प्रेस और फोटो लिथो प्रेस में रीडिंग स्टाफ के कार्यों और उनके स्वरूप में कुछ सीमा तक अंतर है। फिर भी, संयुक्त बीजांक ब्यूरो के रीडिंग स्टाफ को संशोधित वेतनमान न दिए जाने के कारणों को माननीय सदस्य द्वारा 20-3-1979 को पूछे गए इसी प्रश्न के उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम के कम वेतन पाने वाले कर्मचारी

8353. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का पुनर्गठन करते समय कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया था, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा जिनकी पत्नियां/पति दिल्ली में काम कर रहे हैं और जिसकी सेवाएं स्थानान्तरित नहीं हो सकती ; और

(ग) क्या भारतीय उवर्रक निगम के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपना विकल्प देने के लिए एक और अवसर दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के फलस्वरूप उन कर्मचारियों को सिवाय जिन्होंने स्थानान्तरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी केन्द्रीय कार्यालय के श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों को अन्य कम्पनियों में स्थानान्तरित नहीं किया गया था। एक कम्पनी से किसी कम्पनी में स्थानान्तरण के लिए कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये प्रबन्धकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय का दिल्ली से स्थानान्तरण

8354. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय को दिल्ली से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) उक्त कार्यालय को किस स्थान पर ले जाया जाएगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) यह आशा की जाती है कि स्थानान्तरण इस वर्ष के अन्त में प्रभावी होगा।

(ग) एफ० सी० आई० के मुख्यालय ने अन्तिम स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कोलतार की सप्लाई

8355. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सप्लाई किये गये कोलतार की तुलना में राजस्थान को कितना कम कोलतार सप्लाई किया गया तथा गत वर्ष कितना कोलतार सप्लाई किया गया था और इस वर्ष कितना कोलतार सप्लाई किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को गत वर्ष से अधिक कोलतार सप्लाई किया गया है और यदि हां, तो कितना अधिक ;

(ग) क्या राजस्थान में झालावाड़ जिले को केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है, तथा क्या उस जिले में सड़क विकास के लिये नियतन के अनुपात में कोलतार आवंटित किया गया था और यदि नहीं, तो इस संबंध में भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं: और

(घ) क्या झालावाड़ पिछड़े जिले में सड़क विकास के लिये कोलतार का पूरा कोटा सप्लाई किया जायेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रकी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात का आयात

8356. **श्री के० गोपाल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से आयात किया गया इस्पात पारादीप पत्तन में उतारा नहीं जा सका और संयंत्रों में कई दिनों तक इस्पात नहीं पहुँच सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने और इस्पात संयंत्रों को चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां। आस्ट्रेलिया से आयातित लगभग 97,000 टन कोककर कोयला लाने वाले तीन जहाजों से कोयला पारादीप बन्दरगाह पर उतारा जाना था। इनमें से पहला जहाज 6.1.79 को पहुंच गया था और इसमें से कोयला उतारने का कार्य 15.2.1979 को पूरा हो गया था। जो जहाज 1.2.1979 पहुंचा था उसे घाट पर ठहरने का स्थान 8.4.1979 को मिला जबकि तीसरा जहाज जो 11.2.1979 पारादीप की बन्दरगाह पर पहुंचा था, उसे अभी घाट पर

ठहरने का स्थान नहीं मिला है । कोयला उतारने में देरी मुख्यतः पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण हुई ।

(ख) आयातित कोयले को उतारने के बारे में इस्पात विभाग और सेल द्वारा बन्दरगाह के प्राधिकारियों से निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है । 16 अप्रैल, 1979 को हुई अन्तः-मंत्रालय बैठक में भी इस बारे में चर्चा की गई थी।

दीफू में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

8357. **श्री वीरेन एंगटी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम पर्वतीय जिले के मुख्यालय, दीफू नगर क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहें ; और

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव के बारे में सरकार का विचार स्थल का सर्वेक्षण कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सघ की एल० एफ०/एम० एक योजना के अन्तर्गत दीफू के लिये 1 किवा० वाले मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है । तथापि, इसको स्थापित करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सम्बन्धित प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

गरम पानी जल विद्युत परियोजना द्वारा प्रभावित जनजाति लोगों की क्षति पूर्ति

8358. **श्री वीरेन एंगटो :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि गरम पानी, एन० सी० हिल्स, असम में जल विद्युत परियोजना के कारण बहुत से स्थानीय जल जाति के लोग प्रभावित हुए ;

(ख) कितने लोगों को क्षतिपूर्ति दी गई और उन में से कितने को अब तक पुनः बसाया गया है ; और

(ग) क्या परियोजना से प्रभावित सभी लोगों को पुनः बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, जिला परिषद को लगभग 10,000 एकड़ भूमि दी गई है । इसभूमि के लिए जिला परिषद को 105.94 लाख रुपये की राशि दी गई है । भूमि जलमग्न होने के कारण लगभग 500 लोग प्रभावित हुए हैं । 224 किसानों को 72.5 लाख रुपये की राशि कच्चा धान उगाने की लागत के रूप में दी गई है ।

भारतीय तेल निगम में अनसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

8359. **श्री राम चरण :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (मार्किटिंग डिवीजन) नई दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में 14 फरवरी, 1979 को कुछ टाइपिस्ट क्लर्कों की असिस्टेंट ग्रेड में पदोन्नति की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कुछ पात्र कर्मचारियों का 6 अक्तूबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/75—शासकीय (एस. सी. टी.) का उल्लंघन कर अतिलंघन किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके अतिलंघन के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

8360. **श्री राम चरण** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है और क्या उन पर पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू कर दिए गए है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अगर इन कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए ब्रिटेन सरकार की पेशकश

8361. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने भारतीय कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इंगलैण्ड के ओवरसीज विकास मंत्रालय के कोयला प्रतिनिधि मण्डल ने अप्रैल, 1978 में भारत के कोयला खनन क्षेत्रों का दौरा किया था । इस प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयले के उत्पादन की दर बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनीकृत तरीकों का उपयोग करने की सिफारिश की है । इसमें इस संभावना का भी उल्लेख है कि उत्पादन का स्तर बढ़ाने हेतु

जब आवश्यकता हो तो इंगलैण्ड से उत्पादन के उपादान प्राप्त करने के लिए और अधिक वितीय सहायता दी जा सकती है ।

28 मार्च, 1979 को लोहगाँव में विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

8362. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक विमान 28 मार्च, 1979 को लोहगाँव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना का एक विमान 28 मार्च, 1979 को पुणे हवाई अड्डे के पूर्व में लगभग 500 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया । दुर्घटना के कारणों की जाँच करने के लिए एक जांच अदालत बिठायी गई है । जांच जारी है । परन्तु चूंकि इस दुटर्घना का सम्बन्ध संक्रियात्मक प्रशिक्षण अभ्यास से था इसलिए इस बारे में अधिक ब्यौरे देना सम्भव नहीं होगा ।

कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन निलम्बित किया जाना

8364. **श्री निहार लास्कर**
श्री पी. एम. सईद;
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक या दो महीनों से कुछ बड़े समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या "दी नेशनल हेराल्ड" और "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" का प्रकाशन गत दो महीनों से नहीं किया जा रहा है; शौर

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार "दी नेशनल हेराल्ड" मार्च, 1979 के किसी दिन से प्रकाशित नहीं हो रहा है तथा "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" मार्च-अप्रैल, 1979 में कुछ समय के लिए प्रकाशित नहीं हुआ । "दि नेशनल हेराल्ड" के प्रकाशित न होने के कारण मजदूरी, प्रबंधकों पर आरोप आदि के मामलों में विवाद के परिणामस्वरुप हड़ताल/लाक आउट बताये गए, जब कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" मुख्य रूप से मजदूरी तथा बोनस के भुगतान के बारे में अपने कर्मचारियों की हड़ताल के कारण थोड़े समय के लिए प्रकाशित नहीं हुआ था ।

बिहार और अन्य राज्यों में कोयला खानो का सर्वेक्षण

8365. **श्री निहार लास्कर**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री पी० एम० सईद } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार और अन्य राज्यों में कोयला खानों का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों से अनुरोध किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ड.) सर्वेक्षण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ड.) कोयला खानें तभी खोली जाती हैं जबकि व्यापक खोज कार्य के बाद किसी स्थान पर कोयले के भन्डार प्रमाणित हो जायें और खानों की तकनीकी और आर्थिक उपादेयता की दृष्टि से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली जाए। अगले दशक में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की खोज कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात चरण एक (1982-83 और 1987-88 की मांग पूरी करने के लिए) मई 1980 तक और चरण दो (1992-93 की मांग पूरी करने के लिए) मार्च 1985 तक। खोज कार्य को उत्पादन कार्यक्रम से 8/10 वर्ष पहले पूरा किया जाना है। देश में खोज का सारा कार्यक्रम देश में उपलब्ध तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान का उपयोग करते हुए पूरा किया जा रहा है।

भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों में आयातित कोकिंग कोयले का मिश्रण

8366. **श्री निहार लास्कर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात प्रकाश में आयी है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों को ऐसा परामर्श देने के लिए बाध्य होना पड़ा कि वे अधिकतम मिश्रण अनुपात निश्चित करने के लिए योजनाबद्ध क्रमिक परीक्षण किए बिना ही आयातित कोकिंग कोयले के सीमित भण्डार का उपोयग करें ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन इस्पात कारखानों में कोयला पहुंचाने के अपना अश्वासन पूरा करने के उपाय आरम्भ किए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

रायल्टी में उपकर में वृद्धि के कारण उत्पादकों द्वारा कोयले में वृद्धि किया जाना

8367. **श्री निहार लास्कर**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों की रायल्टी पर उपकर में 20 प्रतिशत वृद्धि का भार ऊपभोक्तओं पर डालने के निर्णय के कारण ऊपभोक्ताओं को कोयले का अधिक मूल्य देना पडेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विभिन्न ग्रेडों के कोयले की प्रचलित कीमतों का सांविधिक नियंत्रण किया जाता है और एक अगस्त, 1975 के बाद से उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। ये कीमतें खान मुहाना कीमतें हैं। इनमें रायल्टी और सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा किन्हीं अन्य निकायों द्वारा लगाये गए उपकर, उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर शामिल नहीं हैं। उत्पादकों को अधिकार है कि वे खान मुहाना कीमतों में ऐसे करों की रकम जोड़ लें।

छोटे समाचारों को वित्त देने का प्रस्ताव

8368. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे समाचार पत्रों विशेषकर भाषायी समाचार पत्रों को मुद्रणालयों की स्थापना के लिए कार्य कर पंजी के लिए वित्त देने का है ;

(ख) जिन समाचार पत्रों को वित्त दिया जा रहा है अथवा जो वित्तीय सहायता पा रहे हैं उनका रज्य-वार ब्योरा क्या है :

(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्या प्रतिक्रिया अपनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार के कहने पर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया ने समाचार पत्र उद्योग को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उपग्रह दूरदर्शन, नई दिल्ली द्वारा सर्वोत्तम कृषि कार्यक्रम के लिए पुरस्कार

8369. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह दूरदर्शन, नई दिल्ली द्वारा किये गये सर्वोत्तम कृषि कार्यक्रम के लिए कुछ पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ख) क्या एक ऐसे कार्यक्रम को 1977 में हुई जापान दूरदर्शन प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, इसके प्रस्तुतीकरण में किन व्यक्तियों का हाथ था और उसके उत्पादन में कितने व्यक्तियों का सहयोग था और पुरस्कार किन-किन लोगों को मिला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी, हां। उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए "चौपाल" कार्यक्रम ने 1977 में टोकियो में हुई

प्रतियोगिता में "जापान पुरस्कार" प्राप्त किया था। पुरस्कार की राशि 500 अमरीकन डालर थी, राशि का 1/3 सरकार के खाते में जमा हुआ और 2/3 निम्नलिखित व्यक्तियों में बांट दिया गया था जो इस कार्यक्रम को तैयार करने से सम्बन्धित थे :

1. श्री के० के० चतुर्वेदी, प्रोड्यूसर ।
2. श्री जे० पी० एस० अरोरा, सहायक इंजीनियर ।
3. श्री एस० जी० साने, फिल्म सम्पादक ।
4. श्री जे० पी० गौतम, कैमरामैन ।
5. श्री जी० डी० शुक्ल, केन्द्र निदेशक (स्क्रिप्ट राइटर)

आदिवासी किसानों द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई बिजली पर माँग शुल्क और न्यूनतम शुल्क कर समाप्त किया जाना

8370. **श्री हीरा सिंह** : क्या **ऊर्जा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई प्रयोजनों के लिए आदिवासी किसानों द्वारा प्रयोग की गई बिजली पर वर्ष 1978-79 के दौरान लगाए गए मांग शुल्क और न्यूनतम शुल्क को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितना शुल्क समाप्त किया गया है और किस तारीख से : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी क्षेत्रों के किसानों से वर्ष शत प्रतिशत मांग-शुल्क और न्यूनतम शुल्क वसूल किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त आदेश को रद्द करने के लिए कोई निर्णय किया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वा ले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मत्री **(श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) से (ङ) : सप्लाई की शर्तें निर्धारित करने, मांग प्रभार तथा न्यूनतम प्रभार लगाने और समाप्त करने के अधिकार विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अंतर्गत पूर्ण रुप से राज्य बिजली बोर्डों को सौंपे गए हैं। आदिवासी किसानों द्वारा सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए उपयोग में लाई गई बिजली पर मांग प्रभार तथा न्यूनतम प्रभार के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश या मार्गदर्शी सिद्धांन्त जारी नहीं किए हैं।

यद्यपि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि आदिवासी किसानों से गलती से न्यूनतम प्रभार की वसूली के कुछ उदाहरण उनके ध्यान में आए हैं तथा इस प्रकार वसूल की गई अधिक राशि को इस वर्ष उपभोग प्रभारों में समायोजित करने के लिए वे कार्यवाही कर रहे हैं।

मैसर्स फाइज़र, सैंडोज़ और हेकस्ट को सरकारी माध्यम से आयातित बल्क औषधियों का रिलीज किया जाना

8371. **श्री किशोर लाल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री, 29 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4913 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइज़र को 1975-76 और 1977-78 के बीच सरकारी माध्यम से आयातित बल्क औषधियों विटामिन बी-I और विटामिन बी-2 की रिलीज की मात्रा 5579 किलोग्राम से बढ़ाकर 8800 किलोग्राम और 2736 किलोग्राम से बढ़ाकर 3550 किलोग्राम कैसे कर दी गई और इस वृद्धि पर औद्योगिक लाइसेंसों और वितरण नीति के किन उपबंधों के अन्तर्गत विचार किया गया है;

(ख) इस अवधि में भारतीय कम्पनियों के कितने आवेदनपत्रों को अस्वीकृत किया गया, क्या कम्पनी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनपत्र में इस कच्चे माल का उल्लेख था, क्या यह सच है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में केवल सारणीपत्र का उल्लेख किया गया है; और

(ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र में बेकोसुल कैपस्यूल का उल्लेख कैसे किया गया तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के किस उपबंध के अन्तर्गत इस पर विचार किया गया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री **(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) फाइज़र लि० सहित सभी डी. जी. टी. डी. यूनिटों को वर्ष 1976-77 तक कैनेलाइजड कच्चे माल की रिलीज उनके गत दो वर्षों के अधिकतम खपत तक या राज्य औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्रा इनमें से जो भी कम है दी गई थी। 1976-77 तक मैसर्स फाइज़र लि० को विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 की रिलीज इसी आधार पर दी गई थी।

1977-78 में आयात व्यापार नीति (खण्ड-III समूह-क) में यह व्यवस्था की गई थी कि रिलीज आर्डर की आवश्यकता के बिना ही कैनेलाईजिंग ऐजेन्सियों द्वारा "सीधी आवंटन" नीति के अन्तर्गत विटामिन बी-1 और बिटामिन बी-2 तथा फोलिक ऐसिड रिलीज किया जायेगा। 1977-78 में मैसर्स फाइज़र लि० को विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 की बढ़ी हुई मात्रा इसी नीति के अनुसरण में दी गई थी।

(ख) और (ग) बिकासूल कैपसूलों के सम्बन्ध में स्थिति अतारांकित प्रश्न संख्या 8398 के आज दिये जाने वाले उत्तर में स्पष्ट की जा रही है।

पंजीकरण पत्रों में उत्पादन के विशिष्ट मदों के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिये गये हैं।

निम्न विषयों पर सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखी जायेगी।

1. विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 के लिये सीधे आवंटन की प्रणाली पर भारतीय कम्पनियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या जोकि अस्वीकार किये गये थे।
2. क्या मैसर्स फाइज़र लि० द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र में विशिष्ट कच्चे माल के नाम दिये गये थे।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रावधान

8372. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 1979-80 के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य ने कितनी राशि की मांग की है ; और

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के ग्रामीण विद्युतीकरण की तुलना में मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कितना प्रतिशत है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई राशि तथा 1979-80 की वार्षिक योजना में ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए जाते हैं :

	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
	(करोड़ रुपए)	
ग्राम विद्युतीकरण निगम का सामान्य कार्यक्रम	10.60	10.67*
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एन०एन०पी०)	9.00	9.00

*विशेष परियोजना कृषि कार्यक्रम तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगा ।

(ग) 31 जनवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 27.0% गांव विद्युतीकृत थे । इसकी तुलना में गुजरात में 49.6%, महाराष्ट्र में 63.6% तथा राजस्थान में 32.4% गांव विद्युतीकृत थे ।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति के सुझाव

8373. **श्री के० टी० कोसलराय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन कांउसिल आफ लीगल एड एण्ड एड्वाइसेज़ के तत्वावधान में निर्धन व्यक्तियों को कानूनीस हायता की क्रियान्विति के बारे में नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने क्या सुझाव दिये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) यद्यपि संगोष्ठी का विषय "कानूनी सहायता का प्रभावी रूप से

कार्यान्वयन" था तथापि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिए गए कुछ सुझाव कानूनी सहायता के संबंध में नहीं थे । मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

(I) तुच्छ और द्वेषपूर्ण मुकदमेबाजी को रोका जाए ;

(II) वकीलों को चाहिए कि वे वकील, अधिवक्ता और न्यायाधीश की भूमिका निभायें और स्वयं इस बात पर विचार करें कि क्या दावा सद्भावपूर्ण, युक्ति-संगत और इस प्रकार का है कि वह न्यायालय में ले जाया जा सकता है ;

(III) मामले के सभी स्तर पर सदभावपूर्ण समझौते की संभावनाओं का पता लगाया जाये ;

(IV) अधिनिर्णय संबंधी प्रक्रिया में निम्नतम स्तर पर भी विकल्प का सिद्धान्त लागू न किया जाए ;

(V) वरिष्ठ वकीलों को दिलचस्पी लेनी चाहिए । ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि उन वकीलों को जिनका कुछ करने का इरादा है, तब कर संबंधी कुछ प्रोत्साहन दिया जाए जब वे 50 प्रतिशत भाग कानूनी सहायता स्कीम के लिए छोड़ दें ;

(VI) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े नगरों में न्यायालय पारियों में बैठ सकते हैं और संध्याकालीन पारियां कानूनी सहायता के मामलों के लिए आरक्षित रखी जाएं ;

(VII) उच्चतम न्यायालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और सप्ताह में दो दिन कानूनी सहायता के मामलों के लिए आरक्षित रखने चाहिए ;

(VIII) कानूनी सहायता वकील स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को इस दिशा में शिक्षित कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उन्हें क्या कठिनाइयां हैं ।

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधिपति के सुझावों पर भी, जहां तक उनका संबंधी कानूनी सहायता से है, सरकार भगवती समिति की कानूनी सहायता संबंधी रिपोर्ट पर, जिसकी समीक्षा की जा रही है, विनिश्चय करते समय विचार करेगी ।

तालचर और रामागुण्डम में उर्वरक परियोजनाओं की लागत

8374. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर और रामागुण्डम स्थित उर्वरक परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षित अनुमान में धान का प्रावधान बढ़ाने के क्या कारण हैं, और

(ख) इन दो परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब के कारण उन विभिन्न शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत व्यय की राशि बढ़ानी पड़ी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तालचर और रामागुण्डम उर्वरक परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत 70.49 करोड़ रुपये और 71.18 करोड़ रुपये थी जबकि संशोधित अनुमोदित लागत क्रमशः 184.76 करोड़ रुपये तथा

185.92 करोड़ रुपये है। लागतों में वृद्धि के मुख्य कारण निम्न प्रकार है :—

(I) कोयले के रख-रखाव, प्रदुषण नियंत्रण आदि और निसाव उपचार के लिये अतिरिक्त व्यवस्था तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन।

(II) प्लांट में परिवर्तन तथा चतुर्थ गैसी फायर की व्यवस्था।

(III) विदेशी मुद्रा की समता में परिवर्तन।

(IV) मूल्य-वृद्धि

(V) वित्तीय लागतों में वृद्धि तथा निम्न कारणों से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण विभागीय प्रभार :—

1. सिविल डिजाईनों को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब।

2. ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में विलम्ब।

3. उपकरणों की सप्लाई तथा उनके प्रारम्भ करने में विलम्ब।

(VI) सीमा शुल्क और समुद्री किराये में वृद्धि।

(ख) दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप मुख्यत: उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में (v) पर दर्शाये गये विभागीय प्रभारों तथा लागतों में वृद्धि हुई। तालचर और रामागुण्डम परियोजनाओं में वितीय प्रबन्ध तथा विभागीय प्रभागों में क्रमश: 23.37 और 23.79 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा एल० पी० जी० की सप्लाई

8375. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ट्राम्बे की एल० पी० जी० सप्लाई कितने नये कस्बों को उपलब्ध की जायेगी और उन शहरों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार के उन शहरों को एल० पी० जी० की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, जहां, पहले से ही एल० पी० जी० सप्लाई उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन एच० पी० सी०) निम्न-लिखित स्थानों पर खाना पकाने की गैस की नई वितरक एजेन्सी स्थापित करने की योजना बना रहा है :—

प्रभानी, उस्मानाबाद, मलाड (बम्बई), करड, वेंगुर्ला, वाशी (नई बम्बई), राहुरी तथा उरान।

(ख) महाराष्ट्र में कम्पनी वर्तमान बाजार में वर्ष 1978-79 के दौरान एच० पी० सी० ने 74,442 अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं का नामांकन कर लिया है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में कहा गया है।

पिम्परी में आई० डी० पी० एल० की यूनिट का विस्तार कार्यक्रम

8376. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पिम्परी में आई० डी० पी० एल यूनिट के आगामी वित्तीय वर्ष में विस्तार कार्यक्रम के बारे में ब्योरा क्या है :

(ख) क्या सरकार अगामी वित्तीय वर्ष में पिम्परी मे फार्मूलेशन संयंत्र और महाराष्ट्र राज्य में संयुक्त क्षेत्र संयंत्रों के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का पिम्परी में कोई विस्तार कार्यक्रम नही है। तथापि, हिन्दुस्तान एण्टीबायेटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल) सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित परियोजनाओं का पिम्परी में कार्यान्वयन चालू रखेगी :

i पेनिसिलिन की क्षमता का विस्तार

ii. स्ट्रप्टोमाईसीन

iii. एम्पीसिलीन

2. जेन्टामाइसीन का निर्माण

3. फार्मूलेशन प्लांट—II

(ख) उपरोक्त (क) में बताये गए फार्मूलेशन प्लांट के अलावा महाराष्ट्र में संयुक्त उद्यम फार्मूलेशन प्लांट के कार्यान्वयन के लिए भी सरकार द्वारा स्वीकृत दी गई है।

(ग) पिम्परी में फार्मूलेशन प्लांट और महारष्ट्र में संयुक्त उद्यम फार्मूलेशन प्लांट में क्रमश: 339 लाख रुपये और 308 लाख रुपये का परिव्यय निहित है। बाद वाले की साम्य पूंजी में एच० ए० एल के बाद 58 लाख रुपये के शेयर हैं।

राजस्थान के लिए हार्ड कोक का कोटा

8377. **श्री एस० एम० सोमानी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के लिए 1978 में और वर्ष 1979 के लिए हार्ड कोक के कोटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस राज्य को हार्ड कोक की निर्वाध सप्लाई करने के लिए सरकार के क्या कार्य-करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान राज्य के लिए उपोत्पाद हार्ड कोक का कोटा वर्ष 1978 में 30 वैगन था तथा 1979 में 50 वैगन है। इसके अलावा वर्ष 1979 के लिए रेलवे ने 200 वैगन बीहाइव हार्ड कोक और 100 वैगन नट कोक, पर्लकोक, कोकब्रीज तथा मिश्रित कोक का भी कोटा नियत किया है।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० में हार्डकोक में निर्माण पर अक्तूबर, 1978 तक वर्षा बाढ़ के कारण गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ा था किन्तु अब उसे अधिक से अधिक कोक भट्टियां चालू करके बढ़ाया जा रहा है। सरकार भी वेगनों की सप्लाई में सुधार के लिए प्रयत्नशील है। रेल द्वारा ढुलाई के कोटा में होने वाली कमी को सड़क परिवहन से कोयला भेजकर पूरा किया जता है।

नैवेली में चीन के इंजीनियरों को प्रशिक्षण सुविधाएं

8378. **श्री एस० एस० सोमानी**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उसके खनन इंजीनियरों को तमिलनाडु में नैवेली में "ओपन कास्ट" खानों में प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'टिस्को' के अधिग्रहण में प्रगति

8379. **श्री सी० आर० नहाटा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्को को अधिग्रहण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है : और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) अभी सरकार इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

मथुरा से तेल शोधक कारखाने का स्थानान्तरण करने पर विचार

8380. श्री **सी० आर० नहाटा :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छः लाख टन क्षमता वाले तेल शोधक कारखाने को मथुरा से स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है :

(ख) क्या उक्त तेल शोधक कारखाने को अपने वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भी सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मथुरा शोधनशाला के वातावरण पर प्रभाव कम से कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का सरकार का दृढ़ निश्चय है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति

ने आई.ओ.सी. द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाये जाने वाले कई कदमों की सलाह दी है। आगरा के वातावरण में शोधनशाला के तुच्छ प्रदूषण तत्व के योगदान तथा भिन्न भिन्न रक्षात्मक कदम जो किया तो उठा लिये गये हैं या विचाराधीन हैं, को ध्यान में रखते हुए शोधनशाला को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

बरौनी उर्वरक कारखाने में नये ईंधन "पर्ज गैस" का पता लगाया जाना

8381. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक कारखाने में बायलरों में उपयोग के लिए एक नये ईन्धन "पर्ज गैस" का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार नये ईन्धन "पर्ज गैस" का पता लगाने के लिए देश के अन्य भागों में सर्वेक्षण करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) स्टीम रिफारमेशन प्रक्रिया पर आधारित उर्वरक संयंत्र की प्रक्रिया पद्धति के अन्तर्गत उपलब्ध "पर्ज गैस" ऐसे उर्वरक प्लांटों में ईन्धन के रूप में प्रयोग की जाती है। बरौनी उर्वरक कारखाना भी ईन्धन के रुप में "पर्ज गैस" का प्रयोग करता है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषधि कम्पनियों के वर्तमान ऋण लाइसेंसों का नवीकरण

8382. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशी औषधि कम्पनियों के वर्तमान ऋण लाइसेंसों का नवीकरण करने के लिये सहमत हो गई हैं: और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंसों की नवीकरण की क्या शर्तें रखी गई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती ननन्द बहुगुणा) : (क) ऋण लाइसेंस के नवीकरण चालू लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों तक ही सीमित होगा तथा वह इस शर्त पर भी होगा कि ऋण लाइसेंस रखने वाला उत्पादों के लिए एक वैद्य औद्योगिक लाइसेंस रखता हो। औषध और प्रसाधन नियम 1975 के अधीन अन्य शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेगी।

कोकर कोयले के भंडार, मात्रा और स्थान

8383. **श्री राम दास सिंह :** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कोकर कोयले के कितने भंडार का पता लगा है तथा उनके स्थानों और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को चालू वर्ष के लिए कितने कोककर कोयले की आवश्यकता/मांग होगी;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड को इस्पात सयंत्रों विशेषकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंध अधीन इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की मांग को पूरा करने में, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) गिरिडीह और जरोडित कोककर कोयला खानों को पुनः खोलने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोककर, मीडियम कोककर और सेमी से लेकर वीकली कोककर कोयले के भंडार लगभग 20 हजार मिलियन टन होने का अनुमान किया गया है। इनकी सीमों की मोटाई 1.2 मीटर और उससे अधिक तथा गहराई 600 मीटर तक है। ऐसे कोयलों के भण्डार रानीगंज गिरिडीह, झरिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नार्थ करणपुरा, रामगढ़, सोनहट और पेंच कान्हन कोयला क्षेत्रों में फैले हुए हैं । ये कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में हैं।

(ख) वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने इस्पात संयंत्रों के लिए, भट्टियों को अपेक्षित किस्म के 12 मिलियन टन कोककर कोयले की मांग की है।

(ग) कोयले का उत्पादन और खान मुहाना स्टाक नवम्बर, 1978 से बढ़ गया है। इस्पात कारखानों को कोयले की अधिक सप्लाई के संबंध क कोल इंडिया लि० को जिन बाधाओं का सामर करना पड़ा है वे मुख्यतः इस प्रकार हैं। अक्सर बिजली फेल हो जाना, कानून और व्यवस्था की शोचनीय स्थिति और परिवहन की पर्याप्त सुविधा न होना। इस्पात संयंत्रों की कुल मांग पूरी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

(घ) गिरिडीह इनक्लाइन में सीम तक पहुंचने के लिए खुदाई हो रही है। यहाँ पहले जो टुकड़े और बैरियर खुदाई के लिए छोड़ दिए गए थे उनमें, फिर खुदाई करने की दृष्टि से, पानी निकालने के लिए पम्पों का इस्तेमाल किया जाना है। जारंगडीह खान तो चालू खान है। परन्तु यहां चौथे दशक में जो एक गहरी शैफ्ट खान छोड़ दी गई थी उसमें इस समय फिर काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयले पर आधारित उर्वरकों की प्रोद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होना

8384. **श्री राम दास सिंह** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरकों से संबंधी प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति ने उक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले देशों का दौरा करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1979 के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने का है, यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोई ऐसा दल हाल में नियुक्त नहीं किया गया था। परन्तु पांच सदस्यों का एक शिष्ट मंडल, जिसमें

पैट्रोलियम एवं रसायन तथा वित्त मंत्रालयों, योजना आयोग और भूतपूर्व फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के योजना एवं विकास प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, नवम्बर 1968 में पश्चिम जर्मनी, टर्की, स्पेन और यू०के० में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के अनुरक्षण तथा संचालन का अध्ययन करने के लिए गया था और उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की गई है :—

(i) कि समान्यतः कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की तकनीकी-आर्थिक सम्भावनाओं की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं थी और विशिष्ट परियोजनाओं को विस्तृत विचार के लिए हाथ में लिया जा सकता था।

(ii) कि कोयले गैसीफिकेशन की उपलब्धता प्रक्रियाओं में से कोपर टोटजेक प्रक्रिया को देश में अपनाना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा।

(ग) तालचर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित दो संयंत्रों द्वारा यूरिया का परीक्षण उत्पादन जुलाई अगस्त 1979 में आरम्भ होने की आशा है। कोयले के फीड-स्टाक पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना पर विचार इन दो कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के संचालन संबंधी अनुभवों के प्राप्त किए जाने के तथा कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता की स्थापना के पश्चात ही किया जाएगा।

रानीगंज कोयला-क्षेत्र में सामला चतरीसगंडा कोयला खान दुर्घटना

8385. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में 4 मार्च, 1979 को सामला चतरीसगंडा कोयला खान में दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरुप कुल कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ज्ञनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां, 4 मार्च, 1979 को सामला कोलियरी में एक घातक दुर्घटना हुई। श्री राम गोपाल घोष अन्य कामगारों के साथ भरे जा रहे गर्त्त की तलहटी से बालू साफ करने में लगे थे। बालू के ऊपर जमा पानी फट पड़ा और श्री घोष के घायल हो जाने से मृत्युहो गई।

(ग) 4 मार्च, 1979 को रविवार था, रविवार कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिए कोयले के उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

आसाम में अशोधित तेल के भण्डार का अनुमान

8386. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अशोधित तेल का अनुमानित भण्डार कितना है ;

(ख) उत्पादन का वर्तमान दर उसके कितने वर्ष तक चलते रहने की संभावना है : और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाये गए तेल को भी पूरी तरह भेजे जाने में कितने वर्ष लग जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) असम राज्य से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमि० के क्षेत्रों से वसूली योग्य अशोधित तेल के भण्डार नीचे दिये गये हैं :—

ओ० आई० एल० — लगभग 39 मि० मी० टन (1.1.1979 की यथास्थिति के अनुसार)

ओ० एन० जी० सी०— लगभग 43 मि० मी० टन (1.1.1978 की यथास्थिति के अनुसार)

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के असम में स्थित क्षेत्रों की वर्तमान योजनाबद्ध उत्पादन दर से शेष वसूली योग्य भण्डार 20 वर्ष तक चलेगा। आयल इण्डिया लिमि० के क्षेत्रों की वर्तमान उत्पादन दर 1983/84 तक कायम रहेगी।

(ग) तेल भण्डार को समाप्त करने की दर केवल उसकी परिवहन क्षमता पर आधारित नहीं होती है परन्तु इसका पता विभिन्न अन्य तथ्यों से लगाया जाना है जिनमें क्षेत्र की परिशोधन क्षमता तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुए खपत की वर्तमान दर गौण वसूली तकनीक तथा अन्वेषी तकनीकों का विकास तथा उपयोग आदि शामिल हैं। अतः एक निर्धारित अवधि बतलाना सभव नहीं है।

आयुध कारखानों में स्क्रैप की नीलामी

8387. **श्री वसन्त साठे :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में स्थिति आयुध कारखानों में धातु स्क्रैप की नीलामी में अनियमितताओं/कदाचारों और सम्बद्ध अधिकारी की सांठ गांठ के साथ ठेकेदारों की हेरा फेरी के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी प्रत्येक शिकायत पर गत दो वर्षों में क्या कार्यवाई की गई; और

(ग) क्या सरकार स्क्रैप धातु की नीलामी की प्रक्रिया को सुधारने के विचार से एक समिति गठित करेगी जिससे की वर्तमान प्रक्रिया की कमियों को दूर किया जा सके और कदाचारों अनियमितताओं को रोका जा सके; मामले में उठाए गए कदमों/उठाये जाने वाले कदमों का क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस संबन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दो मुख्य शिकायतों की जांच पड़ताल की गई है। इनमें से एक मामले में ठेकेदार और कारखाने के किसी अफसर के बीच आपस में मिली भगत होने का प्रथम दृष्ट्या कोई संदेह नहीं लगता। दूसरे मामले में इस मंत्रालय के अफसर द्वारा अभी जांच पड़ताल की जा रही है और रिपोर्ट अभी आनी है।

(ग) इन निविदाओं का समुचित प्रचार किया जाये, इस बारे में व्यापक मार्ग-दर्शी अनुदेश फिर से जारी कर दिये गए हैं, इसलिए इस प्रयोजनार्थ कोई समिति नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिये नये सेवा नियम

8388. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री 13 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन नियम, जिनमें व्यवस्था है कि बी० एस० सी० अर्हताओं वाले वैज्ञानिकों पर एस० एस० ओ० II और ऊपर के पदों पर पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया जायेगा, नये कर्मचारियों पर लागू हैं या वर्तमान और हाल ही में पदोन्नत जे० एस० ओ० दोनों ही पर लागू हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जायेगा ;

(ग) ऐसे वर्तमान/भावी जे० एस० ओ० की ग्रुपवार, कुल संख्या कितनी है जो इन नियमों से प्रभावित होंगे ; और

(घ) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसे कोई उपचारात्मक उपाय है जिनके द्वारा इन कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की पदोन्नति में गतिरोध न रहे, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो इसके ब्योरेवार कारण क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह व्यवस्था कि बी० एस० सी० योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और उससे ऊपर के ग्रेड में पदोन्नत करने पर विचार नहीं किया जाएगा, वर्तमान और नए पदोन्नत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों पर लागू नहीं हैं। भविष्य में बी० एस० सी० पास उम्मीदवारों की रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में सीधे नहीं लिया जा सकेगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

डी० आर० डी० ओ० मुख्यालय में एस० एस० ए० से जे० एस० ओ० की पदोन्नति के लिए पेनल

8389. **श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आर० डी० ओ० मुख्यालयों द्वारा एस० एस० ए० से जे० एस० ओ० के लिए पेनल जारी की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ग्रुपों में वर्ष 1970 तक के कर्मचारियों को वरिष्ठता को मंजूरी दी गई है और कुछ ग्रपों में वर्ष 1970 के बाद की कर्मचारियों को वरिष्ठता को मंजूरी दी गई है ;

(ग) इस पेनल में मंजूरी दिए गए वर्ष 1970 तक के वरिष्ठ ग्रुपवार कर्मचारियों और 1970 के बाद के वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) सब ग्रुपों में वर्ष 1970 के बाद के कर्मचारियों को मंजूरी न देने के कारणों का ब्योरा क्या है ; और

(ड.) क्या सरकार पेनल की संख्या में वृद्धि करने और इसे सब ग्रुपों में समान करने पर विचार करेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रत्येक शाखा में वर्तमान और अनुमानित पदों की आवश्यकता के अनुसार पेनल तैयार किए गए हैं । इसलिए अलग-अलग शाखाओं के लिए दी गई तारीखे अलग-अलग हैं ।

(ड.) पेनल में कार्मिकों की अधिकाधिक सम्भव संख्या को पहले ही रख लिया गया है । जैसे ही वर्तमान पेनल पूरा हो जाएगा वैसे ही नया पेनल तैयार कर दिया जाएगा ।

विवरण

शाखा/एस पी विषय	1970 तक कार्मिकों की संख्या	1970 के बाद कार्मिकों की संख्या
धातुकर्मीय	11	1
शस्त्र	143	13
विस्फोटक	63	11
उपकरण	43	7
इलेक्ट्रानिक्स	122	18
इंजीनियरी	65	14
उड़ान विज्ञान	1	55
न्यूक्लीय विज्ञान	3	—
रसायन शास्त्र	106	4
जीव विज्ञान	23	2
भौतिकशास्त्र	33	3
शरीर क्रिया विज्ञान	7	1
मनोविज्ञान	1	1
गणित और सांख्की	29	2
वैज्ञानिक सूचना और तकनीकी प्रलेखन	12	—
सामान्य भंडार	22	3
वस्त्र	28	2

मैसर्स एग्रो-केमिकल्स, उत्तर प्रदेश द्वारा कीटनाशक औषाधियों का उत्पादन

8390. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० केमिकल लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक फर्म आई० डी० पी० एल० एग्रो केमिकल्स बिना किसी उत्पादन/औद्योगिक लाइसेंस के साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित अपने कारखाने में कीटनाशक औषधियों का उत्पादन कर रही है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने सरकार के निर्देश का उल्लंघन करके अपनी अनाधिकृत आयातित मूलभूत सामग्री का वास्तविक प्रयोक्ताओं को निपटान नहीं किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कदाचार जैसी कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस कंपनी के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आयातित ओद्यौगिक पर आधारित डेलापोन तथा डाडपोन आदि जैसे पेस्टीसाईडस के निर्माण के लिये मैसर्स आई० डी० पी० एल० एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को जुलाई 1970 में एक आशय पत्र प्रदान किया गया था। उन्हें आयातित तकनीकी सामग्री पर आधारित फार्मूलेशन बनाने के लिये मई 1972 में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था ताकि सीडिंग कार्यक्रम आरम्भ कर सके बशर्ते कि यदि तकनीकी सामग्री के निर्माण के लिये उनके आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में न बदला गया तो फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये उनका औद्योगिक लाईसेंस स्वतः ही रद्द हो जायेगा। चूंकि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये विदेशी सहयोग प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये, तकनीकी सामग्री के निर्माण के लिये उनका आशय पत्र 23.9.76 को रद्द समझा गया। अतः फार्मूलेशनों के लिये उनका औद्योगिक लाइसेंस भी उस तारीख़ से स्वतः रद्द हो गया। तथापि सरकार का निर्णय उनको सूचित कर दिये जाने के बाद भी कम्पनी ने कुछ आयातित सामग्री का निर्माण किया है।

(ख) जैसा कि कम्पनी ने 29.3.1976 के पश्चात् भी तकनीकी सामाग्री की कुछ मात्राओं का आयात किया था, अन्य प्राधिकृत निर्माताओं को तकनीकी सामग्री का निपटान करने के लिये उनको निदेश दिया गया था। उन्होंने हाल ही में सरकार को सूचित किया है कि चूंकि सामाग्री की म्याद सीमित थी, अतः उसका निर्माण उन्होंने स्वयं कर लिया था। जैसा कि पार्टी की यह गतिविधि गैर कानूनी है, उनको एक कारण बाताओं नोटिस भेजा जा रहा है तथा उनका उत्तर प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध अगामी कार्यावाही पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये 'केलट्रोन' योजना

8391. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (केलट्रोन) द्वारा समूचे केरल राज्य में दूरदर्शन व्यवस्था स्थापित करने के लिये तैयार की गई एक योजना की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजना की व्यवहार्यता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार केरल में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिये इस योजना अथवा किसी अन्य योजना को कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सरकार को केरल स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार कोई योजना जिसमें केरल राज्य को कवर करते हुए टेलिविजन स्थापना की बात हो, प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दूरदर्शन अधिकारियों को यह कहा गया है कि वे कारपोरेशन से यह पता करने के लिए कि क्या कोई ऐसी योजना है और उसका क्या ब्यौरा है, सम्पर्क करें।

छठी पंचवर्षीय योजना में त्रिवेन्द्रम में एक स्टूडियो स्थापित कर, जिसमें बाद में दूसरे स्टूडियो की स्थापना की भी व्यवस्था हो, एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने तथा 150 मीटर वाले टावर सहित 10 कि० वा० टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

एल-बेस के लिए मूल निधि से राज सहायता

8392. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यदि एल बेस का आयात सरणीबद्ध एजेन्सी सी० पी० सी० के माध्यम से किया जाये तो उनके लिये मूल निधि से राज सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाये तो विटामिन सी पर राज सहायता अदा की जाती है ;

(ग) क्या एल बेस की बजाय फ्लोरमफेनोकील पर राज सहायता की जा सकती है ;

(घ) क्या इस मामले में हुए संसद सदस्यों ने तथा संगठनों ने सरकार का ध्यान खीचा है ; और

(ड.) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) क्लोरेम्फेनीकल पाऊडर सहित वल्क औषधों के मूल्य हाल ही में रोक दिये जाने तथ ऐल-बेस (जो क्लोरेम्फेनीकल पाऊडर के उत्पादन के लिये उपान्तिम मध्यवर्ती पदार्थ है) के सी० आई०एफ

मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि के सम्बन्धों में सरकार ने सी० पी० सी० के साथ ऐसी व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत ऐसे यूनिट, जिनके पास पर्याप्त वैधता के साथ वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस है, जिसके अन्तर्गत ऐल-बेस का आयात किया जा सकता है ऐसे लाइसेंसी सी. पी. सी के आवश्यक अधिकार पत्र के साथ देंगे और सी. पी. सी एल बेस का आयात करके उन्ही मूल्यों पर उनकी सप्लाई करेगी जिन पर की 1978-79 के दौरान एल-बेस की सप्लाई की बशर्ते कि ऐसी सप्लाई में से तैयार किया गया क्लोरेम्फेनीकल पाउडर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों पर कैनलाइजड वितरण के लिए सी. पी. सी. को दिया जायेगा। जब कभी क्लोरेम्फेनीकल पाउडर के मूल्यों में कोई संशोधन किया गया तो जिन मूल्यों पर सी. पी० सी० इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऐल-बेस की सप्लाई करता है उनमें भी संशोधन किया जायेगा इससे यह सुनिश्चित होगा कि सन्बन्ध संगठित क्षेत्र या छोटे पैमाने के यूनिट अपनी प्रक्रिया जारी रखने के लिये विशिष्ट मूल्य पर ऐल-बेस प्राप्त करते रहेगें।

सम्बद्ध वास्तविक उपभोक्ताओं को मूल अकाउंट में से सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों पर ऐल-बेस उपलब्ध करने की इस व्यवस्था पर होने वाली कम प्रति-प्राप्ति को पूरे किये जाने की आवश्यकता होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूँकि उपरोक्त (क) के उत्तर में बताई गई व्यवस्था का उद्देश्य यही हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के बावजूद ऐल-बेस अनुमोदित मूल्य पर उपलब्ध की जाये, अतः उक्त व्यवस्था केवल सी. पी. सी. द्वारा सप्लाई किये गये ऐल-बेस पर लागू होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूँकि ऐल बेस में से क्लोरेम्फेनीकल के 460 रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य में (एल बेस के मूल्य 475/- रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) में उचित लाभ की गुंजाइश है, सरकार वर्तमान व्यवस्था में फेर-बदल करना नहीं चाहेगी।

वाइथ एण्ड बार्नर हिन्दुस्तान को प्रेडनीसोलोन, केडीला एच. ए. एल. और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का एम्पोसीलिन और फाइजर को आक्सी टाइट्रासाइक्लीन का जारी किया जाना

8393. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा वाइथ एण्ड वार्नर हिन्दुस्तान को प्रेड नीसोलोन केडीला एच० ए० एल० और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को एम्पेसीलिन और मैसर्स फाइजर को आक्सी टाइट्रासाइक्लीन की निकासी के लिये जारी किये गये पत्रों का वर्ष-बार ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या ये पत्र कुछ शर्तों के अधीन जारी किये गये थे और यदि हां तो उन शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं और वास्तविक प्रयोक्ताओं और स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ने इन शर्तों का पालन क्यों नहीं किया था और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त फर्मो का इन मदों की निकासी के बारे में वर्ष-बार ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स वायथ लेबारेट्रीज और मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० को प्रेडनीसीलोन रीलीज किये जाने का विवरण 20 मार्च 1979 को पूछे गये लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर में दिये गये थे। मैसर्स केडिला लेबारेट्रीज को एम्पीसीलीन एनपाइड्स तथा मैसर्स फाइजर लि० को आक्सीटेट्रासाइक्लीन रीलीज किये जाने के लिये जारी किये गये पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

मैसर्स केडिला लेबारेट्रीज 1977-78 तक मैसर्स केडिला लेबारेट्रीज को एक छोटे पैमाने का यूनिट माना गया था यद्यपि इसे 1977-78 के अन्त में सी. ओ. बी. लाइसेंस दिया गया था जिससे यह यूनिट एक डी. जी. टी. डी. यूनिट में परिवर्तित हो गया था। वर्ष 1978-79 के लिये इस कम्पनी को एम्पीसीलीन इन हाईड्रस सहित कैनलाइजड बल्क औषधें एक डी. जी. टी. डी. यूनट के तौर पर रीलीज की गई थी। एम्पीसीलीन इनहाइड्रस के रीलीज के सम्बन्ध में 15 जून 1978 को सी. पी. सी. से कहा गया था कि 1978-79 के पहले छः महीने के लिये इस औषध की मात्रा 1977-78 में रीलीज की गई मात्रा के 50% तक रीलीज करें। परन्तु कम्पनी ने इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवेदन किया था जिस पर विचार के फलस्वरुप 7 जुलाई, 1978 को सी. पी. सी. से कहा गया था कि इस कम्पनी की पात्रता का निर्धारण होने तक इसे 3240 किलोग्राम ऐम्पीसीलीन रीलीज की जाये। क्रमशः 3 अक्तूबर 1978 को और 7 मार्च 1979 को 3240 किलोग्राम और 2000 किलोग्राम ऐम्पीसीलीन एनहाईड्रस रीलीज किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। एम्पोसीलीन ऐनहाईड्रस की रीलीज के लिये यह सिफारिश इस आधार पर की कई थी 28 फरवरी 77 को मैसर्स केडिला लेब को दिये गये सी. ओ. बी.लाइसेंस में दिखायी गयी क्षमतायें अस्थाई थी जो कि आरम्भ में अगस्त 1978 के अन्त तक वैध थी परन्तु बाद में 1978-79 के अन्त तक समय वृद्धि दी गयी थी। जब इस कम्पनी की अन्तिम क्षमतायें वास्तविक उत्पादन के आधार पर निर्धारित किये जाने की आशा थी।

मैसर्स फाइजर लिमिटेड

(क) मैसर्स फाईजर लि० के प्लांट में खराबी आ जाने के कारण कम्पनी की समस्याओं को देखते हुये 21 नवम्बर 1977 को आई. डी. पी. एल. को आदेश दिये गये थे कि वे मैसर्स फाईजर लि० को आक्सीटेट्रासाइक्लीन के 5 टन रीलीज करें ताकि 1977-78 के दौरान आई. डी. पी. एल. से आक्सीटेट्रासाइक्लीन की रीलीज पर आधारित फार्मूलेशनों का उत्पादन जारी रख सके।

(ख) 1977-78 के दौरान केडिला लैब. को केवल ऐम्पीसीलीन ऐनहाईड्रस की रीलीज के सम्बन्ध में निम्न शर्तें रखी गई थी:—

(I) रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा प्राप्त इन आरोपों में कम्पनी ने गलत ब्यानी करके सी. ओ. बी. लाईसेंस प्राप्त किया था के संदर्भ में यह पूर्ति रखी गई थी कि यदि यह आरोप सही सिद्ध होते में तो 1978-79 के दौरान कम्पनी को ऐम्पीसीलीन ऐनहाईड्रस का अतिरिक्त आवंटन (1977-78 के दौरान कम्पनी को दिये गये 2.53 मी० टन से ऊपर) कम्पनी के 1979-80 के लिये इस औषध के आवंटन के प्रति समय-योजन किया जायेगा। यदि यह आरोप बेबुनियाद पाये जाते हैं तो कम्पनी को 1979-80 के दौरान कैनालाएजड कच्चे माल के आवंटन का वह लाभ दिया जायेगा जो कि कम्पनी को एक और आयातित कैनालाईज़ड कच्चे माल और दूसरी ओर स्वदेशी कच्चे माल के बीच 1:2 के अनुपात में मिलना चाहिये था।

(ii) वे इस बात को सुनिश्चत करेंगे कि कैपसूलों, गोलियों और इंजेक्टीबल आदि जैसे फार्मूलेशन के पृथक वर्गों के लिये अस्थाई रुप से अनुमोदित क्षमताओं से 1978-79 के दौरान आगे नहीं जायेंगे।

(iii) यदि 1978-79 के दौरान फार्मूलेशनों के उत्पादन में आयातित कैनालाईजड कच्चे माल और स्वदेशी कच्चे माल के बीच में 1:2 का अनुपात वास्तव में बनाये नहीं रखा जा सकता तो कैनालाईजड कच्चे माल का अतिरिक्त मूल्य उनकी 1979-80 के लिये कच्चे माल की पात्रता के प्रति बराबर किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं मैसर्स केडिला लैब. के लाईसेंसीकृत क्षमताओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त (क) में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

ऋण लइसेंसए द्धति के अधीन 26 प्रतिशत से अधिक राज्य पूंजी (इक्विटी) वाली विदेशी कम्पनियों के कार्य संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाना

8394. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि ;

(क) क्या 29 मार्च, 1979 को सभा पटल पर रखी गयी नयी नीति के अन्तर्गत 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी (ईक्विटी) वाली फर्मों के ऋण लाइसेंस पद्धति के अधीन कार्यचालन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली अमुक विदेशी कम्पनियों द्वारा ऋण लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादित अनेक मदों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने सरकार एजेन्सी के माध्यम से आये कच्चे माल को 1978-79 के दौरान किन स्त्रोतों से प्राप्त किया; और

(ग) यदि विदेशी फर्मों के मामले में ऋण लाइसेंस व्यवस्था बन्द कर दी गई है, तो सरकार एजेन्सी के माध्यम से मंगाई गई बल्क औषधि उनको क्यों दी जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई औषध नीति के अनुसरण में विदेशी फर्मों अर्थात उन फर्मों को जो विदेशी साम्य पूंजी 40% से अधिक रखती है औषधों के क्षेत्र में कार्यचालन के लिये नये ऋण लाइसेंस नही दिये जायेंगे।

(ख) उपरोक्त (क) में बताई गई कम्पनियों द्वारा ऋण लाइसेंस प्रबन्धों के अधीन उत्पादित किये गये यदि कोई है तथा उन स्त्रोत जिनके द्वारा 1978-79 के दौरान उनके द्वारा सरणी वृद्ध कच्चे माल प्राप्त किये गये थे के ब्यौरे एकत्र किये जायेंगे तथा सभा पलट पर रख दिये।

(ग) चूंकि ऐसी फर्मों के वर्तमान ऋणपत्रों को चालू रखा जा रहा है बशर्ते कि निर्माण की मदें औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत आती हो ऐसे मामलों में सरणी वृद्ध कच्चा माल लागू नीति के अनुसार सप्लाई किया जा रहा है।

सी० ओ० बी० लाइसेंस देने हेतु प्रभावी कदम

8395. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० ओ० बी० लाइसेंस देने हेतु प्रभावी कदम किन्हे माना जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कम्पनियों की विभिन्न औषधों के लिए दिये गये सी०ओ०बी० लाइसेंसों के लिये ऐसे कौन से प्रभावी कदम उठाए गए ;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि कई मामलों में औषध तथा शृंगार प्रसाधन अधिनियम के अधीन अनुमति सी.ओ.बी. लाइसेंस जारी करने के बाद दी गई थी, यदि हो, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनका सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान पता चला है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि सी.ओ.बी. लाइसेंस के लिये जाली मद और आंकड़े बताये जाते हैं, उनकी पहले जांच पड़ताल कर ली जाये तथा फिर उचित कार्यवाही की जाये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) "प्रभावी कदम" की परिभाषा औद्योगिक उपक्रम नियम 1952 के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के नियम 2 के अन्तर्गत दी गई हैं। औषध फर्मों को गत 3 वर्षों के दौरान जारी किए सभी सी०ओ०बी० लाइसेंस केवल उन्हीं उत्पादों के निर्माण के लिए हैं जिनके उत्पादन के बारे में उन्होंने अपने सी०ओ०बो० लाइसेंस के आवेदन पत्रों में उल्लेख किया था।

(ख) केवल मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज़ के मामले में, जिनको कुछ औषध फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए 6.10.1976 को एफ.सी.ओ.बी. लाइसेंस जारी किया गया था, इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि इस पार्टी ने सी.ओ.बी. लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद (सी.ओ.बी. लाइसेंस में सम्मिलित) डोक्सीसाइक्लीन और रिफाम्पिसीन में से प्रत्येक पर आधारित एक फार्मूलेशन के निर्माण के लिये औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या मैसर्स कादिला को इस फार्मूलेशनों को सी.ओ.बी. लाइसेंस के अन्तर्गत रखने की अनुमति दी गई थी अथवा नहीं। जब कभी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आयेंगे तो उनकी जांच की जाएगी।

भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड में तालाबंदी

8396. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन**
श्री गंगा भक्त सिंह } क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा** मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड, गाजियाबाद ने हाल में तालाबंदी घोषित की थी;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबंधकों ने, जिन्होंने अक्तूबर, 1978 में श्रमिकों के साथ समझोते पर हस्ताक्षर करते समय श्रमिकों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देना स्वीकार नहीं किया था, यह निर्णय किया कि बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नियुक्त भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड के कर्मचारी अधिकारियों को यह भत्ता दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भत्ता श्रमिकों को न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विवाद को निपटाने और तालाबंदी समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच वेतनों और भत्तों के बारे में एक व्यापक समझौता जून 1981 तक के लिए वैध है । इस समझौते पर अप्रैल, 1978 और अक्तूबर, 1978 में हस्ताक्षर हुये थे । कंपनी के प्रबंधकों और कार्मिकों के बीच सभी संगत मुद्दों पर परस्पर चर्चा होने के बाद ही दोनों पक्षों ने इस समझोते पर हस्ताक्षर किए थे इसलिए कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिए जाने का प्रश्न ही नहीं होता । कंपनी के कार्यपालक अधिकारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया गया है क्योंकि उनका मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक से जुड़ा हुआ है । कर्मचारी अपने मंहगाई भत्ते को स्थानीय उपभोक्ता सूचक अंक से जोड़ने के लिए सहमत हुए थे इसलिये उन्हें नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर नहीं किया गया ।

(घ) कंपनी के प्रबंधकों ने इन यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में कई बार बात-चीत की कि वे अपनी अनुचित मांगे मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा न लें । लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उन्होंने डराने धमकाने, धीरे काम करने और बल प्रयोग के दूसरे तरीके अपनाए इसलिए प्रबंधकों को तालाबंदी करने पर बाध्य होना पड़ा । प्रबंधकों ने संबंधित यूनियनों को बताया है कि तालाबंदी हटा ली जाएगी बशर्ते कि यूनियनें अनुशासन का पालन करने, सामान्य उत्पादन शुरु करने और पहले से किए गए समझौते की शर्तों को मानने का आश्वासन दें ।

चीन के सैनिक दलों का बंगला देश व पाकिस्तान का दोरा

8397. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के सैनिक दलों ने बंगलादेश और पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सैनिक क्षेत्र में इस सांठगांठ से हमारी रक्षा के लिए कोई नया खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस आश्य के समाचार छपें हैं ।

(ख) और (ग) हमारे पड़ोस के कुछ क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सैनिक तैयारी के बारे में सरकार को जानकारी है। जैसा कि बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि इस प्रकार की गतिविधियों को, जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध होता है, उनको अपनी रक्षा योजना और कार्यक्रमों के बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मैसर्स फाइजर्स के बीकासोल कैपसूलों की कीमत

8398 : **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइजर्स द्वारा बीकासोल कैपसूल पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत बेचे जाते हैं,

(ख) उत्पादन लाइसेंस की मंजूरी कब दी गई थी और क्या पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी कैपसूल मशीन का उल्लेख किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि इन कैपसूलों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के अधीन अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स फाइज़र ने बताया है कि वे पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्राधिकार के अंतर्गत बीकासोल्स का निर्माण कर रहे हैं।

(ख) चूंकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र आई.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाता है, अत: बीकासोल कैप्सूल के लिए कोई अलग लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। औषध निर्माण एककों को (फाइज़र सहित) औषधों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे और इन प्रमाण-पत्रों में निर्माण की किसी विशिष्ट मदों के कोई अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए थे।

(ग) लाइसेंसों को समेकित करते समय इस प्रश्न की जांच की जाएगी कि क्या फाइज़र वैध औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के अन्तर्गत बीकासोल कैप्सूल का निर्माण कर रहे हैं या नहीं।

बिहार में विद्युतीकरण किए जा चुके गांवों की कुल संख्या

8399 : **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है; और

(घ) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) बिहार में 67,566 गांव हैं। 31.1.1979 तक 18,878 गांव (27.9%) विद्युतीकृत हो गए थे।

(ख) राज्य के सभी गांव 1994-95 तक विद्युतीकृत कर लेने की आशा बिहार राज्य बिजली बोर्ड को है बशर्ते कि आवश्यक साधन उपलब्ध हों।

संविधान में उप-प्रधान मन्त्री की नियुक्ति का उपबंध

8400. **श्री ए० के० राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मदर इंडिया के फरवरी, 1979 अंक के सम्पादकीय और 'बाम्बे कालिंग' स्तंभ में कही गई इस बात की ओर दिलाया गया में कि संविधान में उप-प्रधान मंत्री के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) उप-प्रधान मंत्री का नियुक्त किया जाना असांविधानिक कार्य नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं है कि मंत्रि-परिषद में विभिन्न प्रवर्ग के मंत्रीगण नहीं हो सकते। उप-प्रधान मंत्री के पद को न केवल भारत में अपितु अन्यत्र भी मान्यता दी गई हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

कुछ सदस्यगण खड़े हुए · · · (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल (करूर) : प्रधानमंत्री ने शिलांग में एक वक्तव्य दिया है कि जो लोग एक वर्ष में हिन्दी नहीं सीख सकते उन्हें भारत छोड़ कर चले जाना चाहिए · · · (**व्यवधान**) · · · यह बहुत गंभीर मामला है। हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं · · · (**व्यवधान**)।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम हमेशा के लिए यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि · · · (**व्यवधान**) मंत्रियों ने उन्हें विरोध पत्र भेजे हैं। प्रधान मंत्री ने यह कहा बताया जाता है कि . . . . (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे ने प्रातः 10-30 बजे एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मुझे यह तब मिला जबकि मैं यहां आ ही रहा था। यहां आने से पहले भी मैंने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया है कि वह अपनी टिप्पणी दें। जब तक वह नहीं देते मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उक्त सूचना के लिए समय समाप्त हो चुका था, पर क्योंकि मैं इसमें देर नहीं करना चाहता था। मैंने तुरन्त ही प्रधान मंत्री से टिप्पणी करने का अनुरोध किया है।

कुछ माननीय सदस्य : वह यहां पर उपस्थित हैं · · · (**व्यवधान**)।

श्री वसन्त साठे : यह बात उनकी व्यक्तिगत जानकारी में है। समाचार है कि 7 अप्रैल को . . . . . (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या मैं जान सकता हूं कि माजरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि शिलांग में एक वक्तव्य दिया कि जो लोग एक वर्ष में हिन्दी नहीं सीख सकते उन्हें भारत छोड़ कर चले जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : यह बिल्कुल झूठ है . . . . (**व्यवधान**)] xx

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही, वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं कीजिये। उन्होंने इससे इन्कार किया है।

श्री वसंत साठे : xx . . . . (**व्यवधान**) xx

---

xx कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है । जब प्रधान मंत्री हमसे इन्कार करते हैं तो प्रश्न नहीं उठता । आपने समय गुजरने के बाद सूचना दी है और आप इस पर चर्चा चाहते हैं । मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी [धारा 58क की उपधारा (8) के अन्तर्गत समय बढ़ाने अथवा छूट देने के लिये आवेदन पत्र] नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 244 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।"

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिये** संख्या एल. टी. 4344) ।]

मेंगनीज़ अयस्क (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :

(1) मेंगनीज़ अयस्क (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मेंगनीज़ अयस्क (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिये** संख्या एल. टी. 4345]

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979; बोंगाईगांव रिफाइनरी तथा पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड बोंगाईगांव का वर्ष 1974-75, 1975-76 **तथा** 1976-77 **के वार्षिक प्रतिवेदन आदि; भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड; इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता; और पेट्रा फिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष** 1977-78 **के वार्षिक प्रतिवेदन आदि**

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत (औषध मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 190 (ड.) में प्रकाशित हुआ था ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिये** संख्या एल. टी. 4346]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) [एक] बोंगाईगांव रिफानइनरी एन्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (आसाम) के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[दो] बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (आसाम) का वर्ष 1974/75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) [एक] बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (आसाम) के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[दो] बोंगाईगांव रिफानरी एण्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) [एक] बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो कैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (आसाम) के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[दो] बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो कैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (आसाम) का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षति लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए** संख्या एल. टी. 4347]

(घ) [एक] भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[दो] भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिये** संख्या एल. टी. 4348]

(ङ) [एक] इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[दो] इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद (2) के (क), (ख), (ग) और (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल. टी. 4349]

(4) [एक] पेट्रो फिल्स कोओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[दो] पेट्रो फिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 4350]

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त, इन्होंने पूर्व सूचना दी है · · · (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात रिकार्ड मत कीजिये · · · (**व्यवधान**) xx

अध्यक्ष महोदय : ये बातें रिकार्ड पर नहीं जा रही है। ये समाचार पत्रों में नहीं जा रही हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रेस को निर्देश दिया जाता है कि वह इन बातों को रिकार्ड न करे। मैंने कई बार प्रेस रिकार्डिंग देखी हैं। कई बार मैंने प्रेस समाचार देखे हैं।

मैंने श्री कंवर लाल गुप्त को बुलाया है · · · (**व्यवधान**)xx

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत कीजिये · · · (**व्यवधान**) xx

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं आपका ध्यान कार्यसूची की मद संख्या 4 की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय श्री नरसिंह ने बोंगाइगांव तेलशोधक कारखाने के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 का एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा है। इस तेल शोधक कारखाने के बारे में उन्होंने लगातार तीन वर्ष के प्रतिवेदन एक साथ रखे हैं। जबकि आपने कई बार इस बारे में गम्भीर आपत्तियां की हैं। उक्त प्रतिवेदन तीन-चार वर्ष विलम्ब से आये हैं और हमारी समिति की तत्संबंधी सिफारिश के बावजूद भी ऐसा होना एक अलग बात है। मैं नहीं समझ पाता कि अब क्या किया जाये ? यदि तीन वर्षों के प्रतिवेदन एक साथ रखे जाते हैं तो प्रतिवेदन पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है · · ·

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वह सभा पटल पर पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। क्या यह मामले दें कि वह सभा में इसे चर्चा का विषय बना दें ?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है जब तक कि आप ही इसे चर्चा का विषय न बना डालें। इस में वाद विवाद की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस तरह सभापटल पर प्रतिवेदन रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मैं इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहता हूं क्योंकि यह एक गंभीर मामला है . . .।

अध्यक्ष महोदय : आप ने अपनी कह दी तो ठीक है।

श्री वसंत साठे : (अकोला) मद संख्या 4(एक), इससे पूर्व 29 मार्च, 1978 को मन्त्री महोदय श्री बहुगुणा—वे मुझे यहां नजर नहीं आ रहे—ने सभापटल पर एक नीति-वक्तव्य रखा

xx कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था जिस पर मन्त्रीमण्डल ने विचार किया था। अब वे लोग औसत मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के आवरण में उक्त नीति-वक्तव्य का बिल्कुल उलट कर रहे हैं। जब तक कोई इसे पढ़ेगा नहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। केवल सभापटल पर एक पत्र रख कर ही आप पहले के नीति-वक्तव्य को उलट रहे हैं जिसे मन्त्रीमण्डल ने एक प्रशासकीय आदेश द्वारा इसे मंजूर किया था यह तो अत्यन्त अनियमित बात है। ऐसा तो कभी नहीं होता है। सामान्यत: हम सभा पटल पर रखे गये पत्रों की ओर ध्यान नहीं देते और सब लोग उन्हें ऐसे ही जाने देते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मंत्रीमण्डल के नियमों को इस प्रकार निष्प्रभावी कर दिया जाता है और भारत के समुचे लघु उद्योग ने तथा सभी ने तारों तथा ज्ञापनों द्वारा मंत्री महोदय को बताया है कि पहले की नीति को उलट दिया गया है और कि इस को तो व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा। बाद में देश को संकट का सामना करना पड़ेगा और तब सरकार कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करेगी।

नौकरशाही आपके आगे मनमानी करती जा रही है। आपको यह जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसा करना मंत्रीमण्डल द्वारा पहले अनुमोदित औसत मूल्य नियंत्रण आदेश के अनुरूप है। एक सरकारी आदेश के द्वारा आप ऐसा नहीं कर सकते।

मैं चाहूंगा कि इस मांग को तब तक रोके रखा जाये जब तक कि इसकी जांच न हो जाये कि उक्त आदेश औसत मूल्य नियंत्रण आदेश के बारे में सरकार की नीति के अनुरूप है कि नहीं।

श्री नरसिंह यादव : (चन्दोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कंवरलाल गुप्त, ने कहा है कि बी. आर. पी. एल. की 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर बहुत देर से रखी गई है। वह सही है। उनकी तिथियां 31 दिसम्बर, 1975, 31 दिसम्बर, 1976 और 31 दिसम्बर, 1977 निर्धारित थीं। मगर दुर्भाग्य से ये रिपोर्ट्स सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकीं। आप जानते हैं कि इस सरकार का अस्तित्व मार्च, 1977 में हुआ। उसके पहले रिपोर्ट्स सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट्स सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकीं, इसके लिये मैं सरकार की तरफ से सिनसियरली रिग्रेट करता हूं। इस बात की व्यवस्था की गई है कि भविष्य में पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की रिपोर्ट्स ठीक समय पर सदन के पटल पर रखी जायें। इस बात के लिए पूरी चेष्टा की जायेगी।

श्री साठे ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में एग्ज़ामिन करने का जो सुझाव दिया है, उसको अमल में लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि प्रतिवेदन मंत्रीमण्डल द्वारा निर्धारित औषध नीति के विपरीत है।

श्री नरसिंह यादव : मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता।

अध्यक्ष महोदय : वह इस की जांच करेंगे।

श्री वंसत साठे : तब तक उनसे कहा जाये कि जारी किये गये आदेश को रोके रखा जाये। संसद की इस प्रकार से अवहेलना नहीं होनी चाहिये। मैं आपको यह बता रहा हूँ। यह नीति अपरिवर्तन है। योजना आयोग द्वारा भी इसका उल्लेख दिया गया है। वह इस पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर सकते? तब तक के लिये उनको कहा जाये कि जो आदेश जारी किए

गए है उनकों रोक लिया जाये। एक बार आदेश जारी कर दिये जाने पर यह एक सार्वजनिक आदेश बन जाता है। अतः उनको इसको रोकने को कहा जाये। आपके पास ऐसा करने की शक्ति है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : ये दोनों कांट्रेडिक्ट्री हुए तो उस पर क्या कार्यवाही होगी, यह तो बता दें।

अध्यक्ष महोदय : आदेश पहले जारी किया जा चुका है।

श्री वसंत साठे : वे उसे सभा पटल पर रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे उसकी जांच करेंगे।

श्री वसंत साठे : इसे सभा पटल पर नहीं रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग मामला है। आदेश जारी किया जा चुका है। इसी कारण यह हमारे ध्यान में लाया गया है। मैं निश्चित रुप से मामले की जांच करूंगा।

श्री वसंत साठे : सभा पटल पर रख दिये जाने के बाद यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। उनसे इसको रोकने के लिये कहें। मंत्री महोदय आप इससे सहमत क्यों नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय : श्री जुल्फिकारउल्लाह।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) एलीफेन्ट घास और मेस्ता (किनाफ) से भी उत्पादित कागज पर उत्पाद-शुल्क में रियायत के विस्तारण के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 248 (ङ) और 249 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 17 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 4351/79]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ताजा और शीतित अग्न्याशयों पर शुल्क की कम दर के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 241 (ङ) और 242 (ङ) जो दिनांक 12 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 243 (ङ), जो दिनांक 12 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 मार्च, 1979 की अधिसूचना

संख्या 64-कस्टम्स में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिये** संख्या एल० टी० 4352/79].

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के नौंवे से पन्द्रहवें प्रतिवेदनों से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखतां हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आचार्य विनोबा भावे द्वारा देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की अपनी मांग के समर्थन में आमरण अनशन

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर एक व्यक्तव्य दें :

"देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की अपनी मांग के समर्थन में श्री विनोबा भावे द्वारा आमरण अनशन आरम्भ करने से उत्पन्न स्थिति ।"

श्री वसन्त साठे (अकोला) : एक बार सभा पटल पर रख दिये जाने पर यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है । जब तक आप उसकी पुन: जांच करे तब तक उन्हें इसे सभा पटल पर न रखने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उससे कोई अन्तर नहीं आता । परन्तु यदि कोई नीति में परिवर्तन है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा । में अपने कार्यालय से कहूंगा कि इस बात के लिये इसकी जांच की जाये कि क्या इसमें उस नीति विवरण से अलग कुछ बातें हैं मैं उस स्थिति में उनसे मामले का अध्ययन करने को कहूंगा ।

अब ध्यानाकर्षक प्रस्ताव । डॉ० रामजी सिंह ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हाबर) मैंने आपको एक नोटिस दिया है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये । मैंने नोटिसों का चयन नहीं किया है । (**व्यवधान**)xx

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : हमें अत्यन्त खेद है कि आचार्य विनोबा भावे ने अनिश्चित काल के लिये अपना अनशन आरम्भ कर दिया है । जैसा कि इस सदन को विदित है विनोबा

---

xxकार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

भावे से यह अनशन आरम्भ न करने तथा पश्चिमी बंगाल और केरल में व्याप्त स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन करने के बारे में कुछ और समय हमें देने के आग्रह के लिये सभी संभव प्रयत्न किये गये थे। सदन के सभी दलों और वर्गों के नेता विनोबा भावे से भेट करने के लिये मेरे साथ गये थे। वे अपने निश्चय पर पुनः विचार करने के लिये सहमत हो गये थे यदि इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सैद्धान्तिक रुप में पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें मानने को तैयार हो जायें। प्रधान मंत्री ने संबंधित दो मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है। उसके परिणामस्वरुप उन्होंने 18 अप्रैल को आचार्य जी से भेंट की थी और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया था। परन्तु इन प्रयत्नों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला।

यह सुझाव दिया गया था कि समस्या को सुलझाने में यह भी सहायक होगा कि यदि पश्चिम बंगाल और केरल के अतिरिक्त अन्य राज्य अपने राज्यों के बाहर बूचड़खानों में गाय तथा अन्य पशु भेजने को रोकने के लिये अपने कानूनों में उचित रुप से संशोधन कर लें। ऐसा प्रावधान कर्नाटक में विद्यमान है। तदनुसार मैंने अन्य संबंधित मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे अपने राज्यों में प्रवर्त कानूनों में तुरन्त संशोधन करने पर विचार करें। राज्यों से अब तक प्राप्त हुए उत्तर उत्साहजनक हैं। यदि गायों तथा अन्य पशुओं का अन्तर्राज्य आगमन कड़े रूप से कर दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल में 14 वर्ष की आयु तथा केरल में 10 वर्ष की आयु से ऊपर की गायों की संख्या स्वतः ही कम हो जायेगी।

यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वंयसेवी एजेंन्सियों को विशेष रुप से पश्चिम बंगाल और केरल में वृद्ध पशुओं की देखभाल करने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि गोबध को रोका जा सके। हम ऐसे प्रयासों में निश्चित रुप से सभी प्रकार का सहयोग देंगे।

हम दिल से विश्वास करते हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल इस विषय पर आचार्य विनोबा भावे तथा देश के भारी संख्या में लोगों की भावनाओं पर उचित रूप से ध्यान देंगे। हम उनसे आग्रह करने का प्रयत्न करते रहेंगे कि वे भी अन्य राज्यों की भांति कार्रवाई करें। मैं आचार्य जी से फिर भी हार्दिक अपील करता हूं कि इस विषय पर पुनः विचार करें और हमें कुछ और समय दें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अनशन एक बार पं० राम चन्द्र शर्मा ने किया था तो बंगाल ही नहीं, सम्पूर्ण भारत के कवि गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कविता लिखी थी। मैं यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई राजनीतिक हित या उद्देश्य के लिये उपस्थित नहीं कर रहा हूं बल्कि एक प्रार्थना-मूलक भाव से कर कहा हूं। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने गाया था :

प्राणघातकेर खड़गे करिते धिकार
हे महामा प्राणे दिते चाओ आपनार
तोमार जानाई नमस्कार ॥

रविन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था कि आपने मूक पशुओं के लिए, उनके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है—हम आपको नमस्कार करते हैं। आज विनोबा जी का इसमें कोई

[डा० रामजी सिंह]

व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। जीवन में कभी उनकी कोई आकांक्षा नहीं रही है। हम उनके विचारों से सहमत हों या नहों लेकिन आज उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। सभी के लिए आज यह चिंता का विषय है। · · · (**व्यवधान**) सचमुच में, विनोबा जी कौन हैं यह तो मैं कह सकता हूं लेकिन मैं उनका परिचय देने की धृष्टता नहीं कर सकता हूं। जब अंग्रेजी सत्ता से लड़ने का सत्याग्रह चला तो गांधी जी ने आचार्य विनोबा को प्रथम सत्याग्रही घोषित किया था इसलिए उनकी देशभक्ति और निष्ठा पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आज जब देश में हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं, अल्पसंख्यकों की हत्यायें हो रही हैं . . . (**व्यवधान**) आप कम से कम सुन लें कि आचार्य विनोबा ने हरिजनों के लिए तथा अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। पुरानी पीढ़ी के जो लोग यहां बैठे हैं वे बतायेंगे कि केरल में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी ने हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के लिए विनोबा जी को भेजा था। हरिजनों के साथ मन्दिर प्रवेश के समय पण्डों ने जो प्रहार किया था उसी का कारण है कि विनोबा जी बहरे हो गए। आपको मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमान दंगा हुआ था तो गरीब मेओं को उन्होंने बसाया था। · · · (**व्यवधान**) इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस विद्वान समर्पित व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होनी चाहिये। यही कारण है कि लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी अपनी रुग्ण शैया पर पड़े हुए दो राज्यों से पुनः अनुरोध किया कि विनोबा जी की बातों को आप स्वीकार कर लें और प्राणों की रक्षा करें। (**व्यवधान**)

कुछ लोग जो अपने को अधिक सेक्युलर कहते हैं उनको मालूम होना चाहिये कि जब हिन्दुस्तान का संविधान बन रहा था तो अनुच्छेद(48) जिसके द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया है, वह सर्वसम्मति से पास हुआ था और एक मुस्लिम सदस्य लारी साहब ने कहा था :

"मेरा इस सदन से अनुरोध है अच्छा यह होगा कि निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत गोवध विषय को अस्पष्ट रहने देने के स्थान पर इसे मौलिक अधिकारों में खण्ड जोड़ दिया जाये कि अब के बाद गोवध पर प्रतिबन्ध है"।

यह केवल संविधान सम्मत ही नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय देते हुए उसका समर्थन किया है। विनोबा जी.जो कह रहे हैं वे अपनी सनक आप के सामने नहीं रख रहे हैं।

बल्कि जिसका संविधान में समर्थन दिया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन दिया। उस को आप आर्थिक कारणों से कहते हैं कि नहीं हो सकता। यह रिपोर्ट आफ दि एक्सपर्ट कमेटी आन प्रिवेंशन आफ स्लाँटर आफ काऊज है। इसमें पहले ही यह दिया है। मैं पढ़ कर आप को सुनाता हूं :-

"गोवध संबंधी वर्तमान विधान नगरों में प्रायः निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है चूंकि विधान केवल कुछ क्षेत्रों पर ही लागू होता है और सारे देश पर नहीं।"

यह जो समिति है, यह भारत सरकार की समिति है। इसके आलावा आप रिपोर्ट **आफ दी केटिल प्रीजरवेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट** को देखें जिसके सदस्य थे सर्वश्री दातार सिंह, सरदार बहादुर हरचन्द सिंह, हरदेव सहाय, जयेन्ती लाल मनकर, धर्मलाल सिंह और पी० एल० नन्दा। इन सब लोगों ने स्पष्ट कहा है :

"पशुवध पर यथाशीघ्र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से यह संभव नहीं है और हमारे राजन भाई और पश्चिम बगांल की सरकार ने कुछ किताबें दी हैं लेकिन श्री सी० एम० वकील ने जो एक एकोनामिस्ट हैं, जो पर्चा दिया है, "एकोनामिक्स आफ कऊ प्रोटेक्शन" उसमें उन्होंने यह कहा है।

"गौ संरक्षण आर्थिक पहलू विषयक सलंग्न नोट से यह तथ्य पता चलता है कि यह आवश्यक रूप से एक आर्थिक समस्या है जो देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, प्रभावित करती है। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि यदि समस्या पर, सभी दृष्टिकोणों से निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये तो यह पता चलेगा कि देश के लोगों के लिये गाय जीवित अथवा मृत, एक लाभ की वस्तु है और हानि का कारण कभी भी नहीं है। यह विश्वास किया जा सकता है कि इस प्रकार सभी सम्बद्ध व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मूल कारण के रूप में गाय के महत्व को समझेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सचमुच में हिन्दु-मुसलमानों का प्रश्न है। उन से मैं यह निवेदित करना चाहुंगा कि वे इतिहास को देखें कि बाबर से ले कर औरगंजेब तक किसी ने गौ-वध नहीं किया था, हैदर अली ने गौ-बध नहीं किया था और शाह आलम ने नहीं किया था। इसलिए वे लोग जो यह कहते हैं कि यह सांस्कृतिक प्रश्न है, वे यह देखें कि कुरान शरीफ की एक भी आयत में यह नहीं लिखा है कि गौ-मांस खाना ओबलीगेटरी है। आप यह भी देखें कि मीर मुश्ताक साहब ने भी इस के बारे में क्या कहा है और हमारे सम्मानित कुरेशी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, काश्मीर को मुस्लिम बहुत प्रान्त है, वहां पर भी इस की बंदिश है, और जो ऐसा करता है उस को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारतवर्ष में बंगाल और केरल में जो विरोधी दलों की सरकारें हैं, मैं उन के सामने सर झुकाता हूं। मैं स्टीमरोलर नहीं चलाना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में जब यह कानून लागू है, जब संविधान का निर्देश है और उच्चतम न्यायालय का इस पर निर्णय है और अर्थशास्त्र का भी सिद्धन्त है, तो उन को भी इस को मानना चाहिए · · · (**व्यवधान**). . .

मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग, दीनेन बाबू आप भी विनोबा जी से मिलने गये थे। · · · (**व्यवधान**) · · · आज यह विवाद का विषय नहीं है और चाहे हम उन के विचारों से सहमत हों या न हों, लेकिन विनोबा जी देश की एक विभूति हैं और वे जो कह रहे हैं, वह संविधान सम्मत है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी इस तरह के लेजिसलेशन के खिलाफ़ थे।

[डा० रामजी सिंह]

मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे "यंग इण्डिया", 7 जुलाई, 1927 में गांधी जी ने जो कहा था, "काऊ इन मैसूर" उस को देखें। अध्यक्ष महोदय, आप कर्नाटक के रहने वाले हैं। "काऊ इन मैसूर" में उन्होंने कहा था :

मुझे गौ-रक्षा समिति मैसूर से अपने उस पत्र के विरोध में कई पत्र प्राप्त हुए हैं जो मैंने उक्त राज्य द्वारा नियुक्त मैसूर गौ-रक्षा समिति को लिखा था। वह पत्र मैंने उस समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में लिखा था। उस पत्र के जो उद्धरण मद्रास के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उनके परिणामस्वरूप गौ-रक्षा समिति ने यह सोच लिया कि मैं किसी भी परिस्थिति मे गौ-वध पर कानूनी निषेध के पूरी तरह खिलाफ हूँ। इन पत्रों को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है और मैं नहीं जानता कि कभी भूल से भी मैंने यह कहा है कि गौ-वध के विरुद्ध कभी कोई कानून होना ही नहीं चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें।

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे खुशी है कि राष्ट्र के सारे नेता, चाहें वे किसी भी दल के हों, ज्योति बाबू और श्री वासुदेवन नायर से उन्होंने विनोबा जी के प्राण रक्षा की अपील की है। लोक सभा में इस सम्बन्ध में मेरा संकल्प पास भी हुआ है। तो मैं गृह मंत्री जी से बहुत प्रार्थनापूर्वक कहना चाहूंगा कि वे विनोबा जी की प्राण रक्षा के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार से और केरल की सरकार से कहें।

मैं चव्हाण साहब से अपील करूंगा और विरोधी दल के नेता स्टीफन से भी अपील करूंगा कि उनकी भी पार्टी जो यह कह रही है कि विनोबा भावे की प्राणरक्षा हो, उसके वास्ते वे इन राज्य सरकारों से अपील करें और कहें कि संविधान की मान्यताओं का आदर .....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, आपको आदेशों का पालन करना चाहिए। मैं आपको उससे काफी ज्यादा समय दे चुका हूं जितना सामान्यतः दिया जाता है। इससे अधिक आपकी बात को मैं कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की आज्ञा नहीं दूंगा।

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

डा० रामजी सिंह : xx

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने उन कारणों को व्यक्त किया है जिनकी वजह से आचार्य विनाबा भावे ने अनशन का सहारा लिया है। मेरे विचार में, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने एकमात्र प्रश्न यही किया है कि क्या हम इन दोनों राज्यों का गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी करने की दिशा में और प्रयास करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी ओर से यह प्रयास जारी रहेंगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे वास्तव में खुशी है कि माननीय गृह मंत्री ने यह कहा है कि वह इस बार फिर विनम्र अनुरोध करेंगे ....

xx सदन के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराईच) : इन्होंने पूछा था कि कनकरेंट लिस्ट में इस विषय को रखेंगे ? इसका उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में हर संभव प्रयास करेंगे ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपनी ओर से तथा पश्चिम बंगाल वामपंथी मोर्चा की ओर से पूरी निष्ठा के साथ विनोबा जी के जीवन के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं जिन्होंने उपवास आरम्भ कर दिया है । लेकिन, पूरी विनम्रता के साथ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य सरकारों ने गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग के बारे में विस्तार से श्री विनोबा भावे को स्थिति स्पष्ट कर दी है । इस वक्तव्य में जो गलत-बयानी की जा रही है मैं उसके बारे में माननीय सदस्यों से कुछ कहना चाहता हूं । इस वक्तव्य का सारा उद्देश्य पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार को औरों से अलग कर देना है जैसे कि यही दो राज्य सरकारें ऐसी हैं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मान रही हैं । तथ्य यह नहीं है; तथ्य कुछ और ही हैं । क्या आप इस बात पर ध्यान देना चाहेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में गाय और बछड़ों के वध पर तो प्रतिबंध है लेकिन बैलों और सांडों के वध पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : लैंगिक भेदभाव ।

श्री चित्त बसु : नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र, मिज़ोरम, गोवा । दमण और दीव, तथा लक्षद्वीप में गौ-रक्षा संबंधी कोई कानून नहीं है और असम के उत्तर कछार तथा मिहिर जिलों में कोई प्रतिबंध नहीं है । त्रिपुरा और मणिपुर में भी, गौरक्षा संबंधी कोई कानून नहीं है । इस तरह, वक्तव्य का उद्देश्य केवल इन्ही दो राज्यों को दोषी ठहराना है जहां की सरकारों को बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय दोनों का विश्वास प्राप्त हैं । अतः यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो विनोबाजी के अनशन के इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले को लेकर इन दोनों राज्यों में संकट उत्पन्न कर रही हैं ।

पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ मिनट का समय चाहता हूं । आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्य पक्षपातपूर्ण रवैए से ऊपर उठ कर, इन दोनों सरकारों की भावनाओं और कठिनाइयों को समझेंगे । पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में इस विषय से संबंधित कोई कानून नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून है । पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 नामक कानून है जो राज्य विधान मंडल द्वारा 1950 में बनाया गया था और इस कानून के अन्तर्गत केवल उन्हीं जानवरों का वध किया जा सकता है जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हों और काम अथवा प्रजनन के अयोग्य हों अथवा उम्र, चोट, अंगहीनता या किसी लाइलाज बीमारी के कारण काम अथवा प्रजनन के के लिए स्थायी रूप से अशक्त हो गए हों । जहां तक केरल का संबंध है, केरल के नियमों में एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 10 साल से कम उम्र के पशुओं के वध पर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंध लगा हुआ है और अब नियमों में संशोधन किया जा रहा हैं ताकि पालिका क्षेत्रों को भी उसके अंतर्गत लाया जा सके ।

[श्री चित्त बसु]

मेरे मित्र ने महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया। यहां मैं श्री पी०सी० सेन द्वारा 1966 में इसी विषय पर श्री नंदाजी को लिखे गये पत्र से एक पैरा उद्धृत करना चाहूंगा, जिससे यह मालम होगा कि श्री सेन गांधीवाद के सिद्धाँत में आस्था तथा विश्वास रखते हैं :

> "निःसंदेह आप यह महसूस करेंगे कि वर्तमान पश्चिम बंगाल पंशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950, जिसके अन्तर्गत सभी उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 की मौलिक भावना की रक्षा करता है। दुधारू और भारवाही पशुओं की नस्ल सुधार करने की दृष्टि से पशु-पालन के क्षेत्र में आधुनिकता तथा वैज्ञानिकता लाने के लिये, बूढ़े, रुग्ण तथा किसी दूसरी तरह से अनुपयोगी पशुओं को समाप्त करना नितांत आवश्यक है, विशेषकर हरे चारे की विकट कमी को देखते हुए। अतः जहां तक इस राज्य का संबंध है हम समझते हैं कि इस दिशा में और कोई कार्यवाही किया जाना वांछनीय नहीं है।"

यह बात एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री पी० सी० सेन ने लिखी थी जो अब इस सदन के सदस्य हैं और गांधीवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं।

एक अन्य गांधीवादी और पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मंत्री श्री अजय मुखर्जी ने अपने पत्र में यह लिखा है :—

> "हमारे विचार में, मौजूदा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950, जो इस राज्य में सभी उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाता है, और पश्चिम बंगाल पशुधन सुधार अधिनियम, 1959, जिसके अंतर्गत इस राज्य में पशुओं के संरक्षण और सुधार की व्यवस्था है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 की मौलिक भावना के अनुकूल है। फिर भी, हम इसे अधिक कारगर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 में यथा समय संशोधन कर सकते हैं और यह अधिनियम, जो इस समय कलकत्ता तथा राज्य के 15 अन्य नगरपालिका क्षेत्रों पर लागू होता है, धीरे-धीरे नये क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है . . .।"

मैं केवल एक और मुख्य मंत्री, श्री सिद्धार्थ शंकर रे को उद्धृत करना चाहता हूं, जो एक जाने-माने वकील हैं और जिन्होंने अनुच्छेद 48 की व्याख्या की है।

अध्यक्ष महोदय : हम कानूनी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ध्यानाकर्षण है।

श्री चित्त बसु : मैं अब समाप्त कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के 1950 अधिनियम का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा : "यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुकूल है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून भी मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य तथा अन्य के मामले में (ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 731) उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के सदृश-है इस संबंध में कि निदेश के इस अंश द्वारा जिस संरक्षण की सिफारिश की गई

है वह केवल गायों और बछड़ों और उन पशुओं तक ही सीमित है जो इस समय दूध देने अथवा भारवाही पशु के रूप में काम देने योग्य हैं अथवा भविष्य में इस योग्य होंगे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिये यह सिफारिश स्पष्ट रूप से की गई है उसके स्वरूप को देखते हुये यह उन पशुओं पर लागू नहीं होती है जो किसी समय दुधारु अथवा भारवाही पशु थे लेकिन जो अब वैसे नहीं रहे हैं।"

इस विषय पर श्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा भारत सरकार को लिखे गये पत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित स्थिति को अस्वीकार किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार की वर्तमान स्थिति को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा साफ-साफ शब्दों में इस तरह स्पष्ट किया गया है :

> "यह सरकार इस विचार से सहमत है कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 सम्पूर्ण राज्य पर लागू किया जाना चाहिये। इस समय यह सभी नगरपालिकाओं और निगमों पर लागू है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास कर रही है कि अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाये। जितनी जल्दी हम इसके उपबंधों को लागू करने के लिये आवश्यक आधारभूत व्यवस्था कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम इस अधिनियम के उपबंधों को सम्पूर्ण राज्य पर लागू करना चाहेंगे। कृपया आप इस बात को मानेंगे कि उपबंधों को लागू करने के लिये आवश्यक तंत्र के बिना अधिनियम का केवल विस्तार करना ठीक नहीं होगा।"

अतः पश्चिम बंगाल सरकार का कहना यह है कि अधिनियम लागू किया जा रहा है और अधिनियम को अधिक कड़ाई से लागू करने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है।

गांभी जी का नाम लिया गया है। मैं उद्धरण देता हूं . . . .।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : केवल एक मिनट दें गांधी जी के लिये।

अध्यक्ष महोदय : गांधी जी के लिये नहीं, आपके लिये।

श्री चित्त बसु : गांधी जी ने कहा था :

> "हिन्दु धर्म में गौ-वध वर्जित है केवल हिन्दुओं के लिये सारे विश्व के लिये नहीं धार्मिक निषेध आता है अन्दर से अन्दर की इच्छा के बिना कुछ लागू करने का अर्थ बाध्यता है। इस तरह की बाध्यता धर्म के विरुद्ध है।"

इसलिये, पूरी विनम्रता के साथ, मैं विनोबा भावे से निवेदन करता हूं कि वह अनशन त्याग दें · · · **(व्यवधान)** · · · मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो विनोबा भावे के अनशन का लाभ उठा कर रूढ़िवादी हिन्दु पुनरुत्थानवाद और हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और समुदाय-समुदाय के

[श्री चित्त बसु]

बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहते हैं और क्या यह सच है कि इस बात से देश में अल्पसंख्यक समुदाय को भय और असुरक्षा उत्पन्न हो गई है ? यदि ऐसा है, तो क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय करेंगे कि इन रूढ़िवादी, हिन्दु पुनर्जागरणवाद और हिन्दु राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा न मिले ? इसके अलावा . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें।

श्री चित्त बसु : xx

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, माननीय सदस्य उस वक्तव्य के आधार पर बोले जो मैंने पढ़ कर सुनाया था और उन्होंने यह समझा कि मैंने पश्चिम बंगाल और केरल को ही इस मामले में ही देश के अन्य राज्यों से पृथक बताया है इसीलिये उन्होंने यह सवाल किया है, जो मेरे विचार में इस ध्यान आकर्षण के अनुकूल नहीं है जिसका संबन्ध श्री विनोबा भावे के अनिश्चित कालीन अनशन से उत्पन्न स्थिति से है। उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों का उल्लेख किया श्री विनोबा भावे ने स्पष्ट रुप से कहा है कि वह नहीं चाहते कि प्रतिबंध उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू किया जाये। अत: वह प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये, जब उन्होंने यह घोषणा की कि वह अनशन करेंगे, उस समय केवल तीन ही राज्य रह गये थे, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, दमण और दीव। गोवा सबके साथ होने के लिये सहमत हो गया है . . . . . (**व्यवधान**) यदि आप सुनें तो मैं बता सकता हूं। गोवा का कहना है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिये कार्रवाई करेगा। श्री सिद्धार्थ शंकर ने चाहे कुछ भी कहें, उच्तम न्यायालय ने इन मुद्दों पर बल दिया है और उन्हें संक्षेप में इस तरह पेश किया है :

"(1) कि सभी उनकी गायों और गायों के बछड़ों, भैंस और भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध बिल्कुल उचित है और अनुच्छेद 48 में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों के अनुकूल है;

(2) कि मादा भैंसों या प्रजननकारी सांड़ों या काम में लिये जा रहे बैलों के वध पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना तब तक उचित और वैध है जब तक वे दुधारु या भारवाही पशु के परू में काम देते रहें; और

(3) भैंस, सांड़ और बैल यदि दूध देने, प्रजनन के लिये या भारवाही पशु के रुप में काम करने योग्य नहीं रह जाते हैं तो उनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना लोकहित में उचित नहीं कहा जा सकता है और अमान्य है"।

जब हमने श्री विनोबा भावे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यदि राज्य उस स्थिति को स्वीकार कर लें जिसका उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णय में लिया गया है, तो वह संतुष्ट हो जायेंगे। यही बात दोनों सरकार के समक्ष रख दी गई है। लेकिन, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा, इन दोनों सरकारों के लिये अपने ही कुछ कारणों से जो उनकी समझ में पर्याप्त है,

xx कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऐसा करना संभव नहीं है । मैंने उससे अधिक कुछ नहीं कहा है । मैं समझता हूं इससे मेरे माननीय मित्र की शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, गो-वध देश में पूर्णतया बन्द हो यह किसी एक पार्टी की नीति नहीं है । यह सारे देश की नीति है । यह देश की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है विशेषत: किसानों के लिये जिनकी सारी गुजर गऊ पर आधारित होती है । इस देश में जितने राजनैतिक दल हैं जिनकी जड़ें भारत की भूमि के साथ बंधी हैं वह इसका समर्थन करते हैं और जिन पार्टियों की जड़ें भारत के बाहर हैं वह इसका विरोध कर रही हैं । अभी एक बात मिस्टर चित्त बसु ने कही कि केरल में और बंगाल में भी कुछ उम्र की गायों के वध पर पूर्ण पाबन्दी है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही बात नहीं है कि यह पाबन्दी होने के बाद भी वहां पर छोटे छोटे बछड़े नौवजवान गायें भी काटी जाती हैं ? . . . (**व्यवधान**) . . . मैं दावे से कहता हूं कि एक नहीं हजारों गायें काटी जाती हैं, लाखों गायें काटी जाती हैं । . . . . (**व्यवधान**) मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये एन्क्वायरी करा लें कि वहां पर जो बछड़े हैं और जो नौजवान गायें हैं क्या वह नहीं काटी जाती हैं ? मैं इनको चैलेंज करता हूं, जूडिशियल एन्क्वायरी हो जाय बंगाल के अन्दर । इसलिये अगर गोवध बन्द होना है तो पूर्णतया होना चाहिये । . . . (**व्यवधान**) •

इनका कहना यह है चित्त बसु जी का कि यू० पी० में और दूसरी स्टेट में में नहीं है, तो क्या वह जो दूसरी स्टेट्स हैं उनकी लाइन पर चलने के लिये तैयार हैं ? अगर हैं तो यह कहें कि जो यू० पी० में होगा वह बंगाल में और केरल में वह फालो करेंगे, ऐसा वह कहें। वह तैयार नहीं हैं । मेरा यह कहना है . . . (**व्यवधान**) . . . गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के संबन्ध में नेशनल सीन से बाहर केवल ये दो राज्य केरल और बंगाल हैं, इन दोनों राज्यों को मैं कहूंगा कि ये कम्यूनलिज्म को भड़का कर इस तरह से करना चाहते हैं ।

यह और कुछ नहीं, अपितु राजनैतिक उदण्डता है और वे सस्ते साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत होना चाहते हैं ।

मैं भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा पारित संकल्प का उद्धरण दे रहा हूं । उसका शीर्षक है "भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल श्री भावे के अनशन को धार्मिक दुराग्रह मानता है" । मेरे विचार से श्री भावे के अनशन को धार्मिक दुराग्रह कहना राजनैतिक दुराग्रह की चरमसीमा है। आप लोग राजनैतिक ठगी चाहते हैं । आप साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं । आप को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । इन दोनों सरकारों को परिस्थिति का लाभ नहीं उठाने देना चाहिये ।

मेरा पहला सवाल यह है कि विनोबा जी ने जो व्रत रखा है इसमें उनकी संतुष्टि के लिए इस विषय को आप विधान में संशोधन करके कानकरेन्ट लिस्ट में लायेंगे या नहीं ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दी है कि वहां से गायें बहार न जायें, केरल और बंगाल में, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं ?

मेरा तीसरा सवाल यह है क्या आप बीफ का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बन्द करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक मेरी जानकारी है गाय के मांस के निर्माता पर पहले से प्रतिबन्ध है। जहां तक दुसरे प्रश्न का सन्बन्ध है, संवैधानिक संशोधन आदि, यह एक दीर्घाकालिक प्रश्न है जिस पर बिचार किया जा सकता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपका दृष्टिकोण क्या है।

श्री एच० एम० पटेल : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : पशुओं के निर्यात के बारे में आपने जो निर्देश दिये थे उनपर अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं विवरण में पहले ही बता चुका हूं कि यह उत्साहवर्धक है। मैंने वे सभी उत्तर दियें हैं जो अभी तक प्राप्त हुये हैं। प्रत्येक उत्तर जो हमने कहा है उसका पालन करने के पक्ष में हैं।

लोक लेखा समिति

130 वां, 131वां और 140वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिंह राव : (हनमकोंडा) मैं लोकलेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :-

(1) संचार मंत्रालय (डाक और तार बोर्ड) से सम्बन्धित अहमदाबाद टेलीफोन निर्देशिकाओं के मुद्रण तथा टेलीग्राफ और टेलिफोन खम्बों पर किओस्क विज्ञापनों पर 130वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित पैराग्राफ 36 और 22 पर 131वां प्रतिवेदन।

(3) सीमा-शुल्क प्राप्तियों पर 76वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 140वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

44वां और 45वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही वृत्तान्त

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड—सामान्य कार्य तथा आन्तरिक बिक्री पर 44वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड—निर्यात निष्पादन पर 45वां प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त दो प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री यज्ञदत्त शर्मा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम ३७१ के केधीन मामले

(एक) मशीनों के आयात के लिये भावी अनावासी भारतीय निवेशकों के लम्बित आवेदन-पत्रों के निपटाये जाने के बारे में

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

चालू आयात नीति के अन्तर्गत भारत वापस आने के इच्छुक गैर आवासी भारतीयों के लिये एक विशेष योजना की घोषणा की गई थी। नीति के अध्याय 15 के पैरा 82 के उपपैरा (1) (11) के उपबन्धों के अनुसार वे अपनी विदेशी मुद्रा बचत से 25 लाख रुपये तक के मूल्य का पूंजीगत माल आयात कर सकते हैं। उक्त उपबन्ध में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वदेशी मंजूरी के बिना भी अनुमति दे दी जायेगी।

इस नीति की घोषणा के पश्चात, हमारे विदेशी मिशनों, भारतीय पुंजीनिषेध केन्द्र तथा बहुत सी एजेन्सियों ने योजना का व्यापक प्रचार किया और बहुत से गैरआवासी भारतीयों को भारत वापस आने तथा अपनी विदेशी मुद्रा की बचत से पुंजीगत माल में पूंजी निवेश करके उद्योग स्थापित करने के लिये प्रेरित किया। बहुत से गैरआवासी भारतीयों ने योजनानुसार पालिस्टर फिलामेंट धागे तैयार करने के लिये बुनाई की मशीनों का आयात करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये।

[श्री एन० के शेजवलकर पीठासीन हुए]

लगभग सितम्बर, 1978 तक कुछ आवेदकों को ऐसी मशीनों के आयात के लिये सीमा-शुल्क के मंजूरी परमिट प्राप्त हुये। समिति इसी नीति के अनुसार प्रस्तुत किये गये 18 आवेदन-पत्र पूंजीगत माल समिति द्वारा मंजूर किये गये परन्तु नीति की समीक्षा के बहाने इन्हें लम्बित रखा गया है। इससे संदेह पैदा हो गया है कि कुछ स्वदेशी निहित स्वार्थो ने गलत तथ्य और आंकड़े देकर सरकार को गुमराह करने के लिये एक लाबी बनाली है।

आवेदकों की, जिन्होंने विदेशी सप्लाईकर्ताओं के साथ कुछ वायदे किये थे, किसी भी प्रकार की गलती के बिना ही सरकार की यकायक कार्यवाही से विदेशों में बसे तथा अपने विदेशी मुद्रा बचत के साथ भारत वापस आने के इच्छुक भारतीयों में नीति के बारे में क्षोभ, संदेह तथा गलत धारणा पैदा हो गई है।

[डा वसन्त कुमार पंडित]

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये गैरआवासी भारतीयों की नियंत्रक समिति ने सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें अनुरोध किया है कि अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर अनुचित भेदभाव दूर करने की दृष्टि से इसी आधार पर विचार किया जाये कि अन्य आवेदकों की सीमा शुल्क अनुमति परमिट पहले ही दिये जा चुके हैं।

लागू नीति के क्रियान्वयन में वर्ष के मध्य में यकायक परिवर्तन से विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचने के साथ-साथ इन आवेदकों और अन्य गैरआवासी भारतीयों के मस्तिष्क में सरकार की इच्छा के बारे में संदेह पैदा हो गया है।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार सभी अनिर्णीत आवेदन पत्रों का निपटान करे और भावी गैरआवासी भारतीय निवेशकर्ताओं को घोषणा के अनुसार नीति जारी रखने का फिर से आश्वासन दें। यह योजना विदेशों में बसे भारतीय को भारत वापस आने की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी तकि वे अपनी बचत की हुई विदेशी मुद्रा से पूंजीगत माल लाकर पूंजी निवेश कर सकें और वे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करें तथा देश के लिये विदेशी मुद्रा की बचत करें तथा भारत के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी का आयात करके इस अवसर का लाभ उठायें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे नई आयात नीति की घोषणा करने से पूर्व उक्त मामले में तुरन्त निर्णय करें।

सभापति महोदय : श्री कामत का नाम पुकारने से पहले मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शोर हो रहा है भाषण सुनाई नही देते हैं।

श्री कामत !

(दो) अनाज और दालों के लाने ले जाने के लिए मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सैक्शन पर वैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार

श्री हरिविष्णु कामत : (होशंगाबाद) : आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर एक वक्तव्य देता हूं।

मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सैक्शन पर दिन प्रतिदिन शिकायतें की जाती हैं परन्तु इस सैक्शन में किसी भी स्टेशन पर अनाजों और दालों के लिये माल डिब्बे सप्लाई नहीं किये जा रहे रहे हैं। इस सैक्शन के सभी स्टेशनों पर विशेषतया इटारसी, पिपरिया, गाहरवाड़ा नरेली, नरसिंहपुर में अनाज की बड़ी-बड़ी नयी मंडी हैं। इस क्षेत्र के किसान और व्यापारी मालडिब्बों के उपलब्ध न होने से बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। रेल प्रशासन को पत्रों, तारों के माध्यम से अभ्यावेदन दिये गये हैं परन्तु अभी तक इसका कोई सराहनीय परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने स्थानीय रेल अधिकारियों के विरुद्ध उपेक्षा के अतिरिक्त भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं।

स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है और हो सकता है इसके परिणामस्वरुप हिंसा भड़क उठे। अतः मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड इस मामले पर तुरन्त ध्यान दें और स्थिति को बिगड़ने से पहले ही इसे ठीक करें।

(तीन) केरल में केंद्रीय क्षेत्र के एककों की स्थापना के स्थानों का मामला

श्री के० ए० राजन : (त्रिचूर) : केरल में केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के बारे में नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य देता हूं :

केरल में केन्द्रीय क्षेत्र के बहुत कम उद्योग हैं। मुझे विश्वास है कि वहां केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

केरल औषधियों के लिये अब सबसे बड़ा बाजार है ! राज्य स्वामित्व की छोटी फारमूलेशनस यूनिटों के अतिरिक्त अधिक खपत वाली तथा मध्य की औषधियों के बनाने के लिये कोई कारखाने नहीं हैं। आई० डी० पी० एल०, एच० ओ० सी०, एच० ए० एल० जैसे केन्द्रीय उपक्रमोंको या तो कारखाने स्थापित करने चाहिये अथवा के० एस० आई० डी० सी० अथवा राज्य सरकार के सहयोग से संयुक्त उपक्रम स्थापि तकरने चाहिये। इसके लिये तुरन्त अध्ययन कराये जाने चाहिये। केरल सरकार ने इन फर्मों के प्रतिनिधियों का एक दल बातचीत के बुलाया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहायता दी जायेगी। आगामी पांच वर्षों में केरल में प्रस्तावित उद्योग स्थापित करने के लिये, उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सहमत कराया जाना चाहिये। इसी प्रकार एच० एम० टी० और के० एस० आई० डी० सी० घड़ियों के स्टेनलैस स्टील के केस बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई निर्णय कर सकते हैं। यहां भी, केन्द्रीय मंत्री, राज्य एजेन्सी से बातचीत करने के निर्देश दे सकते हैं।

केरल में रक्षा मामलों से सम्बन्धित कोई भी उद्योग नहीं है। इस क्षेत्र में भी भारत सरकार को एक दो उद्योग स्थापित करने चाहियें। राज्य सरकार पूरी सहायता देगी। केरल सरकार ने कई बार यह मामला उठाया है परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। देश में रक्षा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के विचार से केन्द्रीय उद्योग मंत्री को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये।

(चार) अस्पताल और शैक्षिक संस्थान (कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा नियोजन विवादों का निपटारा) विधेयक, 1978 के वापिस लिए जाने के लिए

अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

श्री सौगत राय : (बैरकपुर) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहता हूं।

सोमवार को बोट क्लब पर सारे देश से आये हज़ारों अध्यापकों ने एक प्रदर्शन में भाग लिया। आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनीवर्सिटी एण्ड कालिज टीचर्स आर्गेनाइज़ेशन्स द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में अस्पताल तथा शिक्षा संस्थान कर्मचारी (सेवा शर्तें) विधेयक वापस लेने की मांग की गई।

विधेयक में, जो संसद में गत वर्ष पेश किया गया था, कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार छीनने की व्यवस्था है। इसके उपबन्धों के अनुसार हड़ताल पर जाने वाले को अधिक से अधिक तीन मास का कारावास अथवा 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

[श्री सौगत राय]

विधेयक में राज्य अथवा राष्ट्र स्तर के अध्यापक रपर संघों को कर्मचारियों के विवादों के निपटारे में भाग लेने से वंचित रखने की व्यवस्था है। विधेयक के अन्तर्गत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये नियोक्ता शिकायत समिति गठित कर सकते हैं। यद्यपि समिति से नियोक्ता और कर्मचारियों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, इसका चैयरमैन जिसे मतदान का अधिकार है, नियोक्ता द्वारा मनोनीत होगा।

अध्यापकों ने संसद द्वारा एक उपयुक्त विधान के माध्यम से सेवा की संविधिक सुरक्षा, शारिरिक शिक्षा निदेशकों, लाइब्रेरियन्स और डिमानस्ट्रेटर्स के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान, सभी विश्वविद्यालयों निकाय में छात्रों को प्रतिनिधित्व तथा कार्यकारी परिषद् में गैर-अध्यापक कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व, कालेज का नियंत्रक निकाय शैक्षिक तथा अन्य प्रशासी निकाय में भी अधिकांशतः निर्वाचित अध्यापकों की मांग की। शिक्षा मंत्री को शीघ्रता से मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये।

(पांच) गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का मामला

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहता हूं।

गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियरर्स, रक्षा उत्पादन मंत्रालय, के लगभग 10,000 कर्मचारी लगभग 3 महीने से हड़ताल पर हैं और अधिकारियों के फैसला न करने के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, देश की 15 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की हानि हो चुकी है। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं।

कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक कार्य करने के कारण यह वर्कशाप भली प्रकार चल रहा है और इसने 26,000 मीटरी टन क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा पोत, 'लोक प्रीति' बनाया है। जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है।

वर्ष 1961 में 70 लाख रुपये की लागत तक की जहाजों की मरम्मत करने वाली यह कम्पनी आज 20 करोड़ रुपये मूल्य के पोत बनाने वाली वर्कशाप है और वे इसके 80 प्रतिशत कलपुर्जे बना सकते हैं और इस प्रकार आयात के कारण व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि बचाते हैं। उत्पादन वर्ष 1960-61 के 231.30 लाख से बढ़कर वर्ष 1977-78 में 5069.94 लाख के मूल्य का हो गया है और इन वर्षों का कुल लाभ 8.71 लाख तथा 405.37 लाख है।

वर्ष 1960-61 के कुल उत्पादन में मजूरी तत्व 36 प्रतिशत था जबकि 1976-77 में यह घट कर 12 प्रतिशत रह गया। मजूरी की दरें बहुत कम हैं। एक अदक्ष कर्मचारी को 440/- रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है जबकि एक दक्ष कर्मचारी को 561/- रुपये प्रतिमाह। इसके बावजूद उत्पादन वर्ष 1964-65 के 33 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1977-78 में 5.4 प्रतिशत हो गया।

गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के संयुक्त सचिव तथा निदेशक बोर्ड के सदस्य श्री डी.एन. प्रसाद ने 25.5.78 को एक लिखित आश्वासन दिया :

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आगामी निर्णय के, जो कम से कम 5 वर्ष के लिये होगा, 1.1.77 से प्रभावी होने से कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होगी (संदर्भ कम्पनी का कार्यवाही सारांश दिनांक 25.7.78)"

इस आधार पर प्रबंध निदेशक ने भी ऐसा लिखित आश्वासन दिया कि 1.1.77 से निर्णय के प्रभावी होने से कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होगी।

जो कुछ मज़गांव डाकयार्ड और गोआ शिपयार्ड को दिया गया है वह गार्डनरीच वर्कशाप को भी मिलना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे और पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से कर्मचारियों की सन्तुष्टि के लिए विवाद को अविलम्ब तय करने के लिये संयुक्त प्रयास करे।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जो सदन में उपस्थित हैं, इस बारे में अपने विचार रखें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाये हैं। आज जो प्रश्न उन्होंने उठाये हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न पिछले महीने भी उठाये गये थे और मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिये थे।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हड़ताल अभी तक चल रही है। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में जो मांग की है, हम वह सब कुछ पहले ही कर रहे हैं जो कुछ वह हमसे कराना चाहते हैं। वास्तव में हमने मामले पर तुरन्त ध्यान दिया और निपटारे के लिये इसे पश्चिम बंगाल सरकार के श्रमायुक्त के पास भेज दिया और हम विवाद निपटाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स एक सरकारी उपक्रम है, यह किसी एक कम्पनी अथवा व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह देश की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण सामान बनाती है। प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हो रही है।

मुझे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि कर्मचारी और प्रबंधक एक त्रिपक्षीय निर्णय से बाध्य हैं और निर्णय के अन्तर्गत जो भी लाभ अथवा प्रोत्साहन दिये जा सकते है, कर्मचारियों को दिये गये हैं ..... **(व्यवधान)**। परन्तु वे इससे सहमत नहीं हैं। मेरे विचार से मामले पर निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा। मेरी जानकारी सही है। परन्तु मैं कर्मचारियों से अनुरोध करूगा कि वे देश तथा अपने हित में कार्य पर शीघ्र आ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संयुक्त सचिव, जो निदेशक बोर्ड में हैं, ने एक आश्वासन दिया है अब वह उससे कैसे हट सकते हैं?

सभापति महोदय : प्रश्नकाल नहीं है मंत्री महोदय ने उत्तर देकर कृपा की है।

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : इस मामले में मंत्री महोदय उपस्थित हैं जबकि हमारे मामलों में सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। आप इस बात को स्पष्ट कीजिये कि

नियम 377 के अधीन दिये गये वक्तव्यों का उत्तर देने के लिये मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह बहुत स्पष्ट है । वह यहां हैं और उत्तर देकर उन्होंने कृपा की है ।

(छः) पूर्वी और केन्द्रीय कोयला खानों में ऊंचे ग्रेड के कोयले को उठाने के लिए रेलवे वैगनों की तुरन्त सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देना चाहता हूं :

ऊंची श्रेणी का कोयला उठाने के लिये पूर्व रेलवे द्वारा पर्याप्त मालडिब्बों की सप्लाई न किए जाने के कारण ईस्टर्न और सैन्ट्रल कोल फील्डस में खानों के निकट कोयले के बढ़ते हुये भंडारों के परिणामस्वरुप कोयले के गर्म हो जाने का कथित समाचार । बहुत से खतरे वाले क्षेत्रों में आग लग उठे इससे पूर्व सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । देश के बहुत से भागों में कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुये इस आज के समाचार पर यदि समय से ध्यान नहीं दिया गया तो देश में औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुंचेगी ।

(सात) पंजाब में खेलकूद सामान निर्माण एककों के बारे में मामला

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों (जालंधर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

"पंजाब राज्य में खेलों की वस्तुयें बनाने वाले कारखाने सहायक सामग्री उपलब्ध न होने तथा ऊँचे मूल्यों के कारण बन्द होने की स्थिति में है"

यह उद्योग गत वर्ष 18 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर चुका है और वह इस वर्ष का 30 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा करता है ।

परन्तु चर्म और चर्म की वस्तुओं के निर्यात के कारण गत तीन महीनों से कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं । इससे कमी पैदा हो गई है और जिससे मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है । अब उससे विदेशी बाजार में खेल की वस्तुओं के निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई पैदा हुई है ।

कर्नाटक सरकार ने बेंत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया है जिससे बेंत के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है और जम्मू और काश्मीर सरकार ने विल्लों लकड़ी की सप्लाई करना बन्द कर दिया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जालंधर में, 500 यूनिट हैं जिनमें लगभग 30,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। ये लघु उद्योग श्रम प्रधान हैं और इनमें दक्ष लोगों को रोजगार प्राप्त है जो 50 वर्षों से इस व्यवसाय में लगे हैं । दक्ष कर्मचारियों की जो सियाल कोट (जो अब पाकिस्तान में है) से आए और अब जालंधर में व्यवसाय में लगे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है । 50 प्रतिशत उद्योग बन्द हो चुके हैं जिसके परिणामस्वरुप 10,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये और अब 'विल्लो' लकड़ी के मूल्य बहुत बढ़ जाने तथा दूसरे उपलब्ध न होने ऊँची श्रेणी के

चर्म और ऊँचे मूल्य की बेंत के कारण समस्त उोद्यगों के ही बन्द हो जाने का भय है। मामला बहुत गम्भीर है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें तुरन्त ही कायंवाही की जानी चाहिये। मैंने इसी लिए इस मामले को नियम 377 के अधीन सदन में उठाया है।

विनियोग (संख्या-३ विधेयक, १९७९)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संयम और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : श्री कामत :

श्री हरिविष्णु कामत : संविधान के अनुच्छेद 113 के साथ नियम 218 को पढ़ने से .... (**व्यवधान**)

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, मैंने भी आपको लिखकर दिया है, उस पर हम भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है पहले माननीय कामत को कह लेने दीजिये, उसके बाद आप कहियेगा।

श्री हरिविष्णु कामत : नियम 218 का उपनियम (2) इस प्रकार है :

"सभा में विनियोग विधेयक के पुनःस्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष सभा द्वारा विधेयक के कारण में अन्तर्ग्रस्त सभी या किसी प्रश्न को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा, और जब ऐसा नियत किया जा चुका हो तो अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन, या नियत दिनों के अन्तिम दिन पांच बजे उस प्रश्न या प्रश्नों के संबन्ध में जिनके लिये एक या कई दिन नियत किये गए तो, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा"

इसका तात्पर्य यह है कि विनियोग विधेयक के लिए एक या दो दिन या कल भी या एक दिन और।

उपनियम (4) में कहा गया है :

"विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थी"।

कल आप भी यहां के सदन में उपस्थित थे। आप को पता है कि मुखबन्द लागू किया गया था और बहुत से मंत्रालयों की मांगों का, मैं मंत्रियों का नहीं कहता, संहार कर दिया गया मुझे पता है उस समय अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, आप पीठासीन नहीं थे,। अध्यक्ष महोदय ने अनिच्छा से किया ।

एक माननीय सदस्य : अनिच्छा से नहीं प्रसन्नता से ।

श्री हरिविष्णु कामत : मंत्रीगण प्रसन्न थे मैंने देखा एक दो मंत्री प्रसन्न तो रहे थे । अध्यक्ष महोदय की अनिच्छापूर्ण कार्यवाही ने इन मंत्रालयों की मांगों का हनन किया । उन्होंने ऐसा अनिच्छापूर्वक नहीं किया है जैसा कि पटना और मद्रास में संसद को अधिक प्रभावी बनाने के बारे में दिए गए उनके भाषणों से प्रतीत होता है । संगत बात यह है कि नियम 218 उपनियम (4) के अनुसार उन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा की अनुमति होनी चाहिये जो मुखबन्ध के अन्तर्गत आ गई हैं ।

सभापति महोदय संविधान से अनुच्छेद 113 के दूसरी ओर भी पुष्ठि होती हैं । मैं अनुच्छेद 113 का खंड (1) उद्धृत करता हूं :

> "भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए न रखे जायेंगे, किन्तु इस खंड की किसी किसी बात का यह अर्थ न किया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है" ।

इसका यह अर्थ हुआ कि वे भारित व्यय/मांग भी जिन पर मतदान नहीं होना है सदन में चर्चा के लिए रखे जायेंगे । उन मांगो पर भी सदन में चर्चा हो सकती है जिन पर मतदान नहीं किया जाना है । अतः कल जिन मंत्रालयों की मांग मुखबन्ध के अधीन आगामी और उन पर चर्चा नहीं हुई उन पर चर्चा विनियोग विधेयक पर विवाद के दौरान हो सकती है और होनी चाहिये । पता नहीं जिन मंत्रालयों के बारे में चर्चा शेष है उन पर चर्चा मानसून सत्र में होगी कि नहीं । उन पर अभी चर्चा होनी चाहिए । अतः मैं मांग करता हूं कि आप नियम 218 के उप-नियम (2) के अधीन विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिए एक अथवा एक से अधिक दिन नियत करें और उन मंत्रालयों की जो कल मुखबन्ध के अन्तर्गत आ गए थे, अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मुझे उनमें की माननीय सदस्यों को अनुमति प्रदान करें ।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मैं जिन प्रश्नों को उठाना चाहता था, उन्हें माननीय सदस्य, श्री कामत, ने उठाया है । मैंने इन सवालों पर अध्यक्ष महोदय को एक पत्र भी लिखा था मैंने यह मांग की थी कि मुझे इन बिंदुओं को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने दिया जाए । उसके बाद मैंने पुनः आज भी अध्यक्ष महोदय के नाम पत्र भेजा है कि संविधान के अनुच्छेद 112 और 113 के तहत मैं कुछ बुनियादी बातों को उठाना चहता हूं । जैसा कि नियमावली के नियम 218 (2) और (4) में स्पष्ट उपबन्ध है जिसको कामत साहब ने स्पष्ट किया है, वह इसलिए उस में प्रावधान किया गया है कि अनुदानों की मांगों पर वहस के दरमियान जिन मंत्रालयों की मांगों के ऊपर वहस न हो सके उन संबंधित मंत्रालयों की मांगों पर विनियोग विधेयक जब आए तो उस समय बहस की जा सकेगी । इसीलिए नियमा-वली में यह स्पष्ट उपबन्ध है ।

दूसरी बात यह है कि संविधान नें जहां यह अधिकार दिया है, सदन भी संविधान के उस अनुच्छेद के तहत बंधा हुआ है और साथ ही सरकार को भी संविधान के उसी अनुच्छेद के तहत चलना है । आप की जो नियमावली है वह सर्वोपरि नहीं है और सार्वभौम नहीं है ।

यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाई गई नियमावली है। जहां संविधान के अनुच्छेद का सवाल उठेगा यह नियमावली गौण हो जाएगी, इस की प्रधानता नहीं होगी, मान्यता होगी संविधान के अनुछेच्द की। अभी कामत जी ने इस सवाल को उठाया है। यह सवाल कोई आज का नहीं है। जब मैं लोक सभा की पुरानी प्रोसीडिंग्स को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि डा० राम मनोहर लोहिया हर बजट सेशन में अनेक बार इस प्रश्न को उठाते रहे हैं और वह प्रोसीडिंग्स में दर्ज है। मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 113 का (1) और (2) है ये दोनों सदन को साफ अधिकार देते हैं कि वह एक भी पैसा चाहे संचित कोष से हो या किसी भी तरह से खर्च होने वाला हो बिना बहस के न जाने दे। सदन को जब यह संविधान इतना अधिकार देता है तब अध्यक्ष या अध्यक्ष और सरकार मिलकर के दिन तय करें और उस में हम को बहस करने से रोकें तो यह जो मौलिक अधिकार सदन को संविधान के तहत प्राप्त हुआ है उस पर कुठाराघात करना है।

आप कहेंगे कि हम ने गिलोटिन किया। गिलोटिन के समय आप ने हां या नां कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्यों कि सदन में जो बहुमत प्राप्त दल है वह अपने बहुमत के बल पर एक मिनट में कोई भी कानून पास करवा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। बहस के दौरान बहुत सी बुनियादी बातें सदस्यों द्वारा उठाई जाती हैं चाहे वह सत्तापक्ष के हों चाहे विरोधी पक्ष के हों। सदन में कीमत बहस की है, सदन में प्रस्ताव पारित होने की उतनी कीमत नहीं है।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 113 में यह लिखा है कि संचित निधि पर भारित निधि से सम्बद्ध प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जायेंगे, परन्तु उस पर चर्चा करने से सदन को नहीं रोका जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 112(3) में इस के विषय उपबन्धित किए गए हैं कि कौन कौन से विषय संचित निधि में आते हैं। कल जब आप ने गिलोटिन किया तो यह स्पष्ट है कि मतदान पर वह नहीं रखे जायेंगे लेकिन इन्हीं विषयों पर मतदान भी आपने लिया . . .

सभापति महोदय, : मैं आप का प्वाइंट समझ गया। आप वही बातें दोबारा कह रहे हैं।

श्री हुकम देव नारायण यादव : कामत साहब का कहना एक बिन्दु पर है, मेरा कहना दूसरे बिन्दु पर है। मेरा कहना यह है कि संचित निधि में जैसे सदन के खर्चे हैं, राष्ट्रपति के खर्चे हैं या न्यायपालिका के खर्चे हैं, ये खर्चे उस में रखते हैं। ये जो खर्चे हैं इन में जो इनका प्रसाशनिक पक्ष है वह बिलकुल अलग चीज है। जैसे राष्ट्रपति एक पक्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यालय का जो प्रशासनिक खर्च है वह दूसरा पक्ष है, इसी तरह स्पीकर एक इस सदन में हैं और एक स्पीकर का जो प्रशासन चलता है वह उनका दूसरा पक्ष है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो प्रशासनिक खर्चे हैं वह उनका दूसरा पक्ष है। तो उस बारे में सारी बातें सदन में उजागर हों और उनके अंदर कोई गड़बड़ी हो तो जब तक सदन में उस पर बहस नहीं कराते हैं तब तक सीधे गिलोटिन करा कर बहुमत के बल पर कुछ भी सदन में पास हो जाय, यह स्पीकर को नहीं करना चाहिए। स्पीकर बहुमत के बल पर नहीं चलेगा। स्पीकर संविधान की धारा के तहत चलेगा। यह मेरा निवेदन है।

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं विनियोग विधेयक पर सम्पूर्ण चर्चा के बारे में श्री कामत ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां और जोड़ना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 113 और विनियोग विधेयक के नियम 218 पर आने से पूर्व मैं एक मूल प्रश्न को लेता हूं। मूल प्रश्न यह है कि इस संसद का समग्र उद्देश्य और कार्य क्या है ? समग्र उद्देश्य और कार्य यह है कि वह जब तक इस बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि पूरी चर्चा हो चुकी है तब तक एक पैसा भी मंजूर न करे । धनराशियां किन उद्देश्यों के लिये मांगी जाती हैं ? हमने अपने देश में संसदीय लोकतंत्र तथा इसके संस्थान ब्रिटिश पद्धति पर स्थापित किये हैं और ब्रिटिश पद्धति अब अभ्यावेदन के बिना कोई कराधान नहीं सिद्धान्त पर पूर्णतया सुस्थापित है। संसद का समग्र उद्देश्य यह बात सुनिश्चित कराना है कि सरकार चुपचाप, अपूर्णरूप से, मनमाने ढ़ंग से, जानबूझकर अथवा संदेहास्पद रूप में अपने लिये कोई भी छोटी अथवा बड़ी राशि, संसद के जाने बिना कि सरकार को राशि किस उद्देश्य के लिये चाहिये, नही ले सकती। क्या यह धन राशि उसी उद्देश्य पर व्यय की जा रही है जिसके लिये मांगीं गई थी, क्या संसद को और इस उद्देश्य से लोकतांत्रिक पद्धति की किसी भी संसद को उन मामलों पर सरकारी प्रस्तावों के विरुद्ध कुछ कहना है ? यदि यह इतनी महत्वपूर्ण बात है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 113 तथा 114 उस भावना के अनुरूप हैं, जिसका उल्लेख किया गया है, अर्थात, अभिवेदन के बिना कोई कराधान नहीं होना चाहिये। अतः नियम 218 में केवल वही निर्देश हैं जो कुछ अनुच्छेद 113 तथा 114 में कहा गया है। अब मैं संविधान के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। अनुच्छेद 113 तथा 114 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चर्चा का क्षेत्र विचाराधीन अनुदानों की मांगों तक ही सीमित नहीं रह सकता अपितु यदि संसद चाहे तो सदन में उन सभी बातों पर भी चर्चा हो सकती है जो सामान्यतया वर्षों से परम्परा के रूप में विकसित हुई हैं और जिनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। अभी कल 6 बजे मुख-बन्ध लागू किया गया था और यह सच है कि संसद के इस सत्र के लिये यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दुर्घटनाओं, अज्ञात परिस्थितियों, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण साथियों की मृत्यु भी हैं, बेकार समय कम न किया गया। मैं स्थिति से पूर्ण तरह अवगत हूं। परन्तु यदि इन सब का भी ध्यान रखा जाता तो भी और अधिक मंत्रालयों के बारे में चर्चा हो सकती थी। मेरा तात्पर्य यह है कि गत कई वर्षों से कुछ मंत्रालयों और विभागों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है। उदाहरण के लिये लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के बारे में कभी चर्चा नहीं होती हैं।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : बात इसमें अन्तर्ग्रस्त महत्व और गम्भीरता की है। क्या इस संसद में हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं जो ठीक हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। क्या चर्चा इसलिये नहीं होती है कि लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय संसद तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरणों पर चर्चा के लिये समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने जब मुखबन्ध लागू किया तब हमारे कुछ साथियों ने कहा नहीं। हम मत विभाजन के लिए बल दे सकते थे। हमने मत विभाजन पर बल इस लिये नहीं दिया क्योंकि हम जानते थे कि यह बहुमत

से पारित हो जायेगा। हम यह नहीं चाहते कि जिस धन राशि की सरकार मांग करती है उसे मंजूर न किया जाये। परन्तु यह मामला बहुत गंभीर है।

नियम 218, विशेष रूप से उप-धारा (4) तथा (5) देखिये मेरा ख्याल है कि उपधारा (4) और (5) यह सुनिश्चित कराने के लिये हैं कि विनियोग विधेयक पर चर्चा विभिन्न मंत्रालयों की, अनुदानों की मांगों पर चर्चा सम्पूर्ण सरकारी निष्पादन पर चर्चा पूरी होने के पश्चात ही पूरी होगी। अतः संसद के शेष बचे समय को जो कुछ कहा जा चुका है उसकी पुनरावृति में व्यतीत नहीं किया जाना चाहिये। इन दोनों का यही महत्व हैं।

यदि ऐसा है तो दो बातें सामने आती हैं। पहली यह कि श्री एच० वी० कामत के मत का समर्थन करने के अतिरिक्त, अर्थात, नियम 218 उप-धारा (2), अर्थात निर्धारित समय नहीं दिया गया है। परन्तु वित्त विधेयक को 15 दिन का समय दिया जाता है। अब सम्पूर्ण नियम 218 (4) में कहा गया है :-

> "(4) विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थी।"

जिन मंत्रालयों के बारे में चर्चा नहीं हुई है तकनीकि रुप से यह कहा जा सकता है कि मांग सभा पटल पर रखी गयी है परन्तु उन पर विचार कभी नहीं हुआ है। अतः मेरा सुझाव है कि आप हम में से किसी एक के भी विचार स्वीकार करें जो भी उन मंत्रालयों के बारे में बोलना चाहते हैं जिनके बारे में मुखबन्ध लागू किया गया है। जिन मंत्रालयों के बारे में चर्चा ही नहीं हुई है हमें उन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति लेनी चाहिये क्योंकि उनकी माँगें विचाराधीन हैं। यह केवल विनियोग विधेयक ही नहीं माना जाना चाहिये। इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये ताकि न तो कोई पुनरावृति ही हो न संसद सदस्यों के लोक महत्व के विषयों को उठाने के उनके कर्त्तव्य में कोई कटौती ही की जाये। वे मामले उठाये जाने चाहियें और सरकार को बताया जाना चाहिये कि उसे धनराशियां तभी प्राप्त होंगी जब तक कि आप इस बात से संतुष्ट न हों कि जनता कि शिकायतें और जनता के विचार पूर्ण तरह व्यक्त किये गये हैं और चर्चा पूरी हो चुकी है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : नियम 218 (4) में पूरे वाद-विवाद की व्यवस्था है। मैं उन मुद्दों की पुनरावृति नहीं कर रहा हूं जो माननीय सदस्यों द्वारा उसमें जा चुके हैं। मुझे एक बात और जोड़नी है। यह बात ठीक है कि जिन मंत्रालयों के बारे में चर्चा मुखबन्ध के कारण नहीं हो सकी उनके बारे में पूरी चर्चा होनी चाहिये। नियम 218 (4) में पूर्णतया यही विचार तो नहीं हैं। पहली बात यह है कि जिन मंत्रालयों के बारे में चर्चा मुखबन्ध के कारण नहीं हो सकी उन सभी पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित दिवस अथवा दिवसों को पूरी चर्चा होनी चाहिये।

इसके साथ ही नियम 218 (4) में यह भी व्यवस्था है कि जिन मंत्रालयों के बारे में इस सदन में चर्चा हो चुकी है, उनके नए मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन नए मुद्दों

[श्री जी० एम० बनातवाला]

पर चर्चा यह कहकर रद्द नहीं की जा सकती है कि उन मंत्रालयों पर चर्चा हो चुकी है। उन मंत्रालयों के मामले में भी यदि कुछ नए मुद्दे हैं तो सदस्य उन मुद्दों को अध्यक्ष को दे सकता है और वह उन्हें सदन में उठा सकता है। उदाहरण के लिए मैं अभी आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर उठा सकता हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय को दिए अपने नोटिस में कहा है कि गृह मंत्रालय की मांगों पर 3, 4 और 6 अप्रैल को चर्चा हो चुकी है। तथापि जमशेदपुर दंगे 11 अप्रैल को हुए थे और इसलिए जमशेदपुर से संबंधित कोई भी मुद्दे उस समय नहीं उठाए जा सके जब इस सदन में गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी। निःसंदेह इस मामले पर अन्य रूप में चर्चा हुई है परन्तु यह नियम 218 (4) में दी गई बातों के अनुसार नहीं है।

सभापति महोदय : आपको अपने नोटिस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे देखा है और मैं आपको इसके लिए समय दे रहा हूं। आपको इस बारे में चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अन्य ध्यातक प्रश्न का संबंध है। आप यदि चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं माननीय सदस्यों द्वारा पहिले कही गई बातों का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह केवल विद्वतापूर्ण बातें नहीं है, यह एक बहुत गम्भीर और आधारभूत बात है।

सभापति महोदय : निश्चय ही।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : सभापति महोदय, इसमें सभी गुटों के नेताओं से कन्सल्ट कर के पूरे विषयों के लिए समय निर्धारित किया गया था और जितना समय निर्धारित किया गया था, उस सारे समय का उपयोग भी हुआ। किसी विषय में माननीय सदस्यों ने अधिक समय भी लिया। इसके अलावा इस विषय के लिए 25 और 26 तारीख भी रखी गई है और उसके लिए समय निर्धारित है।

सभापति महोदय : मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह यह है कि यह जो बिल है, जो प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है या नहीं या समय निर्धारित करना चाहिए।

अभी जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने है। इसके लिये क्या कोई सयम निर्धारित है? क्या कोई समय निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : आपकी अनुमति से, मुझे यही कहने दिया जाय कि कल मांगों को बिना उन पर चर्चा किये पास कर दिया गया था जो कि पहली बार ऐसा नहीं किया गया है। मांगों पर चर्चा करने के लिए विशेष कैलेंडर दिया हुआ है और यह सच है कि जब तक माननीय सदस्य श्री कामत द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित नहीं होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें यह पूरा वित्तीय कार्य 75 दिनों के अन्दर समाप्त करना है। अब माननीय सदस्य ने गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य अवधि को 75

दिन से बढ़ाकर 90 दिन करना है। परन्तु जब तक इसको 75 दिन के अन्दर पारित करना है, पूरी कार्यवाही समाप्त होनी है · · · (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्ततः वित्तीय विधेयक को 75 दिन समाप्त होने से पूर्व दोनों सदनों द्वारा पारित करना होता है। · · · (**व्यवधान**) आप जो भी कहे, यह सच है। इस लिए यह कैसे बे मतलब की बात हुई? यह पूर्णतया तर्क संग्रह है क्योंकि 75 दिन की व्यवस्था है। यदि इसको उस विशेष समय के अन्दर पारित नहीं किया जाता है तब सभी करों की वसूली अवैध हो जाएगी। स्वभावतः जब 3 का विशेष विधेयक पारित हो जाता, तब इससे विभिन्न अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए हमें अधिक समय मिलेगा। यह कठिनाई तब तक है। मांगों को बिना उन पर चर्चा किए उन्हें पारित कर देना कोई असाधारण बात नहीं है। यह पहली बार नहीं हुआ है जैसा कि कल हुआ था। यह आरम्भ से ही चल रहा है। परन्तु जहां तक समय का संबंध है, साधरणतया मैंने मांगों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को देखा है, अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत यह संवैधानिक दायित्व है कि इस सदन से विनियोग विधेयक पारित कराया जाय ताकि धन निकालने का कानूनी अधिकार मिल जाए। परम्परागत रूप से इस सदन की यह प्रथा रही है। यह कमोवेश एक औपचारिकता है जहां तक विनियोग विधेयक की बात है, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है · · · (**व्यवधान**) मैं इस पर चर्चा करने के माननीय सदस्यों के अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं। मैं माननीय सदस्यों के इस अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं कि वे उन मांगों पर बोलें जिन पर चर्चा नहीं की गई है। परन्तु मेरा कहना है कि परंपरागत रूप से यह प्रथा रही है कि इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है। विनियोग विधेयक को पारित करने में मुश्किल से आधा घंटा या एक घंटा लगता है। वित्त विधेयक पर तीन दिन है यथा 24, 25 और 26 तारीख को उस पर सदन में बहस होगी और इसे 26 ता० को पास करना है। जहां तक अधिकारों का संबंध है, मैं इसको चुनौती नहीं देता हूं परन्तु इस सदन की आमतौर पर यह परंपरा रही है— श्री कामत इस बारे में मुझसे अधिक जानते हैं कि विनियोग विधेयक को केवल पास कर दिया जाता है। . . . (**व्यवधान**)

श्री ए० सी० जार्ज : काफी सीमा तक मैं मंत्री महोदय से इस बात पर सहमत हूं कि यह एक उदाहरण और प्रथा है। इस पर कोई विवाद नहीं है। यह बताया गया है कि समाज कल्याण, स्वास्थ, शिक्षा, पर्यटन, श्रम संसदीय कार्य जैसे मंत्रालयों की अनुदानों की मांगे बिना उन पर चर्चा किए पास कर दी गई। हम समूची बात को नया रूप नहीं दे रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि अन्ततः उन पर मतदान होगा परन्तु इन छह या सात मंत्रालयों के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये ताकि सदस्यों को उन पर चर्चा करने का अवसर मिले।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब इन पर चर्चा समाप्त कर दी जानी चाहिये।

श्री वयालार रवि : सभापति को नियम का पूरी तरह से पालन करना चाहिये। यदि आप एक तरफ के लिये नियमों में शिथिलता बरतते हैं तो दूसरी ओर के लिये भी ऐसा करना चाहिये।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों के उत्तर में दो साधारण बात कहना चाहता हूं। प्रथम, जब कि इस सदन को प्रत्येक विभाग से संबंधित प्रत्येक मांग के प्रत्येक मद पर पूरी बहस करने का अधिकार है परन्तु साथ ही साथ इस विश्व में कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं होते हैं। यह परिस्थितियों द्वारा परिचालित होते हैं। इस सदन को अपनी कार्यवाही नियमित करने का अधिकार है। कार्य मंत्रणा समिति इस सदन में विभिन्न भागों पर चर्चा करने का कार्यक्रम बनाती है। इस लिये, यह कार्य मंत्रणा समिति के निदेश अथवा निर्णय के अनुसार है कि मांगों को प्रस्तुत किया गया। दूसरे, इस आपत्ति को शायद ही उठाया जा सके। मैं नहीं समझता कि इसको उठाया जा सकता है— परन्तु यदि इसे उठाया जाए तो इसे केवल कल ही उठाया जा सकता था जब बिना चर्चा के पास करने का फार्मूला अपनाया गया था। अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के बाद यह प्रश्न बिलकुल नहीं उठता है। · · · (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसका कोई रास्ता निकालें ताकि माननीय सदस्यों का उद्देश्य पूरा हो सके और सरकार की कठिनाई भी दूर हो जाये, जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं वे यथा संभव कम से कम समय लें। चार या पांच सदस्यों ने नोटिस दिए हैं और मैं एक दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा और इससे इसको यथा शीघ्र निपठा दिया जायेगा। माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में बोलें और केवल मुद्दों पर चर्चा करें। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सार्वजनिक महत्व के मामलों तक सीमित है और उदाहरण देने के बजाय केवल संक्षेप में मुद्दे उठाये जाने चाहिए।

श्री हरिविष्णु कामत : मेरा आप से अनुरोध है कि आपने जो कुछ कहा है, उसको स्पष्ट किया जाये क्योंकि उपप्रधान मंत्री ने कहा है कि इन सब को स्वीकार किया जाना चाहिए और एक निर्धारित समय में पारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस पर क्यों समय खराब कर रहे हो ?

श्री हरिविष्णु कामत : मैं समय खराब नहीं कर रहा हूं। यह सुसंगत है। 75 दिन की बात कही गई है। उस अवधि के हिसाब से यह तारीख 14 मई बैठती है। अन्तिम समय सीमा न आज है न कल · · · (**व्यवधान**) · · · अन्यथा लोक सभा एक मजाक बन कर रह जायेगी।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, क्या यह ठीक नहीं है ?

सभापति महोदय : उन्होंने पहिले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। मेरा श्री बनातवाला से अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं दो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह बहुत निन्दनीय और खेदजनक बात है कि बिहार सैनिक पुलिस ने हाल में जमशेदपुर के दंगों में वहाँ बहुत

अधिक पक्षपातपूर्ण और मुस्लिम विरोधी रवैया अपनाया ऐसे बहुत अधिक गंभीर आरोप है कि बिहार सैनिक पुलिस ने लोगों को अपराध करने पर भड़काया और खुद भी अपराध किये ।

सभापति महोदय : मैंने आपसे इस पर बोलने की अनुमति दी है क्योंकि तकनीकी तौर पर इसे नियम 218 के अन्तर्गत मना नहीं किया जा सकता । आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है । मेरा आप से अनुरोध है कि आप केवल मुद्दों पर बोलें

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सदन का समय नहीं लूंगा । सरकार को अपनी मांग स्पष्ट करने और यह बताने के लिये कि बिहार सैनिक पुलिस इतने निम्न स्तर तक गिरी, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सैनिक पुलिस ने मुंशी मोहल्ला में बंदूक की नोक पर आदमियों, औरतों और बच्चों को उनके हाथ ऊपर कराके उन्हें सड़क पर पूरे मोहल्लों में घुमाया और सेना ने बिहार सैनिक पुलिस के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाई । जब वहां के लोगों का बिहार सैनिक पुलिस पर विश्वास हट गया है तो यह आवश्यक है कि इसको वहां से हटा दिया जाना चाहिये और सीमा सुरक्षा बल को वहां नियुक्त किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपको लिखा है कि वहां के बड़े पैमाने पर लोगों के लिए मकान बनाने और लोगों को व्यवसाय देकर उन्हें बसाने की शीघ्र आवश्यकता है और यह कार्य केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए । सरकार को इसके लिए बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि लोगों को रहने के लिए मकान मिले और उन्हें रोजगार देकर बसाया जाए । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय पर अधिक नहीं कह सकेंगे परन्तु मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस सभा को अश्वासन दें कि जो बातें यहाँ उठाई गई हैं, उन पर सरकार विचार करेगी और तत्काल कार्यवाही करेगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संक्षेप में दो बात कहना चाहता हूं कि जो गत्याविरोध के बारे में है जो सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र में पैदा किया है जब तक सरकारी उद्यम ब्यूरो को मंजूरी नहीं मिलती है, मजूरी पर बात चीत पूरी नहीं हो सकती और कोई समझौता नहीं हो सकता । इस कारण से इस्पात, कोयला और सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में मजूरी के मामले में बातचीत में गंभीर रुकावट आ गई है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कम से कम यह देखे कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के नाम पर स्वयं सरकार द्वारा निर्मित यह रुकावट यथाशीघ्र दूर की जाये ताकि इन सभी महत्व पूर्ण क्षेत्रों में मजूरी पर समझौता हो सके अन्यथा यह बात सरकार पहले से जानती है कि यदि मजूरी पुनरीक्षण के लिए कोयला श्रमिकों की उनकी मांगों को 18 मई से पहले निपटाया नहीं जाता है तो सभी कोयला खानों के पास, जो सरकार के अन्तर्गत हैं, अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जायेगा ।

अगला मुद्दा तो मैं उठाना चाहता हूं वह संचार मंत्रालय के बारे में हैं । संचार मंत्री नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम होगा ? मैंने आज सुबह 10 बजे से पूर्व नोटिस दिया था . . . .

श्री वयालार रवि : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मंत्रालय कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। मैं विशेषकर कलकत्ता और उसके उप नगरों में टेलीफोन व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूं—उन्हें एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत शुल्क देना पड़ता है अन्यथा वे क्षेत्र उपनगर क्षेत्र में आते हैं। यहां अनेक बार बताया गया है कि किसी क्षेत्र में, जो कलकत्ता से 15 मील से अधिक की दूरी पर नहीं है, शुल्क ट्रंक प्रणाली का लिया जाता है माना कि मैं ट्रंक कॉल कर रहा हूं जबकि मैंने देखा है कि बम्बई, दिल्ली और अन्य स्थानों में ऐसे दूर के स्थानों के लिए किए गए टेलीफोन को स्थानीय कॉल माना जाता है। हुगली जिले में—चन्द्र नगर, चिनसुरा, त्रिवेणी और 24 परगना जिले के, गोहाटी और कचरपला के कुछ स्थानों में ऐसे कॉल का शुल्क ट्रंक कॉल प्रणाली के आधार पर लिया जाता है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम गंभीर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। लोग हम पर दोषारोपण करते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं मंत्री जी को यहां आकर इस बात की जांच करने के लिए कहते हैं। संचार मंत्री ने अनेक बार आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जाँच करेंगे। परन्तु नौकरशाह उन्हें कुछ और कह देते हैं जो हमेशा यह कहते हैं कि यह लाभकारी नहीं है और यह व्यवहार नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न को टाल रहें हैं। मंत्रालय को यथाशीघ्र इस बात को देखनी चाहिए और चंद्र नगर, चिनसुरा, त्रिवेणी तथा अन्य टेलीफोन केन्द्रों को कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के समान समझा जाना चाहिए ताकि यहां के लोगों को उन लोगों की तुलना में अधिक शुल्क न देना पड़े जो अन्य स्थानों में समान दूरी के लिए शुल्क दे रहे हैं।

श्री हुकम देव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चहाता हूं कि देश के बड़े बड़े पूँजीपति और व्यापारी घराने के लोग प्रगतिशील कदम उठाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वह इस बात की जांच कराये कि अभी जब बिहार में श्री कूर्परी ठाकुर द्वारा विश्वास-मत प्राप्त करने का मामला चल रहा था, तो क्या (1) हिन्दुस्तान की चीनी मिल-मालिक एसोसियेशन के अध्यक्ष, (2) श्री बी० एम० बिड़ला, (3) श्री डालमिया और (4) अखिल-भारतीय शराब विक्रेता एसोसियेशन के अध्यक्ष पटना में पाटलीपुत्र होटल और मौर्य होटल में तीन चार दिन तक ठहरे हुए थे या नहीं, अगर वे वहां ठहरे हुए थे, तो किन कारणों से ठहरे हुए थे। भारत सरकार और वित्त मंत्री ने यह नीति बनाई है कि गरीबों और किसानों की दशा को सुधारने के लिए प्रगतिशील क़दम उठाये जायें। इन क़दमों के रास्ते में, और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को खुशहाली देने के मार्ग में, देश के बड़े बड़े लोग बाधक बन कर खड़े हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या नहीं। अगर सरकार के पास ऐसी कोई कारगार योजना है, तो सरकार को बड़ी मज़बूती के साथ उनसे लड़ने के लिए भी योजना को क़ार्यान्वित करना चाहिए। लेकिन यदि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, तो ये तमाम लोग इस तरह की बाधा पैदा करते रहेंगे।

यह जो बड़े पूंजीपतियों की लाबी सारे देश में बनी है, वह केन्द्र सरकार में भी प्रभाव-

शाली होती जा रही है, और आगे भी धीरे-धीरे होने वाली है, जिसका नतीजा कुछ बुरा ही निकलने वाला है ।

हमारे गांवों में जो झौंपड़ियों में रहने वाले और किसान है, उनके लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान किये गये हैं, लेकिन हम देखते है कि जो चार इंच का बोरिंग का पाइप पहले 8 रुपये प्रति फुट मिलता था, उसके दाम बढ़ गये हैं और बिहार में हमको वह 18 रुपये प्रति-फुट के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है । लोहे और स्टील के दाम बढ़ने से किसानों के काम आने वाली चीज़ों—बोरिंग के पाइप, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट, बिजली के पोल और वायर के दाम भी बढ़ेंगे । एक तरफ तो स्टील के क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा है, और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को लाभ पंहुचाने के लिए ही सार्वजनिक क्षेत्र में घोटाला और गड़बड़ की जाती है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के माल की कीमत बढ़े, और जब सार्वजनिक क्षेत्र के माल की कीमत बढ़ेगी, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में जो गुप्त गठबंधन है, उसके ज़रिये देश में कीमतों को बढ़ा कर लूट की जा रही है । इस लिए इस मामले में सरकार की दृष्टि साफ होनी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के रिश्ते क्या होंगे ।

जब तक आप लोहे और स्टील को सस्ता नहीं करेंगे, बिजली, पानी और मशीन वगैरह किसानों को सस्ती नहीं मिलेगी तब तक किसानों को उतना लाभ नहीं मिलने वाला है । इस पर भी इस सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

आखिर मैं कहना चाहता हूं कि जो हाइ स्पीड डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है उस से हमारे किसानों के पावर टिलर खड़े हो रहे हैं, जो ट्रैक्टर चल रहे थे वह भी खड़े हो रहे हैं । तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सबसे पहले मैं संचार मंत्रालय पर बोलूंगा । आज भारत के नगरों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करना एक समस्या है । संचार मंत्रालय एक श्रम प्रधान मंत्रालय है जो यदि उसका उचित ढ़ंग से विस्तार किया जाये तो लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है । टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र अनेक कारणों से विचाराधीन पड़े हैं । एक कारण यह है कि क्रास बार सिस्टम अभी ठीक किया जाना है । मैं जानता हूं कि स्वयं चौधरी साहब नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं । मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस बारे मे अध्ययन करें और यह देखें कि संचार मंत्रालय में रोजगार की भी संभावना है । मेरे अनुसार यह संख्या लाखों से अधिक है । टेलिफोन व्यवस्था के विस्तार से केवल बनाने वाले उद्योगों, टेलीफोन उपकरण बनाने वाले उद्योगों और टेलीफोन से संबंधित उद्योगों में अनेक रोजगार पैदा किये जा सकेंगे । दूसरी मांग है । आप इसे देखें और जितना संभव हो सकता है उतने आफिस टेलीफोन कनेक्शन नगरों को दें ।

कोचीन नगर में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि हमें टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं जबकि इसकी भारी माँग है । वहाँ अधिकारी छः महीने से अधिक समय से हैं और वे समस्याएं पैदा कर रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को बदला जाये और अधिक उत्साही अधिकारियों को वहाँ लाया जाये । कृपया इस मामले को देखें ।

विभागेतर कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं । मेरा चौधरी साहब से अनुरोध है कि वह इसको देखें । देश में लगभग 2.5 लाख विभागेतर कर्मचारी हैं । वे 8 घंटे से

[श्री वयालार रवि]

अधिक समय तक काम करते हैं। संचार मंत्रालय यह रिपोर्ट देता है कि वह केवल 2 घंटे काम करते है। यह गलत है। यदि आप किसी गाँव जायें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसे पत्रों की छँटाई करनी पड़ती है, पत्रों को एकत्रित करना होता है और उनका वितरण करना होता है। यहां संसद भवन के डाकघर में एक लड़की विभागेतर कर्मचारी के रूप में 100 रुपये प्रति महीने के वेतन पर काम कर रही है। क्या कोई दिल्ली में 100 रुपये की थोड़ी तनख्वाह में गुजारा कर सकता है ? नगरों में विभागेतर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। वहां नियंत्रित कर्मचारी होने चाहिए। अन्यथा, आप पर यह आरोप लगेगा कि आप इस देश में शिक्षित बेरोजगार नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। कृपया इस प्रथा को रोकिए।

हाल ही में संचार मत्रालय ने एक नए संघ को बिना उसकी उचित जाँच किए उसे मान्यता प्रदान की है।

जहाँ तक मुझे मालूम है, श्री रवीन्द्र वर्मा ने उसे मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि मैं जानता हूं कि वे बुद्धिमान और ऐसी बातों के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। अब उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी से पूछना शुरू कर दिया है कि वह किस यूनियन से सम्बन्धित हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले भारतीय मजदूर संघ को मान्यता दी है क्योंकि मन्त्री महोदय स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं। क्या आप समझते हैं कि एक गरीब सरकारी कर्मचारी यह बताने की हिम्मत करेगा कि वह यूनियन का है। स्वभावत: इस दबाव और धमकी द्वारा भारतीय मजदूर संघ के लिए कर्मचारियों का समर्थन लिया जा रहा है। मैं इसके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करता हूं। मेरा चौधरी साहेब से अनुरोध है कि वह इस मामले को देखें और देश में उचित लोकतांत्रित आधार पर ट्रेड यूनियन प्रणाली की स्थापना करें।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : यदि आप मुझे सूचना का ब्यौरा भेजें, तो मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री वयालार रवि : मैं इसके लिए माननीय उप प्रधान मन्त्री का आभारी हूं।

समझौते के अनुसार, कोचीन शिपयार्ड को जहाजों का विलम्ब से डिलीवरी के कारण भारतीय जहाजरानी निगम को हर्जाना देना पड़ता है।

मैं चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड के सारे मामले में इस बात का पता लगाने के लिए भरपूर जाँच के आदेश दिये जायें कि जहाज-निर्माण कार्य में विलम्ब क्यों हुआ और उस नई क्रेन का मामला क्या है जिसे शिपयार्ड में लगाया गया है और जिस पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अब वे भारतीय नौवहन निगम को हरजाने के रूप में प्रतिदिन दो लाख रुपये अदा कर रहे हैं।

मैं सभा का आपसे समय नहीं लूंगा। मैं तो केवल यही माँग करता हूं कि आप राशि अदा करने वाले हैं। अत: कृपया कोचीन शिपयार्ड के मामले में इस आशय की जाँच करें कि जहाज निर्माण में विलम्ब क्यों हुआ और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। कृपया उत्तरदायित्व निश्चित करके दोषी व्यक्ति को दण्ड दीजिए।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : कोचीन का मामला कुछ श्रमिक समस्या के कारण लम्बा पड़ गया है और इसलिए क्रेन को लगाने का काम समय पर पूरा नहीं किया जा सका। वहाँ श्रमिक समस्या का बहुत महत्त्व है।

श्री वयालार रवि : मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वहाँ पर पाँच बरस रहा हूं। मैं आपको रिकार्ड से बता सकता हूं कि श्रमिकों ने एक मिनट के लिए भी वहाँ हड़ताल नहीं की।

सभापति महोदय : अब इन बातों में मत पड़िए।

श्री वयालार रवि : जी हाँ। दूसरे कोचीन पत्तन के बारे में कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। वहाँ अथवा काम हो रहा है। तथापि वे हर विषय पर बातचीत कर लेते हैं। परन्तु वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं है। दुर्भाग्य से, पत्तन व्यास में, प्रणाली यह है कि अध्यक्ष तो प्रतिनियुक्ति पर आता ही है और उपाध्यक्ष भी प्रतिनियुक्ति पर आता है। इस तरह दोनों व्यक्ति कुछ समय बाद चले जाते हैं। पत्तन न्यास में निरन्तरता नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि कम-से-कम उपाध्यक्ष तो पत्तन न्यास के ही विभागाध्यक्षों में से चुना जाना चाहिए। मैं यह एक सुझाव दे रहा हूं। मेरा यह सुझाव श्री चान्दराम तक पहुंचा दीजिए कि उपाध्यक्ष का चयन पत्तन न्यास के विभागाध्यक्षों में से ही किया जाना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष तो आते-जाते रहते हैं। सारी प्रक्रिया में निरन्तरता बनी रहनी चाहिए क्योंकि कोचीन पत्तन पर श्रमिक संघ नेता होने के नाते मुझे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि हर बार लोग बदल जाते हैं। कोचीन पत्तन पर उपाध्यक्ष का स्थान खाली है। अतः जब कुछ सप्ताह में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात आए तो मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाए।

अब मैं श्रम मन्त्रालय के बारे में बात करूंगा।

सभापति महोदय : मेरे विचार से अब आपको समाप्त करना चाहिए।

श्री वयालार रवि : अब केवल दो बातें कहनी हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर श्री वर्मा को विचार करना चाहिए क्योंकि मुझे अब भी कुवैत में ई० पी० आई० परियोजना कर्मचारियों से शिकायतें मिल रही हैं। उनके हितों की रक्षा करनी है। अतः मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि मंत्री महोदय उन पर विचार करें।

सभापति महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा गृह मन्त्रालय के बारे में है। गोआ में एक नई राजनैतिक स्थिति पैदा हो रही है। वहाँ बड़ी घिनौनी घटनायें हो रही हैं और गोआ में जो कुछ हुआ वह लोकतन्त्र का अपमान है। वहाँ पर यथा सम्भव शीघ्र सरकार की स्थापना होनी चाहिए। सरकार इस सम्बन्ध में यथा सम्भव शीघ्र निर्णय करे।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक-दो मिनट बोलने को दिये।

श्री चरण सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो माननीय सदस्य आज अभी-अभी मुद्दे उठा रहे हैं उन्होंने आप से अनुमति माँगी है अथवा नहीं ?

सभापति महोदय : हाँ।

श्री चरणसिंह : सभी ने ? तब तो इसके लिए कोई सीमा होनी चाहिए जैसे 3 या 5 मिनट अनिश्चित रूप से तो नहीं चलते जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं इसका ध्यान रख रहा हूं, कि सदस्य सहयोग दें और वे संक्षिप्त रूप से बोलें ।

श्री ए० सी० जार्ज : वे तो असाधारण रुप से संक्षिप्त रहें हैं । मैं भी अपने से पूर्व बोलने वालों के उदाहरण का अनुकरण करूंगा जो असाधारण रुप से संक्षेप में बोले हैं ।

चौधरी साहब ने कई बाते प्रकट की थीं । मुझे तो एक बात कहनी है । वह यह कि अब के बाद जबकि विनियोजन विधेयक पर चर्चा चल रही है जिन मंत्रियों की मांगों को एक साथ मतदान के लिये रख दिया गया है अथवा उनको काट कर दिया गया है जो कुछ भी हो, उन्हें हम मामले पर चर्चा के दौरान कम से कम एक घंटे तक तो यहां उपस्थित रहना ही चाहिये । कुछ बातें तो उठती ही हैं । उन्हें यहां उपस्थित होने से 18 घंटे की छूट रहती है । अतः मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जिन मंत्रालयों की मांगों को एक साथ मतदान के लिये रख दिया गया है उनके मंत्रियों में विनियोजन विधेयक पर चर्चा के दौरान निश्चित रुप से यहां उपस्थित रहना चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है ।

श्री ए० सी० जार्ज : एक बात मुझे कोचीन पत्तन के बारे में करनी है । वहां बड़ी विभिन्न समिति है । बोइंग 737 को भूमि पर उतरने की सुविधा देने हेतु हवाई पट्टी बनाने के लिए 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । श्रीमान्, यह बड़ी रोचक बात है कि कोचीन एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां अधिकतम राशि देने वाले यात्री जा रहे हैं । शायद आप राशि देने वाले (पेईंग) शब्द पर भ्रमित हो जाये । दिल्ली, बम्बई तथा अन्य हवाई अड्डों से अदायगी सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को हो जाती है क्योंकि अधिकांश यात्री या तो सिविल कर्मचारी होते हैं ता फिर कंपनियों के कर्मचारी जिनके लिये अदायगी सीधी नहीं की जाती; जबकि कोचीन पत्तन में, जैसा कि एक अध्ययन से पता चला है, यात्री लोग एक खाते से दूसरे खाते में अदायगी नहीं करते हें बल्कि अपनी ही जेब से अपनी मेहनत की कमाई में से अदा करते हैं ।

अतः उस हवाई अड्डे को वरीयता देनी होगी । वहां बोईंग-737 विमान को उतारने का प्रस्ताव था । मैं नहीं जानता कि किस को दोष दिया जाना चाहिये । शायद इस का दोष वापस मुझ पर ही आ जाये क्योंकि उस समय मैं भी एक मंत्री था ।

मैं बड़े शब्दों में इसको स्वीकार कर रहा हूं । हवाई पट्टी को लम्बा तथा मज़बूत करने के लिए 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, परन्तु एपरन तथा टैक्सी-ट्रैक के लिए व्यवस्था नहीं की गई है । भूमि पर उतरने वाले जहाज को हवाई अड्डे पर आने के लिये ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं । हवाई पट्टी की व्यवस्था तो कर दी गई है परन्तु एपरन तथा टैक्सी-ट्रैक प्रदान नहीं किये गये हैं । क्योंकि पर्यटन तथा नागर विमानन की मांगों पर चर्चा नहीं की गई है, मेरा अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही के काम आरम्भ किया जाये ।

जैसाकि मेरे अच्छे मित्र श्री रवि ने बताया है कि कोचीन को अरब सागर में रानी कहा जाता है यह विशेषरूप से पश्चिम की ओर मुख किये खड़े अरब सागर के श्रेष्ठ पत्तनों में एक है। परन्तु पत्तनों के विमान तथा विस्तार हेतु निधियों का प्रावधान करने के मामले में इसको साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। इसके साथ न केवल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बाहर सौतेली दादी जैसा व्यवहार हो रहा है। अतः वहां पर आपके जहाज खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। कोचीन पत्तन के विकास के लिये निधियों के आंवटन के मामले में दीर्घावधि संदर्भ में विचार किया जाना चहिये। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा की अदन से सिंगापुर तक एक अच्छी शुष्क गोदी की कोई व्यवस्था नहीं हैं। कोचीन एक शुष्क गोदी की दृष्टि से एक आदर्श स्थान है क्योंकि यह परियोजना एक श्रमिक-प्रधान है और देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है। इस समय बम्बई में तो बहुत ही भीड़-भाड़ है।

शुष्क गोदी का प्रस्ताव काफ़ी लम्बे समय से विचाराधीन पड़ा है सिंगापुर की तरफ जाने वाले जहाजों के लिये यह बहुत अच्छा रहेगा। जहाजों को आकर्षित करने में कोचीन एक आदर्श पत्तन है। शुष्क गोदी के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चहिये इसे पाना कोचीन पत्तन का एक न्यायोचित अधिकार है।

यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिसकी और मंत्री महोदय का ध्यान जायेगा। टेलीफोन की बात चल रही थी। मैं यहां पर ही एक ठोस आश्वासन दे सकता हूं कि खाडी के देशों तथा अन्य बाहरी देशों में कार्यरत लोगों में टेलोफोन के लिये कम से कम 50,000 अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। मैं एक विशिष्ट प्रस्ताव पेश करता हूं। यदि उक्त अनुरोध करने वाले लोगों प्रति व्यक्ति 500 डालर की विदेशी मुद्रा का अंशदान देना है—उसी तरह वहां सीमेंट और अन्य भण्डारों की सुविधायें भी हैं—यदि भारत सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी—अकेले केरल के ही प्राप्त कम से कम 50,000 अनुरोध विचाराधीन पडे हैं—इससे सरकार को 2.5 करोड़ डालर की आय होगी जिसमें कम से कम 20 करोड़ रुपये विदेशी मृद्रा के रूप में होंगे और आपको इसकी घोषणा करने में केवल दो सप्ताह लगेगें।

अन्त में मैं राष्ट्रीय बाढ़ योजनाओं के बारे में कुछ कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। सामान्यतः प्रशासन की प्रवृत्ति तब कुछ सोचने की होती है जब कि बाढ़ दरवाजे पर ही आ पहुंचे अथवा जबकि लोग बाढ़ में फस गये हों अथवा डूब रहे हों। हमारी एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिये जिसमें समुद्री कटाव को रोकने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

जब हम बाढ़ की बातें करते हैं तो हम केवल नदियों के बारे में भी सोचते हैं। समुद्र से भी बाढ़ आती है। केरल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और वस्तुतः सारे उप महाद्वीप में धीरे धीरे समुद्री कटाव फैलता जा रहा है। पिछले मानसून के दौरान यह प्राकृतिक प्रकोप मद्रास में आया और प्रसिद्ध मरीना बीच में कटाव हो रहा है।

जब हम राष्ट्रीय बाढ़ योजना के बारे में सोचते हैं तो हमें इस बात का भी खयाल रखना चाहये। सूरज की चमक के समय ही कोई काम हो सकता है ऐनवक्त पर नहीं जबकि हम आधे डूबे हुए होते हैं या जबकि बाढ़ का पानी हमारे दरवाजों तक पहुंचा होता है। कम से कम

[श्री ए० सी० जार्ज]

आगामी मानसून के आने से पहले एक राष्ट्रीय बाढ़ योजना तैयार करनी पड़ेगी जिसमें समुद्री कटाव विरोधी कार्य भी शामिल हो। हम सब को मिलकर तैयार होना चाहिये तथा इसकी घोषणा होनी चाहिए ताकि हम देश के लिये एक परियोजना, एक ऐसा प्रस्ताव तैयार हो जिसमें आने वाले दशकों की सभी सम्भाव्यताओं पर विचार किया जाये और जिसके फलस्वरूप देश की मूल्यवान सम्पदा को नष्ट होने से बचाया जा सके।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा और केवल एक-दो बातों का जिक्र करूंगा तब प्रत्येक बात पर एक-दो वाक्य ही कहूंगा।

विनियोजन विधेयक एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जबकि जनता सरकार ने अपने दो वर्ष पूरे कर लिये हैं। बहुत-से अच्छे काम करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु शीघ्रता से यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सार्वजनिक महत्व की नीतियों की दृष्टि से सरकार द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों के बारे में जो छवि इस सरकार की बताई और सुनी जाती है वह संतोषजनक नहीं है और इसमें कोई स्थायित्व अथवा विश्वसनीयता योग्य बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई स्थायित्व अथवा विश्वसनीयता है ही नहीं। परन्तु नई सरकार के स्थायित्व और विश्वसनीयता संबंधी पहलू क्षारत होते जा रहे हैं और मैं इसलिए चिंतित हूं कि मैं चाहता हूं कि यह सरकार अपने स्थायित्व एवम विश्वसनीयता की दृष्टि से लोगों में अपनी एक अच्छी छवि बनाये।

जमशेदपुर के बारे में, मैं तो खेद के साथ इतना ही कहूंगा कि राजनैतिक पार्टियां तथा राजनैतिक दल स्थिति का लाभ उठाते हैं और इसके फलस्वरूप सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत होती है। मेरे खयाल से हमारे लिए यह शर्म की बात है इस प्रवृत्ति को यथासंभव शीघ्र रोका जाना चाहिये।

मैं आचार्य विनोबा भावे के अनशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उस पर यहां चर्चा हो चुकी है; बस केवल इतना कहूंगा कि आचार्य विनोबा का, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, संसद तथा विभिन्न नेताओं के आग्रहपूर्ण अनुरोध की ओर देखना चाहिये तथा अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिये क्या और आगे चर्चा के लिए एवं कुछ ऐसे प्रस्तावों को वह दिशा प्राप्त करने के लिये कुछ समय और दिया जाना चाहिये जिसमें वह देश को ले जाना चाहते हैं।

हिन्दी के बारे में मैं कहूंगा कि मैं हिन्दी का बड़ा प्रेमी तथा समर्थक हूं और यदि मुझे हर अवसर पर बोलने के लिये कुछ आधिक समय मिलता तो मैं हिन्दी में अधिक बोलता; परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि मुझे हिन्दी की इतनी शब्दावली का ज्ञान नहीं जितना कि अंग्रेजी शब्दावली का है। परन्तु मुद्दा यह है कि हिन्दी को बड़े उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है बल्कि आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है। इस संबंध में दक्षिण तथा उत्तर के बीच टकराव पहले से ही है और मैं सरकार में अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि यदि आप हिन्दी को अन्धाधुंध तथा आवश्यकता से अधिक उत्साही होकर लागू करने का प्रयास करेंगे तो इस से न तो देश की एकता को ही लाभ होगा और न उसका कल्याण होगा। हिन्दी का प्रचार शांति के साथ और न्यायोचित ढंग से होना चाहिये। दूसरे शब्दों में इसे लागू करने में मतांधता नहीं आनी चाहिये और इसकी क्रियान्विति से पूर्व दक्षिण को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : 'क्रियान्विति से पहले ही नहीं बल्कि इसे लागू ही नहीं किया जाना चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्री उनीकृष्णन द्वारा बीच में बोलना मेरी इस बात को सिद्ध करता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हमने अपने करोड़ों दक्षिणी भाई-बहनों को अकारण ही रुष्ट कर दिया है क्योंकि इस तनाव से बचा जा सकता है यदि हम अधिक मतांधता प्रदर्शित न करें ।

शिक्षा के बारे में, मैं कहूंगा कि मुझे खुशी है कि सरकार प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक राशि खर्च कर रही है और वित्तमंत्री ने भी अधिक धन दिया है · · ·

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : क्या हमें इन सभी बातों का जिक्र करना चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा अनुरोध है कि वित्तमंत्री हमारे साथ सहयोग करें । आखिर हम कोई असंगत बात तो नहीं कर रहे हैं । हम यथासंभव संक्षेप में बात कर रहे हैं तथा शीघ्रता से चर्चा कर रहे हैं और उन मंत्रालयों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में इस वर्ष चर्चा नहीं की गई है तथा जिन विषयों को यहां उजागर करने की जरूरत है ।

इसीलिये जैसा कि मैं कह रहा था प्रौढ़ शिक्षा के लिए अधिक निधियां दी गई हैं; परन्तु मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि इन निधियों के वितरण पर सावधानीपूर्ण नज़र रखनी चाहिये क्योंकि सरकार द्वारा दिये जाने वाले इस धन का उपयोग करने के लिए कुछ जाली संस्थायें बन गई हैं ।

श्री चरण सिंह : क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्या यहां जमशेदपुर के बारे में चर्चा हुई है कि नहीं, क्या यहां गो-वध पर चर्चा हुई है कि नहीं और क्या यहां पर हिन्दी का प्रश्न कितनी ही बार उठाया जा चुका है अथवा नहीं । मैं तो अपने माननीय मित्र से यही अनुरोध करूंगा कि सभा का समय आपके अच्छे प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्योंकि मैं अपने उपप्रधान मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं तो मैं इनके अनुरोध का पालन करूंगा तथा वाद-विवाद में नहीं पड़ूंगा · · · **(व्यवधान)** मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उसमें और अधिक समय लग जायेगा ।

अब श्रमिक शिक्षा के संबंध में यहां शिक्षा पर चर्चा नहीं हुई है । मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं । इसको मैं इसलिये दोहरा रहा हूं क्योंकि बीच में हस्तक्षेप के कारण मेरी कुछ दलीलें दबकर रह गई हैं । क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा के लिये अधिक राशि का नियतन किया गया है मैं चाहूंगा कि सरकार यह ध्यान रखे कि इस धन का उपयोग जाली संस्थान न कर पाये जो धन की उपलब्धता को देखकर पनप गई हैं । मैं यही बात कहना चाहता हूं ।

मैं उपप्रधान मंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि वह सामान्य तौर से भी शिक्षा के लिए अधिक राशि दें क्योंकि उसकी ज़रूरत है । शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति जो कि मसौदे के रूप में

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

सामने आ चुकी है यथासंभव शीघ्र सभा के समक्ष चर्चायें लाई जायें ताकि हमें चर्चा के लिए अधिक समय मिल सके।

सूचना और प्रसारण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि त्रिवेन्द्रम तथा बंगलौर के साथ।साथ अहमदाबाद में भी एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का वायदा किया जा चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह केन्द्र गांधीनगर की बजाय अहमदाबाद में होना चाहिये। गुजरात सरकार कहती रही है कि यह केन्द्र गांधीनगर में खुले परन्तु न तो यह व्यवहार्य है और न ही गांधीनगर में इसका विकास होना ही संभव है और इसलिए इसे अहमदाबाद में स्थापित किया जाना चाहिये; और संबंधित अधिकारियों का वहां भारत सरकार को हम प्रयोजन के लिये भूमि तथा अन्य सुविधायें में दें ताकि अहमदाबाद में यथासंभव शीघ्र दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हो सके।

जहां तक संचार का संबंध है, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अधिक राशि के बिल बनने की शिकायतें बिल्कुल ठीक हैं और बहुत भयानक भी हैं। मैं यहां कहना चाहूंगा कि मैंने स्वयं अपने ही बिलों में देखा है कि उनमें बहुत अधिक राशि वसूल की गई है। मैं इस बात का रिकार्ड रखता रहा हूं कि मैंने किस नम्बर पर, किस समय तथा किसको फोन किया। मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं कि उक्त रिकार्ड मैंने पूरी ईमानदारी से क्या ठीक-ठीक रखा है। मुझे आशा है कि सभा यह समझेगी कि मुझे कोई गलत अथवा झूठा हिसाब किताब रखने की कोई जरूरत नहीं है।

ये सभी परेशानियाँ और कठिनाइयां उठाने के बाद, मैं देखता हूँ कि जो रिकार्ड मैंने रखा है और जो बिल मुझे प्राप्त हुए हैं; उनमें कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं। मैं रिकार्ड में शामिल कराने के लिए यह कहना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी मुझसे इस प्रकार से बिल की वसूली करना चाहते हैं, तो एक संसद सदस्य के रूप में मैं बिना टेलीफोन के काम चलाने को तैयार हूँ। लेकिन सरकारी नियमों के अन्तर्गत मुझे जितनी राशि का भुगतान करना चाहिए उससे अधिक एक भी पैसे का अन्याय पूर्ण और बेईमानीपूर्ण भुगतान करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध और उपेक्षा समाप्त होनी चाहिए। यदि मैं बिना टेलीफोन के हूँ और लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है—मुझे कोई परवाह नहीं यदि मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है—तो सारी गलती मंत्रालय की होगी, जो उन ईमानदार लोगों से भी गैर-आनुपातिक रूप से अधिक धनराशि वसूल कर रहे हैं, जो रिकार्ड रखते हैं, रिकार्ड रखने में अपना समय लगाते हैं और फिर भी एक के बाद एक 300 से 1000 कॉल ज्यादा के बिल एक तिमाही के अन्दर उनके पास आ जाते हैं, जबकि मैंने इतनी अधिक कॉलें नहीं की हैं। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि देश में हजारों लोगों के साथ हो रहा है।

नौवहन के बारे में, मैं चाहता हूं की सरकार सूरत के निकट हजीरा में शिपयार्ड का निर्माण करने के बारे में निर्णय करें। मेरी समझ में नहीं आता कि, इतनी कई तकनीकी समितियां गठित करने के बाद भी निर्णय नहीं किया गया है।

मजदूरों के बारे में चूंकि माननीय मंत्री यहाँ पर हैं, मैं उनसे बाद में बात करूंगा।

मैं नागर विमानन और स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नागर विमानन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद एक वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। मैं यह

कहना चाहता हूं कि सरकार छठी योजना में यह सुनिश्चित करे कि अहमदाबाद एक पूर्ण स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बन जाता है, क्योंकि यह सभी मौसम में चलते रहने वाला एक विमान पत्तन है। अनेक बार, हवाई जहाजों की उड़ान कलकत्ता की ओर मोड़ दी जाती है क्योंकि यह एक सुरक्षित विमान पत्तन है। इसे पूर्ण स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन बनाया जाना चाहिए।

अन्त में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य मंत्री ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिया है कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में बहुत गंभीर है। परतु मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार के दो वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी मेरी यह भावना है और मेरी यह भावना निरन्तर बनी हुई है और जिसके बारे में मैं उद्वेलित महसूस कर रहा हूं वह यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में सरकार गम्भीर या उत्सुक नहीं दिखाई देती। यह मामले की जान है। जब तक हम अनुरोधपूर्वक, दबाव द्वारा नहीं, आबादी को लगातार और नियमित रूप से तथा निष्ठा पूर्ण तरीके से आबादी को नियन्त्रित नहीं कर लेते; तब तक हमारा अधिकांश आर्थिक विकास और प्रगति पूर्णतः समाप्त हो जायगी।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अमृतसर में ड्राई पोर्ट बननी चाहिये। यह बहुत जरूरी है। जितनी तजारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों से होती है वह वहां से होती है और अगर वहां ड्राई पोर्ट बना दी जाती है तो इस हिस्से को बहुत ताकत मिलेगी, तजारत बहुत बढ़ेगी और दूसरे सरकार की जो आमदनी होती है वह भी बढ़ेगी।

अभी हाल में पास्पोर्टस के बारे में एक सर्क्युलर जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि गारन्टी ली जानी चाहिए। थोड़े अर्से तक पासपोर्ट लोगों को बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी खर्च के मिल जाता था लेकिन अब फिर से पता नहीं ट्रेवल एजंट्स की लाबी ने क्या गड़बड़ की है कि यह सर्क्युलर जारी करवा दिया है और कह दिया है कि पासपोर्ट के लिए फाइनेंशियल गारंटी साथ में होनी चाहिये। इससे फिर से पुराना सिलसिला शुरू हो जाएगा और पासपोर्ट बनवाने के लिए ट्रेवल एजंट पांच पांच सौ लेंगे। इसको आप देखें।

आलू और गेहूं के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। आलू की पिछली फसल का सत्यानाश हो गया और किसान तबाह हो गया था। अब आलू की नई फसल निकलने वाली है। कोल्ड स्टोर वगैरह सब भरे हुए हैं। अब अगर नई फसल को रखने की व्यवस्था नहीं की गई तो गर्मियों का मौसम है और यह सारी की सारी फसल तबाह हो जाएगी। आपने किसान को पांच दस रुपये कीमत कम करके जो फायदा पहुंचाया है, और वह इस तरह से तबाह हो जाएगा तो उसका कोई अर्थ नही रह जाएगा। अगर उसकी सारी की सारी पैदावार ही खत्म हो जाएगी तो इस राहत का क्या मतलब होगा ? इस वास्ते नई फसल जो आने वाली है इसको रखने की और इसको जहां इसको भेजना हो भिजवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। जहाँ तक गेहूं का ताल्लुक है आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि फसल मार्किट में आनी शुरू हो गई है और फूड कारपोरेशन या स्टेट्स की जो मार्कफैड जैसी संस्थायें बनी हुई हैं उन्होंने मार्किट में आकर माल खरीदना शुरू नहीं किया है और किसान को जो सरकार ने सपोर्ट प्राइस फिक्स की है वह नहीं मिल रही है।

चौधरी बलबीर सिंह : आप इतने अलर्जिक क्यों हैं ?

श्री चरण सिंह : यह सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं इसलिए उनको फिर यहाँ नहीं उठा सकते हैं ।

चौधरी बलबीर सिंह : अखबार में अब आ रहा हैं कि मार्केट में माल आ रहा है और किसान का माल सरकारी एजेन्सियाँ नहीं खरीद रही हैं ।

श्री चरण सिंह : ज्यादा जोर से बोलने से क्या मामला रेलेवेन्ट हो जाएगा ।

मैं अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कर रहा हूं । नियम 218 (5) में यह कहा गया है :

"अध्यक्ष, वाद विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों द्वारा उन विशिष्ट विषयों पर पूर्व सूचना दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वे उठाना चाहते हों और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के सम्बन्ध चर्चा किए गए विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों" ।

इसलिए आपकी स्वेच्छा के लिए तीन मुद्दे हैं । आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे, परन्तु अगर आप अपनी स्वेच्छा का उपयोग नहीं करेंगे, तो बहस दिन समाप्त होने तक चलती रहेगी ।

सभापति महोदय : जहाँ तक उन मांगों से सम्बन्धित प्रश्न का सम्बन्ध है, जिन पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, निश्चित रूप से उप-नियम (5) लागू होता है और इसलिए मैं पुनरावृत्ति के लिए अनुमति नहीं दूंगा । परन्तु में उप-नियम (4) के बारे में कोई विनिर्णय नहीं देना चाहता । उन मन्त्रालयों के बारे में जिनकी मांगों पर चर्चा नहीं की गई है, उप-नियम (5) लागू नहीं होता उसके लिए · · ·

चौधरी बलबीर सिंह : मैंने पहली जो दो बातें कही हैं वह उन मिनिस्ट्रीज के बारे में हैं जो डिस्कस नहीं हुई हैं । यह लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, अखबारों में आया है कि मार्केट में फसल आ गई है और मार्केट की जो सरकारी ऐजेन्सी हैं वह माल खरीद नहीं रही हैं । तो सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने मुकर्रर की है उस पर आप उन ऐजेन्सीज से कहिए कि माल की खरीद शुरू करें । अगर सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के बाद किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती है तो कोई फायदा नहीं है । इसलिये किसान को बचाने के लिए फौरन सरकारी ऐजेन्सीज़ को वहां जा कर माल खरीदना चाहिए और सरकार उन पर पूरी निगरानी रखे कि उनके साथ कोई ज्यादती न हो । इस वक्त ज्यादती हो रही है । वही अनाज आ रहा है और कहते हैं कि इसमें नमी है । लेकिन वही माल आढ़ती खरीद लेता है और उसी माल को मण्डी में जाकर बेचता है जिसको आपकी ऐजेन्सीज खरीद लेती है । इस प्रकार किसान के साथ धोखा होता है । यह चीज बन्द होनी चाहिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है । कुछ सुझाव देने के लिए मैं उनका आभारी हूँ, परन्तु इसके साथ ही, उन मन्त्रालयों के बारे में, जिनके बारे में चर्चा नहीं हुई है,

उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में केवल यह कह सकता हूँ कि सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को उत्तर मिल जायेंगे ।

एक मुद्दा श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा उठाया गया है, जो सीधे ही मेरे वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित है और वह वेतन समझौते के प्रश्न के बारे में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा रुकावट डालने वाली नीति अपनाने के बारे में है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि सरकारी उद्यम ब्यूरो कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त और निर्देश देने के लिए या समन्वय प्रयोजनों के लिए एक केन्द्र-बिन्दु है । आखिर जब हमें इन सभी पर निगरानी रखनी है, तो इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि समाधान के बारे में कुछ निर्देश जारी करने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो को एक भूमिका अदा करनी है । अगर मैं नहीं भूलता, तो मेरी जानकारी में यह है और मुझे याद आता है कि हाल में, इस सप्ताह या पखवाड़े के दौरान, श्रमिकों के साथ अनेक वेतन सम्बन्धी समझौतों को अन्तिम रूप दिया गया है और हमने जो भी निर्देश जारी किए हैं, उन मार्गदर्शी निर्देशों के बारे में मजदूर संघों के साथ भी चर्चा करने का सरकार का विचार है । परन्तु इस बारे में कुछ मार्गदर्शी निर्देश जारी करने के सरकारी उद्यम ब्यूरो के अधिकार को हम अस्वीकार नहीं कर सकते और ब्यूरो ऐसे किसी समाधान में रुकावट नहीं डालता । प्रबन्धकों को मजदूरों के साथ मंजूरी सम्बन्धी समझौते करने के लिए स्वतन्त्रता है । वे ऐसा करते रहे हैं, वे ऐसा कर रहे हैं और आगे भी वे ऐसा करेंगे ।

श्री बनातवाला ने एक मुद्दा उठाया था । 18 अप्रैल को इस बारे में बारीकी से चर्चा की गई थी । इसलिए, उन सभी ब्यौरों में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है । सीमा सुरक्षा बल के स्थान पर बी० एम० पी० लगाने या उसे तैनात करने के प्रश्न पर विचार करने का काम राज्य सरकार का है । न्यायिक जाँच का पहले ही आदेश दिया जा चुका है, एक न्यायिक आयोग इन सभी प्रश्नों की जाँच करने जा रहा है । इसलिए इस समय इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । मुझे बताया गया है कि इस समय, जमशेदपुर में स्थिति पूर्णतः सामान्य है । जो कुछ भी हुआ है, वह काफी खेदजनक है ।

अन्य जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे विभिन्न मन्त्रालयों—संचार, परिवहन, श्रम, शिक्षा आदि से सम्बन्धित हैं । जहां तक वित्त मन्त्रालय का सम्बन्ध है, जहाँ तक विधियों के वितरण का सम्बन्ध है, जहाँ तक निगरानी रखे जाने का संम्बन्ध है, जहाँ तक निधियों का समुचित उपयोग करने, समुचित विनियोग, समुचित उपयोगिता का सम्बन्ध है, हम इन सभी मुद्दों के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं और मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सदन द्वारा स्वीकृत निधियों का दुर्विनियोग नहीं किया जाता है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप अपने समर्थन सहित इन मुद्दों को विभिन्न मन्त्रियों को भेज सकते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : सम्बन्धित मन्त्री उनका उत्तर देंगे ।

मैं धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि बिना और आगे बहस किए इस विनियोग विधेयक को पारित करने में सदन अपना सहयोग देगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय धनराशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाया ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त विधेयक—१९७९

सभापति महोदय : अब हम वित्त विधेयक को लेते हैं। विधेयक के तीनों स्तरों के लिए 15 घंटे का समय आंवटित किया गया है। अगर सदन सहमत हो, तो हम सामान्य चर्चा पर ग्यारह घंटे समय लेंगे, खण्ड बार विचार पर तीन घंटे का समय लेंगे और तृतीय वाचन के लिए एक घंटे का समय लेंगे। . . . .

प्रो० पी० जी० मांवलकर (गांधीनगर) : श्रीमान्, अभी अभी जो विधेयक पारित हुआ है, वह सदन में कोरम के बिना ही पारित कर दिया गया है . . . .

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : सदन में कोरम नहीं था ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : सदन में कोरम के बिना विनियोग विधेयक कैसे पारित किया जा सकता है ? जब इतने करोड़ रुपये की राशि को पारित किया जा रहा है, तो सदन में कम से कम कोरम तो होना चाहिए . . . .

श्री सतीश अग्रवाल : अब तो कार्यवाही पूरी हो चुकी है। जब विधेयक पारित किया गया, तो सदन में कोरम था।

सभापति महोदय : कुछ भी हो, अब हम लोग निकल चुके हैं। उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया गया। अब इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। अब हम यह नहीं कह सकते कि उस समय कोरम नहीं था। ऐसा समझा जाता है कि कोरम उस समय था।

वित्त विधेयक के लिए समय आवंटित करने के बारे में, मैं समझता हूं कि मैंने जितने रुपये का प्रस्ताव किया उससे सदन सहमत है . . . .

श्री के० गोपाल : इस में घटबढ़ की घुंजाइश रखिए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक मंत्रालयों की मांगो को मुखन्बध कर दिया गया है, समय की सीमा को लचकदार रखना चाहिए। फिलहाल हम 'हां' कह सकते हैं ।

श्री के० गोपाल : मेरे विचार में, चौधरी साहब हम सभी को सुनना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : मैं सदन की इच्छानुसार कार्य करने को तैयार हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 20 अप्रैल को, पिछले शुक्रवार को वित्त विधेयक के बारे में मैंने यह प्रश्न उठाया था. . . .

सभापति महोदय : क्या यह समय के आंवटन के बारे में है ?

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां, यह सदन के आवंटन के बारे में है ।

गत शुक्रवार को 20 अप्रैल को जब मैंने यह मामला उठाया था, तो उसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था—मैं बहस से उद्धृत कर रहा हूं :

> "वित्त विधेयक के लिए 15 घंटे का समय आंवटित किय गया है । हमारे पास मंगलवार, बुधवार और गुरुवार प्रत्येक दिन पाँच घंटे का समय होगा ।"

अफसोस की बात है कि हमारे पास आज पाँच घंटे का समय नहीं है । सौभाग्यवश विनियोग विधेयक में एक घंटे से अधिक का समय नहीं लगा । बुधवार और वृहस्पतिवार दोनों दिन हमारे पास पाँच घंटे का समय होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय के शब्दों पर ध्यान दीजिए :—

> "इसलिए, अगले सप्ताह 6 बजे के बाद बैठना आवश्यक नहीं होगा अथवा अगर आवश्यक हुआ, तो हम विचार करेंगे . . . .

इसलिए इनमें से प्रत्येक दिन पाँच घंटे का समय हो या हम शुक्रवार को भी इस काम को लेंगे । हमारे पास 15 घंटे का समय होना चाहिए । इसलिए, सदन को अभी विचार करना होगा कि हम इन दिनों 6 बजे के बाद बठैना चाहेंगे या शुक्रवार को भी बेठेंगे ।

सभापति महोदय : पहले मुझे इस विशिष्ट मुद्दों का निपटान करने दो । इसके बाद मैं आपके अन्य मुद्दों को लूंगा ।

पहला मुद्दा तो यह है कि 15 घंटों के बारे में निर्णय किया जा चुका है । उसके बारे में आपको सहमत होना होगा । मैंने अभी सदन से यह पूछा है कि इसमें समय का एक प्रकार का विभाजन कर दिया जाय—अर्थात सामान्य चर्चा के लिए 11 घंटे, खण्ड वार विचार के लिए 3 घंटे और तीसरे वाचन के लिए एक घंटा । अगर सदन सहमत होता है, तो हम उसके अनुसार काम करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : तो सदन इससे सहमत है।

एक अन्य प्रश्न जो श्री कामत ने उठाया, वह यह है कि इन तीन दिनों में से प्रत्येक दिन हमें पाँच घंटे नियत करने होंगे। लेकिन आज हमारी बैठक केवल 6 बजे सायंकाल तक होगी। पाँच घंटे का समय किस प्रकार प्राप्त किया जाय, मेरे विचार में इस पर कल विचार किया जा सकता है। आज ही क्यों? हम इसके बारे में कल निर्णय करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अगर कल इस पर विचार किया जाना है, तो दिन के प्रारम्भ में ही इस पर विचार किया जाय। मैं सहमत हूं कि सारी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस पर आज विचार नहीं करते! इस पर कल दिन के प्रारम्भ में विचार किया जा सकता है।

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

वित्त विधेयक में सम्मिलित प्रस्थापनाओं की मुख्य बातें मैंने जो बजट भाषण दिया था उसमें दी गई हैं। अतः मैं इन्हीं बातों को दुहरा कर सभा का समय नहीं लेना चाहता।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, इस सभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने मूल प्रस्तावों में 16 मार्च को कुछ परिवर्तनों की घोषणा की थी। मैं संक्षेप में उन परिवर्तनों का सर्वेक्षण करना चाहूंगा। कन्फेक्शनरी कोकाचूर्ण, चाक लेट और बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क मूल प्रस्तावों में लगाये शुल्क से मूल्यानुसार 10 प्रतिशत घटा दिया गया था। नहाने के सस्ते साबुन पर शुल्क मूल्यानुसार 15% से घटा कर 12% किया गया था और कपड़े धोने के साबुन पर 25% से घटा कर 20% किया गया था दांत मंजन पर शुल्क मूल्यानुसार 25% से घटा कर 20% किया गया था। मैंने यह भी घोषणा की थी कि दांत साफ करने के ब्रुशों और तालों पर 8% शुल्क लगेगा और उन्हें अन्ततः केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के अवशिष्ट टैरिफ मद संख्या 68 के अन्तर्गत लाया जायेगा। तदनुसार, मैं वित्त विधेयक में सरकारी संशोधन अलग से पेश करूंगा।

इसके अतिरिक्त मैंने यांत्रीकृत क्षेत्र में निर्मित दियासलाई पर शुल्क 9.20 रु० से घटा कर 7.20 पर ग्रुस कर दिया था। मैंने 15 रु० कीमत तक के जूतों पर उत्पाद शुल्क बिल्कुल हटाने की घोषणा भी की थी। उस समय मैंने जो घोषणा की थी कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विशिष्ट वनस्पति गैर आवश्यक तेल पर आयात शुल्क की दर मूल्यानुसार 12.5% से घटा कर 5% कर दी जाएगी, उसके अनुसरण में आवश्यक छूट आदेश जारी किए जा चुके हैं। मैंने यह जो राहतें घोषित की हैं उनसे उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रु० और सीमा शुल्क के अन्तर्गत लगभग 11.45 लाख रुपये के राजस्व का घाटा होगा।

वित्त विधेयक इस सभा में लगभग 7 सप्ताह पूर्व पुरःस्थापित किया गया था। इस दौरान मुझे इस सभा के माननीय सदस्यों, जन नेताओं, वाणिज्य मण्डल तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्यों से मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं और मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि इस वर्ष के बजट प्रस्तावों के संबन्ध में काफी रुचि दिखाई गई है तथा रचनात्मक आलोचना प्रस्तुत की गई

है । इन अभ्यावेदनों और सुझावों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर सरकार इन प्रस्तावों में कुछ और संशोधन करने पर विचार कर रही है ।

मुझे जो अनेक अभ्यावेदन मिले हैं उनमें यह आग्रह किया गया है कि उन कतिपय वस्तुओं पर, जो व्यापक रूप से और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल में आती हैं, उन पर लगाए गये अधिक शुल्क से शहरी क्षेत्र के मध्यवर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस दृष्टिकोण का आदर करते हुए, घरों और लाण्ड्रियों में इस्तेमाल में आने वाले कपड़े धोने के साबुन पर मूल्यानुसार शुल्क 25% से घटा कर 5% करने और सस्ते किस्म के नहाने के साबुन पर 12.5% से घटा कर 10% करने का विचार है तथा अन्य प्रकार के नहाने के साबुन पर मूल्यानुसार 20% के घटा कर 15% करने का विचार है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिवर्तनों से मूल बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत साबुन की इन किस्मों पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है केवल वही कम नहीं होगा अपितु बजट पेश करने से पूर्व इस मद से जो कुल उत्पाद शुल्क प्राप्त होता था उसकी अपेक्षा अब कम राशि प्राप्त होगी । नहाने के साबुन पर उत्पाद शुल्क में अब जो कमी की गई है उसे ध्यान में रखते हुए मेरा डिटर्जेंट पर शुल्क की मूल्यानुसार 20% की दर को घटा कर 15% करने का प्रस्ताव है । आशा है कि इन राहतों का स्वागत किया जायेगा, विशेष रूप से सदन की मेरी ओर बैठी महिला सदस्य इसका स्वागत करेंगी ।

कपड़ा उद्योग के हथ-करघा क्षेत्र को राहत के तौर पर मैंने विद्युत चालित मशीनों द्वारा तैयार किए जाने वाले सफेद सूती कपड़े पर मूल समेकित दर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर को मूल्यानुसार 8% से बढ़कर 12% कर दिया था । विद्युतकर्घा क्षेत्र ने आग्रह किया है कि इस परिवर्तन से कपड़े की इस किस्म पर उत्पाद शुल्क का अन्तर मिश्रित कपड़ा उद्योग द्वारा निर्मित इसी प्रकार के कपड़े की तुलना में कम हो गया है और इससे विद्युत करघों द्वारा निर्मित कपड़े की प्रतियोगी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यह भी आभ्यावेदन किया गया है कि इस सफेद कपड़े का हाथ से छपाई करने वाले उद्योग द्वारा मूल कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । मैं इन तर्कों के प्रभाव को मानते हुए यह कहना चाहूँगा कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जो भी शुद्धिकारक कार्यवाही की जाए उससे हथकरघा कपड़े की विद्युत-करघा कपड़े का मुकाबला करने की क्षमता प्रभावित न हो । इन परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए मेरा इस प्रकार के विद्युतकरघा द्वारा तैयार किए गए सफेद कपड़े पर समेकित मूल तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर को मूल्यानुसार 12% से घटाकर 11% करने का प्रस्ताव है ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, बजट प्रस्तावों में कतिपय आवश्यक और जीवन-रक्षी औषधियों की कीमतों का उन पर लगने योग्य शुल्कों को कम करके समायोजन करने का प्रस्ताव है ।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि काँच की शीशियों और नलियों पर, जिनका इंजेक्शन की दवाइयों को रखने के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, उत्पाद शुल्क को मूल कांच पर दिये जाने शुल्क के स्तर तक सीमित किया जाए जिससे ये वस्तुएं बनाई जाती हैं । काँच की ये वस्तुयें सामान्यतया लघु उद्योग क्षेत्र में शुल्क-

श्री चरण सिंह

शुदा कांच से बनाई जाती है और यह उचित है कि उन्हें अधिक शुल्क का भार वहन न करना पड़े ।

मैंने अब उत्पाद शुल्क में रूपभेद करने का जो प्रस्ताव किया है उससे पूरे वर्ष में राजस्व में 16.29 करोड़ रुपये की और कमी होगी ।

इन्हें गजट अधिसूचना जारी कर तत्काल लागू किया जाएगा । मैं अधिसूचना की प्रतियां सभा-पटल पर भी रख रहा हूं ।

मुझे अन्य अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के बारे में कई प्रतिवेदन भी मिले हैं । मैंने उन पर उचित विचार किया है । तथापि, मुझे खेद है कि मैं इन सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये बजट प्रस्तावों में निहित मूल सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के प्रतिकूल हैं अथवा इनसे संसाधनों में भारी कमी आएगी ।

मैं पेट्रोलियम उत्पादों पर सामान्य रूप से तथा मिट्टी के तेल पर विशेष रूप से शुल्क में हुई वृद्धि पर पुनर्विचार करने की व्यापक मांग का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा । मैंने 16 मार्च को बजट पर सामान्य वाद-विवाद के अपने उत्तर में इन शुल्कों के मूलआधार के बारे में पहले ही कहा है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा इन शुल्कों को वापस लेने अथवा कम करने के सुझावों के समर्थन में नहीं हूं । इसका कारण यह नहीं है कि इन शुल्कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और निर्धन लोगों को हुई कठिनाई के प्रति मैं उदासीन हूं । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि तेल निर्यातक देशों द्वारा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में की गई अत्यधिक वृद्धि के अपरिहार्य परिणामों को केवल इसी क्षेत्र के बारे में मेरे बजट प्रस्तावों में प्रतिविम्बित किया गया है । ताजा अनुमानों के अनुसार कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप हमारे तेल उद्योग को 1979-80 में लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा । ये अनुमान कुछ ही सप्ताह पहले 350 करोड़ रुपये के थे । अन्तराष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में इन गतिविधियों को देखते हुए, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में समंजन करना अनिवार्य हो गया था । मूल्य वृद्धि को स्थगित करने से हम पेट्रोलियम उत्पादों में मितव्ययता करने की आवश्यकता को ही कमजोर करेंगे और निकट भविष्य के लिए और अधिक कठिनाइयाँ खड़ी करेंगे तथा नई ऊर्जा स्थिति की अनिवार्यता के साथ अपने जीवन के ढंग और आर्थिक नीतियों का तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को भी अधिक कठिन बनायेंगे । माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है वे मेरे प्रस्तावों को व्यापक परिपेक्ष्य में देखें और पेट्रोलिय उत्पादों पर शुल्क में रियायत करने के लिए जोर न दें ।

आश्चर्य की बात यह है कि यांत्रीकृत क्षेत्र में बनी माचिसों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बारे में मुझे कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ, मैं समझता हूं, अप्रत्याशित क्षेत्रों से आए हैं । मैंने यांत्रीकृत क्षेत्र द्वारा बनाई गई माचिसों पर उत्पाद शुल्क में आरम्भ में प्रस्तावित वृद्धि में पहले ही 50% की कमी की है । मुझे भय है कि मैं जहाँ कहीं भी उत्पादन के तकनीकों के चयन की कोई गुंजाइश होगी, उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तंत्र का प्रयोग करने के अपने उद्देश्य के अनुरूप और कमी करने के लिए सहमत नहीं हो सकता हूं । अतः देश के उद्योग के यांत्रीकृत क्षेत्र से मेरा यह निवेदन है कि वह शुल्क के नए स्वरूप के साथ

अपना तालमेल बिठायें और जनता की सेवा करने का प्रयत्न करें तथा उचित और कम कीमतों पर इन वस्तुओं को उपलब्ध कर उनकी मांगों को पूरा करें।

यह संख्या 68 के अन्तर्गत अवशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क में वृद्धि की फीकी टिप्पणी की गई है। जहां तक इस मद के अन्तर्गत शुल्क में वृद्धि का जितना प्रस्ताव राजस्व के विचार से किया गया है, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे यह याद रखें कि वास्तव में अधिकांश अन्य वस्तुओं पर जिन पर उत्पाद शुल्क लगता है, पहले ही 8% से अधिक उत्पाद शुल्क लगा हुआ है। इस मद संख्या 68 के अन्तर्गत जो 100 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने का प्रस्ताव है, वह एक बड़ी संख्या में वस्तुओं पर लगेगा और इस प्रकार इससे, यदि मैं कुछ चुनी हुई वस्तुओं से ही यह धनराशि जुटाने का प्रस्ताव करता तो उससे अपेक्षाकृत कम कठिनाई तथा आर्थिक विकृति होगी। इस मद के अन्तर्गत लघु उत्पादकों को दी जाने वाली राहत की योजना में मैंने जो परिवर्तन किये हैं उन पर भी आलोचना की गई है। इस शीर्षक के अन्तर्गत छूट की मूल सीमा पुनः स्थापित करने के प्रस्ताव के कई संसद संदस्यों से मुझे पत्र मिले हैं। लघु उत्पादकों को छूट देने का उद्देश्य बड़े पैमाने के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक प्रतियोगी लाभ देने का है। इस मद 68 के अन्तर्गत लघू निर्माताओं को छूट देने की मूलयोजना के अधीन, जब दर 5 प्रतिशत थी, एक उत्पादक को कुल 30 लाख रुपये के वार्षिक उत्पादन पर कर में 1.5 लाख रुपये का वार्षिक लाभ होता था। संशोधित योजना के अन्तर्गत, जिसमें उत्पादक को 1.5 लाख रुपये तक के माल पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के माल पर केवल 4 प्रतिशत का ही शुल्क देना पड़ता है, उसे बड़े पैमाने के एकक की अपेक्षा शुल्क में 1.80 लाख रुपये का लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझें कि मद 68 के अन्तर्गत आने वाला लघु उत्पादक उसी वस्तु के बड़े पैमाने के उत्पादक की अपेक्षा इस प्रकार अधिक लाभान्वित होगा। लघु निर्माताओं को तरजीह देने के इस प्रश्न पर भावात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए और केवल धन सम्बन्धी सुविधा पर, जो उनके बड़े पैमाने के प्रतियोगियों के मुकाबले में लघु पैमाने के निर्माताओं को समुचित रूप से दी जा सकती है, निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। यदि इस प्रकार का तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि मैंने लघु निर्माताओं की प्रतियोगी सुविधा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है परन्तु इसके विपरीत इसे कुछ बढ़ा दिया है।

बीड़ी के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि समाज के निर्धन वर्ग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर **बीड़ी** पर कर लगाने का बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि तम्बाकू पर उस शुल्क की छूट दी जाती है, जोकि अब समाप्त कर दी गई है, और जो तम्बाकू उत्पादों पर लगा दी गई है, तो **बीड़ी** पर वास्तविक वृद्धि प्रति 1,000 पर केवल 60-70 पैसे ही होगी। **बीड़ी** क्षेत्र पर कुल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भार केवल 2.07 करोड़ रुपये है। बीड़ी पीने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त भार 15 बीड़ियों के एक बंडल पर 1 पैसा से अधिक नहीं पड़ेगा।

लघु सिगरेट कम्पनियों ने यह कहा कि इस वर्ष के बजट में लगाये गये विशेष उत्पादन शुल्क का उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि उनके द्वारा निर्मित सस्ती किस्म की सिगरेटों की कीमत बड़े और संपन्न सिगरेट निर्माताओं द्वारा निर्धारित की

[श्री चरण सिंह]

जाएगी। माननीय सदस्यों को याद होगा कि विशेष उत्पाद शुल्क का समावेश अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उत्पाद शुल्क से राजस्व को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए किया गया था। सस्ती सिगरेटों पर विशेष शुल्क कम करने के लिए किए गए किसी उपाय से लघु कम्पनियों की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि उसमें कमी करने से तरह तरह की बीड़ी बनाने वाली बड़ी कम्पनियों को लाभ नहीं होगा। परन्तु सरकार यदि आवश्यक हुआ, तो उचित समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से स्थिति पर निगरानी रखेगी।

अब मैं प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी अपने प्रस्तावों में कुछ संशोधनों की बात करूंगा।

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वित्त विधेयक में 28 फरवरी, 1979 के बाद दीर्घकालीन पूँजीगत परिसम्पत्तियों के अन्तरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर आय कर से छूट वापस लेने का प्रयास किया गया है। यह छूट अभी तक उन मामलों में उपलब्ध थी जहाँ पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री से होने वाली आय 6 महीने के भीतर शेयरों बैंक जमाराशि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिटों पर अन्य पूर्वभावी परिस्थतियों में पुनः लगायी गई थी। इस छूट की वापिसी के दो मुख्य कारणों से आलोचना की गई है। पहली तो यह है कि कतिपय सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परिसम्पत्तियों में लगायी जाने वाली धनराशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, पूंजीगत परिस्थतियों के अन्तरण की बात को पूंजीगत लाभ पर कर हटाने या कम करने की दृष्टि से कम महत्व दिया जा सकता है इस प्रकार से काला धन बढ़ेगा। मूल बजट प्रस्ताव के स्थान पर इन दलीलों पर भलीभांति विचार करने के बाद मैं अब कर रियायत को संशोधित रूप में जारी रखना चाहता हूँ। 28 फरवरी, 1979 के बाद अंतरित की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट तभी मिलेगी जब कि ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली आय 6 महीने के भीतर सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले 7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में लगायी जाएगी। इन बांडों पर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। निस्सन्देह ब्याज की यह दर बैंक जमाधनराशि या यूनिट ट्रस्टों पर मिलने वाली ब्याज की दर से कम हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूंजीगत लाभ कमाने वाले लोग कुछ त्याग करें। इस प्रकार से जहां पूंजीगत लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि के निवेश पर अपेक्षाकृत कम ब्याज प्राप्त करने के रूप में कुछ त्याग करना होगा वहां सरकार को अच्छे कार्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार यह संशोधित योजना करदाताओं और सरकार दोनों के लिये उपयोगी होगी और इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी उस सीमा तक लाभ पहुंचेगा जिस सीमा तक यह पूंजीगत परिसम्पत्तियों का कम मूल्य आंकने के लिए प्रोत्साहन देने और उसके परिणामस्वरूप काला धन बढ़ने से रोकता है।

मेरा विचार पूंजीगत लाभ कराधान योजना में एक और संशोधन करने का भी है जिससे चोकसी समिति की एक सिफारिश को लागू किया जा सके। इस संशोधन के अन्तर्गत निवेश की जाने वाली धनराशि पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री से होने वाली वास्तविक आय के सन्दर्भ में उसके अन्तरण के सम्बन्ध में करदाता द्वारा किये गये खर्च को निकालने के बाद निर्धारित की जायेगी।

वित्त विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जहां किसी मामले में पति/पत्नी को ट्रस्ट के अधीन लाभ प्राप्त है और न्यासधारी उसके साथ साझा कारोबार में शामिल होता है तो वहां इस साझेदारी से ट्रस्ट को होने वाली आय उस हद तक जिस हद तक पति/पत्नी इससे लाभान्वित होंगे, उस व्यक्ति विशेष की कुल आय में शामिल की जाएगीं । एक संदेह यह व्यक्त किया गया है कि वर्तमान उपबन्ध उन मामलों में लागू न हो जिनमें आय एक निश्चित अवधि तक पति/पत्नी के लाभ के लिए संचित हो और संचित धनराशि इसके बाद पति/पत्नी को दे दी जाये । चूँकि उद्देश्य यह है कि उपबन्ध में पति/पत्नी के आस्थगित लाभ से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल होनी चाहिये, इसलिए मैं उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष संशोधन करना चाहता हूं ।

वित्त विधेयक का उद्देश्य यह उपबन्ध करना भी है कि पृथक सम्पत्ति से प्राप्त आय, जो परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार को उपहार के रूप में दी गई हो, दाता की कुछ आय में सम्मिलित की जायेगी । इस उपबन्ध का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू अविभाजित परिवार को उपहार आदि देकर करापवंचन को रोकना है । चूंकि किसी व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपहार देकर या उसके द्वारा उचित बाजार मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर सम्पत्ति अपने हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम अंतरित करके इस उपबन्ध का उल्लंघन करने की सम्भावना है, अतः मेरा प्रस्ताव पर्याप्त कारण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा अपने अविभाजित हिन्दू परिवार को अपनी सम्पति के लिए जाने वाले सभी अंतरणों को इस उपबन्ध के अन्तर्गत लाने का है । सम्पति कर अधिनियम से सम्बन्धित खण्ड 23 में निहित संगत उपबन्ध में भी इसी तरह का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

विधेयक के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित शर्तों के अधीन बढ़ती हुई आय से प्राप्त कुल लाभों में से ऐसे एक तिहाई लाभों पर या 10,000 रुपये पर तक, जो भी अधिक हो, आयकर छूट दी जायेगी । मेरा इरादा अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले व्यक्तियों को, जो इस तरह की गतिविधि करते हैं, लाभ पहुंचाना था । तदनुसार, मैं मूल रूप से प्रस्तावित कर रियायत की सीमा इस उपबन्ध के साथ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ कि बढ़ती हुई आय से प्राप्त होने वाले लाभों के ऐसे एक-तिहाई लाभों पर या 10,000 रुपये तक, जो भी कम हो, आयकर से छूट दी जायेगी ।

अब तक भारत में औद्योगिक या कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त देने के कार्य में लगे हुए वित्तीय निगमों को उनके द्वारा विशेष आरक्षित लेखा में अन्तरित की जाने वाली राशियों के बारे में अपने कर योग्य लाभों के परिकलन में कमी करने का अधिकार थां । उन्हें राज्य वित्तीय निगमों के मामले में कर देय आय का 40 प्रतिशत तथा अन्य वित्तीय निगमों के मामले में 25 प्रतिशत तक कम करने का अधिकार प्राप्त था । विधेयक का उद्देश्य सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय निगमों के मामले में इन सीमाओं को बढ़ाकर सबके लिए समान रूप से 40 प्रतिशत करना है । आवास निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के अनुरूप मैं इस उपबन्ध का लाभ उन सभी सार्वजनिक कम्पनियों को पहुंचाना चाहता हूं, जिनकी स्थापना तथा पंजीकरण भारत में हुआ है । ऐसा करने का मेरा प्रमुख उद्देश्य देश में आवासीय मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त देना है ।

वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग—II में कई मामलों में स्रोत पर आय कर में

[श्री चरण सिंह]

कमी करने की दरें निर्धारित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस भाग में यह उपबन्ध है कि बड़ी कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले 'अधिकार' ऋणपत्रों पर ब्याज से स्रोत पर 10 प्रतिशत की छूट दर से आय कर घटाया जायेगा जबकि अन्य ऋणपत्रों पर ब्याज के सम्बन्ध में 24 प्रतिशत की छूट दर से आय कर घटाया जायेगा। अब मेरा प्रस्ताव मान्यता प्राप्त शेयर बाजार, स्थानीय प्राधिकारियों, सांविधिक निगमों की सूची में निहित सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी ऋण पत्रों पर ब्याज पर 10 प्रतिशत की छूट दर से आय कर को कम करने का लाभ देने का है साथ ही गैर-निगमित रिहायसी कर दाताओं को देय सरकारी ऋण पत्रों पर भी ब्याज पर इसी दर से आयकर घटाने का प्रस्ताव है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अब प्रस्तावित रूपभेदों सहित वित्त विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष, 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री विनायक प्रसाद यादव, क्या आप अपना संशोधन संख्या 101 पेश कर रहे हैं?

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं पेश नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : श्री वैंकटासुब्बैया !

श्री पी० वैंकटासुब्बैया (नन्दयाल) : सभापति महोदय, एक प्रसन्नता है कि उप-वित्तमंत्री ने कतिपय रियायतें देकर वित्त विधेयक पेश किया है। मैं नहीं जानता कि जो रियायतें उन्होंने आज दी हैं उनका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि वह आज यहां पर मौजूद हैं क्योंकि आज के समाचारपत्रों में यह समाचार था कि वह कल जनता संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं थे क्योंकि वह अस्वस्थ थे।

(श्रीमती पार्वती कृष्णनन पीठासीन हुई)

वित्त विधेयक के प्रस्तावों पर चर्चा करने से पहले मैं सभा का ध्यान एक समाचार की ओर दिलाना चाहूंगा जो 22 अप्रैल, 1979 के "पेट्रियोट" में छपा है :

"जनता का शुद्धिकरण—'कलुषित' गाँधी समाधि" अब गाँधी समाधि को शुद्ध किया जा रहा है। हम आराम का एक निर्णय राजघाट में मानव महा सभा ट्रस्ट की एक बैठक में लिया गया। ट्रस्ट के महा सचिव श्री इन्द्रपाल सिंह के अनुसार इस बैठक में युवकों तथा विचारकों ने भाग लिया।

श्री सिंह घोषणा करते हैं कि जनता पार्टी से संबंधित संसद सदस्यों ने श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाधि पर यह शपथ ली थी कि वे महात्माजी के आदर्शों पर चलेंगे परन्तु बाद में उन आदर्शों का पालन न करके उन्होंने समाधि को दूषित कर दिया है।

समाधि को शुद्ध करने के लिये, वह अनुभव करते हैं कि उसे गंगा के पवित्र जल से साफ किया जाना चाहिए"।

मैं इस समाचार को इस लिए उजागर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि कोई आर्थिक प्रगति अथवा आर्थिक विकास देश की राजनैतिक स्थिति पर निर्भर करता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट, मेरे विचार से, एक पश्यगामी बजट है तथा वह देश के आर्थिक विकास में सहायक नहीं है। वित्त मन्त्री ने सभा में वक्तव्य दिया कि मूल्य सूचकांक ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है और वित्त नियन्त्रण में रखा गया है। 22 अप्रैल के पेट्रियोट में यू० एन० आई० का यह समाचार छपा है जिसमें कहा गया है :

मूल्य सूचकांक में रिकार्ड वृद्धि

सभी वस्तुओं के लिए सरकारी थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71) गत छः सप्ताह से निरन्तर बढ़ते-बढ़ते 7 अप्रैल को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान 192.4 (अस्थायी) की नई ऊँचाई तक पहुंच गया।"

वित्त मंत्री ने जानकारी देते समय बताया कि मूल्य सूचकांक आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने 24 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाले सप्ताह का उद्धरण किया है। उस समय वृद्धि का बिन्दु 183 पर था, परन्तु बाद के चार सप्ताहों में यह 3.2 प्रतिशत से लेकर 119.4 प्रतिशत आगे बढ़ गया। परन्तु नवीनतम रिपोर्ट वित्त मंत्री के वक्तव्यन का खण्ड न करती है।

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित कर अपेक्षातीत तथा बहुत आफर है। उनके दल के कुछ सदस्यों ने भी उन्हें उनके दल की बैठकों में यह स्मरण कराया है कि यह बजट तो लियाकत अली खाँ के बजट जैसा है। परन्तु मैं तो उस हद तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहता हूं कि वह एक साधारण के किसान-पुत्र होने के कारण नौकर शाही के जाल में फंस गये हैं और हमारा सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है जबकि यह बजट उनसे पूर्व रहे वित्त मंत्री तथा नौकरशाही द्वारा तैयार किया था जोकि समाज के केवल ऊंचे वर्गों को ही लाभ पहुंचाना चाहते थे, जबकि मंत्री महोदय ने सारा दोष अपने ही सिर पर ले लिया है। गलती को सुधारने का जो भी प्रयास किया गया है वह इस बजट के उस विनाशकारी प्रभाव को कम नहीं करेगा जोकि इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है।

घाटा 114 करोड़ रुपये का आंका गया है और 660 करोड़ रुपये के परोक्ष कर सोचे गये हैं। जो रियायतें घोषित की गई हैं उनका मूल्य केवल 47.6 करोड़ रुपये बैठता है। परन्तु इससे बोझ कम नहीं होगा रेल किराये में वृद्धि से 117 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ गया है। डाक-दरों में 28 करोड़ रुपये मूल्य की वृद्धि की गई है।

अनिवार्य जमा योजना 160 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे यह पता चलता है कि 3000 करोड़ रुपये का घाटा रहा और उस सीमा तक नासिक मुद्रणालय को देश में इस प्रकार की मुद्रास्फीति पैदा करने के लिए समयोपरि कार्य करना होगा।

दूसरी बात जो मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि इन सभी आर्थिक उपायों से वृद्धि दर घट गया है। मैं पिछले वर्षों में प्राप्त की गई स्थायी वृद्धि और वर्तमान सरकार के शासन में जिस प्रकार उस प्राप्त की गई आर्थिक स्थायित्व को समाप्त किया जा रहा है उसकी तुलना करूँगा। औद्योगिक विकास दर 1976-77 में 9.4 प्रतिशत से घट कर

श्री चरण सिंह

1977-78 में 3.9 प्रतिशत हो गई है, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, यह विदित होता है कि प्रायः सभी निर्माण क्षेत्रों में वृद्धि दर कम हो गयी है। दूसरा प्रमुख विक्षोभकारी तत्व यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में कमी हुई है। इस्पात का मूल्य बढ़ गया है। सीमेंट दुर्लभ हो गया है। कोयला सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर की चीज हो गयी है। लेकिन यह सरकार, जिसे विपुल विदेशी मुद्रा रिजर्व और 180-200 लाख टन अनाज का रक्षित अन्तर प्राप्त हुआ था, गलत प्राथमिकता देकर मूल्यवान विदेशी मुद्रा को अंधाधुँधा खर्च कर रही है। जब सीमेंट का आयात होता है तो वे आयात की बात करते हैं। जब कोयले की कमी होती है तो वे आयात की अथवा कोयले के मूल्य में वृद्धि की बात कहते हैं। वित्त मंत्री, जो किसानों के बहुत बड़े शुभचिन्तक हैं, ने इस बजट को इस प्रकार बनाया है कि एक या दो आदानों को छोड़कर किसानों के लिए आवश्यक प्रत्येक आदान के मूल्य में वृद्धि हो गयी है। कुछ घंटे पूर्व शासक दल के एक माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि इस्पात पाइयों की कीमतें किस प्रकार बढ़ी हैं और किसानों को किस प्रकार कठिनाई में डाला जा रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछता हूं कि उन्होंने सभी अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके उन्हें सामान्य किसानों की पहुंच से बाहर कर देश में किस प्रकार कृषि उत्पादन में सहायता की है। आप उत्पादन शुल्क को समाप्त करने, उर्वरकों तथा रसायनिक उर्वरकों की कीमतों में कमी करने का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रियायतें दी जा रही हैं उनसे छोटे तथा सीमान्त किसानों को किस हद तक सहायता मिली है ? आपने इस समस्या को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। वास्तव में, किसानों की दशा अत्यधिक खराब हो गई है, फसल कटायी के समय कीमतें .घट जाती हैं और खाद्यान्न, गन्ना तथा अन्य वस्तुएँ किसानों द्वारा संकट-मूल्य पर बेची जाती हैं। इन परिस्थितियों में किसानों की दशा कैसे सुधर सकती है ?

मध्य वर्ग को परेशान किये जाने की आलोचना करने पर वित्त मंत्री ने शहरी जनता के लिए कुछ रियायतें की हैं। वे कुछ साबुनों और अपमार्जकों की कीमत कम करके महिलाओं को भी प्रसन्न करना चाहते थे। उन्हें मालूम नहीं है कि बजट प्रस्तावों द्वारा निश्चित आय वर्ग के लोग जिस प्रकार प्रभावित हुए हैं उससे महिलायें कितनी रुष्ट हैं।

इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की दशा क्या है और उनका कार्य निष्पादन कैसा है ? इस सरकार के शासन में आने के बाद उन्हें भारी हानि क्यों हो रही है ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कर- पूर्व लाभ 1976-77 में घट कर 476 करोड़ रुपये और 1977-78 में 236 करोड़ रुपये हो गया है और हमें बताया गया है कि 1978-79 में कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य करण के बारे में तीव्र मत विभाजन हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने के संबन्ध में सरकार की स्थिति क्या है। क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं को बहु राष्ट्रिकों को सौपेंगे । क्या आप बहुराष्ट्रिकों के प्रमाण के आगे झुक जायेंगे क्या देश में सभी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना को नष्ट कर देंगे। मैं वित्तमंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि अब कोयला खानों की क्या स्थिति है।

श्री चरण सिंह : वही जो हमें आपसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ ।

श्री वी० वैंकटासुबैया : मुझे आपसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी । जब आपको मुनासिब लगे आप पिछली सरकार से तुलना करने लगते हैं और जब आपको मुनासिब न लगे हमारा उत्तराधिकार है । यदि आपको उत्तराधिकार में यही मिला है तो भी आपने सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं । आपने बजट में कहा कि लाभ होगा ।

श्री चरण सिंह : इसमें समय लगेगा ।

श्री वी० वैंकटा सुब्बया : अन्तर क्या है ? आप अपने आपको प्रगतिवादी सरकार कहते हैं आप कहते हैं कि आपने स्थिति को सुधारने के लिये सभी आर्थिक कदम उठाये हैं । तकनीकी सुधार क्या हुआ है ?

प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों को रोकना चाहते हैं और इस देश में जो तकनीकी प्रगति की जा रही है उसको वह रोकना चाहते हैं । कृषि आधार ढ़ांचा भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है । जब तक तकनीकी प्रगति नहीं होगी हम इस देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रमुख सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । हमने 1350 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उसका कारण देश में प्राप्त तकनीकी प्रगति है और यह धारणा करके कि आप इस देश में कोई तकनीकी प्रगति नही चाहते आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की प्रगति पूरी तरह से रुक जायेगी । वास्तव में कृषि उत्पादन एवं आर्थिक विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं । उनको हाथ मिला कर चलना है । जब तक यह नहीं होगा सारी अर्थव्यवस्था में अवरोध की स्थिति आ जायेगी ।

विदेशी मुद्रा स्थिति तथा खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति के बिना आपके प्रयासों के है अर्थात "आपके बावजूद" है । लगातार अच्छी वर्षा के कारण खाद्यान्न उत्पादन का चित्र उज्जवल है । व्यापक आधार ढांचा जो वर्षों के प्रयासों से तैयार किया गया और जो पिछले वर्षों में स्थापित हुई अपने आप पनपने वाली अर्थ व्यवस्था को सहायता प्रदान कर रहा है देश के आर्थिक विकास का कारण है । इसी कारण मैंने कहा है कि "आपके बावजूद" विकास है । मैं यह नहीं चाहता कि यह सरकार इस देश के आर्थिक विकास के रास्ते को रोकने का काम करे ।

एक अन्य बात जो मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि प्रधान मंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में बेरोजगारी की समस्या हल कर दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या किस सीमा तक हल हो गई है । रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में से इस देश में बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि का पता चलता है । इन दो वर्षों में इस सरकार ने बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिये क्या विशेष प्रस्ताव तैयार किये हैं ?

आप औद्योगिकीकरण विधेयक ला रहे हैं और मजदूर वर्ग में निरकुंशता पैदा कर रहे हैं । इस देश में सभी विरोधी दलों ने इसका विरोध किया है । आप इस अहितकर विधेयक को संसद में लाकर एक नए वर्ग की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उसका सभी लोगों द्वारा विरोध किया जायेगा ।

[श्री वैंकटा सुब्बाया]

पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, आदि में ऊर्जा की समस्या है। इन सभी राज्यों के सामने ऊर्जा की गंभीर समस्या है। बार-बार राष्ट्रीय ग्रिड बनाने और औद्योगिक एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा, तापीय और पानी बिजली दोनों के उत्पादन को गति देने के लिये कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। परन्तु हमारी स्थिति और भी खराब हुई है। कुछ राज्य को इस ऊर्जा से वंचित रखा गया है और हम नहीं जानते कि विशेष रूप से पश्चिम बगांल तथा अन्य राज्यों में अनेक उद्योगों का क्या होने वाला है।

कण्डाहार नहर का निष्पादन एक अन्य समस्या है। कण्डाहार नहर, जो इस सरकार की परिकल्पना है अब खटाई में है। कोई नहीं जानता कि इसे दिन का प्रकाश दिखाई देगा।

इस देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना एक अन्य समस्या है। क्षेत्रीय असन्तुलन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठायें हैं।

मेरे राज्य में कुछ क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी है। आभाव वाले क्षेत्रों को महत्वपूर्ण नदियों से पानी मिलना चाहिए। मेरा मतलब रायल सीमा क्षेत्रों को कृष्णा नदी का जल देने से मद्रास नगर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृष्णा नदी का जल मद्रास नगर ले जाने का प्रस्ताव है। उसके साथ-साथ हमारा यह अनुरोध रहा है कि इस जल का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए होना चाहिए। परन्तु एक व दूसरे आधार पर सारे मामले को खटाई में डाला जा रहा है और इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

जब बजट के पेश करने और वित्त विधेयक को पेश करने के समय पर प्रस्तावों को कुल रूप पर विचार किया जाये तो मुझे इस बारे में कोई संशय नहीं कि यह सरकार इस देश के आर्थिक मामलों को नियन्त्रित करने में असमर्थ है। प्रत्येक राज्य में अस्थिरता है—अधिकतर जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में एक निरन्तर गृह युद्ध चल रहा है। साम्प्रदायिक दंगें हो रहे हैं अभी अभी हमने जमशेदपुर में सर्वनाश देखा है। हरिजनों तथा निर्बल वर्गों पर अत्याचर हो रहे हैं। इस सरकार ने इस देश पर शासन करने का अपना अधितार खो दिया है। जैसे कि प्रो० मावलंकर ने कहा है इस सरकार का सब से प्रथम आघात स्वयं इसकी विश्वासनीयता पर इसकी शासन करने में असफलता और देश में राजनैतिक स्थिरता लाने में नितान्त असफलता पर पड़ा है।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : सभापति महोदया, वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह ग्रामोन्मुख, कृषि पर आधारित बजट है। परन्तु जो लोग यह आरोप लगाते हैं वह पुराने ढर्रे के बजट के आदि हैं। पहली बार, वित्त मंत्री ने पूंजी प्रधान; नगरोन्मुखी उत्पादन पर कर लगाया है और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में रोजगार प्रधान उत्पादन को राहत दी है वित्त मंत्री जो अब तक भूतकाल के एक के बाद एक वित्त मंत्री द्वारा उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र के अवरोध को दूर करना चाहते हैं। अब बल में परिवर्तन किया है।

मैं इसे प्रगतिवादी वित्त विधेयक कहना चाहूंगा। भारी कर लगाये बिना एक प्रमुख उद्देश्य अर्थात, संशोधन जुटाना, की पूर्ती हुई है। मेरी समझ के अनुसार आप अधिक अनुदार हैं। उन्होंने बहुत सी रियायतें दी हैं। उन्होंने एक मूल रियायत, जिसके लिए मैंने संशोधन पेश किया था, स्वीकार कर ली है—रियायत है पूंजीगत लाभ पर कर। मैं मंत्रालय को कम से कम

जनता के तथा कुछ ससंद सदस्यों के जिन्होंने कुछ अम्भावेदन दिये हैं, विचारों की ओर ध्यान देने पर बधाई देता हूं। मैं श्री पाई द्वारा भेजी गई एक पुस्तक "मेकिंग पार्लियामेन्ट मोर इफैक्टिव" नामक पुस्तक की कुछ पंक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

> "यदि ससंद को प्रभावी बनना है तो इसे कार्यपालिका पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना होगा आज कार्यपालिका, मेरे विचार के अनुसार, ससंद द्वारा प्रर्याप्त रूप से नियन्त्रित अथवा निर्देशित नहीं है। जैसा कि एक लेखक ने अभी हाल ही में कहा है कि कानून बनाने का काम कार्यपालिका द्वारा ससंद की सहमति के साथ किया जा रहा है न कि ससंद द्वारा जो कि कार्यपालिका की सहायता से कानून बना रही है" वह दिन बहुत ही दुर्भाग्य-पूर्ण होगा जिस दिन ससंद सदस्य यह समझने लगे कि उनकी उपस्थिति कोई अधिक प्रभावी नहीं है और जो कुछ भी वह बोलते हैं, वे केवल ससंद में भाषण करने के लिये ही बोलते हैं जिससे कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो सके।

पहली बार वित्त विधेयक 80 प्रतिशत जनता की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया है। मैं माननीय उप प्रधान मंत्री के इन विचारों से सहमत हूं जो उन्होंने अपनी पुस्तिका 'बजट में अन्तर्निहित भावना' में कही हैं :—

> "1979 के बजट का सूत्र इस नई नीति में कुछ छोटी बातों में पाया जा सकता है। कोई भी लोकतंत्र ऐसी परिस्थिति में पनप नहीं सकता है जहां संपत्ति संचय होतीं है और इंसान नष्ट होता जाता है।"

इस समूची नई नीति का आधार मानव है, न कि मशीन। हमारे उप प्रधान मंत्री ने ठीक ही माहत्मा गांधी के उद्देश्य को अपनी पुस्तिका में लिखा है जो यह है :—

> "इन उद्देश्यों की महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसाधारण को केन्द्र बिंदु बनाया जाना चाहिए न कि मशीन को"

यह वित्त विधेयक वस्तुतः रोजगार प्रधान है, जिसमें उन 75 से 80 प्रतिशत जनता की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया गया है जिनकी आवाज पहिले कभी नहीं सुनी गई थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बजट से प्रभावित हो सकता हूं, सम्भव है कि मेरी पत्नी भी इस बजट को पसन्द न करे क्योंकि हम सब शहरी हैं। परन्तु 80 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य के रूप में जिसने हमें चुना है, इस विषय की ओर निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उनसे सहमत हूं बशर्ते वह मेरा कुछ सुझाव मानें जो मैं उनके सामने रखूगां।

वित्त मंत्री महोदय ने आय और संपत्ति के बीच असमानता को दूर करने का यत्न किया है। एक सम्पन्न समाज का व्यक्ति 2000 रूपयेप्र तिदिन व्यय कर सकता है जो कि इस देश में किसी व्यक्ति का औसत आय से अधिक है। वित्त मंत्री जी ने इस असंतुलन को दूर करने का यत्न किया है। अभी भी इस देश में संसाधन जुटाने की गुंजाइश है।

दुर्भाग्य से हमने प्रभुत्व व्यापार और उद्योग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंप दिया है जिसमें 12,800 करोड़ रूपये की पूंजी लगी हुई है। मेरे विचार में वह मुझसे सहमत होंगे कि

[श्री विनोद भाई बी० सेठ]

परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह यथा शीघ्र एक आयोग नियुक्त करें जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की जांच करे और यह भी देखें कि उनमें अपव्यय को रोका जा सके।

आपने नियमित क्षेत्र को छोड़ दिया है, नियमित क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई थी। उन्हें भय है कि अब चौधरी चरण सिंह जी आ गए हैं और अब हम पर प्रहार किया जायेगा। परन्तु आपने इस क्षेत्र को छोड़कर पूंजी निर्माण के हित में बहुत उचित कदम उठाया है। आपने नियमित कर पर अधिभार बढ़ाकर ठीक काम किया है। परन्तु आपने आयकर पर जो अधिभार लगाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि एक तो इस अतिरिक्त अधिभार से मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित होगा और दूसरे मूल्य सूचकांम में तीन से चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे आप सहमत होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सीमा तक इस अधिभार को वापिस ले लें तांकि इससे बंधी-बंधाई आय वाले मध्यम श्रेणी के लोग प्रभावित न हों।

आपने बजट में अनेक चीजें पेश की हैं जैसे काम के बदले अनाज, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उर्वरक उत्पादन को प्रोत्साहन और पेय जल योजना के लिए धन का आवंटन। मैं आपके ध्यान में एक मामला लाना चाहता हूं जो मैंनें अपने स्थानीय समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक छोटे से गांव जामनगर में पानी की एक बाल्टी एक रूपये में बिकी। इसका मतलब है कि आप जो धन आवंटन करते हैं वह व्यर्थ चला जाता है ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जो इस बात की जाँच करे।

एक महत्वपूर्ण बात के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा, वह है अनिर्मित तम्बाकू पर से कर को वापिस लेना। तम्बाकू उत्पादक इसके लिए आभारी हैं। निश्चय ही इससे कुछ उत्पादन शुल्क अधिकारी खुश नहीं हैं जैसे कि मैंने आंध्र प्रदेश में अपने दौरे के दौरान देखा था।

मैं अब चुंगी हटाने के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जो आप किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि इससे मिलने वाला धन अधिक नहीं है। आपने चुनावों के दौरान इसका जनता को बचन दिया था। जहां तक बिक्री कर का संबन्ध है आप इसे राज्य सरकारों की सहमति के बिना हटा नहीं सकते हैं। कम से कम चुंगी को हटाया जा सकता है जिससे व्यवसाय समुदाय को कुछ संतोष मिलेगा।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है आपने उन्हें रियायतें दी हैं और मैं इससे खुश हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इससे हटें नहीं। परन्तु बड़ी बहु राष्ट्रीय कंपनियां अपने एककों को अलग-अलग करके इसका लाभ ले रही हैं। आल इंडिया शिपर्श कांऊसिल के श्री जे० एस० दोजी ने तत्कालीन वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल को इस बारे में लिखा है और उन्होंने इस मामले पर विचार करने का वचन दिया है। इस मामले में कुछ सतर्कता बरती जानी चाहिये क्योंकि कुछ व्यापार गृह अपने स्थानों को छोटा बना रहे हैं और राज्यों को उनकी उचित भागीदारी से वंचित कर रहे हैं। अतएव यह घाटा 27 करोड़ रुपये से अधिक होगा जिसका हमने बजमें में अनुमान रखा है।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधन के प्रस्तावों के कुछ प्राक्कलनों अथवा परिणामों को उनके क्रियान्विति अधिकारियों ने भलीं भांति नहीं समझा है। अधिसूचना तैयार करने में एक अनुभाग अधिकारी अथवा उप सचिव द्वारा की गई जरा सी गलती से भारी भ्रान्ति और असुविधा पैदा होती है। मैंने लघु उद्योगों के मामले में ऐसे अनेक मामले देखें हैं। उदाहरण के लिये एक स्पष्ट शर्त है कि जिक एश पर प्रतितुलित शुल्क नहीं लगेगा। फिर भी इसे इस शुल्क से छूट नहीं दी जा रही है। मैं इसको समझ नहीं सका हूँ। सीमाशुल्क समाहर्त्ता को स्पष्ट आदेश के बावजूद, कि जिक एस पर प्रतितुलित शुल्क नहीं लगता है, वे इसको लगा रहे हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि लघु क्षेत्र में अनेक एककों को भारी घाटा उठाना पड़ा है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वचन निबंध लागू होता हैं। (प्रमिसरी एसटोप्पल) लागू हीता है चूंकिमंत्री महोदय एक विधिवेत्ता हैं, मैं उन्हें मोती लाल अदमपत शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले की ओर उनका ध्यान दिलाऊँगा जिसमें इस मामले का न्यायमूर्ति भगवती के निर्णय में 12.8.78 को अन्तिम रूप से फैसला दिया गया। जब आप जनता को वचन देते हो तो आपको उसे पूरा करना चाहिये न कि अधिकारियों का बचाव करना चाहिये। इस प्रकार के अनेक मामले हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इनको देखें।

आपने धारा (64) (ड.) का संशोधन किया है, धारा 64 में एक कमी थी कि आय तब तक जमा होती रहेगी जब कि पत्नी अखंड सौभाग्यवती न हो जाये अथवा बच्चा वयस्क न हो जाये मुझे भय था क्योंकि इस कमी के कारण जमा आय से कुछ परेशानी पैदा हो सकती है, यह अच्छी बात है कि आपने इसका संशोधन करने का खयाल रखा।

धारा 35-ख को जो बहाल किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ श्री केंकटसुब्बया ने अपने वक्तव्य में इस बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्षी इससे सहमत है। धारा 35-ख को बहाल करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। इसके अन्तर्गत होटल और ट्रेवल एजेंसियां आती है जो शुरु से लेकर अन्त तक सेवाएं और सुविधाएं देकर विदेशी मुद्रा कमा रही हैं।

आपने धारा 35 खख के अन्तर्गत आयकर आयुक्त को 'निर्धारित प्राधिकार' बना दिया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ, ऐसी अनेक न्यायिक संस्थाएं हैं जो कुछ देना चाहती है परन्तु सरकारी तंत्र और लाल फीता शाही के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं आपका अभारी हूं कि आपने इस संबंध में मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है।

दीर्घकालिक बचत के बारे में चर्चा करते हुए, मैं यह कहना चहूंगा कि बीमा प्रीमियम पर छूट से सम्बन्धित प्रावधान सही दिशा में कदम नहीं है। वस्तुतः, हम कुछ रियायतें पाने की आशा रहे हैं, क्योंकि जीवन बीमा निगम एक दीर्घकालिक बचत का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय भी है। इसलिए, प्रस्तावित परिवर्तन, जिसकी वजह से कर-छूट में कमी होगी दीर्घ कालिन बचत के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करेगा और लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सच है कि आपको 9.6 करोड़ रू० की राशी इससे प्राप्त हो सकेगी। लेकिन सैकड़ों करोड़ रू० की बचत से आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आप इस मामले पर विचार करें। अनेक संशोधन हैं। मेरे विचार में आप **यथास्थिति** को जारी

[श्री विनोद भाई बी० सेठ]

रखेंगे । आपने जो कुछ किया है वह चोकसी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के प्रतिकूल है । चोकसी समिति रियायत को जारी रखना चाहती थी ।

इसके बाद, धारा 80 (ञ) के अनुसार लगाई गई पूंजी के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अंश को किसी न किसी प्रकार की छूट या रियायत मिलने की सम्भावना होती है । यह एक आपने अच्छा कार्य किया है । परन्तु गैर-प्राथमिकता वाले उद्योग को दो वर्ष का पर्याप्त नोटिस दिये बिना ही आपने इसे समाप्त कर दिया है । इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप इस रियायत को दो वर्ष के लिए जारी रखें, जिससे वे उद्योग, जो इस रियायत को प्राप्त करना चाहते हैं, इस उद्योग की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में पुनर्विचार कर सकें ।

धारा 80 (ञञ-क) के बारे में, मेरी समझ में यह नहीं आता कि कुकुरकुत्ता उत्पादकों को ही क्यों छांटा गया है । इसके बारे में मैं समझ सकता हूं । जैसा कि आपने बताया, अनेक अन्य ऐसे उत्पादक हैं, जो इसका लाभ उठा सकते हैं ।

धारा 208 ने अग्रिम कर के भुगतान की सीमा फर्मों के लिए 30,000 रू० से घटाकर 20,000 रू० कर दी । अब रूपये का अवमूल्यन हो गया है । जबकि रूपये का मूल्य कम हो रहा है, आपने इसे 40,000 रू० या 50,000 रू० करने के बजाय घटाकर 20,000 रू० कर दिया है ।

श्री चरण सिंह : हम इसे घटाकर 10 लाख रूपया करने की सोच रहे हैं ।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : 10 लाख रू० नग्रि, यह फर्मों को अग्रीम कर का भुगतान करने के बारे में है । इससे प्रशासन के लिए भी दुसह समस्यायें उत्पन्न होंगी ।

श्री आर० वेंकटारमन : भागीदारी कर ।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : जी हाँ, भागीदारी कर ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 10,000 रू० की राशि तो व्यक्ति के मामले में कर से छूट प्राप्त है ।

सभापति महोदय : श्री कँवर लाल गुप्त, शेठ जी स्वंय ही स्पष्ट करेंगे कि वह क्या कह रहे हैं ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : यह आय कर अधिनियम की धारा 208 के बारे में हैं, जिसमें फर्म को अग्रिम भुगतान की सीमा 30,000 रू० है, जिसे आपने घटाकर 20,000 रु० कर दिया है । इससे आयकर विभाग के काम में वृद्धि होगी । अब आप इसे 20,000 रू० के बजाय 40,000 रु० या 50,000 रु० करें ।

इसी प्रकार धारा 209 ए का संशोधन किया गया है और यह एक बहुत ही स्वागत योग्य सुझाव है ।

धारा 245 डी आयुक्त की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाती है और समझोता आयुक्त को किसी भी फाइल को मंगाने के लिए अधिक अधिकार देती है । इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा । जब सीमा शुल्क के या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के या आय कर के मामले न्यायालय में

विचाराधीन होते हैं, उस समय हमारी फाइलें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में होती हैं। श्रीमान, न्यायालयों में विचाराधीन मामले अलग नहीं छोड़ने चाहिए। जब आप समझौता कर लेते हैं तो सरकार का और न्यायपालिका के काम के भार में कमी होगी। इसलिए मेरा विचार है कि इस सुझाव को उचित सन्दर्भ में लिया जाना चाहिए। जब आयकर और धनकर के लिए समझौता आयुक्त है, तो सम्पदा शुल्क के लिए क्यों नहीं ? क्योंकि सम्पदा शुल्क एक बहुत ऊचा प्रभार है और वे व्यक्ति, जो उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। अपने जीवन काल में ही लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप कृपया इस मामले पर भी विचार करें।

लघु उद्योगों को बढ़ावा देते समय हम कभी कभी बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूँगा। आपने जीवन रक्षक औषधियों पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। इस बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उपभोक्ता को घटी हुई कीमत का लाभ मिलेगा, क्योंकि इन भेदों का निर्माण बड़ी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। मैं अब आपको उदाहारण देना चाहूंगा। एक औषधि है जिसका नाम "8—हाइड्रोक्सी क्विनोलीन" है। इस मद का पहली बार निर्माण किया जा रहा है। यह स्वदेशी किस्म की है। लगभग ग्यारह कारखानों ने देश में छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन करना शुरू कर दिया है। वे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जब तक वे प्रगति करें, उनका सिर ही उड़ा दिया जाता है। इसलिए, मेरे विचार में यह हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरे विचार आपको इस बारे में पुनर्विचार करना होगा कि वे छोटे निर्माता कौन से हैं जो अपनी छोटी मदें बड़े उद्योगों को दे रहे हैं। इसलिए, इस मामले में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

आयकर अधिकारी के अधिकार कम किये जाने चाहिए। धारा 132 खतरनाक है। मेरे विचार में कभी कभी वे इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मैंने कुछ मामले वित्त मंत्रालय की जानकारी में लाये हैं। हमारे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान और इज्जत है। हमारा उद्देश्य राजस्व एकत्रित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि काला धन उत्पन्न न होने पाये। लेकिन छोटे मोटे बहानों के आधार पर मकानों पर छापे मारे जाते हैं और सारे परिवार में इस बात से हंगामा हो जाता है।

माचिस उद्योग को उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दी गई है और इसका देश भर में स्वागत किया जायगा।

कुछ मिलों ने इस लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जब तक परिवार नियोजन नहीं होगा, तब तक जो कुछ भी करना चाहेगें भावी बच्चे उसे समाप्त कर देंगे।

राजनैतिक स्थिरता एक ऐसी आवश्यकता है, जिसका सभी माननीय सदस्य समर्थन करेंगे।

वित्त विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए, मैं एक बार पुनः आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कुछ बातों की ओर ध्यान दें। इसमें व्यक्तिगत कारणों का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[श्री विनोद भाई बी० सेठ]

उदाहरण के लिए, बम्बई में बड़े घरानों को 1000 वर्ग फुट स्थान के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपये पगड़ी का भुगतान करना पड़ता है। क्या आप उन्हें क्रियान्वित कर सकते है? अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपको 40 प्रतिशत धनराशी का भुगतान काले धन के रूप में करना होगा। जून 1970 में अपनी पत्नी के नाम में 5050 रु० की राशी जमा करने के लिए चार पांच महीने पहले मेरे साथ जिरह की गई थी। मैं कानून का पालन करने वाला एक नागरिक हूं। मुझे विभाग के सामने उपस्थित होना चाहिए और मुझे अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन देखिए बड़े आदमी किस प्रकार काले धन को रखकर भी बच निकलते हैं। मैं श्री धारिया को बधाई देता हूं। उन्होंने आयात-निर्यात लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार किया है। इससे काले धन के पैदा होने को कम करने में मदद मिलेगी।

यह कहना सही नहीं है कि आपने सम्पूर्ण आयकर ढाँचे में केवल 72 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, क्योंकि अगर आप 10 लाख रु० से अधिक राशी लेते हैं, तो यह 87 प्रतिशत से अधिक बैठती है। इसलिए आय कर को कम करने का प्रयास करें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि करदाता ईमानदार हों। हम उनकी विश्वसनीयता पर शक न करें। जब तक वे पकड़े न जाँय, हमें यह मानना चाहिए कि वे ईमानदार हैं। इस धारणा के साथ हमें आगे बढ़ना है।

चोकसी समिति के प्रतिवेदन के बारे में, हम केवल उन्हीं युद्धों को ले रहे हैं, जो विभाग के पथ में हैं। जो बात करदाता के पक्ष में है, उसे निकालकर फेंक दिया जाता हैं। यह प्रवृत्ति है। इसलिए, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उन लोगों के साथ न्यायोचित रवैया अपनायें, जिन्होंने आपको सत्तारुढ़ किया है, क्योंकि अन्तोगत्वा अधिकार तो जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम तो अस्थायी व्यक्ति हैं, जनता स्थायी है और कुछ सीमा तक नौकरशाही का तत्र स्थायी है। इसलिए, जो कुछ भी कोई संसद सदस्य कहता है, उसे पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से क्रियान्वित किया ही जाय। अगर आप क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं, तो कृपया हमें यह बताने का प्रयास करें कि इसे क्यों क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय, अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो मुझे पर्याप्त समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय : संक्षिप्त भाषण देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं, लेकिन एक नागरिक और एक संसद सदस्य के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं कुछ ऐसे तथ्यों की ओर ध्यान दिलाऊँ जिनकी, आँकड़ों के जंजाल में अनदेखी हो जाती है, क्योंकि बाजार में अथवा हमारे सार्वजनिक जीवन के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, वास्तव में जो कुछ घट रहा है आँकड़े उससे मेल नहीं खाते।

क्या हमने देश के इतने टुकड़े कर दिये हैं? उन्नत, पिछड़े, जाति, धर्म और अब शहरी तथा देहाती—यह सब सुनते-सुनते मैं थक गया हूँ। क्या वे इस राष्ट्र के हिस्से नहीं हैं।

ग्रामीण लोगों के लिये, विशेषकर ग्रामीण धनी वर्ग के लिये . . .

श्री पी० राजगोपाल नायडू : धनी ग्रामीण कौन से हैं ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : उनमें से एक आप हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० राजगोपाल नायडू : आप तो राजा हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : जी हाँ, मुझे उसका गर्व है। लेकिन कुछ और भी बड़े लोग हैं जो चोर-बाजारी करते हैं और यही लोग आज के नये महाराजा कहलाते हैं।

सभापति महोदय : अपने विषय से हटने का प्रयत्न न करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त : महोदय, मैं तो शिकारी हूँ। मैं अपने लक्ष्य को बेध सकता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म लेने में कोई विशेष अच्छाई नहीं है और न ही शहरी क्षेत्रों में जन्म लेने में कोई बुराई होती है। जन्म हम लोगों के हाथ की बात नहीं है। हमें अपने देश का आड़ा-तिरछा विभाजन क्यों करना चाहिये। वित्त मंत्री ने मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाने का जो आग्रह किया है, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बारे में जो आखिरी दलील मैंने सुनी, वह यह है कि मिट्टी के तेल का प्रयोग हाइ-स्पीड डीजल आइल के लिये मिश्रण के रूप में किया जा रहा है। क्या मैं इस दलील को थोड़ा और तर्कसंगत बन सकता हूँ ? ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें मिलावट की जाती है। उदाहरण के लिये दूध में पानी मिलाया जा रहा है। क्या मैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह पानी पर इस हद तक कर लगाएंगे कि पानी का मूल्य दूध से अधिक हो जाए ? कारण वह नहीं है। आखिरकार वे कौन लोग हैं जो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं ? न तो नये **महाराजा** और न ही मेरे जैसे लोग · · ·

श्री पी० राजगोपाल नायडू : आप ही नये **महाराजा** हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : यहाँ मौजूद प्रत्येक की कहानी का पर्दाफाश करने के लिये मुझे बाध्य न करें · · · (**व्यवधान**)

मिट्टी का तेल कौन लोग इस्तेमाल करते हैं ?

इस महान सरकार के सचिवगण मिट्टी का तेल इस्तेमाल नहीं करते (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे साथ-साथ कमेन्ट्री देने से बाज आयें।

श्री यादवेन्द्र दत्त : उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं अपना बचाव स्वयं कर सकता हूं।

मिट्टी के तेल का इस्तेमाल जनसंख्या का 46 से 50 प्रतिशत भाग करता है और ये लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। वे किस पर कर लगा रहे हैं, किन लोगों पर आघात कर रहे हैं ? एक ओर तो, जनता सरकार कहती है कि हम कमजोर वर्गों के हिमायती हैं और दूसरी ओर, हम कमजोर वर्गों पर ही चोट कर रहे हैं। क्या यह सही और उचित है ? अतः, मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर, वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मिट्टी के तेल पर शुल्क के बारे में पुनर्विचार करें।

क्या मैं आपको एक और बात बता सकता हूं ? यहां हमें बताया गया है कि मूल्यों में केवल 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जौनपुर में एक लीटर मिट्टी का

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

तेल 4 रु० में बिक रहा है। इस अन्तर का क्या कारण है? कहीं न कहीं कोई अक्षमता, कोई कमजोरी अवश्य है। मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता के बारे में कुछ भी कहा जाये, मेरे विचार में यह 30% से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने साबुन पर शुल्क घटा दिया है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि बजट की घोषणा के बाद वास्तव में क्या हुआ है ? आपने साबुन पर शुल्क में कमी की घोषणा आज की है। लेकिन, इसी बीच तीन सप्ताह का अन्तराल पड़ गया है और इस अवधि में ग्राहक से अत्यधिक मूल्य वसूल किया जाता रहा है। क्या आप वह पैसा उपभोक्ता को वापस दिला सकते हैं ? यदि नहीं, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको यह सुनिश्चित करने के उपाय पहले ही करने चाहिये थे कि उपभोक्ताओं की खाल न उतारी जाये। अतः, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।

हसे बताया गया है कि यह बजट विशेष रूप से ग्रामोन्मुखी है। मुझे बहुत खुशी है। हमारे भंडार में करीब 200 लाख टन अनाज है और लगभग 500 करोड़ की विदेशी मुद्रा है। हम बहुत धनी हैं। लेकिन, क्या यह धन-संपन्नता उन 46-50 प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति में झलकती है जो गरीबी की रेखा से नीचे है। यदि नहीं, तो इस बजट का झुकाव समाजवादी समानता की ओर नहीं है। यह बजट एक वर्ग विशेष के लिये है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले एक वर्ग विशेष के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है। शहरी क्षेत्रों में सभी धनी नहीं रहते। जैसाकि आपको मालूम है, महोदया, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के धनी किसानों की आय मद्रास या केरल या कर्नाटक में शहर के निम्न मध्य वर्ग से काफी अधिक है।

माननीय सदस्य : वे कितने हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अतः, मैं यह कहना चाहूँगा कि झुकाव कृषि की ओर है। लेकिन, क्या मैं वित्त मंत्री महोदय को ध्यान दिला सकता हूं कि सिर्फ कृषि से ही देश की उन्नति नहीं होगी ? हमारा झुकाव कृषि और उद्योग तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर एक समान होना चाहिये। अमरीका को देखिये। कृषि और औद्योगिक रूप से यह बहुत ही उन्नत देश है। रूस उद्योग के क्षेत्र में बहुत उन्नत है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नहीं। रूस को गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। शासकीय पूंजीवाद के 50 वर्ष बाद भी वे असफल रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि औद्योगिक और कृषिक उन्नति दोनों का गठबंधन होना चाहिये। बजट का झुकाव जनसंख्या के 46-50 प्रतिशत कमजोर वर्गों की ओर होना चाहिये जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं जो बजट में कुछ कमजोरियों से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष कराधान को लें। मेरे पास कुछ आँकड़े हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं सदन को अवश्य ही अवगत कराना चाहूंगा। भारत विश्व के उन देशों में से है जहाँ प्रत्यक्ष कर सबसे अधिक हैं। 50,000 रु० प्रति वर्ष की आय वाले एक भारतीय को व्यक्तिगत आय-कर के रूप में 11,850 रु० देना पड़ता है जबकि ब्रिटेन का नागरिक उतनी ही आय पर 7200 रु० कर देता है और एक अमरीकन 4950 रु० देता है तथा एक जापानी केवल 850 रु० देता है। इन देशों में हमारे देश की गणना आय कर-दाताओं के निर्धनतम देश के रूप में होती है। फिर भी हमें बहुत अधिक कर देना पड़ता है।

प्रत्यक्ष कराधान का परिणाम क्या है ? इसके परिणामस्वरुप, लोग काला धन जमा करते हैं और कर-अपवंचन करते हैं। इतने अधिक कराधान और आय कर की दर इतनी ऊंची होने के बावजूद, करीब 400-200 करोड़ रु० की कर-चोरी होती है। फिर क्या होता है ? एक समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था पनपने लगेगी और बजट का सारा झुकाव, सारे नेक इरादे खतरे में पड़ सकते हैं। मेरे माननीय मित्र, वित्त मंत्री को इस बात पर गौर करना चाहिये। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी तरह के कराधान का ऐसा तरीका न अपनायें जिससे काले धन और कर-चोरी को बढ़ावा मिले।

आजकल प्रचलित एक मजाक के अनुसार, फ्रांसीसियों की तरह, हम भी कर-चोरी में माहिर हैं और प्रत्येक व्यक्ति चार या पाँच अथवा छः बहियाँ तक रखता है। क्यों ? अत्यधिक कराधान के कारण, जो खाल उतारने के समान है। और जब इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें तो क्या तस्वीर सामने आती है—एक बहुत ही खतरनाक स्थिति और वह है मुद्रा स्फीति के साथ-साथ काले धन की अर्थव्यवस्था का उतरना। इससे औद्योगिक अशान्ति हो सकती है, उपभोक्ताओं में अशांति फैल सकती है और देश में सामाजिक तथा राजनीतिक तनावों में वृद्धि हो सकती है। मेरे सभी मित्र कहते रहे हैं—और मैं उनसे सहमत हूं—कि राष्ट्र के विकास के लिये, राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य है। क्या यह बजट उसमें योगदान करता है ? मुझे भय है, इस कराधान से कहीं मुद्रा स्फीति न हो, क्योंकि मुद्रा स्फीति से सामाजिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न होते हैं और तनाव तथा उच्चतर तनावों से अस्थिरता, विशेषकर, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है।

यह ठीक है कि इस देश में संसाधन उत्पन्न करने होंगे। क्या मैं वित्त विभाग को कुछ ऐसे स्थल सुलझा सकता हूं जहाँ से वे संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार में हर रोज लाखों शेयरों का व्यापार होता है। आप इन शेयर-सट्टेबाजों पर कर क्यों नहीं लगाते ? शेयरों के हस्तांतरण के लिये आप स्टाम्प शुल्क वसूल कर सकते हैं, लेकिन शेयरों के हस्तांतरण या शेयरों की बिक्री के लिए आपने कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगाये हैं। यही जगह है जहाँ आपको ध्यान देना चाहिये और मुझे विश्वास है कि कोई सट्टेबाज शेयर खरीदने में लाखों रुपये खर्च कर सकता है तो शेयरों की बिक्री या खरीद पर वह आपको कम से कम 15 प्रतिशत शुल्क प्रत्यक्ष रूप से दे सकता है।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह अनिवार्य जमा योजना के बारे में है। इससे कौन लोग प्रभावित होते हैं ? इसका असर निम्न मध्यम वर्ग, कामगार, नियत-आय वर्ग में आने वाले सामान्य लोगों पर पड़ता है। जबकि इस देश में गाँव के छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े पूंजीपति के पास सबसे अधिक पूँजी है।

यह एक बड़ी मद है जिसे 'धर्मदा' कहते हैं लेकिन इस 'धर्मदा' का उपयोग नहीं किया जाता। मुझे यह कहते हुए खेद है कि धर्मदा में से निकाली गई राशि का पुनः अनेक प्रकार से निवेश किया जाता है जबकि धर्म के नाम पर इस पर कोई कर नहीं लगता अथवा यह छूट जाती है। इस राशि को अनिवार्य जमा योजना में क्यों नहीं डाल दिया जाता ? यदि आप चाहें तो आप करोड़ों रुपया एकत्र कर सकते हैं।

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक सरकारी अथवा गैर-सरकारी कम्पनी के पास अवितरित लाभांश के रूप में करोड़ों रुपये हैं जबकि ये अवितरित लाभ निःशुल्क छूट जाते हैं। ये 'बेनामी' शेयर हैं जिनका भुगतान किया जाता। इसे कम्पनी के खाते में जमा किया जाता है और कम्पनी द्वारा इसका प्रयोग अपने प्रयोजनों के लिये किया जाता है। अतः, मैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्रत्येक कम्पनी पर नियन्त्रण रखें और उनके पास पड़ी अवितरित लाभ की राशि को देखें। उन पर 98 अथवा 99 प्रतिशत कर क्यों नहीं लगाया जाता, इसमें कोई हानि नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आय का एक बड़ा स्रोत आ जायेगा।

मैं पूरी सभा का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं, हमारा पड़ोसी—परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है और यूरेनियम—अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम खरीद रहा है जो कि परमाणु वेदों के लिये उपयुक्त है। अतः हमारी सुरक्षा के लिये खतरा हो सकता है, वित्त मंत्री और वित मंत्रालय में राज्य मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी होगी। मान लीजिये अक्तूबर अथवा नवम्बर तक पाकिस्तान द्वारा एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया जाता है, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिये मार्ग खोजना पड़ेगा और एक वैसा ही हथियार विकसित करना पड़ेगा, आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये और इस बात का गर्व करने की बजाय कि हम 3.5 प्रतिशत राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं आपको आवश्यकता पडने पर 10 प्रतिशत तक खर्च करने को तैयार रहना चाहिये क्योंकि सुरक्षा अनिवार्य है, हम परमाणु शक्तियों से घिरे हुये हैं · · ·

सभापति महोदय : आप यह बात कह चुके हैं, कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त : हम परमाणु शक्तियों से घिरे हुये हैं। जबकि एक ओर अमरीकनों ने दियो गशियां · · ·

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अतः, हमको सभी बातों के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : मैं माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र दत्त को उनके अनेक सुझावों के लिये वधाई देता हूं। मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई बातों को स्वीकार करने पर सहमत हूं। इससे केवल इंस बात का पता चलता है कि शासक दल में अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनमें विचार शक्ति है और जो अपने आपको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं चाहे उनकी बात दल के नेताओं को अच्छी लगे या बुरी।

उनके द्वारा दिये गये अनेक सुझावों के अतिरिक्त क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं ? इस देश में राजनीतिज्ञों को एक बड़ी राशि भेंट करने के लिये रुपया एकत्र करने का रिवाज सा रहा है। यह रुपया अधिकांशः कर-अपवंचित होता है। इस पर अधिकतम कर नहीं लगाया जाता। यह गम्भीर विषय बन गया है क्योंकि एकत्र की गयी राशि थोड़ी नहीं है बल्कि वह बहुत बड़ी राशि है। अन्ततोगत्वा, बड़ी मेहनत से जो प्रत्येक रुपया एकत्र किया जाता है उस पर कर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और उस पर कर लगाया जाता है। जब ऐसी बात है तो बिना मेहंनत से एकत्र की गयी राशि पर कर न लगाया जाना उचित नही है।

विधेयक को पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्री के भाषण को मैं सुन रहा था। यह बिल्कुल वैध है कि वह वाद-विवाद के दौरान किये गये सुझावों में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मुझे हैरानी है कि वह किस प्रकार कराधान के लिये नये प्रस्तावों को शामिल कर सकते हैं अथवा कराधान उपायों में मूल परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, मेरे विचार से यह पूर्णतः असामान्य बात है और मैं नहीं सोचता कि ऐसा करना उचित है।

वर्ष 1978-79 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार :

"· · · सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकार की राजस्व की बचत से आयोजित वित्त के बड़े अनुपात की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र के उद्योग के गत वर्ष के कार्यकरण को देखकर उनके संबंध में की गयी आशाओं को पूरा करने के बारे में संदेह पैदा होता है, इसी प्रकार ब्याज, राज-सहायता, ऋण, व्यय आदि के कारण निरन्तर बढ़ने वाले गैर-विकास संबंधी व्यय से बचत लक्ष्यों को पूरा करना कठिन होगा ? हालांकि प्रत्येक का उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता करना है फिर भी इस बारे में पर्याप्त कारण एकत्र किये जा सकते हैं कि इस उद्देश्य को क्यों छोड़ दिया जाये, अतः संसाधन जुटाने, सम्बन्धी भार अतिरिक्त कराधान पर पड़ेगा।"

यदि विकास के नाम पर इस राष्ट्र में कम उत्पादकता निरन्तर और सरकारी व्यय में फिजूलखर्ची निरन्तर बनी रहती है तो इस देश के लोगों के लिये एक मात्र विकल्प यह होगा कि वे भारी कराधान के दबाव में कराहते रहें।

वे कितना ही धन जुटा लें, लेकिन इस देश के लोगों को इस बात को जानने का अधिकार है कि इसे किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। आखिर, हम इस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं इस प्रकार अथवा केन्द्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा। हमें इस बात की जाँच करनी चाहिये कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही है और हमारे द्वारा एकत्र की गयी राशि किस प्रकार खर्च की जा रही है, इससे सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के बाहर किस प्रकार अधिक रोजगार पैदा होगा। हमने ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें 10 में से 7 रोजगार प्राप्त व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं और इसे स्वस्थ दिखावा नहीं कहा जा सकता। हमें यह देखना है कि कहाँ गलती हुई है। यदि इस सरकार के पास इस बात की जाँच करने का साहस है कि वास्तव में कहाँ असफलता हुई है और उसे ठीक करने का प्रयास किया जाये तब अतिरिक्त कराधान आवश्यक नहीं है।

आपको याद होगा, वर्ष 1977-78 का बजट प्रस्तुत करते समय श्री एच० एम० पटेल ने इस सभा में घोषणा की थी कि 130 करोड़ रुपये की बचत होगी और जैसा अक्सर होता है, जनता पार्टी के सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की। उनकी सभा के सम्मुख आलोचना होनी चाहिये और उन्हें बताया जाना चाहिये था कि उन्होंने सभा को गुमराह किया क्योंकि अगले वर्ष वैसा नहीं हुआ और 130 करोड़ रुपये की बचत नहीं हुई, आखिर, जब आप वचन देते हैं, क्या आप उसे निभा पाते हैं।

पिछली बार बजट पर बोलते समय मैंने कहा था : "क्या आप 1,800 करोड़ रुपये का 1 प्रतिशत भी नहीं बचा सकते ? इनमें 180 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। अब हम छोटे कारखानों पर बेकार की बहस कर रहे हैं।

[श्री टी० ए० पई]

लघु उद्योगों पर कराधान का मामला लीजिए। अधिकांश उद्योग सहायक उद्योग हैं। वे मोटर वाहन सहायक उद्योग हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक कार को बनाने में 4,000 पुर्जे लगते हैं। यह सभी 4,000 पुर्जे विभिन्न लघु सहायक उद्योगों से आते हैं यदि सभी पर कर लगाया जाये और कर पर कर लगाया जाये तो क्या परिणाम होगा ? इस विशेष समस्या पर विचार करने के लिए एल० के० झा समिति नियुक्त की गई थी और उन्होंने बताया कि यह एक हास्यास्पद स्थिति है और हमें इसको सरल बनाना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री सुब्रहमण्यम ने 1 प्रतिशत का यह कर लगया था। मैंने उनसे विरोध किया था और मैंने कहा था, 'इससे काफी परेशानी होगी', उन्होंने सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और कहा कि यह आंकड़े एकत्रित करने के लिए हैं, अब क्या हुआ है ? पिछले वर्ष श्री पटेल ने इसे 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। अब वर्तमान वित्त मंत्री इसे 8 प्रतिशत कर रहे हैं। उन्होंने सदन के समक्ष यह सुन्दर तर्क रखा है कि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि जो कराधान वे करना चाहते हैं वह वर्तमान से अच्छा है। लघु उद्योगों को ध्यान में रखते हुए मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि यह इतना अधिक अच्छा है तो सरकार 100 करोड़ रुपया क्यों एकत्रित कर रही है ? यह लघु उद्योगपतियों को कुछ भी वापिस नहीं कर रही है। यदि वे 100 करोड़ रुपया एकत्रित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह ईमानदारी से कहना चाहिए, "हम धन गंवाना नहीं चाहते हैं"। यह धन गंवाने अथवा कमाने का प्रश्न नहीं है। ठीक बात यह है कि आप अर्थव्यवस्था को कुल कितनी हानि पहुंचा रहे हैं ? जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे क्या आप प्राप्त कर सके हैं ? जब से कर लगाये जाने लगे हैं तब से लघु उद्योग अस्त व्यस्त हो गये हैं। क्या आप लघु उद्योग-पतियों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत है ? उनमें से कितने उत्पादन शुल्क कानून को ज़ानते हैं ? तुझे बताया गया है कि विभाग चार वर्ष के मामलों पर पुनः विचार कर रहा है और उससे छोटे लोगों को परेशान होना पड़ेगा। वे अपेक्षित जानकारी देने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी नहीं रख सकते हैं। यहां तक कि उनके काम को करने वाले अधिकारी भी इसको समझ नहीं पायंगे क्योंकि हम ऐसा कानून बनाने में विश्वास करते हैं जो हम स्वंय नहीं समझ पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं।

इसलिए इसके अलावा जबसे कराधान की घोषणा हुई है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने तांबे का मूल्य 5000 रुपये बढ़ा दिया। इस्पात मंत्री यहां आते हैं और कहते हैं, "मैं 15 प्रतिशत उपकर बढ़ा रहा हूं", यह 8 प्रतिशत है और वह 15 प्रतिशत और विक्रय कर भी बढ़ जायेगा। क्या इसका बुरा प्रभाव नहीं होगा ? क्या वे समझते हैं कि यदि वे खाद्यान्नों का मूल्य कम रखते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था टिक सकेगी ? वे एक गंभीर गलती कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में होने वाली मूल्य वृद्धि के लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। वे आप इसे रोक नहीं मके हैं। वास्तव में मुझे भय है कि मूल्यों पर उनकी पकड़ ढीली हो रही है। उनका उत्तर क्या है ? ऋण देने पर रोक मैं उनको बताना चाहता हूं। बैंकों ने क्यों रुपया वसूल किया है उसमें से 2500 करोड़ रुपया ऋण है क्योंकि वह रुपया उद्योगों का है और फिर 30 प्रतिशत ऋण कृषि को दिया जाता है जिसे आप वसूल नहीं कर सकते। फिर 12 से 15 प्रतिशत धन भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न रखने के लिए दिया जाता है और पिछले चार वर्षों से—जबकि पहले सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताएं सक्रिय पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के

लिए जिम्मेदार थी—जब हम शासन में थे, हमने बैंकिंग क्षैत्र का आलम्बन लेकर गलती की थी परन्तु वे इस बड़े पैमाने पर कर रहे हैं—अब 15 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के लिए है और गैर सरकारी क्षेत्र के पास बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों तथा अन्य के लिए 30 प्रतिशत रह गया है। यह क्या ऋण पर रोक है ? यह उतना ही निरर्थक है जितना उनकी सरकारी खर्चे में 10 प्रतिशत की कटौती। क्या आपके पास ऋण के प्रबंध की व्यवस्था है, आपको कुछ क्रियाकलापों के लिए, जो बिलकुल निरर्थक हैं, ऋण नहीं देना चाहिए। अन्य के मामले आपको अधिक धन देना पड़ सकता है ताकि आपके उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

मुद्रास्फीति का उत्तर केवल उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान न देने से उनकी सार्वजकि वितरण व्यवस्था है। एक मजाक बन कर रह जायगी। मुद्रा स्फीति का उत्तर सार्वजनिक वितरण और ऋण पर रोक नहीं है। बास्तव में मैं समझता हूं कि हम इस देश में अप्रभावित सिद्धान्तों पर जोर दे रहे हैं। यदि वे समझते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था के बाहर मात्रा में धन है— मैं काले धन की बात नहीं कर रहा हूं—देश में दो प्रकार के धन हैं। एक जिसमें कर नहीं लगता है और दूसरा जिसमें कर नहीं लगता है। कृषि से मिलने वाली आय इसके अन्तर्गत आ सकती है।

परन्तु बैंकिंग प्रणाली के बाहर के संसोधन उनके नियन्त्रण के संदर्भ में आज बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज मुझे इस बारे में संशय है कि यदि खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये तो उनको बेचा भी जायेगा। और भारतीय खाद्य निगम को इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में खरीद करनी पड़ेगी। इसका अर्थ है कि भारत के लोगों को और अधिक तेल सहायता अदा करनी पड़ेगी। परन्तु जब खाद्यान्न के भारी स्टाक होंगे तो लोग अनाज़ की जमाखोरी नहीं करेंगे वे चीनी, सीमेन्ट व इस्पात की जमाखोरी करेंगे। निश्चित रूप से यह वैसा उक्त वस्तुओं पर अधिकार करने पर लगाया जायेगा।

दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से भारत माता के सब से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग में हैं अथवा व्यापार में चाहे आप इसे पसन्द करें अथवा न करें। सभी अर्थशास्त्री मिल कर भी उनकी बुद्धिमता का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वे आप के निर्णय लेने से पूर्व बहुत पहले ही सरकारी नीतियों पर नजर रखते हैं। जो स्थिति आज पैदा हो रही है क्या हम उस पर स्वयं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असमर्थ हैं ? हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इतना समय लेंगे ? हमने तन्त्र का निर्माण नहीं किया है। अमरीका जैसे प्रगतिशील देश, जिसमें विश्व के सब से उत्तम अथवा सबसे ऊंचे अर्थशास्त्री हैं, वे भी अपनी मुद्रास्फीति पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाये हैं। क्यों ? इसका कारण यह है कि देश आज सीमित नहीं हैं। संसार आज बहुत छोटा होता जा रहा है। अमरीका के बाहर आज यूरो-डावर हैं, पेट्रोल की बिक्री से आज पेट्रो-डालर मिल रहे हैं। सामान्य ऋण सुविधाओं का इन परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जरूरी यह है कि एक ऐसा तन्त्र हो जो स्थिति के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करने के सक्षम हो। केवल तब स्थिति पर काबू पा सकेंगे। उनको अगले वर्ष के बजट तक इस बात की प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ऋण पर नियन्त्रण लगा कर मूल्य वृद्धि नहीं रोक सकते। मूल्य वित्तीय उतार चढ़ाव के नियन्त्रण में होने चाहियें। वे जानते हैं कि आज केवल सामान्य मूल्य स्तर पर नियन्त्रण करने की बात

[श्री टी० ए० पई]

नहीं है। हमें तन्त्र की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिए और उसके द्वारा आप प्रत्येक जिन्स पर चाहे औद्योगिक उत्पादन हो अथबा कृषि उत्पाद—नजर रखें और इस बात की कोशिश करें कि उचित वित्तीय उपायों के द्वारा मूल्य स्तर में स्थिरता आए। यदि उत्पादन शुल्क में कटौती करनी पड़े हमें इस वात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी आय कम हो रही है। यह सिद्धांत की बात है। श्री धर से राज्य सभा में पांचवी पंच वर्षीय योजना पर चर्चा के दौरान जब यह पूछा गया कि जब कीमतें बढ़ रही थी तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं सोचा कि योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे ? उन्होंने उत्तर दिया कि मूल्यों के बढ़ने पर निवेश के बारे में योजना लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। कितनी हैरानी की बात है कि योजना आयोग के अर्थशास्त्रियों ने उनको ऐसा बताया। और उन्होंने कहा, "यदि कीमतें बढ़ती हैं तो हम और अधिक संसाधन जुटा पायेंगे और हमारी योजना पूरी हो सकेगी"।

निश्चित रूप से कीमतों के बढ़ने में सरकार का निहित स्वार्थ है और यह सोचती है कि जितनी कीमतें अधिक होंगी सरकारी आय उतनी अधिक होगी।

मैं एक वात अभी भी नहीं समझ सका। मेरे उत्तराधिकारी श्री जार्ज फर्नान्डिस और यह सरकार औद्योगिक विकास दर में 8 प्रतिशत वृद्धि का दावा कर रहें हैं। मैं चाहता हूं कि यह 8 प्रतिशत हो, मैं चाहता हूं कि यह 10 प्रतिशत हो या इससे भी बढ़ कर हो, परन्तु मैं इस बात को नहीं समझ सका कि उत्पादन शुल्क के रूप से इस सरकार की इस वर्ष की वसूली बजट के आंकडों से कम क्यों है और इसका क्या कारण है कि उत्पादन शुल्क से आय अनुमानों से कम होती जा रही है यदि उत्पादन में वृद्धि हुई तो उत्पादन शुल्क के रूप में और शायद आय कर के रूप में एवं निगमित करों के रूप में अधिक राशि मिलनी चाहिये थी। परन्तु इस बात को देखें। इसका क्या उत्तर है। पिछली बार जब मैंने सार्वजनिक ऋण का मामला उठाया तो मुझे बताया गया था कि मुझे प्रारम्भिक अर्थशास्त्र का ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं सीखने को तैयार हूं। जो आदमी सीखने को तत्पर है वही सिखा भी सकता है। यह लोग सीखने को तैंयार नहीं और जो यह नहीं जानते कि यह क्या है वह सीखने को तैयार नहीं। मेरा प्रश्न यह है। निश्चित रूप से आप सार्वजनिक ऋण प्राप्त करते हैं। भारत का सार्वजनिक ऋण भारतीय बीमा निगम से, बैंकिंग प्रणाली से तथा भविष्य निधि के माध्यम से सामुदायिक बचतों से आता है। देश की जनता को अपनी वचत पर उचित लाभ करने का अधिकार है। अतः मेरा अनुरोध है कि उनको उनकी बचतों पर अधिक लाभ मिलनी चाहिये चूंकि हम उस देश में मुद्रास्फीति में से गुजर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यह मध्य आय वर्ग के लोगों की बचतें हैं। हम क्या कर सकते हैं ? सरकार को ही अपने निवेश पर समुचित लाभ नहीं मिलता। क्या यह भारत के नागरिकों का दोष है कि सरकार द्वारा किये गये निवेशों पर समुचित लाभ नहीं हो पा रहा ? सरकार यह कोशिश क्यों नहीं करती कि उचित लाभ प्राप्त हो ? यदि उन को उचित लाभ नहीं मिल रहा तो उसका भार उनके बच्चों व उनके आगे की पीढ़ियों को सहन करना पड़ेगा और वर्तमान पीढ़ी को उसके ब्याज का भार सहन करना पड़ेगा।

अब मेरे सामने एक वहुत ही महत्व पूर्ण प्रश्न पैदा होता है। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को लें। योजना आयोग और सरकारी निर्णय के बीच कितना समय लगता है ? इस बीच जो समय बीत जाता है वह इतना अधिक होता है कि यदि लागत में वृद्धि हो जाती है तो

उसके लिए कौन उत्तरदायी है। जिस दिन से सरकार द्वारा परियोजनाओं के बारे में निर्णय लिया जाये उस दिन से परियोजना की स्थापना के पूरा होने में कितना समय लगता है? यदि जापान में एक इस्पात संयत्र की स्थापना का काम 36 महीनों में पूरा हो सकता है और कोरिया में 24 महीनों में पूरा हो सकता है तो भारतीयों को यह कहने में घमंड किस बात का कि हम इसे 10 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे बहुत अधिक निवेश करके भी कम परिमाण प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि हम अपना निर्णय लेने का तरीका बदलने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपयोग की तीसरी स्थिति आती है। अधिष्ठापित छमता को अधिकतम अवस्था प्राप्त करने में हमें कितना समय लगता है? जब तक इन अकुशलताओं को दूर करने को तैयार न हों और ये राष्ट्रीय अकुशलताएं हैं—मैं इसको समझने में असमर्थ हूं कि हम यह दावा क्यों कर रहे हैं कि हमारे इंजीनियर एवं वैज्ञानिक सब से उत्तम हैं; क्या यह इस देश के लिये शर्म की बात नहीं है कि हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति विद्युत क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ हैं? सिंचाई योजनाओं को ही देखें। सिंचाई योजना को प्रारम्भ करके तो हम प्रसन्न होते हैं परन्तु हमें इस बात में खुशी नहीं होती कि हम यह देखें कि यह योजना पूरी हो और किसान उसका लाभ उठा सके।

इस देश में मुद्रास्फीति का मूल कारण है आधे रुप में किये गये काम। नई योजनाएं आरंभ करने में हमें प्रसन्नता होती है परन्तु वर्तमान योजनाओं को पूरा करने में हमें प्रसन्नता नहीं होती। यह कुछ ऐसी अकुशलताएं है जिन के बारे में मैं चाहता हूं कि इन पर विचार किया जाये।

अब बहुत सी बातें हैं। निर्यात को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। आप अब बहुत खुश हैं कि बहुत सा धन प्राप्त हो रहा है परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इस धन को अमरीका में रख रहे हैं और उस पर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज प्राप्त कर रहें है परन्तु इसका क्या कारण है कि नौवहन के लिये भारत ने ये ऋण लिया है और जिसकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उस पर 8 से 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है उनकी वापस अदायगी क्यों नहीं की जाती क्योंकि निर्णय लेने के लिये किसी के पास समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें।

मैं अब अ-निवासी भारतीयों के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। किसी समय आपने प्रतिभा पलायन की निंदा की थी। परन्तु अब न केवल प्रतिमा पलायन अपितु मानव बल प्रसायन भी हो रहा है। प्रतिभा पलायन विकसित देशों की ओर होता रहा है परंतु मानव बल का पलायन विकासशील देशों को हो रहा है। यह हमारे प्रयासों के करण नहीं है परंतु इसका कारण यह है कि प्रतिभा का उपयोग इस देश में नहीं होगा अतः वह पलायन करेगी। अब उसके निर्यात के पश्चात, वे धन का प्रत्यावर्तन करते रहे हैं और हम उससे यह कर खुशी प्राप्त कर रहे हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति बहुत अच्छी है। सभापति महोदया, जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो रही है वह सबसे सस्ती है।

परन्तु आप इन भारतीयों के साथ किस तरह पेश आते हैं? एक अनिवासी भारतीय भारत में एक मकान क्यों नहीं खरीद सकता? वे जो नियम और विनियमन बनाते हैं और उसके साथ

[श्री टी० ए० पई]

जिस तरह पेश आते हैं उससे उसे यह सहसूस होता है कि वह कोई नामी अपराधी है जो बचकर किसी अन्य देश को चला गया है और जो यहाँ हैं वे ही देशभक्त हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। हमें समझदार होना चाहिये। हम जिम्मेदार लोग हैं और हमें इन सब समस्याओं पर सोचना चाहिये। मेरे विचार में अनिवासी भारतीयों का कुल संसाधन भारत सरकार के कुल संसाधनों से 10 गुना अधिक है। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वे जहां भी हैं हमें उन पर गर्व करना चाहिये और विश्व में कहीं भी हमारी प्रतिभा का उपयोग होता है तो हमें प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि भारत ने विश्व नागरिकता की बात उठायी है। ऐसी अनेक संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए मुद्रण उद्योग हांगकांग और जापान अधिक मजूरी के कारण अपना लाभ गवां रहा है। यह उद्योग कहीं भी आरम्भ किया जा सकता है। मैंने उत्साह देने के लिए इस समय एक मुद्रण परिषद की स्थापना की थी। अब मैं क्या देख रहा हूं। मुद्रण मशीनरी का आयात करने के लिए शुल्क में 10 से 51 प्रतिशत वृद्धि की गई है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि एच० एम० टी० उसी तरह की मशीन यहाँ बनाएं। आप निश्चय ही इस उद्योग को संरक्षण देने हेतु अधिक कर लगा सकते हैं। परन्तु कुछ मशीनें ऐसी हैं जो यहां नहीं बनाई जाती हैं तथा जिनकी हमारे विकास के लिए आवश्यकता है और मैं नहीं समझता कि उनको आयात न करना तर्कसंगत होगा।

मेरा अनुरोध है कि हुक्के के तम्बाकू पर शुल्क से छूट दी जाये। हुक्के का प्रयोग निर्धनतम लोग करते हैं। आपको इतनी छोटी चीजों पर कर लगाने से मजा क्यों आता है? यह एक छोटी चीज है जिसके लिये मैं श्री चरणसिंह जी को बधाई देता हूं। उन्होंने प्रत्येक वस्तु पर कर लगाया है। इससे पहले वे समझते थे कि दूसरों पर कर लगाया जा रहा है। अब जबकि सब पर कर लगाया गया है तो अब अगला चरण लोगों को शिक्षित करने का है। क्या यह बात ठीक है कि उनसे वसूल किया जाने वाला धन बरबाद किया जाना चाहिये? क्या उस धन का भलीभांति उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि हम अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें? आप जो कर वसूल करते हैं उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। आप भारत के लोगों को त्याग करने के लिये कहते हैं पर आप यह नहीं देखते कि बहुत ही कम लोग उन सबका लाभ उठाते हैं। यह लाभ सबको मिलना चाहिये। अन्यथा हम इस देश को गरीब से गरीब बना रहे हैं और आपको इससे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है। ऐसी बात नहीं है कि हम शहरी लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाल वर्ष में बच्चों को परेशान करना चाहते हैं। मुद्दा यह है कि हम इस देश में कराधान की सीमा पर पहुंच गये हैं और कोई ऐसी सामग्री नहीं रह गई है जो छूट गई हो और जिस पर भविष्य में कोई भावी वित्त मंत्री कर लगा सकता हो। जिस तरह से यह बातें हो रही हैं उससे आपको हैरान नहीं होना चाहिए यदि किसी दिन वित्त मन्त्री देश में घोषणा करें कि संसाधनों को जुटाने के लिए मैं केशकर्तन पर कर लगाना पड़ेगा! क्यों नहीं? उत्पादों से अब आप सेवाओं पर आ रहे हो। यह बड़ा अच्छा विचार है जिसको अमल में लाया जा सकता है। आप लोगों की गिनती कर सकते हैं, उनके सिरों की गिनती कर सकते हैं, यदि आप उन पर आठ आना लगाते हैं तो कितनी आय होगी। यह इस तरह से वसूल किया जा रहा है। यह ऐसा समाज है जहाँ करों का उपयोग केवल निर्माण कार्य के लिए

किया जा सकता है। हमारे विकास की एक चिन्तनीय बात यह है। जब मैं विदेश गया तो मैंने देखा कि विकास और मंहगाई साथ साथ चल रहे हैं। परन्तु हमारे जैसे देश में, विकास और मंहगाई साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि मूल्य स्थिर रहें और वे कम से कम रहें तभी विकास संभव हो सकता है। हमें विकसित देश की तुलना में अपने संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक प्रभावी रूप से करना होगा। अमरीका इंतजार कर सकता है पर हम नहीं कर सकते। यह कुछ बातें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए।

जहां तक अधिकार लगाने का सवाल है, आप सीधे आय कर में क्यों नहीं वृद्धि करते हैं? इसमें क्या गलती है।

श्री आर० वेंकटारमन : यह राज्यों को मिलेगा।

श्री टी० ए० पई : यह राज्यों के साथ धोखा है। जो अधिभार आप वसूल करेंगे, वह राज्यों को नहीं दिया जाएगा। यदि आपने सीधे करों को बढ़ा दिया होता तो आपको इससे हाथ धोना पड़ता। अब हमें यह शिकायतें मिल रही हैं कि लोग करों से बचने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के उपायों को अपनाकर, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसे राज्यों को धन न देना पड़े, यह एक बहुत गलत उदाहरण होगा और इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि सरकारी खर्च की तोल करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए अमरीका में मद्यनिषेध की समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, जब भी समिति के सदस्य गैर मद्चर्या होते थे, वे हमेशा यह कहते थे कि यह एक अभूतपूर्व सफलता है। परन्तु जब सभी सदस्य गैर मद्चर्या होते थे, वे कहते थे यह नितान्त विफलता है। यदि इस समिति में गैर सरकारी लोग होंगे तो इस तरह की बातें चलेंगी। विभाग उनको सूचना नहीं देंगे और वे प्रभावी नहीं हो सकते हैं। यदि इसमें केवल अधिकारी होते हैं और यदि वे इसी प्रकार की रिपोर्ट देते हैं तो मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा। अमरीका में वे कुल राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। हम अभी तक यहां तक नहीं पहुंचे हैं और इसलिए यह उचित है कि हमारा व्यय बढ़ सकता है। यदि सरकार वास्तव में ईमानदार है तो मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे अपने विभाग से आरम्भ करें, वे योजना आयोग से शुरू कर सकते हैं। उन्हें प्रतिवेदन का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में आयोग की स्थापना का अर्थ जिम्मेदारी से बचना समझा जाता है। आप अभी से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आप कल तक क्यों प्रतिक्षा कर रहे हैं? क्या आपने किसी अन्य से इस मामले में सलाह करनी है। आपको अपना दिमाग लगाना है। यदि आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आपको मितव्ययिता अपनाना आसान होगा। जब तक आप अपना दिमांग नहीं लगायेंगे तब तक आपको कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। सभी समितियों की रिपोर्टों का इस देश में कोइ महत्व नहीं है। आपकी इस बारे में गंभीर होना पड़ेगा। मैं यह इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि अगले वर्ष इस देश में घाटा एक और अयोग, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, पर हुए व्यय के कारण बढ़ेगा। मेरा अनुरोध है कि आप अपना खर्चा कम करें। घाटा न होने देने के लिए उसे कम करें। आपके पास साधन हैं। आप इस अर्थव्यवस्था को गति

दे रहे हैं पर साथ ही साथ आप रुकावट भी पैदा कर रहै हैं जिससे सच्ची अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। धन्यवाद ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, जी आज रिलीफ मंत्री महोदय ने दी है और उससे पहले कुछ थोड़ा रिलीफ दिया था, मैं समझता हूं कि वह मार्जिनल था लेकिन बजट का जितना बोझ आज जनता पर है वह अनप्रीसीडेंटेड है। इसलिए अगर उस बोझ को कम करना है तो मार्जिनल रिलीफ इधर-उधर की मार्जिनल रिलीफ से कोई लाभ नहीं होगा वास्तविक राहत दी जानी चाहिए। जब तक यह नहीं दी जायेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता ।

जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि दो वर्ष तक हमने प्राइसेज को कंट्रोल करके रखा जब कि प्राइसेज पहली सरकार के समय में तेजी से आगे बढ़ रही थी। परन्तु यह साल एक क्रिटिकल ईयर है, कुशल ईयर है इस देश के लिए। इसलिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ? 1,000 करोड़ रु० का ऐडवर्स बैलेंस आफ ट्रेड है। हमारा इम्पोर्ट ज्यादा है और ऐक्सपोर्ट कम है। मैक्सिमम हमने इस साल टैक्स लगाये हैं। आपको ताज्जुब होगा कि सातवीं योजना में जितने टैक्सेज लगने चाहिये थे पांच साल में, दो साल में उसका 75 परसेंट हम लगा चुके हैं। इस साल में और पिछले साल में 75 परसेंट सारी प्लान का आलरेडी टैक्स लग चुका है। इसके अतिरिक्त डेफिसिट फाइनेंसिंग है 1,350 करोड़। यह सब मिलाकर एक स्थिति ऐसी आ गई है कि आज देश इकोनामिक दृष्टि से एक क्रिटिकल स्थिति में से जा रहा है, कीमतें दौड़ रही हैं, और तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि 1 परसेंट बढ़ी होंगी। उनका अपना कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन जो कंज्यूमर आइटम्स हैं रिटेल में उनके दाम 5 से लेकर 30 परसेंट तक बढ़े हैं। समय नहीं, नहीं तो मैं कोट कर सकता हूं, एक नहीं बहुत। उसके तीन, चार कारण हैं। कुछ तो बजट की वजह से बढ़े हैं, कुछ इंटरनेशनल प्राइसेज बढ़ी हैं, जैसे तेल के अन्दर और कोपर में इण्टरनेशनल प्राइसेज बढ़ी हैं। लेकिन उसमें विचित्र बात यह है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेज बढ़ती हैं उसमें एस० टी० सी० अपना प्रोफिटीयरिंग और करती है। जैसे जो तेल आपको मिलता है और आप वनस्पति वालों को तेल देते हैं उसमें एस० टी० सी० 400 रु० पर टन नफा कमाती है। सरकार की एजेन्सी भी प्रोफिटीयरिंग करेगी, उसके बाद मैनुफेक्चरर्स और ट्रेडर्स भी प्रोफिटियरिंग कर रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक प्रोफिटियरिंग हो रहा है और कंज्यूमर पिस रहा है।

दुर्भाग्य है कि हमारी इकोनामिक मिनिस्ट्री में जितना कोआर्डिनेशन होना चाहिये वह नहीं है। कोयला वाले कहते हैं कि रेल नहीं है, रेल वाले कहते हैं कि कोयला नहीं है और तीसरा मन्त्रालय कहता है कि स्टील नहीं है क्योंकि कोल नहीं है। और यह कहानी चल रही है, चार पांच मिनिस्ट्रीज में अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि यह गुत्थी क्यों है। मैं चाहूंगा सरकार इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझा ले, और हमारी इकोनोमिक मिनिस्ट्रीज में ज्यादा-से-ज्यादा कोआर्डिनेशन हो जिससे प्राइसेज पर भी कंट्रोल हो और प्रोडक्शन भी बढ़े।

एक तरीका तो यह है कि जो कुछ पैदा होता है उस पर ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स लगा दीजिए। आपको रैवेन्यु मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ाइए और रेप आफ टैक्स कम करिए, आपका रैवेन्यु ज्यादा बढ़ेगा।

इस बजट में दुर्भाग्य से जो नीति अपनायी गई है वह यह है कि जो कुछ है उस पर ज्यादा से ज्यादा ठूंस दो, उससे ज्यादा खींचो । मेरा कहना यह है कि यह बहुत खतरनाक चीज है । आपको याद होगा सन् 1974 में डायरेक्टर टैक्सेज का रेट कम किया गया और पहली बार 97 परसैंट से 79 या 76 परसैंट किया गया । उससे प्रपोज्ड रैवेन्यु कम नहीं हुआ बल्कि 176 करोड़ रुपया ज्यादा मिला । उसके बाद 1976 में उसको 66 परसैंट लाया गया 77 परसैंट से, और 11 परसैंट कम किया गया । इस तरह से प्रपोज्ड रैवेन्यु से 246 करोड़ रुपया ज्यादा सरकार को मिला ।

इन्सान जितनी मेहनत करता है, वह चाहता है कि उसके पास ज्यादा पैसा रहे । आप जितना रेट आफ टैक्स बढ़ायेंगे, उतना रैवेन्यु कम आएगा । लास्ट ईअर पटेल साहब ने 3 परसैंट बढ़ाया तो इस तरह से क्या आपका रैवेन्यु पहले से कम नहीं आया ? अब 3 परसैंट और बढ़ा दिया गया है इससे रैवेन्यु और गिरेगा क्यों कि तरीका यह है कि जब तक इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं बढ़े, डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे और कहां टैक्स लगायेंगे ? मैं समझता हूं कि जब तक यह दोनों चीजें नहीं बढ़ेंगी तब तक रैवेन्यु नहीं आ सकता । इसलिए मेरा कहना है कि आप 10 हजार की लिमिट इनकमटैक्स की रखिए, अभी आपने 8 हजार की की है । मिनिमम 10 हजार की लिमिट होनी चाहिए, उससे ऊपर इनकम पर टैक्स लगाया जाये । इसके साथ ही मैक्सिमम रेट आफ टैक्स कम किया जाए । जिसकी 40 हजार इनकम है अब वह 56 परसैंट टैक्स देता है, वह इवेजन करेगा, ब्लैक मनी बनाएगा ।

आपने कैपिटल गेन्स में सुविधायें दी हैं, उसके लिए बढ़िया किया । लेकिन जो पहले था, उस पर कैपिटल्स गेन होता है तो अच्छा रहता । मैं अर्ज करता हूं जैसे चौधरी साहब के किसी भतीजे या सन-इन-ला ने या किसी ने जमीन बेची और बेचने के बाद अब यह कहा गया कि वह जमीन सरकार को वापिस जायेगी तो पहले जो जमीन पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा और सरकार को वापिस जाएगी तो उस पर अब गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि गिफ्ट टैक्स जो सही वैल्यू है, उस पर लगाया जाएगा तो इस तरह से डबल मार पड़ी ।

इसलिए यह जो तरीका है कि हर साल 19, 20 सैक्शन्ज कम करना या ज्यादा करना अच्छी चीज नहीं है । इनकम टैक्स को स्थायी रखना चाहिए । कभी थोड़ा रिलीफ देते हैं, कभी वापिस लेते हैं, और फिर देते हैं ।

अब कहते हैं कि अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए दाम बढ़ाया कैरोसिन आयल का । यह आर्ग्यूमैंट पहले भी दी गई थी और जब कम किया गया तो यह आर्ग्यूमैंट की गई कि यह गरीबों की चीज है । तो यह चीज ठीक नहीं है । अगर लोगों के बोझ को ठीक करना है, तो इसमें जबर्दस्त कमी करनी होगी ।

एक चीज मैं यह कहूंगा कि ब्लैक मनी के वालेन्टरी डिस्कलोजर के 2, 3 मौके आए । मैं इसको ठीक नहीं समझता । मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर वह इस पर ध्यान दें तो । जो इस तरह का रुपया आज मार्केट में ब्लैक मनी, पैरेलल मनी चल रहा है अगर उसको रोकना है, अरैस्ट करना है तो उसका तरीका यह है कि गाँव में जो भी पब्लिक वैलफेयर का काम हो, 100 परसैंट वैलफेयर का काम हो, उस पर जो भी रुपया लगाना चाहते हों, आप

[श्री कंवर लाल गुप्त]

उनसे पूछिए मत कि रुपया कहां से आया। इस तरह वह पैसा पब्लिक एक्टिविटी में लगेगा। अगर कोई आदमी हास्पिटल, स्कूल कालेज, कम्युनिटी सैंटर या सड़क बनवाये, या नहर खुद वाए—चाहे वह रुपया गांव में लगे या शहर में लगे, तो उससे उस रुपये के बारे में न पूछा जाये। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि हर एक बात में यह शर्त लगा दी जाए कि अगर गांव में कुछ किया जाए, तो फलां एग्जेम्प्शन या सुविधा दी जायेगी, और अगर शहर में किया जाए, तो नहीं दी जायेगी। इस तरह देश को दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं करना चाहिए। आखिर शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं। इस लिए शहरों में भी सुविधायें दी जानी चाहिए।

कहा जाता है कि पैसा कहां से आयेगा। सातवें फिनांस कमीशन ने कहा है कि गांवों में जो रूरल रिच रहते हैं, उन पर बीस साल पहले जो टैक्स था, आज उन पर उसका दसवां हिस्सा टैक्स लगता है। क्या मंत्री महोदय ने कभी यह सोचा है कि गांव में जिसकी आमदनी 10, 15, 20 या 30 हजार रुपये है, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए। फिनांस कमीशन ने यह रीकमेंड किया है। कई राज्यों ने तो लैंड रेवेन्यु भी खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि गांव में जिस किसान की आमदनी 12 हजार रुपये से ज्यादा है, उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए।

इस बजट की प्रोपोजल्ज से फायदा किसको होता है? वित्त मंत्री ने खाद में जो रिलीफ दिया है, उससे केवल रूरल रिच को फायदा होता है। इरिगेशन और बिजली में लास होता है, मगर उसका फायदा गांवों के सिर्फ 20 परसेंट बड़े किसानों को होता हैं। साढ़े तीन करोड़ छोटे किसानों को, जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है, कोई लाभ नहीं हो पाता है। मैं रूरल डेवेलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उसको प्राथमिकता दी जाए। पहले हक गांवों के लोगों का है, क्योंकि वहां ज्यादा गरीबी है। लेकिन वह डेवेलपमेंट साढ़े तीन करोड़ किसानों के लिए होना चाहिए। जब तक उनके लिए कुछ नहीं होता है, तब तक मैं नहीं समझता कि गांवों का विकास होगा।

जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। आइटम 68 की कोई डेफिनीशन नहीं है—नैगेटिव डेफिनीशन है कि जो चीजें एक्साइज में कवर नहीं होती हैं, वे सब आइटम 68 में आयेंगी। उस लिस्ट में आइस, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, हैंड-टूल्ज, बाइसकिल, इलेक्ट्रिक गुड्ज, बूट पालिश, बकेट बगैरह बहुत सी छोटी-छोटी चीजें हैं। उन सब पर 8 परसेंट टैक्स लगाने से सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

इसके अलावा स्माल स्केल इंडस्ट्री की एग्जेंप्शन लिमिट को 30 लाख रुपये से कम करके 15 लाख रुपये कर दिया गया है। जिसने 10 लाख रुपये की कैपिटल इनवेस्टमेंट की है, क्या वह 15 लाख रुपये का टर्न-ओवर करके अपना काम चला सकता है? मंहगाई के कारण इस लिमिट को 30 या 40 लाख रुपये कर देना चाहिए—30 लाख रुपये तो जरूर कर देना चाहिए। मैं यह वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो सब स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज बैठ जायेंगी। जितने रेवेन्यु की सरकार को उम्मीद है, वह भी उसको नहीं मिलेगा। टुथब्रश, बीड़ी, मैच बाक्स, कैरोसीन आयल और इलैक्ट्रिक पर सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है, वह सबका सब वापस ले लिया जाये।

जहाँ पर खर्चा ज्यादा होता है, उसको पिन डाउन करने के लिए कमीशन बिठाने की जो योजना बनाई गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। श्री पाई उसके बारे में क्रिटिकल होंगे, लेकिन मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

मैं उस कमेटी का भी स्वागत करता हूं जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं उस चीज में जायगी, वह भी एक-एक अच्छी बात है और जो दस लाख टुबैको ग्रोअर्स को हैरेसमेंट हो रहा था वह हैरेसमेंट आप ने दूर किया, उस के लिए भी मैं आप को बधाई देना चाहता हूं।

आलटरनेटिव सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके बारे में कह कर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 15 हजार करोड़ रुपया लगाया हुआ है। जब पहला प्लांट बना था पहले साल में केवल 27 करोड़ लगा था, आज 15 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप कहते हैं :—

आप कहते हैं कि हमने ऊंची उपलब्धि प्राप्त की, आपकी ऊंची उपलब्धि क्या है? आप 15 करोड़ रुपये घाटा दिखा रहे हैं। क्या यही आपकी ऊंची उपलब्धि है? वह ऊंची उपलब्धि क्या है? यही मेरा प्रश्न है। क्या हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुप्रबन्ध, अकुशलता और भ्रष्टाचार के लिए कर का भुगतान करना पड़ेगा?

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ नहीं हूं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें, आप पीछे बैठे सदस्यों को उनके अवसरों से वंचित कर रहे हैं। वे शान्ति से बैठे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं एक मिनट अधिक नहीं लूंगा लेकिन इस को टाइटेन अप करना पड़ेगा। दो ढाई परसेंट से शुरू करेगें तब भी आप का दो सौ ढाई सौ करोड़ रुपया आ जायगा। 1100 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ आप के इनकम टैक्स का एरियर है। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन में कोर्ट केसेज नहीं चल रहे हैं। वहां पर आप दो सौ या तीन सौ करोड़ रुपया वसूल क्यों नहीं कर सकते? शराब-बन्दी तो आप चाहते हैं लेकिन शराब को आप ने छेड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि शराब पर भी आप टैक्स लगाएं।

आखिर में, मैं एक चीज कह कर खत्म करता हूं कि यह जो हमारे पास फारेन एक्सचेज है वह बहुत काफी है। इसके लिए स्टडी करिए आप कि इस का किस तरह से इस्तेमाल हो। अभी तो यह हैपहैजर्ड तरीके से हो रहा है, जहां शार्टेज होती है फारेन एक्सचेंज इस्तेमाल कर लेते हैं मेरा यह कहना है कि वह कैसे भी आता है, उसकी एक साइंटिफिक स्टडी हो ओर इसके बाद इस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकता है यह देखना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट में जो अच्छी बातें हैं उन का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को जो मैंने सुझाव दिये हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाय।

श्री एन्यू साहू (बोलनगीर) : मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं। हम श्री पाई जैसे एक बड़े उद्योगपति और श्री कंवरलाल गुप्त जैसे शहरी धनिक के भाषण सुन रहे थे, अब आप एक गांव के धनिक को सुनेंगे जो कि एक कृषक है। जहां तक वित्त विधेयक का संबन्ध है, यह

[श्री एन्थू साहू]

एक ऐसा विधेयक है जो कृषकों की प्रेरणा को प्रतिबिम्बित करता है। इसमें कुछ छूट और रियायतें भीं दी हैं। गत तीस वर्षो के दौरान हमने योजनायें चलाई लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी बनी हुई है। श्री पाई ने कहा कि योजना आयोग सरकार को कुछ लिखता है लेकिन सरकार उसे नहीं मानती, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री राजगोपालचारी ने कहा था कि योजना आयोग को हमेशा के लिए समाप्त कर दो और सरकार उन कार्यों को स्वंय देखे। विधेयक ग्रामीण लोगों से संबन्धित है। आरम्भ में, हमारी योजना रूसी योजना पर आधारित थी। रूसी लोगों ने अपनी योजनाओं को भारी उद्योगों संबन्धी अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरम्भ किया था। हमने उसी आधार को अपनाया यदि हम उन दिनों के इतिहास को जानते हैं जबकि योजना तैयार की गई थी तो हम देखेंगे कि उस समय डा० ब्रह्मानन्द जैसे महान व्यक्तियों ने तर्क किया था कि किस प्रकार की योजना होनी चाहिए। हमें उस समय भारत के लिए 'वेज-गूड माडल प्लानिंग' की आवश्यकता थी। श्री कृष्णामाचारी ने कहा था कि वे रूसी विषय की समाजवादी आयोजना के लिए वचनबद्ध थे और दूसरों से कहा कि वे किसी प्रकार की दूसरी नई योजना का सुझाव न दें। परिणामस्वरूप हमें बेरोजगारी जैसी निर्धनता प्राप्त हुई और ग्रामीण लोगों की सदा के लिए उपेक्षा हो गयी। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने पहली बार बजट पेश किया है जिसमें गांवों के लोगों और किसानों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया गया है। पिछली बार भी मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक : 'गांधियन बिल्यूप्रिन्ट' से उद्धरण दिया था, यदि हम इस देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें जन-संख्या को कृषि से उद्योग की ओर आकर्षित करना होगा, प्रो० दांतवाला ने एक पुस्तक लिखी है :—

"हन्डरड इचर्स आफ पावर्टी"। वह एक विशेषज्ञ हैं और योजना आयोग को परामर्श दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक देश के लोग भूमि पर निर्भर रहेंगे उनकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होगी।

गत 30 वर्षो में कांग्रेस सरकार अथवा पिछली सरकार ने लोगों को जमीन वितरित की लेकिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम रही और अब और अधिक लोग निर्धनता की रेखा से नीचे रहे हैं।

रुपये का मूल्य भी घटता रहा। 1950 में एक रुपया (अर्थात 100 पैसे) 1977 में घट कर 25 पैसे रह गया जबकि कॉग्रेस सरकार गई और वर्तमान सरकार आयी अब रुपया स्थिर रुपया है।

देश में हमारा खाद्यान्न का भंडार 200 लाख टन है जो कि एक प्रभावकारी मात्रा है। 1977-78 में 1260 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। पिछले बजट में व्यापार घटा था और अधिक आयात तथा कम निर्यात के कारण अब भी है, निर्यात में कमी हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा पैदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ष कोई व्यापार घाटा नहीं होगा। हमारे पास देश में विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार विद्यमान है और खाद्यान्न की मात्रा भी बहुत अधिक है।

अब मैं कराधान पर आता हूं। हमारे देश में कराधान की दर वास्तव में बहुत ऊंची है।

अधिकतम कराधान से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने से प्रतिफल कम मिलता है और यह अनुत्पादक है। न्यूनतम कराधान से अधिकतम राजस्व हमेशा बेहतर होता है। 'जर्मन मिरैकल' के लेखक डा० लुडविग एरहार्ड और प्रो० कोलिनक्लार्क का निश्चित मत है कि अधिकतम वैयक्तिक कराधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि प्रसिद्व समाजवादी प्रो० कालडोर ने दलील दी। कराधान की अधिकतम दर 45 प्रतिशत होनी चाहिए। हमारे देश में अधिकतम आयकर लगाया जाता है। हम न्यूनतम कराधान से अधिकतम राजस्व प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से अपवंचन नहीं होगा।

गत वर्ष ग्रेट ब्रिटेन में आय कर घटा दिया गया था। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने बजट में 2,000 पौण्ड आयकर की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। तदानुसार हमें आय कर घटाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि कर अपवंचन दूर हो सके। हमारे देश में केवल 30 लाख लोग आय-कर देते हैं। यहां भारी कराधान है। इसीलिए यहां काला धन अधिक है। हमें ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करना चाहिए। इंगलैंड में जिनके पास काला धन है वे जाकर राशि को चेक द्वारा बैंक में जमा करा देते हैं और नाम तथा पहचान की घोषणा नहीं करते, अन्ततोगत्वा धन परिचलन में आता है, यदि हम इस प्रकार की पद्धन्ति को अपनाये तो किसी प्रकार का संकट पैदा नहीं होगा।

1951 में 15 मदों पर उत्पादन शुल्क लगता था, अब 133 से भी अधिक मदें हैं। यदि भारी उत्पादन शुल्क लगाया गया तो मन्दी की स्थिति पैदा हो जायेगी। अतः हमें उत्पादन शुल्क में ढील देनी चाहिए। साथ ही हमारे पास पर्यवेक्षक कर्मचारी भी होने चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सकें कि जिस उद्देश्य से उत्पादन शुल्क में कटौती की गई है उससे होने वाला लाभ उन कम्पनियों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं जिनके लिए यह कटौती की गयी थी। मैं विद्युत पम्प का उदाहरण देना चाहूंगा। गत वर्ष किसानों के लाभ के लिए विद्युत पम्प पर उत्पादन शुल्क में ढील दी गयी थी। लेकिन लाभ किसानों को नहीं पहुंचा। उत्पादन शुल्क पर रियायत देने के बाद भी कीमत वही रही। सरकारी क्षेत्र सदा एक बीमार शिशु की भाँति है। हमारे पूँजी निवेश का 60 प्रतिशत निवेश सरकारी क्षेत्र में होता है और यह घाटे पर चल रहा है। यह पिछली सरकार क्या बीमार शिशु है। हम इसके लिये दोषी नहीं हैं। इसके लिए पिछली सरकार उत्तरदायी है।

देश में इस्पात संयंत्र जनता सरकार द्वारा आरंभ नहीं किये गये हैं। ये पिछली सरकार द्वारा आरंभ किये गये थे। यह बीमार शिशु है। सरकारी क्षेत्र में हमने पूंजी निवेश कर रखा है। परंतु उस पर कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। जो भी हमें हानि होती है हम आम आदमी के आम कर दाता के पैसे की हानि कर रहे है। मेल इंडिया लिमिटेड में, जिसका पिछली सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था हमें हरवर्ष 100 करोड़ रु० की हानि होती है। हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मैं वर्तमान सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीयकरण न करें। राष्ट्रीयकरण जैसी ऐश्वर्य की वस्तु को सह पाना इस निर्धन राष्ट्र के बस की बात नहीं है। यह नहीं हो सकता कि हम राष्ट्रीयकरण को सहन करते जाये और देश को हानि होती रहे।

मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि मैं राजधानी में चारों ओर घूम रहा था और मैंने

[श्री एन्थू साहू]

पाया कि चावल, गेंहूं, कोयला, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल जैसे पांच वस्तुएं आम जनता सस्ती कीमत पर पाना चाहती है। खाद्यान्नों की कीमतें गिर गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य तक उनके लाने लेजाने पर कोई रुकावट नहीं है। खाद्यान्न प्राप्त करने में भी अब लोगों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जहां तक चीनी का सबन्ध है इस सरकार ने लाइ-सेंस—कोटा—परमिट राज द्वारा लागू की गई प्रणाली को समाप्त कर दिया है और लोगों को उचित कीमत पर पर्याप्त चीनी मिल रही है। जहां तक कोयले का सबन्ध है, दिक्कत इस सरकार के कारण नहीं है अपितु पिछली सरकार के कारनामों के कारण से हैं। जहां तक मिट्टी के तेल का संबन्ध है सरकार को इसकी कीमत नही बढ़ानी चाहिये और लोगों को मिट्टी का तेल सस्ती कीमत पर मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दयालु बने और इस बात को देखें कि ये पांच वस्तुएं जिनका मैंने उल्लेख किया है, सस्ती कीमतों पर उपलब्ध की जायें।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० अरुणाचलम उर्फ 'अलादी अरुण' (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक पर जो इस माननीय सभा के सामने है, कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत ही कम समय में, जनता को बजट के लाभों का अंशमात्र मिलने से पूर्व, उनका जीवन कर प्रस्तावों से गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था तथा लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस शासन के दौरान हमने लोगों को लाइनों में खड़े हुए देखा। परन्तु हमारे माननीय उप प्रधान मंत्री को धन्यवाद है कि हम सड़कों के किनारे लारियों, बसों और ट्रैक्टरों की लाइने देखते हैं।

जब उन्होंने बजट पेश किया उस समय थोक मूल्य सूचकांक 185 था। जब उन्होंने वित्त विधेयक पेश किया तो थोक मूल्य सूचकांक 190.5 तक पहुंच गया है। जब माननीय उप प्रधान मंत्री आम बजट पर आम चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि वह इस बात को देखेंगे कि आम मूल्य सूचकांक में महत्व पूर्ण वृद्धि न हो। अब ऐसा लगता है कि वे अब स्थिति के बचाव के लिए अपनी बुद्धि का व्यय व्यर्थ के प्रयासों पर कर रहे हैं।

राज्यों और केन्द्र के बीच वित्तीय नीति में आमूलचूल परिवर्तन कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के लिये नितान्त जरुरी हैं। पूरी तरह से केन्द्रीकृत आयोजना, कराधान और वित्त नीति का पालन पिछले 30 वर्षों में असफल रहा है और यह न केवल हमारे उद्योगों के विकास के लिए सहायक है बल्कि राज्यों के बीच प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने अथवा अल्प विकसित क्षेत्रों को सुधारने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी उपयोगी नहीं है इसके विपरित इसके परिणामस्वरूप एक तरफा औद्योगिक विकास हुआ है और इसको उन राज्यों के विरुद्ध, जिनमें केन्द्र में शासक पार्टी से भिन्न पार्टी की सरकार है, एक राजनैतिक हथियार माना गया है।

यह कहा जाता है कि जनता सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की दिशा में उचित कदम उठाये। तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि इसने अनुदारता पूर्वक 3112 करोड़ रू०

राज्यों को सहायता के लिये दिये हैं और सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को तूरी तरह स्वीकार कर लेना भी इसकी विकेन्द्रीकरण नीति का एक अन्य उदाहरण है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले कुछ दैनिक समाचार पत्र, वास्तविक का विश्लेषण किये बिना, इस तर्क के पक्ष में लेख प्रकाशित कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में कोई विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था अथवा आयोजना नहीं है। पिछली सरकार द्वारा जिस नीति अथवा सिद्धान्त का पालन किया जाता था उसको बदला नहीं गया है। इस सरकार द्वारा अपनाई गई चालों से लोग समझते हैं कि यह सरकार राज्यों के प्रति और अधिक व्यवहारिक और स्पष्ट है परन्तु यह इस तथ्य को नहीं छुपा सकती कि इसकी नीति और सिद्धांत नहीं बदले हैं।

सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लेने मात्र से ही राज्यों की अर्थव्यवस्था में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। वास्तव में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों का अधिक सुधार नहीं हुआ है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को 43,916 करोड़ रू० की कुल कर राजस्व वसूली में से 11,168 करोड़ का अन्तरण हुआ दूसरे शब्दों में राज्यों को 25.4 प्रतिशत राजस्व का अन्तरण हुआ। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 80,126 करोड़ रू० की कुल अनुमानित कर वसूलियों में से राज्यों को 20,907 करोड़ रु० का अन्तरण किया जायेगा। अतः राज्यों को राजस्व कर अन्तरण केवल 26.1 प्रतिशत होगा। इसके लिये सातवें वित्त आयोग को धन्यवाद। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण केवल मात्र 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही। इस अल्प-मात्रा से राज्यों की अर्थव्यवस्था के आधार ढाँचे में क्या परिवर्तन होने वाला है? सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों की पूरी तरह से स्वीकार करने का दावा और कुछ नहीं, केवल धोखा है।

यदि हम राज्यों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत चालू वर्ष में राशियों के अन्तरण को देखें तो स्थिति हमारे संशयों को दूर करने में और भी सहायक होगी। 1978-79 के दौरान कुल 6552 करोड़ रुपये का अन्तरण हुआ। 1979-80 में बढ़कर यह अन्तरण 6938 करोड़ रु० हो गया। यदि इस राशि की कुल राजस्व वसूलियों के साथ तुलना करें तो गत वर्ष कुल 33.5% का अन्तरण हुआ। इस वर्ष यह केवल 33.6 प्रतिशत है। वृद्धि केवल 0.1 प्रतिशत है। अतः यह गलत है और यह कहना धोखा है कि जनता सरकार राजस्व देने के बारे में राज्यों के प्रति अनुदार और दयालु है। केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था और आयोजना की असफलता के कारण सभी राज्यों को आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को बाध्य होना पड़ रहा है। अन्यथा, राज्यों के पास और कोई उपाय नहीं है। अब, वे एक नई चाल चल रहे हैं और वे अपने प्रयासों में सफल होने के लिए अनेक मंचों (फोरम) को उपयोग में लाते हैं।

मैं राज्यों की त्रुटियों के बारे में की जा रही आलोचना के सम्बन्ध में अनभिज्ञ नहीं हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि केन्द्रीयकृत योजना और वित्तीय मामलों में केन्द्र की आपत्तिजनक नीति-राज्यों के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी हैं।

दुर्भाग्यवश, संविधान के निर्माता हमारे संविधान में वास्तविक संघीय सिद्धान्तों को समा-विष्ट करने में असफल रहे। वास्तव में, उन्होंने वित्तीय मामलों में हमारे राज्यों को बहुत सीमित शक्तियाँ दी हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सीमित अधिकार क्षेत्र में भी केन्द्र से खतरा है। यदि आप उसे पढ़ें तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अब तक हमारे सामने एक

[श्री वी० अरुणाचलम]

भी ऐसा उदाहरण नहीं आया है जब केन्द्र ने राज्य के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ा हो।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए]

लेकिन साथ ही राष्ट्रीय महत्त्व तथा विशेष महत्व और कराधान में एकरूपता, के बहाने राज्यों के सीमित अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होता रहा है, इस प्रकार केन्द्र ने राज्यों के अधिकारों को छीन लिया है, मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कुछ व्याख्या की आवश्यकता है।

1948-49 में, उत्पादन प्रशुल्क सूची में केवल 15 मद थी। 1953-54 तक यह संख्या उतनी ही रही, तत्पश्चात बढ़ोत्तरी आरम्भ हुई। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क के अन्तर्गत 135 मद हैं। जब केन्द्र राज्यों के पास बचे संसाधनों पर विचार किये बिना अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहा है तो राज्य अपने कल्याण के लिए किस प्रकार अपने संसाधन जुटा सकते हैं। हालांकि राज्यों को सभी वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने का अधिकार है फिर भी उत्पादन शुल्क के भारी भार के कारण उन्हें मजबूरन आत्म-नियंत्रण करना पड़ता है।

राज्यों की कमजोर स्थिति को देखते हुए, प्रत्येक वित्त आयोग ने आय-कर तथा उत्पादन शुल्क को शेयर करने के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक विचार किया। केवल इस प्रवृत्ति के जारी रहने के कारण और आय-कर तथा उत्पादक शुल्क में अपना भाग बड़ा रखने के लिए केन्द्र ने निगम कर तथा आय कर पर अधिभार लगाने जैसे नए उपाय आरम्भ किए। ये कर और कुछ नहीं, बस राज्यों के विरुद्ध केन्द्र को धोखाधड़ीपूर्ण तरीके हैं।

1959 में आय-कर अधिनियम में संशोधन से निगम कर लगाने के संदेश दें। केन्द्रीय करकार को शक्तियाँ प्राप्त हुई जिसमें राज्यों का शेयर नहीं है। दूसरे शब्दों में आय-कर की श्रेणी को निगम कर की श्रेणी में बदल दिया गया, तत्पश्चात केन्द्र ने आय-कर की अपेक्षा निगम कर को बढ़ाने पर बल दिया ताकि राज्यों के संवैधानिक दावे को छलपूर्ण तरीकों से अस्वीकार किया जा सके।

निगम कर को शेयर करने के लिए राज्यों द्वारा जोरदार अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद भी केन्द्र राज्यों की मांग को स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जब इस बात को सातवें वित्त आयोग के ध्यान में लाया गया तो उसने कुछ अनुकूल टिप्पणियाँ की उन्होंने कहा, "यदि हम राज्यों के विचारों के साथ सहानुभूति भी रखें तो हम इस मामले में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि निगम कर राजस्व में राज्यों का भाग नहीं हो सकता, राज्यों द्वारा हमको तथा पहले के आयोगों को दिए गए जोरदार अभ्यावेदन को देखते हुए हम केवल अनुरोध कर सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस बात को अन्तिम रूप से हल करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करने के बारे में विचार करे।" मैं नहीं जानता कि क्या हमारे उप-प्रधान मंत्री सातवें वित्त आयोग के इस निर्णय को मानेंगे।

राज्यों के साथ आय-कर को शेयर करने के वैध उत्तरदायित्व से बचने के लिए केन्द्र ने आय-कर पर अधिभार लगाकर एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि हालांकि इस मामले में सातवें वित्त आयोग की सिफारिश की अवहेलना हो जाती है, तो भी उसने बताया है कि "अनिश्चित समय के लिए लगाये गये अधिकार को अतिरिक्त आय-कर कहा

जा सकता है जिसे आय-कर की शेष आय के साथ शेयर किया जा सकता है।" इसलिए, कानून में परिवर्तन लाकर इसे विभाज्य मूल की परिधि में लाया जाना चाहिए।

राज्यों और केन्द्र के बीच अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विवाद अभी भी बिना हल किये पड़ा हैं। तम्बाकू, चीनी और कपड़ों पर बिक्री कर लगाना राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन विशेष महत्व के विवाद की आड़ में केन्द्र राज्यों के क्षेत्राधिकार में शामिल हो गया और चीनी, कपडा तथा तम्बाकू पर बिक्री कर को हटाकर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार उसने प्राप्त कर लिया।

प्रत्येक राज्य में वस्तुओं के उपभोग के आधार पर राज्यों के बीच कुल अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आय को वितरित करने का सिद्धान्त सफल नहीं हुआ। अधिकांश राज्य इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, यदि राज्यों को बिक्री कर लगाने दिया जाता तो निःसंदेह उन्होंने केन्द्र से प्राप्त होने वाली राजस्व से अधिक राजस्व बढ़ा लिया होता, तब, राज्यों को संतुष्ट करने के लिए केन्द्र ने राज्यों की सहमति से दिसम्बर, 1970 में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की नई योजना चालू की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार ने आरम्भ से ही कर वितरण के बारे में 1970 में हुए करार की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। केन्द्र ने अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से आय में मूल्य निपटान (क्लीयरेन्स वेल्यू) के 10.8 प्रतिशत वृद्धि करने का वचन दिया था। परन्तु यदि आप तथ्यों को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वास्तविक प्रतिशतता वर्ष 1973-74 में 8.66 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1977-78 में 6.82 प्रतिशत रह गई है।

राज्यों को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए संवैधानिक रूप से आय को जो अधिक महत्वपूर्ण स्रोत्र दिया गया था, वह जो केन्द्र की आपत्तिजनक नीति के कारण अपरिवर्तित रहा है और उसका कम उपयोग हुआ है।

रेल यात्री किराए पर कर के बदले दिए जाने वाले धन के बारे में केन्द्र के रवैये ने राज्यों के राजस्व आय पर बहुत प्रभाव डाला है। रेल यात्री किराया अधिनियम, 1957 की समाप्ति के बाद, रेलवे अभिसमय समिति ने इस कर के बदले प्रति वर्ष 12.5 करोड़ रुपया राज्यों को देने का प्रस्ताव रखा। यह राशी वर्ष 1966-67 से 1970-71 की अवधि के लिए बढ़ाकर 16.25 करोड़ रुपया कर दी गई। इसके बाद रेलवे अभिसमय समिति ने राज्यों को दी जाने वाली इस राशि को नहीं बढ़ाई। राज्यों को दी जाने वाली राशि अपरिवर्तित और स्थिर है। इसके साथ रेलवे बोर्ड को किराए से होने वाली आय में काफी वृद्धि हो रही है।

मैं इस सम्मानीय सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि रेल यात्री किराया अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया कर जारी रखा जाये तो सातवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार वसूली वर्ष 1977-78 में 61.17 करोड़ रुपये और वर्ष 1978-79 में 63.72 करोड़ रुपये होती। परन्तु इसके बावजूद रेलवे बोर्ड राज्यों को केवल 16.25 करोड़ रुपये दे रहा है जो राज्यों को देय राशि का एक चौथाई भाग से कम है।

वित्त मंत्री और उप प्रधान मंत्री ने अपने बजट के भाषण में राज्यों को यह आश्वासन दिया है कि वह यह देखेंगे कि राज्यों को करों में उनका उचित हिस्सा मिले। मैं नहीं समझ

[श्री वी० अरुणाचलम]

पाया हूं कि उन्होनें 'उचित' को किस प्रकार परिमाणित किया। क्या सरकार को यह कहना उचित है कि उन्हें निगमित कर में हिस्सा दिया जाये? क्या सरकार से यह मांग करना उचित नहीं है कि उन्हें आय कर पर अधिभार का हिस्सा दिया जाये? क्या सरकार को यह कहना उचित नहीं है कि वर्ष 1970 में हुए समझौते की शर्तों को क्रियान्वित किया जाये? क्या सरकार को यह कहना उचित नहीं है कि रेलवे द्वारा किरायों की वसूली के अनुसार उन्हें धन दिया जाये। मैं नहीं जानता। कृपया मंत्री महोदय राज्यों को समझायें कि उचित क्या है। केन्द्र ने करों में राज्यों के भाग की घोर उपेक्षा की है।

यह एक अकाट्य सत्य है कि इसके लिए केन्द्र की आपत्तिजनक नीति उत्तरदायी है। देश के व्याप्त सभी संकटों के लिए केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था और नियोजन उत्तरदायी हैं। जब तक कानूनों में परिवर्तन करके और संविधान में संशोधन करके आधारभूत परिवर्तन नहीं लाये जाते हैं जिससे राज्यों को राजस्व में अधिक हिस्सा मिले तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। राज्यों की स्वस्थ और सफल अर्थव्यवस्था के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों को नया रूप देना बहुत आवश्यक है इसलिए एक संघीय ढ़ांचे में जब तक राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता नहीं मिलती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की केवल आशा ही की जा सकती है, वह साकार नहीं हो सकती है।

श्री एस० एस० सोमानी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत फाइनेन्स बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अक्सर हमारे मित्रों द्वारा यह कहा गया कि जनता पार्टी ने 2 साल में क्या काम किया और जनता पार्टी की नीतियां किस प्रकार से पुराने शासन से भिन्न हैं? एक बहुत बड़ा परिवर्तन 1977 में इस देश में हुआ था और उसके बाद जो जनता पार्टी की नई सरकार बनी उसने पिछली सरकार की विकास की जो आर्थिक नीति थी, उसको पूरी तरह बदल दिया।

पहले की सरकार शहरों की ओर विशेष ध्यान दे रही थी और उनका अनुमान था कि अगर हम शहरों का विकास करेंगे तो इसका गावों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह भी विकसित होंगे। उस समय भी हम कहते थे कि यह नीति गलत है। 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, इसलिए जब तक हम गांव का विकास नही करेंगे तब तक देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकेगा और इसलिये हमने उस नीति को पूरी तरह बदल दिया। आज गावों के विकास का सिलसिला शुरु हुआ है। मैं राजस्थान का उदाहरण दे सकता हूं। वहां कोई भी अगर गांव में जाकर देखना चाहे तो वह देख सकता है। लोगों की धारणा यह है कि जहां गांव में पिछले 30 सालों में सार्वजनिक कामों के लिये एक ईट या एक पत्थर भी नहीं लगा, वहां राजस्थान में अब एक-एक गांव में एक-एक नहीं; दो-दो और तीन-तीन भवन 'अनाज के बदले काम' के आधार पर खड़े हैं। आज गांव के लोग कहते हैं कि पिछले 30 साल में कभी इस प्रकार का काम नहीं देखा।

अन्त्योदय का प्रोग्राम देखिये। इस तरह की योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है। इसको राष्ट्रीय रूप देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस काम के लिये पूरे बजट की व्यवस्था करनी चाहिये थी, परन्तु उसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस अन्त्योदय योजना के तहत गांव के गरीबों को खेती के लिये जमीन और रहने के लिये मकान की जमीन दी गई है।

जिसके पास खेती है, उसको उसे विकसित करने के लिये साधन दिये हैं और जो अपंग हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लगभग 30 हजार आदमियों को 50 से 60 रुपये मासिक पैंशन दी जा रही है। यह काम करने का तरीका बनाया गया है। इस तरह से इस साल का जो वित्त विधेयक और बजट आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

परन्तु कुछ आधारभूत बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्पादन चाहे उद्योग का हो या कृषि का हो, हमारे देश की इकनौमी को बैलेन्स्ड रखना आवश्यक है। हमें प्रसन्नता है कि खेती और सिंचाई व उद्योगों पर पूरी मुस्तैदी से ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु इसमें और भी कुछ करने की आवश्यकता है। केवल आंकड़े रखने से, अखबारों में पब्लिसिटी करने से काम नहीं होगा। अगर हम देश का और गावों की जनता का विकास करना चाहते हैं तो हमें वास्तविक आउट-पुट बताने पड़ेंगे, हमें सारी चीज़ जनता के सामने दिखानी पड़ेगी ताकि लोगों को लगे हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है। इसलिये उत्पादन की और मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कृषि, सिंचाई और उद्योग-धंधों के लिये जितनी भी रियायतें आपने दी हैं, वह बहुत अच्छी हैं किन्तु और जितनी भी देने की आवश्यकता हो, वह भी दी जानी चाहियें।

अभी हमारे मित्र श्री कंवर लाल गुप्त स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये कह रहे थे। आपने जो 30, 40 हजार स्माल स्केल की इंडस्ट्रीज की सेन्ट्रल एकसाइज को लिमिट की 30 से 15 लाख किया है, वह उससे प्रभावित होती हैं। इसका सरकार वाया मीडिया निकाले। उन लोगों को प्रोडक्शन का हिसाब किताब रखना होगा और भी कई तरह की कठिनाईयां आयेंगी। अगर इस तरह की चीजें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में करेंगे तो उससे माल-प्रैक्टिसेज होंगी और हैरेसमेंट होगा

उसके कारण स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की प्राडक्शन में कमी होगी। इस बारे में आल इंडिया फेडेरेशन आफ स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। लगभग 70 एम० पीज० ने भी लिखित ज्ञापन दिया है अखबारों में इस बारे में बहुत कुछ आया है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पास लोग आते हैं। वे बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि हमने जो गति अपने उद्योगों में प्राप्त की थी, इस नये प्रावधान के कारण वह रुक जायेगी और विकास में कठिनाई होगी।

मैं राज्य मंत्री, श्री अग्रवाल, को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दो साल में ट्रिमेंडस वर्क किया है—खासकर तस्करी और कस्टम्ज के मामले में। फिर भी कुछ जगह अनियमिततायें हैं। बम्बई में जो माल पड़ा हुआ है, वहाँ का कस्टम अधिकारी अपनी इच्छा से जमानत ले कर उसको छोड़ देता है। इसके मुकाबले मद्रास में लाखों रुपयों का माल पड़ा रहता है। व्यपारी कहता है कि जिस प्रकार बम्बई में माल छोड़ा जाता है, उसी प्रकार छोड़ दीजिये, लेकिन वहाँ के अधिकारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दो तीन हजार रुपये का डेमरेज व्यापारी को प्रति-दिन देना पड़ता है। इस बारे में कोई वाया मिडिया निकाल कर इस मामले को तय करना चाहिए। सामान पड़ा रहता है और उस पर जितना डैमरेज बढ़ता है, उतना सामान ज्यादा महंगा होता है।

[श्री एम० एस० सोमानी]

मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह प्रत्येक राज्य में इकानोमिक आफेंसिज के लिये स्पेशल कोर्ट्स बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी इकानोमी के डांवांडोल होने का सब से बड़ा कारण आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, जो कानून के शिकंजे में नहीं आते हैं। इसके कारण देश में कई तरह की अवांछनीय गतिविधियां होती हैं। मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव पर जल्दी से अमल कर के आर्थिक अपराध करने वाले लोगों को ऐसी अदालतों के दायरे में लाना चाहिए, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज और देश के साथ गद्दारी करते हैं। आर्थिक अपराधों को रोकने की बहुत आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि स्वर्ण नीति का क्या हुआ। सोने के भाव की स्थिति क्या है ? उसपर पिछले काफी समय से वह चुप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वह एक डायनामिक पालिसी लागू कर के इस गड़बड़ी को कंट्रोल करें, क्योंकि वर्तमान नीति का दुरुपयोग हो रहा है।

ग्रामीण विकास के लिए बहुत तरह के अच्छे प्रावधान किये गये हैं। मेरे मित्र, श्री कंवर लाल गुप्त, ने कहा है कि सरकार नई नीति बना कर शहरों और गांवों का विवाद पैदा न करें, देश को विभाजित न करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तीस साल तक शहरों में बहुत काम होता रहा है। वहां के लोगों को बहुत सुविधायें मिली हैं और उन की हालत अच्छी हुई है। अगर सरकार पांच दस साल तक गांवों के विकास पर ध्यान देती है, तो वह इस में रोड़ा और बाधक न बनें। गांवों के लोगों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। फिनांस बिल में गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन, पीने के पानी और शिक्षा के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, मैं उनका पूरे जोर से स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गति को बनाये रखना चाहिये। गांवों के लोगों की हालत को सुधारने के लिए शहरों के लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा।

उधर से बोलने वाले पहले वक्ता ने अंत में हरिजनों पर अत्याचार और मंहगाई की बात कही। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इस लिए घूम-फिर कर इन्हीं बातों पर वापस आते हैं।

परन्तु इसी सभा में इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि पिछली सरकार के समय में हरिजनों पर कितने अत्याचार हुए, जनता पार्टी की सरकार ने उनको कंट्रोल किया है और हरिजनों पर अत्याचार की परसैंटेज में कमी हुई है। हम तो नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति पर अन्याय और अत्याचार हो परन्तु यह एक 30 साल की व्यवस्था जो आप ने खड़ी की उस को धराशायी करने में समय लगेगा। (**व्यवधान**) पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं तो उन को कंट्रोल करेंगे। आप और हम सब लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं और यह कोई पोलिटिकल समस्या नहीं है, यह सामाजिक समस्या है और हम सब को मिल कर इस को समाप्त करना पड़ेगा।

एक बात खास तौर से और कहना चाहता हूं। कई बार इस सदन में भी यह बात आई है कि बैंकों से जो ऋण की व्यवस्था है उस में गड़बड़ियां होती हैं। हजारों अप्लीकेशन काश्तकारों की आज बैंकों में पेंडिंग हैं और कोई बैंक वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। आप ने लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण दिए जाने की व्यवस्था की है परन्तु बिना कुछ दिए लिये न काश्तकार

को ऋण मिलता है न उद्योग लगाने वालों को मिलता है। इसलिये इस में अगर किसी तरह से आप ऐसे परिवर्तन कर सकें कि जिस में बैंक के आफिशियल्स को कुछ भी करने की गुंजाइश न रह जाय तो उसे करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

राजस्थान कैनाल जैसी राष्ट्रीय योजना जो विश्व की सब से बड़ी सिंचाई योजना है, इस का काम बहुत मन्द गति से हो रहा है। सिंचाई मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी राष्ट्रीय योजना के लिए के लिए केंद्रीय स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ व बजट बना कर इस को पूरा किया जाना चाहिए। कितने वर्षों से यह योजना चल रही है। जिस योजना के बल पर हम यह मानते हैं कि पूरे देश का अनाज का आउटपुट दस परसेंट बढ़ जायगा, इतनी बड़ी योजना पर भी हम गंभीरता से विचार न कर के उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और ऐसी योजनाएं जो देश में हैं जिसके कारण पूरे देश पर असर पड़ता है उनको त्वरित गति से पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान करें।

पिछले साल बताया गया था कि शुगर मिलों के जिम्मे काश्तकरों का 40 करोड़ रुपया बकाया है। मुझे पता नहीं है कि अभी इस समय क्या स्थिति है। परन्तु इतना अवश्य है कि यह राशि और बढ़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो भोपाल सागर शुगर मिल है चितोड़ जिले में उस के जिम्मे काश्तकारों का 5 लाख रुपया बाकी है। चितोड़ जिले में मैं निवेदन करुगाँ कि जितना गन्ना पिछले साल पैदा किया गया था उसका आधा गन्ना काश्तकारों ने इस साल पैदा किया क्योंकि वहाँ वह एक ही मिल है और उस ने अपनी मोनीपली बनाई हुई है। वह गन्ना उठाते नहीं हैं। इसलिए इन दोनों बातों का सामंजस्य बिठा कर उस के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता हैं। मैंने राजस्थान में भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में एक फैक्ट्री वहां और बढ़ा दी जाय तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और काश्तकारों को भी सहूलियत होगी। सारा काम अच्छा होगा। शुगर फैक्ट्री लगाने पर कोई बहुत लागत भी नहीं आती है। केवल 8 करोड़ लागत आती है। इसलिए इस ओर भी में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एल० आइ० सी० के एम्पलाईज जो एजीटेशनल ऐटीट्यूड बनाए हुए हैं उसके कारण आप को नुकसान हो रहा है। दो वर्षों से फील्ड आफिसर्स एजीटेटड हैं। एमर्जेंसी के दिनों में जो काला कानून और काले प्रतिबन्ध लगा कर उन के वाजिब अधिकारों को समाप्त किया गया था, मैं चाहता हूं कि उस को समाप्त कर के उन के पुराने अधिकारों को फिर से रिवाइव करें और इस बीमा उद्योग को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राघव जी (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सब से पहला सुझाव मेरा यह है कि यह जो डायरेक्ट टैक्स कानून बहुत काफी बने हुए हैं इन सब को मिला कर एक करना बहुत जरुरी है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एस्टेट डयूटी, ये चार टैक्स इक्ट्ठे किए जा सकते हैं। इनको अलग-अलग रखकर इन को और ज्यादा काम्पलीकेटड कर दिया है। यह न तो करदाताओं के लिए ठीक है और

[श्री राघव जी]

न सरकार के लिए ठीक है। सरकार का इस पर व्यर्थ में पैसा भी खर्च होता है। तो इन चार टैक्सों का एक कानून बना दिया जाना चाहिये और इसको कोई विशेष कठिनाई भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वैल्थ टैक्स का एसेसमेंट भी इनकम टैक्स आफिसर करता है और गिफ्ट टैक्स का आसेसमेंट भी इनकम टैक्स आफिसर करता है। सिर्फ एस्टेट ड्यूटी के लिए अलग अधिकारी हैं और एस्टेट ड्यूटी के लिए अलग अधिकारी होने से दोनों का सामंजस्य नहीं बनता है। इस से स्टेट ड्यूटी की चोरी भी बहुत होती है और उस की ठीक व्यवस्था भी नहीं होती है। इसलिए एस्टेट ड्यूटी भी इसके साथ मिला दें, वही अधिकार इस का भी असेसमंट करे और एस्टेट ड्यूटी के बारे में थोड़ा संशोधन भी कर दें। आज जो भी डायरेक्ट टैक्स ऐक्ट है उस में एस्टेट ड्यूटी सबसे ज्यादा काम्पलीकेटेड ऐक्ट है। उसमें आवश्यक संशोधन करें। उसकी सीमा वही रखें जो वेल्थ टैक्स की है। वही पुरानी 50 हजार की सीमा जब कानन बना था तब से चली आ रही है जब कि रुपये का मूल्य गिर गया है, लेकिन उस की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उस में जो छूट हैं वह भी बहुत कम है। यहां तक कि इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वह भी उस में जोड़ा जाता है। इसलिए वेल्थ टैक्स की छूट की जो सीमा है वही उसकी भी छूट की सीमा होनी चाहिए। वेल्थ टैक्स के लिए जो एग्जेम्शन्स हैं वही उसके लिए रखे जायें और एक ही कानून में दोनों को मिला दिया जाये—यह मेरा सुझाव है।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया था कि हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे लेकिन दो वर्ष समाप्त हो गए, अभी तक सेल्स टैक्स समाप्त होने की स्थिति देखने में नहीं आ रही है। इसके लिए पूरे देश में आन्दोलन चल रहा है कि सेल्स टैक्स को समाप्त किया जाए लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। अगर राज्य सरकारें सेल्स टैक्स समाप्त नहीं करना चाहतीं तो केन्द्रीय सरकार ही कुछ पहल कर सकती है। अधिकांश आइटम्स जोकि आर्गेनाइज्ड सेक्टर में पैदा होते हैं उन पर अगर केन्द्र की ओर से एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी जाए तो राज्य सरकारें उन पर विक्रय कर नहीं लगा सकती हैं। वर्तमान में दो-चार चीजें हैं जिन पर एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी लगी हुई है और किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उन पर विक्रय कर वसूल कर सके। तो ऐसी सैकड़ों वस्तुयें हो सकती हैं जिन पर आप एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी लगा सकते हैं। यदि उन पर आप एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी लगा देंगे तो फिर राज्य सरकारों को विक्रय कर लगाने का अधिकार ही नहीं रह जायेगा। जिन वस्तुओं को आप एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी के अन्तर्गत शामिल कर लेंगे कम-से-कम उन वस्तुओं के सम्बन्ध में परेशानी दूर हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार इस कार्य को बड़ी आसानी के साथ कर सकती है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस सुझाव पर उचित ध्यान दें।

फाइनेन्स बिल में इनकम टैक्स के सम्बन्ध में जो बातें हैं उस पर मेरा सुझाव है कि दस हजार की आमदनी तक पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। अभी दस हजार की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन आमदनी बढ़ने पर कर का जो निर्धारण होता है उसमें 8 हजार की आमदनी को छूट मान कर ही हिसाब लगाया जाता है। इस प्रकार से हिसाब लगाने में भी परेशानी होती है। मेरा सुझाव है कि 10 हजार की आमदनी पर पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। 10 हजार से अधिक आमदनी होने पर भी प्रथम 10 हजार पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए।

संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। पहले संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए छूट की सीमा व्यक्तिगत सीमा से दुगुनी होती थी लेकिन 5-7 साल पहले पिछली सरकार ने उनको समान स्तर पर कर दिया। इस देश में संयुक्त हिन्दू परिवार की एक विशेष व्यवस्था है, वह एक साझीदारी की फर्म जैसी है लेकिन उसको साझीदारी फर्म के कोई लाभ नहीं मिलते हैं। मेरा सुझाव है कि संयुक्त हिन्दू परिवार में दो से अधिक विवाहित पुरुष होने पर छूट की सीमा 15 हजार होनी चाहिए और तीन से अधिक विवाहित पुरुष होने पर 20 हजार की छूट की सीमा कर देनी चाहिए अन्यथा जान-बूझ कर उसको तोड़ना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से वेल्थ टैक्स के मामले में पहले संयुक्त हिन्दू परिवार में छूट की सीमा, अगर व्यक्तिगत में एक लाख थी तो वहाँ पर दो लाख थी लेकिन अब उसको समान कर दिया गया है। वेल्थ टैक्स के मामले में भी संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए, यदि दो से अधिक विवाहित पुरुष हों तो सीमा बढ़ा कर दो लाख कर दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने वेल्थ टैक्स में ऊपर के स्लैब्स में जो बढ़ौत्तरी की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पिछली सरकार का कदम समाजवादी कदम नहीं था, जबकि यह एक समाजवादी कदम है।

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर सरचार्ज को 10 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की थी सरचार्ज को एकदम पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता। इससे टैक्स कैलकुलेशन और कांप्लिकेटेड बनता है। ऊपर के स्लैब्स वालों पर इतना टैक्स हो जाता है कि वे ईमानदारी से टैक्स देना नहीं चाहते। इसलिए सरचार्ज को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। न तों 10 परसेंट, न 15 परसेंट, इसको तूरी तरह से समाप्त होना चाहिए।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर कौआपरेटिव स्टोर्स के लिए एक विशेष व्यवस्था यह की गई है कि उनके लिए छूट की सीमा 40,000 रुपये कर दो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि केवल कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स के लिए ही यह सीमा क्यों रखी गई है। जो एग्रीकलचरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग सोसाइटी है, उसके लिए वह सीमा क्यों नहीं रखी गई है। आपने केवल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स के लिए ही यह सीमा लगा दी लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में दूसरी ऐसी सहकारी संस्थायें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, जो आर्टीशन्स सोसाइटीज हैं, उन कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी पूरी छूट प्राप्त होनी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी हो चाहे वह कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर हो या दूसरी कोई संस्था हो, उनको भी 20,000 रुपये की बजाए 40,000 रुपये की छूट होनी चाहिए और इस सीमा को आपको बढ़ाकर 40,000 रुपये सब के लिए करना चाहिए।

एडवान्स टैक्स का जहां तक सम्बन्ध हैं, एडवान्स टैक्स के बारे में रजिस्टर्ड फर्म के लिए एक नया संशोधन कर दिया गया है और वह संशोधन यह है कि पहले ज़िसकी आमदनी 39,000 रुपये से ऊपर होती थी, उसको एडवान्स टैक्स भरना पड़ता था लेकिन अब इसको कम करके 20,000 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए कोई तर्क समझ में नहीं आता है। अब मान लीजिए कोई पार्टनरशिप है और उसमें दो, तीन या चार पार्टनर हैं। अब अगर 20,000 रुपये की सीमा आमदनी की है, तो अगर दो पार्टनर भी हुए तो एक पार्टनर के हिस्से में 10,000

[श्री राघव जी]

रुपये आए और 10,000 रुपये की आप इन्कम टैक्स में छूट देते हैं लेकिन अगर उन दोनों पार्टनर की आमदनी 20,000 से ज्यादा बढ़ जाए, तो उनको एडवान्स टैक्स भरना पडेगा। यह जो किया गया है, यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। इस सीमा को 30,000 रुपये से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरा सुझाव है कि इसको 30,000 रुपये करना चाहिए या उससे अधिक बढ़ाना चाहिए।

इसी प्रकार से एनुयेटी डिपोजिट के बारे में भी कहना चाहता हूं। बार-बार यह कहा जाता रहा है कि एनुयेटी डिपोजिट की जो स्कीम है, यह केवल टेम्पोरेरी है। पहले यह दो साल के लिए थी। फिर इसको एक साल के लिए और बढ़ाया और अब फिर एक साल के लिए और बढ़ा दिया। इसका कोई औचित्य नहीं है। अब 15,000 से ज्यादा आमदनी वालों को, हर एक को एनुयेटी डिपोजिट करना पड़ेगा। यह ठीक नहीं है। अगर आप इसको आवश्यक ही समझते है तो कम-से-कम 20,000 रुपये इसकी लिमिट कर दीजिए। जिनकी आमदनी 20,000 रुपये से ज्यादा हो, केवल उन लोगों को बाध्य किया जाए कि वे अनुयेटी डिपोजिट जमा करायें और अन्य लोगों को इसके लिए छूट होनी चाहिए।

इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे संशोधन हैं। फार्म नं० 12 के संबंध में भी "ओन और बिफोर" ये शब्द जोड़े जायें। एडवान्स टैक्स में कई प्रावधानों में "ओन और बिफोर" वाले शब्द जोड़े गए हैं लेकिन फार्म नं० 12 के सम्बन्ध में भूल से लिख दिया गया है "बिफोर थरटियथ जून"। इसका नतीजा यह है कि जो फार्म 30 जून को भी पेश करता है, तो उस रजिस्टर्ड फर्म को भी अनरजिस्टर्ड फर्म मान कर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यह ठीक करना बड़ा आवश्यक है। टेक्निकल कारणों से करदाताओं पर ज्यादा टैक्स लग जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह बताऊं कि हर बार रजिस्टर्ड फर्म मानी जाने वाली कोई भी संस्था अगर देर से नकशा भरती है, तो जुर्माना भरने के लिए उसको अनरजिस्टर्ड फर्म माना जाता है और एक अनरजिस्टर्ड फर्म मान कर उस पर जुर्माना लगता है। पहले यह भूल हो गई है और वही भूल अभी तक चली आ रही है और इस टेक्निकल गलती के कारण लोगों को सफर करना पड़ता है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी रजिस्टर्ड फर्म ने अपना एडवान्स टैक्स का रिटर्न देर से भरा हुआ है, तो उसको जो इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, वह टैक्स से भी ज्यादा हो जाता है। यह बहुत छोटी सी बात है और इस प्रकार के संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन किया जाए।

इस प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कभी-कभी इन्ट्रेस्ट की रकम, ब्याज की रकम टैक्स से भी ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार का कानून बनना चाहिए कि ब्याज की जो रकम है, वह मूल टैक्स से ज्यादा न हो। यदि किसी करदाता ने पांच साल पहले या दस साल पहले रिटर्न न भरा हो, तो उसको जो इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, वह मूल टैक्स से भी ज्यादा होता है और इन्कम टैक्स इंसपेक्टर इतना ज्यादा इन्ट्रेस्ट उस पर लगा देते हैं लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि मूल टैक्स से ब्याज ज्यादा लग जाए। इसमें संशोधन किया जाए और चाहे रजिस्टर्ड फर्म हो या चाहे इन्डिविजुअल हो, उसको टैक्स से ज्यादा ब्याज नहीं लगाना चाहिए। यह एक बहुत आवश्यक संशोधन है, जिसका करना नितान्त जरूरी है।

एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस देश में काला धन बहुत बन रहा है लेकिन काला धन रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर इनकम टेक्स का जो पूरा क्षेत्र होता है, उसका ठीक ढंग से सर्वे नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्कम टेक्स इंस्पेक्टर्स बढ़ाये जाने चाहिये ताकि सर्वे ठीक से हो। सर्वे ठीक से न होने से टेक्स इवेजन होता है, और काला धन बढ़ता है। बड़े-बड़े शहरों में—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि एक लाख की आमदनी करते हैं लेकिन टैक्स दस हजार पर देते हैं और बहुत से तो देते ही नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको रोका जाए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि केरोसीन आयल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। केरोसीन आयल का इस्तेमाल अमीर आदमी या शहरों में रहने वाले ही नहीं करते हैं। शहरों में तो बिजली भी है। इसका अधिकतर इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जहाँ कि बिजली नहीं है। इसका बोझ उन पर पड़ता है जो कि कमजोर वर्ग के लोग हैं। आपने कहा कि चूंकि यह मिलावट के काम मे लाया जा सकता है इसलिए इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी गई है। लेकिन मैं इसे कोई तर्कसंगत बात नहीं मानता। अब पेट्रोल में भी केरोसीन की मिलावट हो सकती है तो क्या आप केरोसीन पर पेट्रोल के बराबर एक्साइज ड्यूटी बढ़ायेंगे? इसलिए मेरी जोरदार शब्दों में यह माँग है कि यह एक चीज गरीबों के इस्तेमाल की है, इस पर से एक्साइज ड्यूटी कम की जाए।

आपने छोटे उद्योगों पर 30 लाख की सीमा को घटा कर 15 लाख कर दिया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरी मांग है कि इसे तीस लाख ही किया जाए नहीं तो इससे जितने भी छोटे उद्योग धंधे हैं उनको बहुत चोट पहुंचने वाली है। इससे छोटे उद्योगों का तो अस्तित्व डिग रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इसे फिर वही किया जाए।

अन्त में मैं एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं। हिन्दुस्तान के अन्दर जो सरकारी उपक्रम हैं, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, इनके बारे में ठीक से विचार होना चाहिए। इन में देश का 15 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है लेकिन ये इस पूँजी के बदले में इस देश को क्या देते हैं? अगर इनको मुनाफे में बदलने की कोशिश की जाए तो आपको इनसे इतना लाभ हो सकता है कि आपको नए टेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार-बार टेक्स बढ़ाना पड़ता है, यह नहीं करना पड़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनकी ठीक से जाँच की जाये कि ये घाटे में क्यों चल रहे हैं? उनके मुकाबले में प्राइवेट ट्रेड तो घाटे में नहीं चल रहे है। अगर इनके मेनेजमेंट में बदल करने की जरूरत पड़े तो वह भी बदल की जाएगी। अगर मेम्बर आफ पार्लियामेंट को भी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में रखने की जरूरत हो तो वे भी रखे जायें। इस बात की गहराई से जाँच होनी चाहिए और जो गड़बड़ हो उसे सख्ती से दूर किया जाना चाहिए। अगर इनका मेनेजमेंट हम ठीक कर सके और इनसे हम उचित मुनाफा ले सके तो देश का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर विचार होगा।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा (बेल्लारी) : वित्त विधेयक पर बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस्पात और खान, नागर विमानन तथा संसदीय कार्य जैसे अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा नहीं की गई और पिछले वर्ष चर्चा के बाद भी उनकी अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं हुआ । पिछले वर्ष हम इन मंत्रालयों पर चर्चा भी नहीं कर सके । यदि ऐसी बात है तो मुझे भय है कि संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों, जिनको वे वस्तुत: कारगर बनाना चाहते हैं, की समस्याओं को रख नहीं सकेंगे । इसलिए एक बात के लिए मेरा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है । अब से संसदीय कार्य मंत्री उन मंत्रालयों को अगले वर्ष के बजट के लिए चर्चा हेतु लें जिनकी अनुदानों की माँगों को बिना चर्चा किये पास कर दिया गया था और तब केवल अन्य मंत्रालयों को ले । यह मेरा विचार है और मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में कम से कम अगले वर्ष कुछ करेंगे ।

अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना चाहता हूं । मैं कराधान पर अधिक नहीं बोलना चाहता हूं । राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस्पात होता है । एक देश की अर्थव्यवस्था इस्पात से जानी जाती है और देश की संपत्ति इस्पात के उत्पादन से आंकी जाती है । परन्तु दुर्भाग्यवश इस देश में क्या हुआ है ? सरकार ने नए इस्पात संयन्त्रों के प्रति उपेक्षा बरती जो कि नये क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे थे जहां कि परियोजना वस्तुत: अन्तिम चरण पर थी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विजयनगर इस्पात संयन्त्र के बारे में, जिसे सात वर्ष पूर्व तैयार हो जाना चाहिये था, अब तक कुछ नहीं हुआ है । ऐसा लगता है कि सरकार राजनीतिक रूप से कुछ और सोच रही है । वास्तव में जनता सरकार इस देश का शासन राजनैतिक बदले की भावना से चला रही है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनैतिक बदले की भावना दक्षिण में इस इस्पात संयन्त्र की धीमी प्रगति का कारण है । विजयनगर इस्पात संयन्त्र पर कुल लागत 1580 करोड़ रुपये आने की सम्भावना है जबकि सरकार ने पिछले वर्ष केवल 1 करोड दिया है और इस वर्ष भी उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया है । इसका मतलब है कि हमारे इस्पात मन्त्री इस संयन्त्र को 1500 वर्षों में पूरा करना चाहते हैं मानो वह तब तक इस्पात संयन्त्र को पूरा करने के लिये इस्पात मन्त्री बने रहेंगे । यदि ऐसी बात है तो वह ख़याली दुनिया में रह रहे हैं, मुझे पक्की आशंका है कि इस सरकार ने विजयनगर इस्पात संयन्त्र को राजनीतिक बदले की भावना का शिकार बनाने का निश्चय किया है ।

जब प्रधान मन्त्री श्री कांची स्वामी जी से मिलने बंगलौर गये थे, जो वह थोरनगलु, जो विजयनगर इस्पात नगर के क्षेत्र में है, में ठहरे हुए थे । तब प्रेस के लोगों ने प्रधान मन्त्री से इस इस्पात संयन्त्र के बारे में जानना चाहा ? मुझे दुख है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने उनसे कहा कि वे उनसे पूछें जिसने इसका शिलान्यास किया था । क्या एक जिम्मेदार प्रधान मन्त्री का ऐसे महत्व-पूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का यही तरीका है । क्या पूरे देश का सम्पूर्ण विकास इस इस्पात उद्योग में निहित नहीं है ?

यह बहुत ही स्पष्ट बात है कि सरकार ने इस इस्पात संयन्त्र को कर्नाटक राज्य के साथ राजनैतिक बदला लेने के लिए स्थापित न करने का निर्णय किया है ।

चिकमंगलूर चुनाव क्षेत्र के लिए प्रचार करते समय उद्योग मन्त्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीस ने लोगों को बताया था कि विजय नगर इस्पात संयन्त्र का प्रस्ताव त्याग दिया गया है और मगलौर इस्पात संयन्त्र लगाया जा रहा है। यह कहने का उद्देश्य चिकमंगलूर स्थान हेतु जनता के मत खींचना था। तथापि, वह वहां बुरी तरह असफल हुये। इसके अलावा, राष्ट्रमण्डलीय उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में श्री ज़ॉर्ज फर्नान्डीस ने कहा कि मंगलौर इस्पात संयन्त्र फ्रांस सरकार के सहयोग से 4500 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यदि उद्योग मन्त्री मंगलौर इस्पात संयन्त्र के 4500 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं तो विजय नगर इस्पात संयन्त्र के लिए विदेशों से 1500 करोड़ रुपये क्यों नहीं हासिल कर सकते? वस्तुतः यह प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार सचमुच ही कर्नाटक राज्य के विरुद्ध है। इसका कारण यह है कि कर्नाटक के लोगों ने जनता पार्टी को न तो संसद के लिए और न ही विधान सभा चुनावों के लिये मत दिया। इसीलिए, उसका कर्नाटक के प्रति यह रवैया है।

अब, इस्पात और खान मन्त्रालय के वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदेन में यह कहा गया है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यदि ये इस्पात संयन्त्र विदेशी सहयोग से बन रहे हैं तो विजयनगर इस्पात संयंत्र को भी क्यों नहीं बनाया जाता? वे इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक राज्य में लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाईट आदि के पर्याप्त स्रोत हैं और विजयनगर इस्पात संयन्त्र के समीप ही हैं। इसलिए, मैं जनता सरकार के हार्दिक रूप से यह अपील करूंगा कि वह विजयनगर इस्पात संयन्त्र के बारे में राजनैतिक दृष्टि से निर्णय करने की बजाय देश में इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में सामान्य देश के समूचे विकास की दृष्टि से, और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में इस्पात के उत्पादन की दृष्टि से निर्णय करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी० पी० आर०) तैयार करके सरकार को पेश कर दिया गया है। सी० ई० डी० बी० जिसका नाम अब बी० ई० सी० ओ० एन० (बेकोन) है ने जनवरी, 1972 में तारानगाहलू (विजयनगर इस्पात संयन्त्र) एक समेकित इस्पात संयन्त्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन पेश किया था। सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी के बाद 'बेकोन' ने एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके अप्रैल, 1977 में पेश किया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में, काम की निरन्तरता रखने और बेकार के व्यय से बचने के लिए साथ-साथ चलने वाले दो चरणों में काम शुरू करने का सुझाव दिया गया था। पहले चरण में 7,65,500 टन बिलेट प्रति वर्ष बनाये जायेंगे तथा दूसरे चरण में 8,80,000 टन बिलेट तथा 1.735 मीटरी टन होटराल्ड फ्लेटों का उत्पादन किया जायेगा। इसमें अतिरिक्त 8,30,000 टन अमोनिया सल्फेट, बेनजीन जैसे अन्य उप-उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। एक समेकित इस्पात संयन्त्र के लिए आवश्यक, कोयले के सिवाये, सभी कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता की दृष्टि से विजयनगर इस्पात संयन्त्र का स्थान एक आदर्श स्थान है। यदि आयातित कोकिंग कोल का उपयोग करने का निर्णय किया जाता है तो उसे मद्रास अथवा गोआ के रास्ते तोरानगाहलू तक रेल द्वारा लाया जा सकता है। यदि मद्रास से लाया जाना हो तो उसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क के निर्यात के लिये लाये जाने वाले वैगनों से लाया जा सकता है क्योंकि वे वेगन वापसी पर खाली आते हैं। हर वर्ष खनिज तथा धातु व्यापार निगम 30 लाख टन लोह अयस्क का निर्यात कर रहा है और उसे लाने

[श्री के० एस० वीरभद्रप्पा]

वाले वेगन वापसी पर खाली आते हैं। यदि कोयले का आयात किया जाये तो इन वेगन का उपयोग सीधे इस्पात संयन्त्र तक लाने के लिये किया जा सकता है।

कुमार स्वामी निक्षेप लोह अयस्क के लिए तथा बागल कोट चूनापत्थर तथा डेलोमाईट के लिए स्रोत होंगे। संयन्त्र के लिए पानी तुंगभद्रा जलागार से मिल जायेगा। कालिदो तथा शरावती पन-बिजली परियोजनाओं के एकक तथा रायचूर और रामगुंडम् तापीय बिजली संयन्त्रों के चालू होने से हम संयंत्र की बिजली की आवश्यकता भी पूरी हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त संयंत्र के लिए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने लिए संयंत्र के अन्दर ही विद्युत प्रजनन की व्यवस्था है।

निर्माण के उच्चतम चरण के दौरान लगभग 50,000 लोगों को नया कार्य करने के दौरान लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ संयंत्र के चालू होने से इन क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बहुत अधिक बल मिलेगा क्योंकि इसके फलस्वरूप बहुत सारे सम्बद्ध उद्योग भी पनप जायेंगे। इसके साथ-साथ आयात के के प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा की बचत तथा देश के दो संसाधनों का उपयोग भी होगा। इन प्रतिवेदन से कोई भी यह समझ सकता है कि यह संयंत्र कितना महत्वपूर्ण है तथा कितना संभान्य भी है। इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

कहा जाता है कि यह बजट ग्रामोन्मुख है एक किसान-बजट है। मेरा ख्याल है कि इससे किसान को कोई अधिक लाभ पहुंचने वाला नहीं है। हमें उर्वरक के एक बोरे पर पांच रुपये की बचत तो हो सकती है, शेष कुछ नहीं। यदि किसान को सचमुच ही लाभ पहुंचाना है तो वह छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू करें। यदि किसानों को अपनी जरुरतों के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना होगा तो वे बड़ी कठिनाईयों में पड़ें रहेंगे। ग्रामोन्मुख फ़सलबीमा योजना किसानों के लिये सहायक होगी। इस प्रकार एस० एफ० डी० ए० में प्रत्येक परिवार के लिये एक सिंचाई कूप की व्यवस्था के लिये कार्य किया जाना चाहिये ताकि उन्हें फसल पाने का सुनिश्चय हो सके, अथवा यदि उन्हें वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ा तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अतः तथाकथित ग्रामीण बजट से किसानों को कोई लाभ नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने वित्त मंत्री से मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क घटाने का अनुरोध किया है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक आम आदमी के उपयोग की चीज है और इस पर से निश्चित ही उत्पाद शुल्क हटा दिया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य में चुंगी शुल्क हटा दिया गया है और हमारी सरकार को केन्द्रीय सहायता की जरूरत है। केवल इसलिए कि कर्नाटक सरकार ने चुंगी समाप्त कर दी है, हमें केन्द्रीय सहायता देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। मैं हृदय से अपील करता हूं कि केन्द्र सरकार को ऐसे राज्यों की सहायता करनी चाहिये जो चुंगी शुल्क समाप्त करदें ताकि ऐसे राज्य अपनी नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों को सहायता दे सकें।

मैं उप-प्रधान मंत्री से पुनः अपील करता हूं कि वह विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करे तथा उस परियोजना को मंजूरी दें जो शुरु होने की स्थिति में है।

श्री हीरा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमेशा जो हमारा बजट बनता था, उसमें और आज के बजट में बहुत फर्क है। अब 40 और 60 परसैंट का देहात के लिए मार्जिन रखा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि यह जो विकास आया है इससे अगर देहात की पैदावार होगी तो शहरों की भी आमदनी होगी और उसके आधार पर भारी विकास होगा।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देहात के विकास करने में कई तरह की रुकावटें हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि जिस रूरल एरिया से मैं आता हूं वहाँ की परिस्थिति क्या है। अगर छोटी सड़क बनानी है, एक सड़क से दूसरी सड़क मिलानी है तो वहां पर मापदंड यह रखा है कि 15 हजार तक की आबादी हो या 1500 की आबादी हो, तब सड़क बन सकती है। इस आधार पर हमारे आदिवासी रूरल एरिये में ग्रामीण विकास का काम केवल कागजों पर ही रह जायेगा। अगर आबादी को आधार बनाया जायेगा और उससे हम विकास का काम करेंगे तो इस बजट से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातों और नारों में ही सब कुछ रह जायेगा।

हमारे यहां 1 लाख की आबादी के एरिए में 1 प्रतिनिधि चुनकर आता है लेकिन वहां की आबादी की गिनती में वह नहीं है। अगर रूरल एरिये में आबादी की गिनती और आंकड़ों से काम करेंगे, तो उससे हमें कैसे विश्वास हो जाएगा कि वहां विकास हो सकेगा।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि आप ग्रामीण विकास के बारे में बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी है, लेकिन कानूनी जो रुकावटें हैं उनमें भी जब तक आप सुधार नहीं करेंगे तब तक यह देहात का विकास केवल कागजों में रहेगा।

अब मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं, मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर से आता हूं, वहां क्या हुआ है ? राजाओं के टाइम से हमारे यहां के आदिवासी लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। न वहाँ स्कूल थे और न कालेज थे। कांग्रेस की हुकूमत में भी हायरसैकेन्डरी स्कूल और कालेज नहीं थे। उसके बाद अब 2 साल में सैकेन्डरी स्कूल जरूर खुलवाये गए हैं। इसके लिये हमारी जनता सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सैकेन्डरी पढ़ने के बाद वहाँ विद्यार्थी क्या करेंगे ? एक तरफ शहरों की शिक्षा है जहां कि डिग्री कालेज हैं या दूसरे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वहाँ लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, शिक्षित बनेंगे। दूसरी तरफ देहात में शिक्षा प्रणाली में एक रुकावट पैदा कर दी गई है कि जहाँ 15 हजार तक की आबादी वाला क्षेत्र होगा या कस्बा होगा वहीं हायर सैकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे। इसके साथ-साथ कालेज के बारे में आज क्या परिस्थिति है ? जिस क्षेत्र के लोगों को हजारों सालों से शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जहां आज बारह, तेरह सौ लड़के हायर सैकंडरी पास करके भटक रहे हैं, वहां के लिए पांच साल के इस नियम को हटा देना चाहिए। अगर एक इन्सान शिक्षा प्राप्त करके दूसरे इन्सान के बराबर बनना चाहता है, तो उसको वह सुविधा न देना अन्याय है। मैं शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात मान सकता है, लेकिन यह जो रोक लगा दी गई है कि पाँच साल के लिए कोई कालेज नहीं खोला जाएगा, उसका क्या मतलब है ? जहां पचासों सालों से कालेज चल रहे हैं, वे तो चलते रहेंगे, तो फिर आदिवासी एरियाज में इस रुकावट की क्या जरूरत है, जहां कोई भी कालेज नहीं है ?

इस हालत में हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम गैर-बराबरी की खाली खाई को पाटने

[श्री हीरा भाई]

जा रहे हैं। हमारा यह नारा बिल्कुल थोथा है। शिक्षा मन्त्री सदन में नहीं हैं, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इस बात का बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। देश में जो डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय हैं, अगर उनको बन्द कर दिया जाये, तब तो मैं मानूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो गया है। मगर सरकार की नीति यह है कि जो कालेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वे तो चलते रहें, और जब आदिवासी एरिया में लोग कालेज खोलने की माँग करते हैं तब सरकार कहती है कि हमने इस पर पांच साल के लिए अंकुश बना दिया है।

इसका अर्थ तो यह है कि जहां हम पहले थे, वहां ही रहे। हम पिछडे हुए लोग थे और पिछड़े हुए माने जाते थे। अब शहरों के मुकाबले में हम और भी पिछड़ जायेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री जी बार-बार कहते हैं कि निडर बनो। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले होशियार नहीं होगा, तब तक वह निडर कैसे होगा? इसलिए कम से कम इस पाँच साल वाले नियम को हटा देना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा कल 6.00 **बजे म० पू० प्रातः** 11 **बजे तक के लिए स्थगित होती है।**

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 25 **अप्रैल,** 1979/5 **वैशाख,** 1901 **(शक) ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-110002